

खण्ड-02 सत्र -02 (भाग-01)
अंक-17

सोमवार 23 नवम्बर, 2015
02 अग्रहायण, 1937 (शक)

दिल्ली विधान सभा की कार्यवाही



सत्यमेव जयते

छठी विधान सभा द्वितीय सत्र

अधिकृत विवरण

(खण्ड-02 (भाग-01) में अंक 15 से अंक 25 तक सम्मिलित हैं)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय
पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

सम्पादक वर्ग
EDITORIAL BOARD

प्रसन्ना कुमार सूर्यदेवरा
सचिव
PRASANNA KUMAR SURYADEVARA
Secretary

एम.एस. रावत
उप-सचिव (सम्पादन)
M.S. RAWAT
Deputy Secretary (Editing)

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र-2 भाग (1) मंगलवार, 24 नवम्बर, 2015/03 अग्रहायण, 1937 (शक) अंक-18

दिल्ली विधान सभा

सदन अपराह्न 2:00 बजे आरम्भ हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए।

निम्नलिखित सदस्य सदन में उपस्थित हुए :

निम्नलिखित सदस्य सदन में उपस्थित हुए:-

- | | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| 1. श्री संजीव झा | 12. श्री राजेश गुप्ता |
| 2. श्री पंकज पुष्कर | 13. श्री अखिलेश पति त्रिपाठी |
| 3. श्री पवन कुमार शर्मा | 14. श्री सोमदत्त |
| 4. श्री अजेश यादव | 15. सुश्री अलका लाम्बा |
| 5. श्री महेन्द्र गोयल | 16. श्री आसिम अहमद खान |
| 6. श्री वेद प्रकाश | 17. श्री विशेष रवि |
| 7. श्री सुखवीर सिंह दलाल | 18. श्री हजारी लाल चौहान |
| 8. श्री ऋतुराज गोविन्द | 19. श्री शिव चरण गोयल |
| 9. सुश्री राखी बिड़ला | 20. श्री गिरीश सोनी |
| 10. श्री विजेन्द्र गुप्ता | 21. श्री जरनैल सिंह (राजौरी गार्डन) |
| 11. श्री जितेन्द्र सिंह तोमर | 22. श्री जरनैल सिंह (तिलक नगर) |

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| 23. श्री राजेश ऋषि | 41. श्री सौरभ भारद्वाज |
| 24. श्री महेन्द्र यादव | 42. सरदार अवतार सिंह कालकाजी |
| 25. श्री नरेश बाल्यान | 43. श्री सही राम |
| 26. श्री आदर्श शास्त्री | 44. श्री नारायण दत्त शर्मा |
| 27. श्री गुलाब सिंह | 45. श्री अमानतुल्लाह खान |
| 28. श्री कैलाश गहलोत | 46. श्री राजू धिंगान |
| 29. कर्नल देवेन्द्र सहरावत | 47. श्री मनोज कुमार |
| 30. सुश्री भावना गौड़ | 48. श्री नितिन त्यागी |
| 31. श्री विजेन्द्र गर्ग | 49. श्री ओम प्रकाश शर्मा |
| 32. श्री प्रवीण कुमार | 50. श्री एस. के. बग्गा |
| 33. श्री मदन लाल | 51. श्री अनिल कुमार बाजपेयी |
| 34. श्री सोमनाथ भारती | 52. श्री राजेन्द्र पाल गौतम |
| 35. श्रीमती प्रमिला टोकस | 53. सुश्री सरिता सिंह |
| 36. श्री नरेश यादव | 54. मो० इशराक |
| 37. श्री करतार सिंह तंवर | 55. श्री श्रीदत्त शर्मा |
| 38. श्री प्रकाश | 56. चौ. फतेह सिंह |
| 39. श्री अजय दत्त | 57. श्री जगदीश प्रधान |
| 40. श्री दिनेश मोहनिया | |
-

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र-2 भाग (1) मंगलवार, 24 नवम्बर, 2015/03 अग्रहायण, 1937 (शक) अंक-18

दिल्ली विधान सभा

सदन अपराह्न 2:00 बजे आरम्भ हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, दूसरे सत्र के चौथे दिन आप सभी सदस्यों का हार्दिक अभिनन्दन स्वागत।

श्री नितिन त्यागी : ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आपका तो मेरे पास नियम 54 में कॉलिंग अटेंशन आया हुआ है।

श्री नितिन त्यागी : हां जी।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, मैं देखता हूं। मेरे पास तीन आये हुए हैं।

श्री नितिन त्यागी : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर विषय है। उसके बारे में मैंने दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं समय दूंगा न। ऐसे नहीं।

श्री नितिन त्यागी : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत जरूरी है।

अध्यक्ष महोदय : ऐसे सदन नहीं चल पाएगा। मैं प्रश्न काल से पहले कुछ नहीं ले रहा हूं प्लीज।

श्री नितिन त्यागी : सर प्रश्न काल का नहीं, मैं दो मिनट लेना चाहता हूं। मैं शांतिपूर्वक बैठ जाऊंगा। आप दो मिनट मेरी बात सुन लीजिए। दो मिनट। यह बहुत जरूरी है।

सर, रोज हम लोग देखते हैं कि विपक्ष के हमारे साथी किसी न किसी बात पर हंगामा करते हैं। कल भी बहुत हंगामा किया शुरू करने से पहले, काम शुरू होने से पहले बीच में बाधा डालने की कोशिश की गई। हमारे एक साथी को...

अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था

अध्यक्ष महोदय : नितिन जी, नहीं। मैं इस विषय को बिल्कुल नहीं उठाने दे रहा हूं। बिल्कुल नहीं इसको छोड़ दीजिए आप। जगदीप जी आप रोकिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नितिन जी, मेरी प्रार्थना है। मैं यह स्वीकार नहीं करूंगा। छोड़ दीजिए इसको। ऐसे नहीं चल पायेगा सदन।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए नितिन जी। आप बैठ जाइए। नितिन जी। कमाल कर रहे हैं! जगदीप जी। रोकिए, ऐसे नहीं चल पायेगा सदन। नितिन जी बैठिए प्लीज। जगदीप जी, आप रोकिए उनको। ऐसे नहीं चल पायेगा सदन।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ओम प्रकाश जी, मैं उनको रोक रहा हूं आप फिर बोल रहे हैं। आप बैठ जाइये प्लीज।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नितिन जी, मैं अनुमति नहीं दूंगा।, एट एनी कॉस्ट प्लीज। आज बहुत गंभीर विषय है, थोड़ा रुक जाइये जरा। नितिन जी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नितिन जी, जगदीप जी, मैंने पहले आपसे कहा था कि ये विषय मत उठाइये, परन्तु आप मानते नहीं हैं। मैंने आपको रोका था पहले। आप अपने तरीके से चलाते हैं। आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप उनके पक्ष में भी बोल रहे हैं विपक्ष में भी बोल रहे हैं। इस विषय को कल मैंने रोक दिया था। आप दोबारा उठाकर मीडिया का इस ओर ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। अननैसेसरी इस विषय को तूल दे रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए विजेन्द्र जी।

अध्यक्ष महोदय : जगदीप जी, अब आप खड़े हो गये! आप बैठ जाइये। प्लीज। आप बैठ जाइये प्लीज। मैं कुछ नहीं सुन रहा हूं। जब मैंने उनको रखने ही नहीं दिया। उस विषय को लेकर उनको एक घण्टे सदन से बाहर कर दिया।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जगदीप जी, ऐसे नहीं। मैंने जब उस विषय को लेकर... मैं उठकर चला जाता हूं बाहर। आप चलाइये। जब मैं कह रहा हूं कि बैठ जाइये। आप सुन ही नहीं रहे हैं बात को। आप बैठ जाइए। नहीं उठेगा ये क्वेश्चन। आप बैठ जाइए। नहीं कोई सवाल नहीं है इसके अलावा। आप बैठिए

प्लीज। सदन की गरिमा तो बनाइये। स्टार्ड क्वेश्चन का पहले रहता है। उससे पहले....एक सेकेण्ड, मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं कि एक तो जिसने लिखित में कुछ नहीं दिया है चाहे सत्ता पक्ष से हैं या चाहे विपक्ष से हैं। उस विषय को उठाने की मैं किसी कीमत पर उठाने की इजाजत नहीं दूंगा।....एक सेकेण्ड रुक जाइये, ओम प्रकाश जी, प्लीज। दूसरा स्टार्ड क्वेश्चन का जो विषय होता है, ये सबसे पहला मुद्दा होता है। इससे पहले किसी भी प्रकार के और विषय उठाना सदन की गरिमा के विरुद्ध है। दूसरी बात, जो नितिन जी कह रहे हैं, जो कुछ कल हुआ सदन में उसके लिए मैंने एक घण्टे के लिए विजेन्द्र जी को बाहर किया। आज अननैसेसरी हम उस विषय को तूल देकर उनको अवसर दे रहे हैं। बात आगे बढ़ाने के लिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : छोड़िए अब इसको। बैठिए प्लीज।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नितिन जी, बैठ जाइये। ऐसे नहीं चलेगा। ऐसे नहीं चल पायेगा। नितिन जी और विजेन्द्र जी आप बैठ जाइये। विजेन्द्र जी, मैं रोक रहा हूं न उनको।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जगदीप जी, ये ठीक नहीं किया। 15 मिनट सदन के खराब हो गये।

मैं एक बहुत महत्वपूर्ण... कल भी मैंने कहा था। आज मैं पीड़ा के साथ आज फिर ये बात कह रहा हूं। संबंधित विभागों से स्टार्ड क्वेश्चनस के उत्तर एक दिन पहले सदन में आने चाहिए। वो नहीं पहुंचे हैं, कुछ विभाग चिंतित

हैं, उनके आ गये हैं। मैं आज विभागों के नाम नहीं ले रहा हूँ। लेकिन कुछ विभागों के अभी तक आन्सर नहीं पहुंचे हैं और ये बहुत गंभीर विषय है। जिन विभागों के आन्सर नहीं पहुंचे हैं, मैं सदन में इजाजत ले रहा हूँ, उन विभागों के अधिकारियों को कमेटी के अंतर्गत बुलाकर, शो कॉज नोटिस देकर उनसे इस विषय में पूछा जाये। सदन मुझे इसकी इजाजत दे। और मैं फिर एक चेतावनी दे रहा हूँ कि अधिकारी इस बात को सख्ती से लें। मैं किसी तरह की लापरवाही इस विषय पर टॉलरैण्ट नहीं कर सकता।

अभी मुझे बात करने पर जानकारी मिली है। कपिल मिश्रा जी आ गये थे मेरे ऑफिस में। बात करने पर जानकारी मिली है कि प्रश्नों के उत्तर चल चुके हैं, 10-15 मिनट में पहुंचने वाले हैं। कब तक वे आते हैं, तब तक मैं दूसरे विषय लूँ। वैसे परम्परा पहले केवल स्टार्ड क्वेश्चन लेने की है। लेकिन उससे पहले मुझे तीन....

श्री ओम प्रकाश शर्मा : 280 के बाद लेंगे सर।

अध्यक्ष महोदय : इसीलिए 15 मिनट रोक रहा हूँ। आप बैठिए। जो मेरे पास तीन नोटिस आये हैं, वह मैं ले रहा हूँ। अण्डर सैक्शन 54 आये हुए हैं। उन तीनों को ले रहा हूँ।....ऐसे नहीं ओम प्रकाश जी, जो मेरे पास आये हैं, जो मैंने एसेप्ट किए हैं। जो मैंने एसेप्ट किए हैं, वह मैं देख रहा हूँ।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : अण्डर रूल 59 है सर।

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास अण्डर रूल 54 तीन महत्वपूर्ण विषय के नोटिस माननीय सदस्यों के आये हैं। इसमें अजेश यादव जी, अपना विषय रखें।

श्री अजेश यादव : अध्यक्ष महोदय, कल हमारे यहां एक पूरा परिवार जल कर मर गया....

अध्यक्ष महोदय : अजेश जी, दो मिनट बैठिए। विजेन्द्र जी, ऐसा है।

श्री अजेश यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि वे मौके पर गये और उन्होंने 8 लाख का मुआवजा दिया। जो पीड़ित परिवार थे, जो झुगियां जली थीं, उनका भी मुआवजा दिया। अध्यक्ष महोदय, इसकी कोई पक्की व्यवस्था करनी चाहिए। क्योंकि हर साल झुगियों में ऐसे लोग मरते रहेंगे, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इस पर गंभीरता से विचार करें।

अध्यक्ष महोदय : अजेश जी, दो मिनट रुकिए। मैं अभी बात कर रहा हूँ।

ओम प्रकाश, जी जो ये आपका नोटिस आया है अण्डर रूल 59....सुन लीजिए पहले। आप कहेंगे तो मैं इस सदन के सामने पढ़कर सुना दूंगा।....एक बार सुन लीजिए। काम रोको प्रस्ताव के लिए ये कोई बिन्दु नहीं है जो आपने दिया है कि सदन का काम रोक दिया जाये। मैं इसे रिजैक्ट कर रहा हूँ।....ओम प्रकाश जी, दो मिनट रुक जाइए। दो मिनट रुक जाइये आप। मैं व्यवस्था दे रहा हूँ।

मुझे माननीय सदस्य श्री ओम प्रकाश शर्मा से नियम 59 के अंतर्गत कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि विधान सभा की कार्य प्रक्रिया तथा संचालन नियम 60 के अंतर्गत किसी लोक महत्व के निश्चित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा करने के उद्देश्य से सदन के कार्य स्थगन का प्रस्ताव अध्यक्ष की सम्मति से ही प्रस्तुत किया जा सकता है तथा नियम 61(3) के अंतर्गत प्रस्ताव हाल में घटित किसी निर्दिष्ट विषय तक सीमित रहेगा। अतः इस सूचना को मैं स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ।....देखिये ओम प्रकाश जी, अध्यक्ष की डायरेक्शन के बाद कोई विषय नहीं उठता है....नहीं, मैं कुछ नहीं सुन रहा हूँ इसके बाद। जो डायरेक्शन हो गया, वो हो गया।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ओम प्रकाश जी आप ऐसे कीजिए कि भारत में जितनी भी विधान सभाएं हैं, एक सेकेण्ड रुक जाइये।....आप मेरी बात सुन लीजिए पहले। ...आप हर वक्त बेमतलब का पंगा लेते हैं।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, आप गलत कोट कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं गलत नहीं, बिल्कुल सही कोट कर रहा हूं।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : मैं इस सदन का सदस्य हूं।

अध्यक्ष महोदय : क्या लोकसभा के सदस्यों के साथ पुलिस के झगड़े नहीं होते हैं ?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बेसिर-पैर के मुद्दे लेकर आते हैं। हर वक्त सदन का समय बर्बाद करते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, मैं इस विषय पर बात नहीं कर रहा हूं। छोड़ दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, शांति से मेरी बात सुन लीजिए। एक सेकेण्ड।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सरिता जी, आप बैठिए, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। मैं बोल रहा हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, मैंने कल सरिता का विषय....क्या पुलिस इस तरह दुर्व्यवहार करेगी महिलाओं के साथ? पुलिस बद्तमीजी करेगी महिलाओं के साथ? दिल्ली की चुनी हुई महिलाओं के साथ पुलिस दुर्व्यवहार कर रही है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी,...ओम प्रकाश जी, आप बैठ जाइए। विजेन्द्र जी, ये विषय ठीक नहीं है। एक सेकेण्ड विजेन्द्र जी, जरा रुक जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बन्दना जी, प्लीज। ओम प्रकाश जी।....विजेन्द्र जी, रोकिए इनको।

...(व्यवधान)

(सत्ता पक्ष की ओर से नारेबाजी)

(विपक्ष की ओर से नारेबाजी)

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, अब मैं रूलिंग दे चुका हूँ, आप चाहते हैं, वो बंद हो जाये। अब वो बोलेंगे। आप बोलिए, वो भी बोलेंगे, मैं नहीं रोकूंगा। मैंने उनको हर तरीके से रोका है लेकिन आप बिल्कुल बाज नहीं आते हैं।

...(व्यवधान)

श्री नितिन त्यागी : अध्यक्ष जी, हम इन लोगों के साथ नहीं बैठ सकते, ऐसे xxx¹ एंलिमेंट जो महिलाओं के खिलाफ बात करता है, महिलाओं की इज्जत के खिलाफ बात करता है, महिलाओं को xxx बोलता है, ऐसे लोगों के साथ

हम बैठने को राजी नहीं है, इन्हें आप बाहर कीजिए। ऐसे लोगों के साथ नहीं बैठा जाएगा, कोई भी नहीं बैठ सकता, ऐसे लोगों को आप बाहर कीजिए। इनके साथ नहीं बैठेंगे। इतनी सी, रत्ती भर इज्जत नहीं है, महिलाओं के लिए इनके मन में। किस तरीके की बातें करते हैं ये लोग ?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए। विजेन्द्र जी, बैठिये। ओम प्रकाश जी, बैठिये। अलका जी, बैठिये।

...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ता : XXX नहीं चलने देंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, नितिन जी, बैठिए। ये XXX शब्द निकाल दीजिए।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : अध्यक्ष जी, आपकी अवहेलना कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सरिता जी, बैठिए। ओम प्रकाश जी, मेरी बात सुन लीजिए। बैठ जाइए।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : XXXX नहीं चलेगी।

XXX¹ चिन्हित अंश अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार सदन की कार्यवाही से निकाले गए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अलका जी, प्लीज बैठिये। नितिन जी, बैठिये।

...(व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश शर्मा : अध्यक्ष जी, 18 लोग झगड़ों में लिप्त हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ओम प्रकाश जी, मेरी बात सुन लीजिए। मैं कुछ व्यवस्था दे रहा हूँ।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सरिता जी, बैठिये। नितिन जी, बैठिये। नितिन जी, मैं खड़ा हूँ ना, अलका जी, मैं खड़ा हूँ ना। मैं खड़ा हूँ पिफर भी ध्यान नहीं रख रहे आप।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं कुछ भी सुनना नहीं चाह रहा। जब नेता विपक्ष XXX बोलेंगे, मैं किसको रोकूंगा। आप XXX बोलते रहिए। आप खुद XXX शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। यह कोई तरीका थोड़े ही है। आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश शर्मा : अध्यक्ष जी, 18 विधायक हैं जिनके नाम हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ओम प्रकाश जी, आप बैठ जाइये, दो मिनट। ओम

XXX¹ चिन्हित अंश अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार सदन की कार्यवाही से निकाले गए।

प्रकाश जी से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, आपने नियम दिए, जिस नियम के अंतर्गत आपने मुझे नोटिस दिया, मैंने वो पढ़ा, व्यवस्था दे दी। अध्यक्ष सर्वोपरि होता है एक बात। दूसरी बात, अच्छा होता दिल्ली में पिछले पंद्रह दिन के अखबार उठा लीजिए, रोज दस लोगों के मर्डर हो रहे हैं, बात सुन लीजिए, आपने जो दिया है, चार महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ बलात्कार हो रहा है, उस विषय को आप लेकर आते, मैं चर्चा का समय देता आपको।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : नितिन जी, आप बैठ जाइए। अब कोई खड़ा नहीं होगा। आपको अवहेलना करने दीजिए, आप क्यों उस अवहेलना के भागी बन रहे हैं। अध्यक्ष खड़े हैं, वो खड़े हो रहे हैं। आपको खड़े होने दीजिए। नहीं मान रहे हैं, मत मानने दीजिए। मेरा यह कहना है विजेन्द्र जी, आप प्रॉपर नोटिस दीजिए ... (व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ता : नोटिस दिया था।

अध्यक्ष महोदय : यह नोटिस नहीं है। यह राजनीतिक नोटिस है, इसको मैंने देख लिया है...(व्यवधान) ऐसा है, राजनीति सड़कों पर कीजिए, यहां दिल्ली की जनता के हित में आ रहे हैं। आप किस भाषा में बात कर रहे हैं? यहां राजनीति करने नहीं आए हैं। राजनीति गलियों, सड़कों पर कीजिए। आप बैठ जाइये। ओम प्रकाश जी, बैठ जाइये। सदन का आधा घंटा खराब हो चुका है।

...(व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश शर्मा : अध्यक्ष जी, सरकार जो गलत काम करेगी, हम उसका विरोध करेंगे। 28 लोग झगड़ों में लिप्त हैं...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कोई बात नहीं। 67 के 67 हो जायेंगे, कोई दिक्कत नहीं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बैठिये। बैठिये। ओम प्रकाश जी, बैठ जाइये। बहुत हो गया, अब बैठ जाइये। नितिन जी, बैठ जाइये। राजेश जी, बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : गुलाब जी, बैठिये। राजेश जी, बैठिये। ओम प्रकाश जी, आप बैठ जाइये प्लीज। मैं पुलिस पर चर्चा करवाऊंगा, चिंता मत करिये। गुलाब जी, बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जगदीप जी, आप अपने लोगों को रोकिए, उनको बोलने दीजिए। मैं अभी इमीजिएट स्टार्ड क्वेश्चन ले रहा हूं। यह समय खराब हो गया, मुझे तीनों विषय लेने थे, जो बहुत महत्वपूर्ण नोटिस आये थे। समय बर्बाद हुआ। यह स्टार्ड क्वेश्चन, अजय दत्त जी।

...(व्यवधान)

श्री अजेश यादव : अध्यक्ष जी, एक पूरा परिवार जल गया।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अभी मेरे संज्ञान में है। मैं उसको लूंगा, चिंता मत करिये।

...(व्यवधान)

श्री अजेश यादव : अध्यक्ष जी, ये फिर खड़े हो जायेंगे

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कोई बात नहीं। ओम प्रकाश जी, आप किस ढंग से बात कर रहे हैं? मैं उनसे बात कर रहा हूँ आप बात कर रहे हैं। आपने तमाशा बना रखा है सदन का। वो मुझसे बात कर रहे हैं ना। तो मैं रोक रहा हूँ उनको। आप कौन होते हैं रोकने वाले उनको? हर रोज बदतमीजी करते हैं। आप कौन होते हैं रोकने वाले? मैं उनको रोक रहा हूँ। आप हर वक्त बोलते हैं। अजय जी, बैठ जाइये प्लीज। मेरी सदन के सदस्यों से प्रार्थना है आप जरा शांत हो जाये। अजय दत्त जी, अपना स्टार्ड क्वेश्चन आरंभ करें। अनुपस्थित। अलका लांबा जी। क्वेश्चन के उत्तर आ गये हैं, उन्होंने बता दिया है मुझे और जो आधा घंटा मुझे लेने थे, वो समय बर्बाद हो गया सदन का। सदन का आधा घंटा बर्बाद हुआ है तो मुझे उसका समय को अडजस्ट करना पड़ेगा। मैं उसको लूंगा, देखूंगा किस समय लेता हूँ। विजेन्द्र जी, प्लीज रुक जाइये।

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, आपने मुझे कमरे में बुलाया है, कॉलिंग अटेंशन के लिए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने एक्सेप्ट किया हुआ है। मैंने मना नहीं किया। मैंने आपका कॉलिंग अटेंशन एक्सेप्ट किया है। अलका लांबा जी।

सुश्री अलका लांबा : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 62 प्रस्तुत है—

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि चांदनी चौक विधान सभा क्षेत्र के अधिकांश क्षेत्रों में पानी की सप्लाई अपर्याप्त एवं अनियमित है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस क्षेत्र में पानी की सप्लाई में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ग) वाटर हार्वेस्टिंग हेतु दिल्ली जल बोर्ड द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(घ) क्या दिल्ली जल बोर्ड पानी की भयंकर कमी वाले ऐसे क्षेत्रों में जहां बड़ी मशीनें नहीं लगाई जा सकती, वहां सबमर्सिबल पम्प लगाना सुगम बनाने हेतु छोटी बोरिंग मशीनें उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी।

पर्यटन मंत्री : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 62 का उत्तर प्रस्तुत है—

(क) जी नहीं।

(ख) पानी की उपलब्धता को और बेहतर बनाने के लिए और गर्मियों में खास तौर पर जो टेल एंड्स होते हैं, आखिरी छोर होते हैं वहां पर पानी की उपलब्धता आने लग जाए इसक लिए दो जलाशय है एक सुभाष पार्क का है और एक रामलीला ग्राउंड का, उसमें पानी की उपलब्धता को बढ़ाने की कोशिश की जाती है...(व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश शर्मा : अध्यक्ष जी, हमारे पास है कहां?

अध्यक्ष महोदय : वो उत्तर दे रहे हैं ना।

श्री आम प्रकाश शर्मा : अध्यक्ष जी, वो उत्तर दे रहे हैं लेकिन यह हमारे पास कहां है?

अध्यक्ष महोदय : यह क्वेश्चन नंबर 62 आपके पास है ना। यह कॉपी आपके घर भेजी गई है।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : अध्यक्ष जी, यह तो है लेकिन उत्तर की कॉपी कहां है?

अध्यक्ष महोदय : यह कॉपी दिखाओ। इसमें क्वेश्चन नंबर 62 है।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : अध्यक्ष जी, यह कहाँ है ?

अध्यक्ष महोदय : यह आ जाएगी। मिल जाएगी। मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं आप नोट कर लीजिए।

पर्यटन मंत्री : मेरी बात आपको समझ में आ जाएगी...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ओम प्रकाश जी, आप सदन का समय खराब कर रहे हैं।

पर्यटन मंत्री : मैं भिजवाऊंगा आपके पास, मेरी जिम्मेदारी है भिजवाने की।

अध्यक्ष महोदय : ओम प्रकाश जी, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, जो आपको कोई बात करनी है, मुझसे बात किया करें।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : अध्यक्ष जी, मैंने आपसे कहा था।

अध्यक्ष महोदय : हां, मैंने आपसे कहा है, मैं उत्तर दे रहा हूँ।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : अध्यक्ष जी, यह गलत परंपरा है।

अध्यक्ष महोदय : कोई गलत परंपरा नहीं, हो सकता है, मैं पहले ही कह चुका हूँ...(व्यवधान)। ओम प्रकाश जी, आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा, मैंने सदन पर बैठते ही, एक सैकेंड रुक जाइये। मेरी बात को समझ लीजिए। मैंने बैठते ही सबसे पहले यह कहा है कि आज अधिकारियों की ओर से कुछ प्रश्नों के उत्तर नहीं आये हैं। यह सदन के लिए बहुत कठिन समय है। मेरी पूरी बात सुन लीजिए। फिर उसके बाद बात कर लीजिए। मैंने पहले ही कहा है और बहुत सख्त निर्देश दिया है कि I will take action against this और मैंने आप सब की सहमति ली है कि एक्शन लिया जाये।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : अध्यक्ष जी, पन्द्रह-बीस मिनट हो गये, अभी भी नहीं आये।

अध्यक्ष महोदय : अगर नहीं आया, पूरी बात तो सुन लीजिए ना। मंत्री जी के पास उत्तर आ गये हैं। ये आपके पास आना शुरू हो गये।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : अध्यक्ष जी, आ गये।

अध्यक्ष महोदय : बस। अब इतना तो कम से कम टौलरेट करते हैं, मैंने सदन में बैठते ही पहले कहा है।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : अध्यक्ष जी, सवाल व्यवस्था का है।

अध्यक्ष महोदय : उस व्यवस्था पर मैंने पहले ही जानकारी दी है सदन को। आपका काम विरोध करने का है, आप विरोध करते हैं। ओम प्रकाश जी, नहीं, ऐसे सहन नहीं हो पाएगा। मैंने खुद व्यवस्था दी है और इतने कड़े शब्दों में दी है शायद किसी ने नहीं दी होगी। मैं बहुत कड़े शब्दों में इसका संज्ञान में लिया है।

पर्यटन एवं जल मंत्री : ये जो क्षेत्र है इसमें।

अध्यक्ष महोदय : एक बार दोबारा से लेना शुरू से। प्लीज।

पर्यटन एवं जल मंत्री (श्री कपिल मिश्रा) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 62 का उत्तर इस प्रकार है—

(क) जी नहीं।

(ख) पानी की उपलब्धता को और बेहतर बनाने एवं गर्मियों में आखिरी छोर पर पानी की कमी दूर करने के लिए पानी की उपलब्धता को प्राईमरी जलाशय सुभाष पार्क एवं रामलीला ग्राउंड में बढ़ाने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा

पानी की लीकेज ट्रिप्लीकेट मेन जो कि प्राईमरी जलाशयों को भरती है, को जल्दी ही बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद पर्याप्त जल प्राईमरी जलाशयों की मदद से कम सप्लाई वाले क्षेत्रों में उपलब्ध हो सकेगा। दीर्घकालीन उपाय के रूप में एक परियोजना को जीआईसीए के साथ मिलकर डीपीआर बनायी जा रही है एवं निविदा जल्द ही आमंत्रित की जाएगी। इसके द्वारा पुरानी दिल्ली क्षेत्र में 24x7 में पानी सप्लाई बेहतर करने की योजना है।

(ग) (1) दिल्ली जलबोर्ड ने 165 प्रतिष्ठानों पर वर्षा जल संचयन प्रणाली का निर्माण किया है।

(2) दिल्ली जलबोर्ड ने 178 अतिरिक्त प्रतिष्ठानों पर जून 2018 तक वर्षा जल संचयन प्रणालियों के निर्माण करने हेतु योजना बनाई है।

(3) दिल्ली जलबोर्ड ने 172 प्रतिष्ठानों पर वर्षा जल संचयन प्रणालियों को लागू करने के लिए 82 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की थी। वित्तीय सहायता स्कीम 01.04.2013 से बंद कर दी गई है।

(4) वर्षा जल संचयन प्रणाली के लिए केन्द्रीय भूजल बोर्ड की दिल्ली शाखा के द्वारा बनाये गये जनरल स्टैण्डर्ड पर जनता की सुविधा के लिए उपलब्ध कराये गये हैं।

(5) दिल्ली जलबोर्ड ने तकनीकी सहायता प्रदान करने हेतु वर्षा जल संचयन प्रकोष्ठ की स्थापना की है, जिसके पास एक समर्पित दूरभाष सं. 011-23558264 की सुविधा उपलब्ध है।

(6) वर्षा जल संचयन प्रणाली को जल्दी लागू कराने के लिए Delhi Water & Sewer (Tariff & Metering) Regulation 2012 में दण्डीय एवं प्रोत्साहन (वित्तीय) प्रावधानों की जानकारी पूरक सूचना में दे दी गई है।

(घ) वर्तमान में छोटी बोरिंग मशीनें लगाने की उपायुक्त (राजस्व) से अनुमति नहीं है, फिर भी तकनीकी एवं वित्तीय उपलब्धता के आधार पर यह मशीनें लगाना विचाराधीन है।

अध्यक्ष महोदय : अलका जी।

Supplementary Note

Chandni Chowk constituency is one of the constituencies of walled city area of Delhi. The water supply to this constituency is under command of Wazirabad WTP and source of raw water to Wazirabad WTP is river Yamuna. The water to the localities is supplied primarily through UGR and BPS i.e. Ramlila Ground and Subhash Park in addition to numbers of tube wells in the locality. Most of the localities are thickly populated having narrow lanes. Water problem occurs specially during summer season in some of the area which are situated at the tail end of the distribution network. Sometimes in recent past water supply was affected due to rise of ammonia level in river Yamuna resulting in less production of filter water at treatment plant or whenever there is no supply could be made from Wazirabad Water Treatment plant due to some repair work of rising mains carried out due to damage done by METRO while carrying out their work.

To mitigate the problem of short supply at the tail end areas specially during summer season, efforts are being made to increase availability of water at primary reservoirs i.e. Subhash park & Ramlila Ground UGR's besides some maintenance/repair pertains to Subhash Park UGR/BPS. Moreover there is a leakage in the triplicate main which is feeding to primary reservoirs, is going to be plugged shortly. After completion of the same, more water will be available at primary UGR's which will help in further augmentation of water in short supply area. As a long term measure a project is being under taken under JICA and it is being proposed to supply 24X7 water with in the walled city area of Delhi.

DELHI JAL BOARD

Varunalaya Complex, Karol Bagh, New Delhi

Assembly Starred Question No. 62

Ms. Alka Lamba, MLA

Dated 24.11.2015

Supplementary Information:

Penal and incentive provisions have been made in the Delhi Water & Sewer Tariff and Metering Regulations 2012 to promote implementation of Rain Water Harvesting. Details of provisions are given in supplementary information.

- (i) Plot / Properties which are having area of 2000 sqm and above, having installed functional RWH System or Waste Water Recycling System shall be granted rebate @ 10% in the total bill amount and 15% if both the above systems have been set up and are functional.
- (ii) If the Rain Water Harvesting system adopted by a society then the individual member of that society will be entitled to above mentioned rebate in water bill.
- (iii) The area Zonal Engineer or such other suitable agency as authorized by the Board will provide a functional certificate in respect of the above systems mentioning therein that substantive portion of the plot/ property has been covered as far as Rain Water Harvesting is concerned. Similarly, he will certify that substantive quantity of the waste water generated has been recycled by the consumer. A certificate with regards to the same will issued after every six months.
- (iv) Consumer of Delhi Jal Board having a plot / property of size 500 sqm or more shall make provision for rain water harvesting covering the entire plot area, within one year, in case for commercial / industrial

property and within three years for residential property regulations from the date of coming into force of these under intimation to the area Zonal Revenue Officer (ZRO). In case, the consumer fails to comply this provision within the time limit the tariff as applicable for the consumer respective category will be increased by 1.5 times till the provision is installed.

Sd/-
Director (A & P)
Delhi Jal Board

सुश्री अलका लाम्बा : अध्यक्ष जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि 24 घंटों में कितने घंटों पानी की सप्लाई दी जाती है? और नम्बर दो वो समय क्या है? क्या समय फिक्स है कि लोगों को जानकारी रहे? क्योंकि अध्यक्ष जी, प्रॉब्लम ये आती है कहीं 4 बजे सुबह पानी खोला जाता है कहीं 6 बजे और लोग 3 बजे से उठकर पानी के इंतजार में बैठे रहते हैं। तो मेरा निवेदन है 24 घंटे में आज की तारीख में कितने घंटे पानी दिया जा रहा है और क्या समय है सुबह और शाम का?

पर्यटन एवं जल मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हर क्षेत्र का अलग-अलग समय होता है जिसकी एक सूचना स्थानीय विधायक को होनी चाहिए और अगर नहीं होती है तो अधिकारियों को ये निर्देश दिये जाएंगे कि स्थानीय विधायक के माध्यम से क्षेत्रीय लोगों को ये पता हो कि उनके क्षेत्र में पानी कितने बजे आता है। ये बात जरूर है कि पानी का समय अलग-अलग रहेगा। कहीं पर जल्दी सुबह भी होगा कहीं लेट भी होगा क्योंकि इसी हिसाब से तभी टेल एण्ड तक पानी पहुंच पाता है। अगर एक ही समय पर पानी देते हैं तो फिर बहुत सारे क्षेत्र ऐसे रह जाते हैं, जहां पानी उपलब्ध नहीं हो पाता है।

अध्यक्ष महोदय : अलका जी one more supplementary if you want to ask.

सुश्री अलका लाम्बा : इस क्षेत्र में कितने घंटे पानी दे पा रहे हैं बस इतना।

पर्यटन एवं जल मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हर क्षेत्र में अलग-अलग है। कहीं 2 घंटे भी है। कहीं 4 घंटे भी है। तो क्षेत्र के हिसाब से निर्भर करता है। अगर आपको पूरी सूची चाहिए होगी तो जलबोर्ड आपको पूरी सूची उपलब्ध करा देगा।

अध्यक्ष महोदय : नहीं देखिये दो सप्लीमेंटरी टेकअप करनी है मैंने। नहीं प्लीज। फिर आगे देख लीजियेगा अभी क्वेश्चन होंगे जलबोर्ड पर। हां, फतेह सिंह जी।

चौ. फतेह सिंह : क्या मंत्री महोदय यह बातने का कष्ट करेंगे कि आने वाले समय के लिए जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर थोड़ा पानी का क्राइसिस है उस क्राइसिस को सुधारने के लिए क्या जलबोर्ड द्वारा यूजीआर बनाने की कोई व्यवस्था है और यदि है तो कौन-कौन से ऐरियाज में है और जमना पार में कितने यूजीआर जलबोर्ड बनाने वाला है। कृपया मंत्री जी बताने का कष्ट करें।

पर्यटन एवं जल मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो सप्लीमेंटरी सीधे-सीधे प्रश्न से जुड़ा हुआ नहीं है क्योंकि प्रश्न चांदनी चौक क्षेत्र से जुड़ा हुआ था लेकिन गंभीर सवाल है। मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली जलबोर्ड पूरी दिल्ली में पानी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए और जितना पानी है, वो सब लोगों को मिले, इसके लिए कार्य कर रहा है। आपने देखा है कि द्वारका का प्लांट हो या बवाना का प्लांट हो, वर्षों से बनने के बाद भी चालू नहीं थे। हमने पिछले ही 9 महीनों में शुरू करवाये हैं। अभी कुछ दिन पहले रिठाला में अनधिकृत

कालोनियों में पानी की सप्लाई शुरू की गई है। एक-एक कालोनी में पानी की सप्लाई का पूरा मैप बनाया गया है जहां तक पानी पहुंच जाए। यूजीआर जरूर बनाये जा रहे हैं। यमुना पार में भी। आपके भागीरथी में जो वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट है और सोनिया विहार में जो वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट है, दोनों में पानी पहुंचाने की योजना है। खासतौर पर जिस विधानसभा की आप बात कर रहे हैं वहां कुछ क्षेत्रों में पानी की थोड़ी गंभीर स्थिति हो जाती है। उसकी योजना का जलबोर्ड कार्य कर रहा है। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : फतेहसिंह जी अब नहीं, प्लीज, भारद्वाज जी, पूछिये।

श्री सौरभ भारद्वाज : मेरा सवाल वाटर हार्वेस्टिंग से संबंधित है। अध्यक्ष महोदय, पहले विधायक के फंड से वाटर हार्वेस्टिंग किसी-किसी जगह उपलब्ध होती थी। तो वाटर हार्वेस्टिंग के लिए क्या दिल्ली जलबोर्ड को निर्देश दिये जा रहे हैं कि वो विधायक फंड से वाटर हार्वेस्टिंग का प्लांट लगा सकें? यदि नहीं तो क्या आप ये करने की कृपा करेंगे?

पर्यटन एवं जल मंत्री : जी हां, पहले विधायक के फंड से जरूर बनाये जाते थे। समस्या उसमें ये आई कि बन तो जाते थे लेकिन उनकी मेन्टेनेन्स नहीं हो पाती थी और बहुत छोटी-छोटी राशि के अभाव पर कहीं दो हजार, ढाई हजार, तीन हजार। इतना भी पैसा उपलब्ध नहीं होता था जिसके कारण ये यूनिट चालू नहीं होती थी। अभी भी मेरे ख्याल से जो नई गाइडलाइन्स आई हैं, उसमें विधायक अगर अपने फंड से चाहे तो इस प्रकार का निर्माण कार्य करवा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 63 श्री आदर्श शास्त्री जी।

श्री आदर्श शास्त्री : अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से प्रश्न संख्या 63 प्रस्तुत है।

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार 4 नवंबर, 2015 को 'टाइम्स ऑफ इंडिया' में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषाहार के स्तर के बारे में छपी महत्वपूर्ण खबर से अवगत है;

(ख) वर्तमान में आंगनवाड़ी केन्द्रों में बच्चों को क्या-क्या पोषक आहार दिया जाता है;

(ग) सरकार द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्रों में दिये जाने वाले पोषाहार का स्तर बढ़ाने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं;

(घ) प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्र में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और बच्चों का अनुपात क्या है; और

(ङ) क्या 1 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के उचित शारीरिक, मानसिक, भाषायी और सामाजिक-आर्थिक विकास सुनिश्चित करने हेतु मौजूदा व्यवस्था को पूरी तरह से बदलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्री संदीप कुमार) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 63 का उत्तर प्रस्तुत है :

(क) जी हां।

(ख) वर्तमान में आंगनवाड़ी केन्द्रों में बच्चों को निम्न पोषक आहार दिया जाता है। 7 माह से 1 वर्ष के बच्चों को पंजीरी, 1 वर्ष से 3 वर्ष के बच्चों को पका हुआ खाना जैसे दलिया, खिचड़ी, काला चना, पुलाव, हलवा तथा पंजीरी। 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों को पका हुआ खाना जैसे दलिया, खिचड़ी, काला चना, पुलाव, हलवा तथा सुबह का नाश्ता उबले हुए काला चना, सफेद मटर।

महिलाओं तथा गर्भवती महिलाओं को पका हुआ खाना जैसे दलिया, खिचड़ी, काला चना, पुलाव, हलवा तथा सुबह का नाश्ता उबले हुए काला चना, सफेद मटर।

(ग) आंगनवाड़ी केन्द्रों में दिए जाने वाले पोषाहार का स्तर बढ़ाने के लिए निम्न प्रयास किए जा रहे हैं:

(1) पर्यवेक्षक 7.00 बजे से 9.00 बजे तक स्वयं सहायता समूहों की रसोई, जिसमें लाभान्वितों के वितरण हेतु भोजन तैयार किया जाता है, में ही रहती हैं जिससे वह सुबह स्वच्छता एवं निर्धारित मापदंडों के अनुसार खाना बनाने एवं वितरण की प्रक्रिया का निरीक्षण कर सकें।

(2) खाने की गुणवत्ता को चौक कराने के लिए पहले सिर्फ 1 प्रयोगशाला में सैम्पल भेजे जाते थे जिसे बढ़ाकर अब प्रयोगशाला 5 कर दी गई है।

(3) आंगनवाड़ी से सैम्पल पहले परियोजना अधिकारी द्वारा प्रयोगशाला में भेजे जाते थे परन्तु अब प्रयोगशाला के अधिकारियों द्वारा ही आंगनवाड़ी से सैम्पल उठाया जाता है।

(4) हर परियोजना में पोषाहार के निर्धारित मापदंडों को सुनिश्चित कराने के लिए प्रत्येक माह में 2 सैम्पल का प्रयोगशाला में भेजना आवश्यक कर दिया गया है।

(5) मुख्यालय के अधिकारियों द्वारा भी निरीक्षण के दौरान खाने के सैम्पल आंगनवाड़ी से प्रयोगशाला में टेस्ट कराने के लिए भेजे जाते हैं।

(6) इसके अतिरिक्त समय-समय पर हुए सर्वेक्षण व मूल्यांकन की रिपोर्ट के आधार पर नया मैन्यू विकसित किया जा रहा है। जिसमें कैलोरी, प्रोटीन के साथ माइक्रो न्यूट्रीएन्ट्स का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है।

(घ) प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्र में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और बच्चों का अनुपात लगभग 1:7 है।

(ङ) समेकित बाल विकास परियोजना सेवाएं भारत सरकार द्वारा प्रायोजित होने के कारण उन्हीं के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत 3 से 6 वर्ष के बच्चों को आंगनवाड़ी के माध्यम से उचित शारीरिक, मानसिक, भाषायी और सामाजिक-आर्थिक विकास सुनिश्चित करने हेतु स्कूल पूर्व शिक्षा प्रदान की जाती है। जिसमें सुधार हेतु स्कूल पूर्व शिक्षा के लिए नया पाठ्यक्रम (ECCE Module) तैयार किया गया है। जिसमें उचित शारीरिक, मानसिक, भाषायी और सामाजिक-आर्थिक विकास सुनिश्चित करने हेतु पाठ्यक्रम अनुसार विभिन्न दैनिक गतिविधियों का समायोजन किया गया है। इसके अंतर्गत सभी फंक्शनरीज को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : सप्लीमेंटरी आदर्श जी।

श्री आदर्श शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि दिल्ली प्रदेश में कुल आंगनवाड़ी सेंटर कितने हैं और क्या सरकार का इन आंगनवाड़ी सेंटरों को बढ़ाने का कोई विचार है।

महिला एवं बाल विकास मंत्री : इसमें 11000 आंगनवाड़ी केंद्र हैं और जैसे-जैसे हमें पता चलता या कोई विधायक रिकमंडेशन भेजता है कि यहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है तो उसके आधार पर नये केंद्र स्थापित करने की योजना भी है।

श्री आदर्श शास्त्री : एक सवाल यह भी है कि आंगनवाड़ी दिल्ली में जो लगभग 11000 मंत्री जी जो बता रहे हैं चल रहे हैं सबसे बड़ी जो समस्या है इन आंगनवाड़ियों में आती है कि जो वहां पर आंगनवाड़ी सेंटर में जो वर्कर हैं उनकी जो तनखाह/सैलरी है उस तरह से जो उनको सपोर्ट मिलता है वो

काफी नहीं पड़ता इस वजह से वो पूरी तरह देखभाल बच्चों की नहीं कर पाते हैं तो उनकी सैलरी या इस तरह के एलाउंसिज बढ़ाने का कोई विचार है सरकार का ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री : जी हां, इसमें बिल्कुल है। अभी जैसे ही हमारी सरकार आई थी तो मैंने डिपार्टमेंट को बुलाकर के पूछा था कि भई, इसमें तनख्वाह बहुत कम है और इसमें क्या उनकी तनख्वाह और बढ़ा सकते हैं या क्या इनको और सुविधाएं दे सकते हैं तो सीएम साहब से भी मेरी बात हुई थी, तो उसमें विचार हुआ था, जल्दी इसमें कुछ परिणाम सामने आएंगे।

अध्यक्ष महोदय : विशेष रवि जी।

श्री विशेष रवि : इन आंगनवाड़ी से मिलने वाला खाना, जिन लोगों को मिलता है। वो अक्सर इस बात को लेकर उदास रहते हैं कि रोजाना एक ही तरह का खाना मिलता है तो क्या सरकार या मंत्री जी इस बात पर विचार कर रहे हैं कि खाना रूटीन में अलग-अलग सब्जियां अलग-अलग तरह का खाना दे सकें।

महिला एवं बाल विकास मंत्री : इसमें ऐसा नहीं है कि रोज एक ही तरह का खाना मिलता है जैसा कि मैंने अभी बताया इसमें काफी सारी चीजें जैसे दलिया है, खिचड़ी है, काला चना है, पुलाव है और पंजीरी है काफी काला चना, सफेद मटर है काफी चीजें हैं जो रोटेशन में चलती है और इसमें अब जो अभी एकचुअली अभी इसका टैंडर भी खत्म हुआ है और जल्दी ही इसका टैंडर भी दोबारा करेंगे। प्रक्रिया चल रही है। उसमें काफी प्रावधान किए हैं ताकि ये और अच्छा बेहतर खाना मिल सकें।

अध्यक्ष महोदय : अनिल बाजपेयी जी।

श्री अनिल बाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जितने भी आंगनवाड़ी सेंटर चल रहे हैं इसमें मेरी भी विधान सभा में, मैंने आपको लैटर लिखा था और आज भी उसकी इन्क्वायरी करा लीजिए उसमें से 80 परसेंट आंगनवाड़ी चल ही नहीं रही हैं और ऐसा पूरी दिल्ली में हो रहा है, तो उनके लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं?

महिला एवं बाल विकास मंत्री : अध्यक्ष महोदय इसमें काफी शिकायतें आई थीं कई जगह ऐसा भी है कि जो वहां पर टीचर्स हैं, वो अटेंडंस ज्यादा देती हैं, बहुत सारे बच्चे होते नहीं हैं जैसे बाजपेयी जी की विधान सभा में एक-दो सेंटर या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। इन्होंने बताया है कि वो निष्क्रिय हैं। वो वहां पे काम ही नहीं होता तो डिपार्टमेंट को चिट्ठी लिखी है सारे जितने सीडीपीओज हैं, वे वैरिफिकेशन करके दें कि कितने केंद्र चल रहे हैं कितने नहीं चल रहे हैं और उसकी वैरिफिकेशन जैसे ही आ जाएगी और उसके बाद अगर एक भी सेंटर उसमें नहीं मिला तो तुरंत प्रभाव से उस सीडीपीओ को सस्पेंड कर देंगे उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 64 श्री सोमनाथ भारती जी।

श्री सोमनाथ भारती : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री प्रश्न संख्या 64 प्रस्तुत है क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कॉट्रक्ट के तहत आने वाले क्षेत्रों को 24x7 पानी सप्लाई करने का कार्य सौंपी गई कम्पनी का क्या यूटिलिटी ऑडिट किया गया है;

(ख) क्या यह सत्य है कि एक अत्यंत सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र में सीवर लाइन डालने से संबंधित जहांपनाह योजना वर्षों से लम्बित पड़ी है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

पर्यटन मंत्री : अध्यक्ष महोदय सवाल नं. 64 का उत्तर प्रस्तुत है :

(क) कम्पनियों को कार्य देने से पहले उनकी उपयोगिता मूल्यांकन (यूटीलिटी इवैल्यूएशन) कर लिया गया था तथा समय-समय पर उनके कार्य की समीक्षा की जा रही है,

(ख) दिल्ली जल बोर्ड उन सभी क्षेत्रों में जहां पर अवजल निकासी के लिए मुख्य सीवर लाइन तकनीकी रूप से जोड़ने के लिए उपलब्ध है तथा शहरी विकास मंत्रालय द्वारा अनुमति भी दी जा चुकी है। वहां सीवर लाइनें डालने के लिए कार्य कर रहा है अभी तक मालवीय नगर विधान सभा क्षेत्र में तीन अनओथराइज कालोनियों मोहल्ला जहांपनाह, खिड़की गांव तथा खिड़की एक्सटेंशन में सीवर लाइन डालने के लिए स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है परन्तु माननीय राष्ट्रीय हरित ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा मनोज मिश्रा बनाम केंद्रीय सरकार व अन्य मामले में जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, उनके कारण ये कार्य अभी लम्बित है।

(ग) दिल्ली जल बोर्ड द्वारा उन सभी योजनाओं पर कार्य करने के लिए ग्रीन ट्रिब्यूनल से प्रार्थना की गई है जहां पर तकनीकी रूप से सीवर सुविधा पहुंचाई जा सकती है यह मामला ग्रीन ट्रिब्यूनल में उठाया जा रहा है ताकि इन कार्यों को शीघ्र से शीघ्र शुरू किया जा सके।

अध्यक्ष महोदय : सप्लीमेंटरी सोमनाथ जी।

श्री सोमनाथ भारती : माननीय मंत्री जी, धन्यवाद।

पानी जब से प्राइवेटाइज गया था तो मुझे तो आज तक ऑडिट रिपोर्ट मिली नहीं कि उसका क्या प्रफोरमैन्स रही है। ये कब इनका ऑडिट हुआ, कब समीक्षा की गई, उसकी रिपोर्ट कृपया उपलब्ध कराने की कृपा करें और क्या ऐसा कोई कन्सीडरेशन सरकार के पास है कि जो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके वापिस दिल्ली जल बोर्ड अपने पास ले ले पहला सवाल। दूसरा आपने जो जहांपनाह स्कीम के बारे में बताया कि पिछले कई सालों से पेंडिंग है, क्या एनजीटी के पास हममें से कोई भी जाकर स्पेशियली जहांपनाह स्कीम के बारे में रिक्वेस्ट किया है कि भई

इसको परमिशन दिया जाए क्योंकि उस क्षेत्र में एक नरक की स्थिति बनी हुई है।

पर्यटन मंत्री : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहला तो जो ये जवाब है कि जो रिव्यू दिल्ली जल बोर्ड ने किया है अगर विधायक महोदय चाहेंगे तो जरूर उस रिव्यू की रिपोर्ट उनके साथ शेयर की जाएगी। दूसरी बात, आपने जो ये कही कि एनजीटी में क्या किया गया? जी हां, जल बोर्ड ने ग्रीन ट्रिब्यूनल से ये प्रार्थना की है और हम सकारात्मक हैं कि ग्रीन ट्रिब्यूनल इसमें जल्दी ही हमें छूट देगा जहांपनाह क्षेत्र ही नहीं और भी दिल्ली में ऐसे कई इलाके हैं, जहां पर योजनाएं हैं वो रिव्यू हुई हैं और उम्मीद करते हैं कि माननीय उच्चतम न्यायालय से आगे मार्ग-दर्शन मिलेगा।

श्री सोमनाथ भारती : ये जो आर्डर है जिसका नाम आपने लिया उस आर्डर को उपलब्ध करवाने की कृपया करें और वो एप्लीकेशन जिसके जरिए आपने एनजीटी के समक्ष इस समस्या को प्रस्तुत किया है, उस एप्लीकेशन को भी हमें देने की कृपा करें।

पर्यटन मंत्री : ठीक है।

अध्यक्ष महोदय : श्री फतेह सिंह जी।

श्री फतेह सिंह : माननीय मंत्री जी क्या ये बताने का कष्ट करेंगे सीवर लाइन डालने की योजना किन-किन विधानसभा क्षेत्रों में है और अगर है तो वो किन कारणों से रुकी पड़ी है इसी में हमारा गोपालपुर विधान सभा और मुस्ताफाबाद क्षेत्र भी इसी सीवर लाइन के डालने का जो कार्य था, वो काफी दिनों से रुका हुआ है और उसमें आपका क्षेत्र भी मालवीय नगर भी है।

अध्यक्ष महोदय : फतेह सिंह जी, क्वेश्चन पूछिए प्लीज।

श्री फतेह सिंह : क्वेश्चन यह है कि हमारे जमनापार में तीन विधान सभा क्षेत्र जिसमें माननीय मंत्री जी का करावल नगर क्षेत्र है मुस्तफाबाद क्षेत्र है और गोकुलपुर विधान सभा क्षेत्र है, इन तीनों में सीवर लाइन का कार्य आरम्भ हो चुका था लेकिन किन कारणों से वो बंद हो रखा है और कई बार इस पर माननीय मंत्री जी से और जल बोर्ड के उपाध्यक्ष महोदय से निवेदन किया गया कि कृपया हमारी इन तीनों विधान सभा क्षेत्रों में सीवर लाइन का जो कार्य रुका हुआ है, उसे अविलम्ब चालू किया जाए लेकिन इसका अभी तक सकारात्मक उत्तर अभी तक आया नहीं है।

पर्यटन मंत्री : अध्यक्ष महोदय, ये जिस कार्य की बात कर रहे हैं, वो ग्रीन ट्रिब्यूनल से जुड़ा हुआ कार्य नहीं है। उस दिन जब प्रधान जी ने ये सवाल उठाया था तब सदन को अवगत कराया गया था कि जिस व्यक्ति को वो कार्य करने के लिए दिया गया था, उसके बारे में कुछ ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि उसने तथ्यों को छुपाया है और गलत तरीके से उस टैंडर को लिया है। उस संबंध में जांच भी की जा रही है और जरूरत पड़ने पर जरूर उसको रद्द करके दुबारा वहां पर टैंडर किया जाएगा। क्षेत्र में जरूर समस्या हो रही है लेकिन क्योंकि भ्रष्टाचार का मामला लग रहा है और उसमें किसी भी प्रकार का समझौता करने का कोई इरादा नहीं है जो भी कष्ट आपकी विधान सभा में हो रहा है, उसके लिए मैं खुद क्षमा चाहता हूं लेकिन भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे साहब।

श्री ऋतुराज गोविंद झा : मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं कि जब आपके यहां यूजीआरएस थे। जो पानी का सप्लाई टाइम है, अगर उस समय लाइट चली जाती है तो जितने घंटे लाइट जाती है, उतने घंटे एक्सट्रा पानी नहीं दिया जाता था या कभी-कभी तो तीन घंटे पानी जहां पानी सप्लाई होना होता है वो तीन घंटे लाइट ही नहीं आती। वहां पूरा दिन पानी सप्लाई ही नहीं होता और पूरा क्षेत्र पानी से वंचित रह जाता है। मैं ये जानना चाहता

हूँ कि क्या आप कोई ऐसा सिस्टम ला रहे हैं या आप जनरेटरस लगाने की वहां तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि मेरे यहां क्षेत्र में दो दिन पानी के समय पर लाइट नहीं रही और दो दिन लोग पानी से वंचित रहे, टैंकों से पानी लेना पड़ा हम लोगों को। इसलिए ये जानना चाहता हूँ।

पर्यटन एवं जल मंत्री : अध्यक्ष महोदय जवाब जरूर देना चाहूंगा लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये सप्लीमेंटरी क्वेश्चन है क्योंकि बिल्कुल भी संबंधित नहीं है ज्यादातर तो ऐसा नहीं होता। आपने भी कहा कि दो दिन ही ऐसा हुआ। जब लाइट नहीं है। एक बार को पानी कहीं ओर जा रहा है कहीं, स्टोर हुआ है, बाद में पूरी जो साइकिल है, उसकी व्यवस्था कैसी होती है, उसको देखना होता है क्योंकि बहुत बड़ी कॉप्लीकेटिड ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसके तहत ये पानी का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है लेकिन जनरेटर की व्यवस्था भी जरूर है और जहां पर और जरूरत पड़ेगी वो उपलब्ध कराया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 65 वेद प्रकाश जी।

श्री वेद प्रकाश : धन्यवाद माननीय मंत्री जी क्वेश्चन संख्या 65 प्रस्तुत है :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार के पर्यटन विभाग का बवाना विधान सभा क्षेत्र में पर्यटन के विकास के लिए कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसका पूर्ण विवरण दिया जाए;

(ग) बवाना विधान सभा में पर्यटन के विकास की क्या-क्या संभावनाएं हैं; और

(घ) पर्यटन विभाग इन संभावनाओं को मूल रूप देने में किस प्रकार सहायता कर सकता है ?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, अध्यक्ष महोदय, क्वेश्चन सं. 65 का उत्तर प्रस्तुत है :

(क) पर्यटन विभाग, दिल्ली सरकार का बवाना विधान सभा क्षेत्र में पर्यटन के विकास के लिए अलग से कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) उपरोक्तानुसार प्रश्न नहीं उठता।

(ग) उपरोक्तानुसार प्रश्न नहीं उठता।

(घ) उपरोक्तानुसार प्रश्न नहीं उठता।

अध्यक्ष महोदय : वेद प्रकाश जी

श्री वेद प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या गांव देहात के लोगों को मनोरंजन का कोई अधिकार नहीं है? क्या उन लोगों को कुछ भी देखने का अधिकार नहीं क्या? आपने सोचा क्यों नहीं कि वहां कुछ होना चाहिए आप पीतमपुरा पर तो बहुत ज्यादा जोर देते हो, नई दिल्ली पर जोर देते हो। यहां एक इंच भी जगह नहीं। वहां तो हजारों किले पड़े हैं कुछ ऐसी चीज क्यों नहीं बनाते गांव देहात गांव के लोग भी मनोरंजन करें। एक मिनट अध्यक्ष जी, गांव के लोग पूरी दिल्ली का पेट भरते हैं, क्या वे मनोरंजन नहीं कर सकते?

अध्यक्ष महोदय : क्या वेद प्रकाश जी की विधान सभा में कोई पर्यटन केंद्र लाया जाए, मैं सिफारिश कर रहा हूँ।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : ओम प्रकाश जी, एक मिनट। मैंने खड़े होने की इजाजत तो नहीं दी ना। वेद प्रकाश जी हो गया आपका। बैठिये आप प्लीज।

पर्यटन एवं जल मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें दो बात कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि वेद प्रकाश जी की भावना है बहुत ही सम्मान के योग्य है और ये बात सच है कि पिछले बीस-पच्चीस सालों में दिल्ली में, जो दिल्ली देहात का जो क्षेत्र है, उसकी संस्कृति को, उसका जो लोक संगीत था उसकी पूरी इतनी उपेक्षा की गयी कि जब भी हमने देखा कि कला और संस्कृति के नाम पर दिल्ली में क्या होता है तो कभी भी दिल्ली देहात की झलक उसमें दिखाई नहीं देती तो इसी बात के कारण जब मैंने इस मंत्रालय के कार्यभार को संभाला। क्योंकि आपका जो सवाल था वो केवल पर्यटन के विकास से जुड़ा हुआ था। उसमें ये कला और संस्कृति का मुद्दा जुड़ा हुआ नहीं था। इसलिए जवाब इस प्रकार का लगा कि जैसे कुछ नहीं हो रहा है उस दिशा में। दिल्ली देहात की संस्कृति को बढ़ाने के लिए हम लोग देहात का ही एक उत्सव भी सोच रहे हैं, अभी सौरभ भाई की विधान सभा में हमने वो चिराग, दिल्ली जो गांव है। वहां पर चिराग उत्सव उसको दिल्ली सरकार ने समर्थन देकर किया था और मैं आपको ये भी कह सकता हूँ कि आपको गांव में तो आपने रागिनी सुनी होगी, दिल्ली को हम सेन्ट्रल पार्क में भी रागिनी सुनवायेंगे। इतना जरूर करके दिखायेंगे हम।

श्री वेद प्रकाश : मैं तो प्योर गांव का हूँ भाई। कुछ आश्वासन तो दे दो। मैं बच्चे को जाकर बता दूँ कुछ आने वाला है पांच साल के अन्दर। कुछ तो बता दो। थोड़ा बहुत।

पर्यटन मंत्री : मैं ये तो कह सकता हूँ साहब माननीय विधायक महोदय

अगर अपने क्षेत्र में कोई पर्यटन के महत्व की कोई ऐसा परियोजना चाहते होंगे तो जरूर मेरे कार्यालय में आये। हम साथ में बैठकर उस पूरे क्षेत्र के लिए और बाहरी दिल्ली के लिए उस योजना पर कार्य करेंगे।

श्री वेद प्रकाश : ठीक है जी, धन्यवाद जी।

अध्यक्ष महोदय : सप्लीमेन्ट्री। श्री जरनैल सिंह जी।

श्री जरनैल सिंह (तिलक नगर) : अध्यक्ष जी, मैं माननीय पर्यटन मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि अपने क्षेत्र में जो पर्यटन विभाग द्वारा हाट बाजार खोले जाते हैं, उसका क्या प्रोसिजर है? जगह अवेलेबल है और खोलने के लिए क्या उपाय हैं? दिल्ली हाट, हाट बाजार।

पर्यटन मंत्री : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में इस वक्त दिल्ली हाट कई जगह पर खोले भी जा चुके हैं जिसमें आई.एन.ए. का जो हमारा दिल्ली हाट है दुनिया भर में उसकी पहचान है। जनकपुरी और पीतमपुरा में भी दिल्ली हाट खोले गए हैं। जहां पर उतना अभी सोचा जा रहा है कि किस तरह से उसको बढ़ाया जा सके।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : भई सोमनाथ जी, ओमप्रकाश जी, ऐसे नहीं चलेगा। आपने हाथ खड़ा किया, वो मैंने नाम लिखा हुआ है। आप जब बारी आयेगी, पूछियेगा। हर वक्त डिस्टर्ब करने से तो कोई फायदा नहीं।

पर्यटन एवं जल मंत्री : तो दिल्ली हाट की जमीन है और दिल्ली हाट खुल जायें। ऐसी किसी योजना पर पर्यटन विभाग काम नहीं करता। क्षेत्र के हिसाब से उसकी भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से किस प्रकार के लोग वहां पर आ सकते हैं, क्या गतिविधि करने पर वहां के स्थानीय लोगों को भी अच्छा

लगेगा। बाकी लोगों के लिए भी पर्यटन की सम्भावनाएं बढ़ेंगी। उसको ध्यान में रखते हुए जरूर जितने भी यहां पर क्योंकि औरों के मन में भी ये सवाल आ रहे होंगे, जो भी विधायक गण अपनी विधानसभा में या उसके आसपास किसी क्षेत्र में ये समझते हैं कि पर्यटन के लिए या लोगों के शाम को कुछ समय हो, अतिरिक्त हो, मनोरंजन के लिए कोई परियोजना विकसित होनी चाहिए। तो दिल्ली सरकार और मंत्रालय उनके साथ मिलकर उस योजना पर उनके साथ जरूर कार्य करेगा।

अध्यक्ष महोदय : हां, ओमप्रकाश जी।

श्री ओ. पी. शर्मा : मेरा कहना ये है कि ट्रान्स यमुना के लिए अन्दर क्या कोई इस प्रकार की योजना है?

अध्यक्ष महोदय : बैठिए, बैठिए।

पर्यटन एवं जल मंत्री : अगर ऐसा जैसे मयूर विहार में 'संजय लेक' है। जहां पर कुछ ही दिनों में हम लोग साउथ एडवेंचर का पार्क शुरू करने जा रहे हैं। उसके अलावा यमुना नदी के किनारे कुछ परियोजनाओं की शुरुआत की है जिसमें सोनिया विहार में अभी स्पोर्ट्स शुरू हुए हैं। अभी यमुना में वाटर स्पोर्ट्स शुरू हुए हैं और उसके साथ-साथ नितिन त्यागी जी बैठे हैं जो लक्ष्मी नगर में काफी समय से प्रयास कर रहे हैं कि कॉफी होम हो जिसके लिए एक बार जमीन देखकर कोशिश की जाएगी कि वहां पर हो और तो यमुनापार तो काफी बड़ा इलाका है। वहां पर शाहदरा में नगर निगम भी एक पार्क के ऊपर कार्य कर रहा है जो हमारे अन्तर्गत तो नहीं आता लेकिन जरूर टूरिज्म से जुड़ा हुआ वो कार्य होगा। तो मुझे लगता है छोटी-छोटी और बड़ी और कुछ परियोजनाएं जरूर यमुनापार में हैं और ओमप्रकाश जी मार्गदर्शन देंगे तो और योजनाओं पर भी विचार कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री महेन्द्र गोयल जी, प्रश्न संख्या 66।

श्री महेन्द्र गोयल : आदरणीय जी, आपकी अनुमति से प्रश्न संख्या 66 प्रस्तुत है।

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रिठाला विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में कितनी-कितनी विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन और विकलांग पेंशन दी जा रही है;

(ख) एवं इस क्षेत्र में आज तक वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन और विधवा पेंशन के कितने-कितने फार्म जमा हुए हैं;

(ग) इनमें से कितने फार्म रद्द किये गये हैं और कितने आवेदन सही पाये गए हैं; और

(घ) जिन व्यक्तियों के आवेदन सही पाये गये हैं उनको पेंशन कब से मिलनी शुरू हो जायेगी ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 66 का उत्तर प्रस्तुत है:

(क) रिठाला विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में दी जाने वाली विधवा पेंशन रुपये 3733 है। वृद्धा पेंशन रुपये 10973 है और विकलांग पेंशन रुपये 1306 है।

(ख) इस क्षेत्र में आज तक वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन और विधवा पेंशन कुल जमा/रद्द/सही पाये गये आवेदनों का ब्यौरा ये सारा मैं आपको बताना चाहता हूं। वृद्धावस्था पेंशन कुल फार्म जमा हुए 590 और उसमें 44 रद्द हुए और सही पाये गए फार्मों की संख्या 441 है। और इसी प्रकार विकलांग पेंशन के 184।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : नहीं, एक बार उत्तर देने दीजिए पूरा।

महिला एवं बाल विकास मंत्री : 184 विकलांग पेंशन के जमा हुए फार्म उसमें पांच रद्द किये गये और 179 उसमें सही पाये गये और विधवा पेंशन 366 फार्म जमा हुए तथा 12 फार्म रद्द हुए। 339 सही पाये गये। आप बीच में कुछ बोल रहे थे। अब बताइए?

श्री महेन्द्र गोयल : इसके अन्दर वृद्धावस्था।

अध्यक्ष महोदय : एक सेकेण्ड, महेन्द्र जी। ये चारों का उत्तर हो गया। क, ख, ग, घ। नहीं एक बार पूरा उत्तर दीजिए।

महिला एवं बाल विकास मंत्री : प्रश्न संख्या घ माह अक्तूबर 2015 तक प्राप्त सभी योग्य पाये गये आवेदनों की पेंशन तीसरी तिमाही (माह अक्तूबर से दिसम्बर 2015) के अन्त में प्रेषित कर दी जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : हां जी, महेन्द्र जी।

श्री महेन्द्र गोयल : सर, आपके सदन पटल पर भी होगा। वृद्धावस्था पेंशन 590, फार्म जो रद्द किये गये वो 44 और जो सही पाये गये 441 तो 105 फार्म वो कहां पर गये? आपके सदन पटल पर ये मंत्री जी के पास भी हैं। 590 में से 44 जाने के बाद 546 बचते हैं और 441 सही पाये गये हैं तो 105 फार्म जो वो हैं, तो वे कहां पर हैं।

महिला एवं बाल विकास मंत्री : उसमें जो डाक्यूमेन्ट्स नहीं है, उसमें तो वो जो अधिकारी हैं वहां पर एक एस.एम.एस. का सिस्टम हमने बनाया है, अध्यक्ष महोदय कि उसके पास एस.एम.एस. चला गया कि आपका ये डाक्यूमेन्ट्स

कम है और वो पॉलिसी ला रहे हैं हम अभी। फिर वो सारे कागज जमा करा देंगे। तो फिर दुबारा हो जाएंगे फिर से। अगर ऐसी किसी तरह की कोई शिकायत विधायक जी के पास आती है जिसके डाक्यूमेन्ट्स नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर इस ढंग से दीजिए। 44 रद्द हो गये हैं। 105 अण्डर प्रोसेस हैं। यूं हुआ न अण्डर प्रोसेस है। उनको एस.एम.एस. किया गया तथा कागज मंगाये गये हैं। ठीक है जी गोयल जी।...(व्यवधान)...नहीं, वो बता रहे हैं उसको संशोधित किया गया है।

श्री महेन्द्र गोयल : अभी तक ये सैटिसफैक्शन वाला जवाब नहीं है मेरे सामने।

अध्यक्ष महोदय : क्या पूछा आपने?

श्री महेन्द्र गोयल : 590 हमने फार्म जमा करवाये। 44 रद्द हो गया। 546 हैं। तो 441 इश्यू होने के बाद 105 फार्म की जो आपके प्रोसेस में है वो कब तक या कितने साल तक पूरे होंगे।

महिला एवं बाल विकास मंत्री : ये साल नहीं, जल्दी होंगे। मैं डिपार्टमेंट से पूछूंगा कि ये क्या है? इसमें जल्दी आपको चिट्ठी भेज दूंगा। डिटेल सारी दे दूंगा।

श्री महेन्द्र गोयल : सप्लीमेन्ट्री इसी में है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, हो गया इसमें। दो सप्लीमेन्ट्री हो गए। प्लीज। देखिये मैं एक प्रार्थना करना चाह रहा हूँ। अनेक माननीय सदस्यों के इस सम्बन्ध में हाथ उठ रहे हैं। हां, मैं इसलिए इसमें थोड़ा-सा व्यवस्था दे रहा हूँ। ये प्रश्न जो है पर्टिकुलर एक विधान सभा से जुड़ा हुआ है रिठाला विधान सभा। अगर हमने सबने पूछा। शुरू किया मेरी विधान सभा में कितने तो उसका उत्तर माननीय मंत्री जी नहीं दे पायेंगे। हां, इसी प्रश्न से सम्बन्धित। हां रवि जी बोलिये।

श्री विशेष रवि : अध्यक्ष जी, ऐसा देखा गया है कि जब किसी की पेन्शन रुक जाती है। चाहे वो ओल्ड ऐज है। खुद वो व्यक्ति जो बेनिफिसियर है। वह कागज लेके समाज कल्याण विभाग में जाये। जब वो कागज वहां दे देता है तो उसके बाद में देखा गया है कि कागज जमा करने के बाद भी बतायी गई तय समय सीमा पर उसको पेंशन नहीं मिलती है। जब उसको दुबारा पेंशन नहीं मिलती है तो वह व्यक्ति दुबारा विधायक कार्यालय में आता है और यह पूछता है कि मेरी पेंशन क्यों नहीं मिली है और जब विधायक कार्यालय से पूछा जाता है कि वो पेंशन क्यों नहीं मिली है तो वहां कल्याण विभाग में हमें जवाब नहीं मिलता तो मेरी ये प्रार्थना है कि जब आप एक बार किसी को बेनिफिशियरी को वेरिफिकेशन के लिए समाज कल्याण विभाग बुलाते हैं, तो वहां पर कागज जमा करने की।

अध्यक्ष महोदय : विशेष जी क्वेश्चन करिए। लम्बा हो गया।

श्री विशेष रवि : मैं ये प्रार्थना कर रहा था कि उसको रिसीविंग दी जाये कि इस बेनिफिशरी के कागज वेरिफिकेशन के लिये जमा हो गये हैं। अब अगर उसकी पेंशन जो बताया गया समय है, उसमें उसके एकाउंट नहीं आती है तो विधायक कार्यालय से भी कोई चला जाये तो उसकी जानकारी उसको मिले।

अध्यक्ष महोदय : बस। अंतिम है।

सुश्री अलका लाम्बा : अध्यक्ष महोदय, छोटा सा प्रश्न है आपने जो विधवा महिलाओं की डबल पेंशन लगी हुई थी, एक पेंशन काट दी है। लेकिन ये पता लगा है कि चार पांच साल तक वो दो जगह से पेंशन लेती रही और पचास साठ हजार रुपया उनका बनता है जो सरकार को उन्हें वापिस करना है। वो तैयार भी हैं लेकिन लास्ट डेट निकल चुकी है मेरा निवेदन है उस डेट को बढ़ा दिया जाये और इस राशि को किस्तों में लिया जायेगा तो सरकार के पास पैसा वापिस आ सकता है।

अध्यक्ष महोदय : जगदीप जी। चलिए आप क्वेश्चन करिये, जल्दी करिये।

श्री जगदीप सिंह : अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से दिल्ली का मुद्दा है जिस पर मैं बात करना चाहूंगा जहां पर दिल्ली में अगर कोई बहन साठ साल के बाद विधवा हो जाती है तो उसको पेंशन नहीं लगाई जाती तो ये एप्लीकेशन बहुत देर से हम लोगों ने लगाई हुई है कि साठ साल बाद अगर कोई बहन विधवा हो जाती है तो विधवा कटेगरी में उसकी पेंशन लगनी चाहिए। ये कब तक सरकार इसको कर देगी?

महिला एवं बाल विकास मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इसमें पहले भी काफी सजेशन आये थे कि जो विधवा पेंशन है वह ज्यादा है और जो वृद्धा पेंशन है वह कम है हजार रुपये के करीब तो जब वह वृद्धावस्था में पहुंचती है तो पेंशन बंद हो जाती थी और उसकी पेंशन कम हो जाती थी तो उसमें ये अमेन्डमेंट लाकर उसको ठीक कर रहे हैं, जल्दी ही पालिसी आ जायेगी तो ठीक हो जायेगा। अण्डर प्रोसेस है।

अध्यक्ष महोदय : जगदीप जी का क्वेश्चन ये है कि...

महिला एवं बाल विकास मंत्री : विधवा अगर साठ साल के बाद होती है तो विधवा पेंशन ही मिलती है।

अध्यक्ष महोदय : उसको विधवा पेंशन ही मिलेगी।

महिला एवं बाल विकास मंत्री : तो वही कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : वही कर रहे हैं। ठीक है बैठिये।...(व्यवधान)...अब

नहीं भई। मैं कोई क्वेश्चन एलाऊ नहीं कर रहा प्लीज।...(व्यवधान)...ये प्रश्न संख्या 61 अजय दत्त जी का मेरे पास...(व्यवधान)...महेन्द्र जी, पांच हाथ उठे हुए हैं।

श्री जगदीप सिंह : जब तक वृद्धा साठ साल से नीचे है तब तक तो वृद्धा पेंशन मिलती है, उसमें कोई कैपिंग नहीं है वृद्धा में, पर अगर उसने साठ साल का बेरियर पार कर लिया तो वो ओल्ड एज पेंशन के स्लैब में आ जाती है जहां बहुत लोगों को पेंशन नहीं मिलती। यहीं तो उपमुख्य मंत्री महोदय को कुछ करना चाहिये। जो विधवा है वह चाहे साठ साल से नीचे हो चाहे साठ साल से ऊपर हो उसको बिना रुके मिलनी चाहिए।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : ऐसे नहीं प्रवीण जी प्लीज। ये तो सिर्फ क्वेश्चन पर ऐसा है सारा सदन बोल सकता है। मैं इस पर एक दिन अलग से विशेष चर्चा ...(व्यवधान)...

महिला एवं बाल विकास मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इसमें कुछ तो कन्फ्यूजन एमसीडी ने कर रखा है जब हम वेरीफिकेशन कर रहे थे एमसीडी ने अपना डाटा ही नहीं दिया और निगम पार्षद जो भाजपा के बैठे हैं। उसमें उन लोगों ने पूरी गुंडागर्दी कर रखी है। लोगों की जानबूझकर पेंशनें बंद कर दीं वो सारा दिल्ली सरकार पर ब्लेम आ रहा है। तो ये जानबूझकर के भाजपा की तरफ से किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : चलिये बैठिये।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : वेद प्रकाश जी प्लीज। अजय दत्त जी देखिये बात सुन

लीजिए। अजय दत्त जी एक सैकिण्ड मेरी बात सुन लीजिये। जिस माननीय विधायक का ऐबसैंट होने के कारण क्वेश्चन लैप्स हो जाता है परंपरा ये है कि उसको दोबारा मौका नहीं मिलता। आज पहली बार ऐसा हो रहा है आगे से सभी विधायक संज्ञान में ले लें। मैं आपको अवसर प्रदान कर रहा हूँ। श्री अजय दत्त जी।

श्री अजय दत्त : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संन 61 प्रस्तुत है :

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अल्पसंख्यक समुदाय के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या नई योजनाएं चलायी जा रही हैं;

(ख) क्या यह सत्य है कि अनुसूचित जाति/जनजाति समुदाय के लिए अम्बेडकर नगर में एक नई आई. टी. आई. खोलने के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो यह आई. टी. आई. कब तक खोल दी जाएगी; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 61 का उत्तर प्रस्तुत है:

(क) सरकार द्वारा दो स्कीम्स चलाई जा रही हैं skill development for SC/ST minorities और ये NGOs organization है कुछ उनके माध्यम से और कुछ गवर्नमेंट के माध्यम से चलाई जा रही हैं और दूसरा है society of protection of tribals ये कुछ मापदंड निर्धारित नहीं हैं कि कितने लोग हैं कितने नहीं हैं लेकिन इस पर भी स्कीम्स चल रही है।

(ख) वर्तमान में अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय के लिये अंबेडकर नगर

में एक नई आईटी खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास किसी भी योजना में विचारणीय नहीं है।

(ग) लागू नहीं होता।

(घ) सरकार के पास ऐसी कोई योजना नहीं है। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : हां अजय दत्त जी सप्लीमेंटरी।

श्री अजय दत्त : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि मेरी विधानसभा अंबेडकर नगर एक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का बहुत बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है और आज तक वहां पर एससी एसटी समाज के लिये कुछ ज्यादा ऐसे कार्य नहीं किये गये तो क्या आप भविष्य में कोई ऐसी योजना बना कर इस समाज को अंबेडकर नगर को कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट दे सकते हैं जो वहां की जमीन दिलाने का प्रावधान हम गवर्नमेंट से बात करके आपको सुनिश्चित करा सकते हैं।

महिला एवं बाल विकास मंत्री : अध्यक्ष महोदय, एससी/एसटी डिपार्टमेंट से स्कूल चलाये जाते हैं। एससी/एसटी/ओबीसी के बच्चों के लिए और आईटीआई वगैरह का सारा प्रावधान एजुकेशन मिनिस्ट्री में है तो ये हमारे अंडर नहीं आता लेकिन अगर एससी/एसटी/माइनॉरिटी के लिए स्कूल खोलना हो तो वह अनुसूचित जाति/जन जाति विभाग करता है। उसके लिए ये आवेदन कर दें फिर उस पर विचार करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : हां, ठीक है। अजय दत्त जी? हां राजेन्द्र जी।

श्री राजेंद्र पाल गौतम : अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री जी, ये बतायेंगे

कि इस तरह के कितने स्कूल्स जो अभी तक विभाग की तरफ से एससी/एसटी के खोले गये हैं। ऐसा कुछ बता पायेंगे?

महिला एवं बाल विकास मंत्री : इसमें अभी एक स्कूल चलता है ईशापुर में। वह किस करके एक संस्थान है वह चलाता है और उसमें 450 के करीब बच्चे हैं और उसी तर्ज पर बच्चों को वहां पर होस्टल्स वगैरह का सारा का सारा गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है जो बच्चे एससी/एसटी/माइनॉरिटी से आते हैं और हम बैठे हुए थे सीएम साहब और सारे के सारे डिस्कशन चल रहा था। इन पांच साल के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक स्कूल खोला जाये और जो लोग शुरू से ही पीड़ित हैं उनके उत्थान के लिये जैसे संविधान में लिखा गया है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तरफ से कि इनके विकास के लिये क्या कर सकते हैं। जो भी दिल्ली सरकार दलितों के लिए माइनॉरिटी के लिए जितना भी ज्यादा से ज्यादा कर पायेगी, हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद। हां वेद जी।

श्री वेद प्रकाश : पहले जी रिठाला में हमारा आफिस था पेंशन के खाते जमा करवाने का। वहां पर विडोज का भी, हैंडीकैप्ड का भी और ओल्ड एज का भी फार्म जमा होता था जी। अब दो तीन महीने से वहां विडोज का फार्म जमा नहीं होता है।

अध्यक्ष महोदय : वेद जी, इस क्वेश्चन से संबंधित बात करें।

श्री वेद प्रकाश : लेकिन मंत्री तो वही है जी और भी दायें बायें के प्रश्न हैं। बहुत गंभीर प्रश्न हैं। बहुत लंबे प्रश्न है जी। हर रोज सौ डेढ़ सौ लेडीज आती हैं विडोज बेचारी दुखी होती हुई घर आती हैं। उनका फार्म वहीं जमा कराया जाये।

अध्यक्ष महोदय : वेद जी, बैठिये प्लीज।

श्री वेद प्रकाश : दस एप्लीकेशन लिख चुके हैं इनको।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 67 श्री विजेन्द्र गुप्ता जी।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : मंत्री जी, मेरे प्रश्नों का...(व्यवधान)...

पर्यटन एवं जल मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी मेरे प्रश्न का....
...(व्यवधान)...प्रश्न संख्या 67 भाग क का जवाब है।

(क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) लागू नहीं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न नहीं उनको उत्तर देना है।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : बाकी सबको कैसे पता लगेगा क्या प्रश्न है क्या उत्तर है।

अध्यक्ष महोदय : आपके पास होगा ना प्रश्न।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : मेरे पास तो जो प्रश्न...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : ये किताब है सबके पास ...(व्यवधान)...ऐसा नहीं विजेन्द्र जी।...(व्यवधान)...सभी के उत्तर...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : नहीं विजेन्द्र जी ऐसा नहीं है। जो सदन की परंपरा रही है उस हिसाब से सदन चलेगा। चलिये...(व्यवधान)...

श्री विजेन्द्र गुप्ता : जो प्रश्न है आर. ओ प्लाण्ट ये लगाये जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी मेरी बात सुन लीजिए। मंत्री जी उत्तर देने खड़े हुए हैं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, यहां अधिकारी भी हैं बाकी सब लोग भी हैं।

अध्यक्ष महोदय : तो आप अपना सप्लीमेंट्री करना ना। हर चीज में बाधा आयेगी तो उचित नहीं है।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, देखिये मतलब हर चीज में आप मना करेंगे, वह भी ठीक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : जो आपने लिख कर दिया है उसका वह उत्तर दे रहे हैं। अगर आपके पास नहीं है किताब नहीं लेकर आये तो उनका क्या कसूर है?

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अगर उन्होंने मुझे ही जवाब देना है तो मैं उनके कमरे में बैठ कर ले लेता। यहां पूछने का अर्थ यह है कि इसकी भूमिका तो सामने आये। इसमें है क्या?

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, आप बैठिये दो मिनट प्लीज। हां उत्तर दीजिये।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : आर. ओ. प्लांट जो लगा रहा है, जल बोर्ड; उसको लेकर के अनाधिकृत बस्तियों में। उसमें ये पूछा गया है और इसका मुख्य ध्येय है जो आर. ओ. प्लांट लगाये जा रहे हैं ये बिना टेंडर कि कैसे लग रहे हैं ये हमारा प्रश्न है? अब बताओ।

अध्यक्ष महोदय : चलिये। बताइये।

पर्यटन एवं जल मंत्री : प्रश्न सं. 67 है 66 नहीं।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : चलिए, प्रश्न कीजिए। गुप्ता जी।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न सं. 67 प्रस्तुत है :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या यह सत्य है कि आर. ओ. प्लांट तथा वाटर डिस्पेंसिंग यूनिट के कार्य के लिए कंसलटेंट की नियुक्ति की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कार्य के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर उचित प्रचार किया गया था;

(ग) यदि हां, तो उसका पूरा ब्यौरा दें;

(घ) कंसलटेंट की नियुक्ति के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई;

(ङ) इस कार्य के लिए दिल्ली से बाहर के ठेकेदार व कंसलटेंट नियुक्त करने के क्या कारण हैं;

(च) क्या यह भी सत्य है कि इस कार्य के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई थीं;

(छ) यदि हां, तो इसके लिए किस-किस से निविदाएं प्राप्त हुई थीं; उसका पूरा विवरण क्या है;

(ज) 29 आर. ओ. प्लांट स्थलों में से कितने जल बोर्ड के स्वामित्व में हैं और कितने अन्य एजेंसियों के पास हैं;

(झ) इनको प्राप्त करने के लिए दिल्ली सरकार को कितना खर्चा वहन करना होगा, उसका ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या यह सत्य है कि टेंडर में डोर स्टेप वैण्डिंग का प्रावधान न होकर केवल आउटलेट पर वैण्डिंग का प्रावधान है; और

(त) क्या यह सत्य है कि इसके कारण पिछली सरकार में हुए टेंडर के मुकाबले इस बार जनता को 20 लीटर पानी की कीमत पहले के मुकाबले अधिक चुकानी होगी ?

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी।

पर्यटन एवं जल मंत्री : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 67 का उत्तर प्रस्तुत है :

(क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) लागू नहीं।

(घ) परामर्शदाता के रूप में Ad,ministrative staff College of India को नामांकन के आधार पर नियुक्त किया गया है। यह एक राष्ट्रीय महत्व का उत्कृष्ट संस्थान है जिस को भारत सरकार एवं भारतीय उद्योग संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया है। यह संस्थान नामांकन आधार पर राज्य एवं शहरों को परामर्श सेवा प्रदान करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार उसके द्वारा सूचीबद्ध किया गया है।

(ङ) विशेष प्रकार का कार्य होने के कारण यह परामर्श देने का कार्य एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया संस्थान को नामांकन के आधार पर दिया गया। ठेकेदार का चयन करने के लिए खुली निविदा प्रक्रिया अपनाई गई जिसमें दिल्ली अथवा दिल्ली से बाहर के सभी ठेकेदार भाग लेने के लिए पात्र थे।

(च) जी हां।

(छ) मेसर्स वाटर हेल्थ इंडिया प्रा. लि. से निविदा प्राप्त हुई थी। उपरोक्त फर्म की निविदा तकनीकी आधार पर उपयुक्त पाये जाने पर दिल्ली जल बोर्ड द्वारा निविदा पारित की गई।

(ज) सभी आर. ओ. प्लांट दिल्ली जल बोर्ड के स्वामित्व वाली जगहों पर या जल बोर्ड के नियंत्रण वाले स्थानों पर लगाये जाएंगे। इसके लिए भूमि अधिग्रहण करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

(झ) इस कार्य में दिल्ली सरकार को कोई भी खर्चा वहन नहीं करना होगा।

(ञ) एक संयंत्र लगाने के लिए लगभग 56 स्क्वेयर मीटर जगह की आवश्यकता है। यह भूखंड केवल अगले 12 वर्ष तक आपरेटर को इस्तेमाल के आधार पर दिया जायेगा। जमीन एवं संयंत्र पर स्वामित्व केवल जल बोर्ड का ही रहेगा। बारह वर्ष के बाद संयंत्र सभी सुविधाओं सहित दिल्ली जल बोर्ड के पास आ जायेगा।

(त) जी नहीं। संयंत्र पर एवं घरों के पास जल वितरण मशीन लगाई जायेगी।

(ड) जी नहीं इससे पहले आवंटित किये गये कार्य में 20 लीटर जल का उपयोग शुल्क 37.50 पैसे प्रति लीटर वेंडिंग मशीन पर एवं 20 पैसे प्रति लीटर संयंत्र से जल लेने पर था। वर्तमान कार्य में ओपरेटर द्वारा एक रूप से वेंडिंग मशीन पर भी और संयंत्र पर भी जल लेने के लिए केवल 25 पैसे प्रति लीटर की दर कर दी गई है जिसको दिल्ली जल बोर्ड द्वारा पारित किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : एनी सप्लीमेंटरी?

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, ये योजना जिस पर एण्टी क्रप्शन ब्रांच में एक कम्पलेंट जांच के लिए पेंडिंग है। मैं मंत्री महोदय से दो पूरक प्रश्न पूछ

रहा हूँ। इस परियोजना की ए. सी. बी. द्वारा जांच के संबंध में ए.सी.बी. द्वारा जो दस्तावेज मांग गये थे, क्या वह दस्तावेज सरकार ने एण्टी क्रप्शन ब्रांच को उपलब्ध करा दिये हैं। पहला प्रश्न। दूसरा सरकार ने यदि दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये हैं जांच के लिए एण्टी क्रप्शन ब्रांच को तो उसके क्या कारण हैं?

पर्यटन एवं जल मंत्री : अध्यक्ष महोदय, एण्टी क्रप्शन ब्रांच की तरफ से कम से कम मेरे कार्यालय में इस प्रकार का कोई दस्तावेज मांगने की सूचना नहीं है। इसके उपरांत भी क्योंकि...(व्यवधान)...विजेन्द्र गुप्ता जी ने यह प्रश्न पूछा है और मुझे नहीं लगता कि वह बिना किसी तथ्यों के आधार पर सवाल पूछेंगे तो मैं जल बोर्ड से और संबंधित अगर कोई और भी विभाग होता है तो मैं सबसे पता करके जरूर यह सूचना उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : एक सैकेण्ड।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : पूरक प्रश्न है मेरा। प्रश्न इतने लाईटर वे में नहीं लिये जा सकते।

अध्यक्ष महोदय : कपिल जी, वह आ रहा है आपके पास।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : हां इसका जवाब दीजिए।

पर्यटन एवं जल मंत्री : एण्टी क्रप्शन ब्रांच ने कोई डाक्यूमेंट नहीं मांगा है।

अध्यक्ष महोदय : अब नहीं, बस प्लीज। बस ये अंतिम क्वेश्चन है।

श्री जनरैल सिंह (तिलक नगर) : 2014 के पहले क्वार्टर में ही मशीनों को लगाने के लिए सर्वे किया गया था जिसमें तिलक नगर में भी कुछ लोकेशन के लिए सर्वे किया गया था और ये मशीनें कब तक लग जाएंगी, ये जानना चाहते हैं। काफी टाइम से पब्लिक भी पूछ रही है और अभी तक कुछ डिपार्टमेंट की तरफ से सूचना नहीं मिली है कि कब तक लग जाएंगी?

पर्यटन एवं जल मंत्री : अध्यक्ष महोदय, तिलक नगर के माननीय विधायक महोदय इस संबंध में मेरे कार्यालय में भी आये थे। अभी ये टेंडर दिया गया है और जो भी इसका टाइम पीरियड है उसके अंतर्गत ही 29 जगहों की पहचान की गई है। वहां पर ये लगा दिया जाएगा।

तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

68. श्री श्रीदत्त शर्मा : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि वृद्धावस्था पेंशन के अंतर्गत घौंडा विधान सभा क्षेत्र को नये लक्ष्यानुसार आवेदन पत्र दिये गये थे;

(ख) यदि हां, तो क्या इस क्षेत्र से विभाग को वृद्धावस्था पेंशन के कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) नए आवेदनों को कब से पेंशन मिलनी शुरू हो जायेगी?

महिला एवं बाल विकास मंत्री : (क) जी हां।

(ख) घौंडा विधान सभा क्षेत्र से विभाग को कुल 372 वृद्धावस्था पेंशन के आवेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) अक्टूबर माह 2015 में 336 नये आवेदकों की पेंशन प्रेषित की जा चुकी है, 11 आवेदन निरस्त हो गये हैं एवं बाकी आवेदनों में से योग्य पाये आवेदकों की पेंशन तीसरी तिमाही (दिसम्बर, 2015) में भेज दी जाएगी।

69. श्री विजेन्द्र गर्ग : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा राजेन्द्र नगर विधान सभा क्षेत्र में इस समय कितने वृद्धों को वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही है;

(ख) इस क्षेत्र के कितने आवेदकों के आवेदन पत्र अभी तक लम्बित हैं; और

(ग) इन आवेदकों को कब तक वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत कर दी जायेगी?

महिला एवं बाल विकास मंत्री : (क) दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा राजेन्द्र नगर विधान सभा क्षेत्र में इस समय कुल 2360 वृद्धों को वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही है।

(ख) इस क्षेत्र के कुल 10 आवेदकों के आवेदन पत्र अभी तक लम्बित हैं।

(ग) इन लम्बित आवेदकों को कागजों में पायी गई कमी की पूर्ति होने के पश्चात् योग्य पाये गये आवेदकों की पेंशन प्रेषित कर दी जाएगी। इन सभी आवेदकों को कागजों में कमी के बारे में लिखित सूचना प्रेषित की जा चुकी है।

70. सुश्री भावना गौड़ : क्या पर्यटन एवं जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पालम विधान सभा के विजय एन्कलेव में 28 इंच की लाईन डालने की योजना को कब तक कार्य रूप दिया जाएगा;

(ख) पालम विधान सभा क्षेत्र में जुलाई से लेकर अब तक पानी के कितने नये कनेक्शन दिए गए हैं;

(ग) पानी के नए कनेक्शन लेने की प्रक्रिया के सरलीकरण की सरकार की क्या योजना है;

(घ) क्या यह सत्य है कि पालम विधान सभा की कुछ पानी की लाईनों में सीवर का पानी मिक्स होकर आ रहा है;

(ङ) यदि हां, तो उन लोगों को स्वच्छ पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए सरकार की क्या कार्य योजना है; और

(च) इसे कब तक पूरा कर दिया जाएगा ?

पर्यटन एवं जल मंत्री : (क) 28 इंच व्यास पानी की लाईन की लगभग 250 मीटर लम्बाई दिल्ली मेट्रो द्वारा दशरथपुरी स्टेशन के निर्माण कार्य की वजह से निकाल दी गई थी। दिल्ली मेट्रो के अनुसार फरवरी, 2016 के अंत तक इसे पुनः डाल दिया जाएगा।

(ख) पालम विधान सभा क्षेत्र, मटियाला विधान सभा क्षेत्र, द्वारका विधान सभा क्षेत्र व नजफगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कुछ भाग क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी (ककरोला) के अन्तर्गत आता है। पानी के नये कनेक्शनों के जो भी आवेदन प्राप्त होते हैं वो तिथि अनुसार डायरी किए जाते हैं। विधानसभा क्षेत्र के आधार पर उसको अलग-अलग डायरी नहीं किया जाता है। क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी (ककरोला) कार्यालय में विकास शुल्क स्कीम के दौरान कुल 14,318 नये पानी के कनेक्शनों के आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें से 5,348 कनेक्शन स्वीकृत किए जा चुके हैं। व 8,970 आवेदन अभी लंबित हैं जिन पर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर कार्यवाही की जा रही है व इसे 30 दिसम्बर 2015 तक पूर्ण करने का प्रयास है।

(ग) पानी का नए कनेक्शन लेने की प्रक्रिया को काफी सीमा तक सरलीकृत किया जा चुका है।

eSLA के तहत नए कनेक्शन 35 दिन के अंदर स्वीकृत किए जाते हैं, परंतु सरकार की तरफ से विकास शुल्क में छूट की जो योजना लाई थी उसके अंतर्गत काफी अधिक मात्रा में नए कनेक्शनों के आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनको पहले आओ पहले पाओ के आधार पर स्वीकृत किया जा रहा है। दिल्ली जल बोर्ड का यह पूर्ण प्रयत्न है कि इन सभी कनेक्शनों को 30 दिसम्बर 2015 तक स्वीकृत किया जा सके।

(घ) और (ङ) जी हां। महावीर एन्कलेव क्षेत्र की कुछ गलियों में पुरानी पाईप लाइनें क्षतिग्रस्त होने के कारण दूषित जल की समस्या को दूर करने के लिए सभी एस्टीमेट्स स्वीकृति की प्रक्रिया में हैं। विभागीय प्रक्रिया पूरी होने

के उपरांत निविदाएं आमंत्रित करके ऐसी क्षतिग्रस्त लाइनों को बदल दिया जाएगा।

(च) इस कार्य को लगभग तीन महीने में पूरा कर दिए जाने की संभावना है।

71. श्री प्रवीण कुमार : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि अ.जा./ज.जा./अ.पि.व. और अल्पसंख्यक वर्ग के कल्याणार्थ सरकार द्वारा चलाई गयी योजनाओं के अंतर्गत इन वर्गों को ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है;

(ख) यदि हां, तो किस-किस निकाय द्वारा यह ऋण प्रदान किया जाता है;

(ग) यह ऋण लेने की शर्तें क्या-क्या हैं;

(घ) क्या यह भी सत्य है कि ऋण लेने की प्रक्रिया अत्यंत जटिल होने और ऋण लेने के लिए जमानत की शर्तों के कारण लोग इन योजनाओं का लाभ उठाने से वंचित रह जाते;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ऋण प्रक्रिया/शर्तों को सरल बनाने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो उसका पूरा विवरण क्या है?

महिला एवं बाल विकास मंत्री : (क) जी हां।

(ख) यह ऋण डी. एस. एफ. डी. सी. द्वारा किया जाता है। यह निगम दिल्ली में रहने वाले अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विकलांग समुदाय के लोगों को स्वरोजगार हेतु रियायती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराता है।

(ग) ऋण प्राप्त करने हेतु बुनियादी पात्रताएं निम्न प्रकार हैं—

1. आवेदक दिल्ली का पिछले पांच वर्षों से स्थायी निवासी हो तथा उसके पास आधार कार्ड अथवा दिल्ली का मतदान पहचान पत्र हो।
2. परिवहन योजना के अन्तर्गत वैध ड्राइविंग लाईसेंस एवं बैज होना चाहिए।
3. आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए जब कि परिवहन योजना के अंतर्गत यह सीमा 18 से 45 वर्ष तथा दिल्ली स्वरोजगार ऋण योजना के अंतर्गत यह सीमा 22 से 50 वर्ष है।
4. निःशक्त जन योजनाओं के अंतर्गत प्रार्थी के पास 40 या उससे अधिक का विकलांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए।
5. आवेदक की आय 1,03,000/ रुपये से अधिक ना हो जब कि दिल्ली स्वरोजगार योजना के अंतर्गत यह सीमा 3 लाख रुपये तथा निःशक्त जन योजना के अंतर्गत यह सीमा 5 लाख रुपये है।
6. प्रत्येक ऋण योजना में 6 माह का विलम्ब समय होता है अर्थात् ऋण की मासिक किस्त 6 माह बाद आरम्भ होती है।

(घ) लक्षित समूह को आ रही कठिनाइयों को देखते हुए निर्धारित शर्तों में समय-समय पर संशोधन किया जाता है।

(ङ) वर्तमान में निदेशक मंडल की बैठक में जमानत की शर्तों का सरलीकरण किया गया है। जिससे ऋण लेने में आ रही कठिनाइयों को दूर किया जा सके।

(च) सरकारी गारंटी ना देने पर नियमानुसार निर्धारित आयकर दाता की गारंटी अथवा संपत्ति के दस्तावेज जमानत के रूप में जमा करा सकते हैं इसके अतिरिक्त निगम द्वारा एक सिटिजन चार्टर बनाया है जिसके तहत एक तय समय सीमा में लाभार्थी को ऋण वितरित किया जाएगा। पूर्ण विवरण संलग्नक 'क' में है।

ऋण सीमा	पूर्व नियम	वर्तमान निगम
10.00 लाख से 15.00 लाख	तीन सरकारी गारंटर ग्रुप ए या ग्रुप बी जिनमें ग्रुप ए का वेतनमान 15,600/- से 39,100/- तक या उससे अधिक तथा ग्रुप बी कर्मचारी का वेतनमान 9300/- से 34,800/- या सरकारी संस्था या उसके समतुल्य अन्य ग्रेड अथवा चार सरकारी गारंटर ग्रुप सी या ग्रुप डी जिनमें ग्रुप सी का वेतनमान 5200/- से 20,200/- तक या उससे अधिक तथा ग्रुप डी कर्मचारी का वेतनमान 4440/- से 7440/- या सरकारी संस्था या उसके समतुल्य अन्य ग्रेड। अथवा स्वीकृत ऋण का 80 प्रतिशत (एफडीआर/एनएससी/सरकारी सिक्क्योरिटी अथवा अचल सम्पत्ति	पूर्व नियम के अतिरिक्त ऐसे दो आयकर दाता जो पिछले तीन वित्तीय वर्ष से आयकर अदा कर रहे हों और जिनकी कुल वर्ध 25.00 लाख रुपये हो। अथवा यदि किसी कारणवश प्रार्थी उक्त जामनत को भी उपलब्ध कराने में असमर्थ रहता है तो प्रार्थी गारंटी के लिए अपनी सम्पत्ति के मूल दस्तावेज (पॉवर ऑटोर्नी सहित) जमा करा सकता है जिसकी डुप्लीकेट प्रति सत्यापित करके उसे दे दी जाएगी तथा मूल दस्तावेज ऋण भुगतान के उपरान्त उसे वापस कर दिये जाएंगे।
5.00 लाख से 10.00 लाख रुपये तक	दो सरकारी गारंटर ग्रुप ए या ग्रुप बी जिनमें ग्रुप ए का वेतनमान 15,600/- से 39,100/- तक या उससे अधिक तथा ग्रुप बी कर्मचारी का वेतनमान 9300/- से 34,800/- या सरकारी संस्था या उसके समतुल्य अन्य ग्रेड। अथवा तीन सरकारी गारंटर ग्रुप सी या ग्रुप डी जिनमें ग्रुप सी का वेतनमान 5200/- से 20,200/- तक या उससे अधिक तथा ग्रुप डी कर्मचारी का वेतनमान 4440/- से 7440/- या सरकारी संस्था या उसके समतुल्य अन्य ग्रेड। अथवा	

5.00 लाख रुपये तक	स्वीकृत ऋण का 80 प्रतिशत (एफडीआर/एनएससी/सरकारी सिक्योरिटी/अचल सम्पत्ति) एक सरकारी गारंटर ग्रुप ए या ग्रुप बी जिनमें ग्रुप ए का वेतनमान 15,600/- से 39,100/- तक या उससे अधिक तथा ग्रुप बी कर्मचारी की वेतनमान 9300/- से 34,800/- या सरकारी संस्था या उसके समतुल्य अन्य ग्रेड। अथवा दो सरकारी गारंटर ग्रुप सी या ग्रुप डी जिनमें ग्रुप सी का वेतनमान 5200/- से 20,200/- तक या उससे अधिक तथा ग्रुप डी कर्मचारी का वेतनमान 4440/- से 7440/- या सरकारी संस्था या उसके समतुल्य अन्य ग्रेड। अथवा स्वीकृत ऋण का 80 प्रतिशत (एफडीआर/एनएससी/सरकारी सिक्योरिटी/अचल सम्पत्ति)	5.00 लाख रुपये से 2 लाख रुपये तक; ऐसे दो आयकर दाता जो पिछले तीन वित्तीय वर्षों से आयकर अदा कर रहे हों और जिनकी कुल वर्ध 15 लाख रुपये हो। 50,000/- से 2 लाख रुपये तक ऐसे दो आयकर दाता जो पिछले तीन वित्तीय वर्षों के आयकर अदा कर रहे हों और जिनकी कुल वर्ध 10 लाख रुपये हो। 50,000/- रुपये तक पर कोई जमानत की आवश्यकता नहीं होगी। अथवा यदि किसी कारणवश प्रार्थी उक्त जमानत को भी उपलब्ध कराने में असमर्थ रहता है तो प्रार्थी गारंटी के लिए अपनी सम्पत्ति के मूल दस्तावेज (पॉवर ऑटोर्नी सहित) जमा करा सकता है जिसकी डुप्लीकेट प्रति सत्यापित करके उसे दे दी जाएगी तथा मूल दस्तावेज ऋण भुगतान के उपरान्त उसे वापस कर दिये जाएंगे।
-------------------	---	---

72. श्री राजेन्द्र पाल गौतम : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली जल बोर्ड द्वारा दिल्ली जल बोर्ड द्वारा दिल्ली की झुग्गी-बस्तियों में भी पानी का कनेक्शन देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि दिल्ली की झुग्गी-बस्तियों में अस्थाई सीवर-लाइन डालने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्री : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली जल बोर्ड झुग्गी बस्तियों में पानी की आपूर्ति सामूहिक नल, ट्यूबवेल तथा पानी के टैंकों द्वारा करता है। अभी सरकार की कोई नीति व्यक्तिगत पानी का कनेक्शन देने की नहीं है। व्यक्तिगत कनेक्शन देने के लिए दिल्ली जल बोर्ड ने 685 सूचीबद्ध झुग्गी-बस्तियों में वे 617 का सर्वेक्षण कर लिया है। इनमें से 306 झुग्गी-बस्तियों में पानी की लाइनें डालने हेतु तकनीकी साध्यता पाई गयी है। बाकी कॉलोनियों में पानी की लाइनें डालने हेतु तकनीकी साध्यता नहीं पाई गयी। बची हुई 68 झुग्गी-बस्तियों का सर्वेक्षण एक सप्ताह में कर लिया जाएगा। जिन झुग्गी-बस्तियों में तकनीकी साध्यता पाई गई उनमें पानी की लाइनें डालने के लिए कार्य-योजना जल्द ही प्रस्तुत की जाएगी।

(ग) एवं (घ) जी नहीं।

(ड) झुग्गी बस्तियों में सकरी एवं तंग गलियों के कारण सीवर लाईन डालने की तकनीकी संभावना नहीं है।

73. सरदार अवतार सिंह कलकाजी : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि कालका जी विधानसभा क्षेत्र में सीवर लाइनों के अपग्रेडेशन का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक कर दिया जायेगा?

पर्यटन मंत्री : (क) जी हां।

(ख) इन कार्यों को लगभग एक वर्ष में पूरा कर दिया जाएगा।

74. श्री नारायण दत्त शर्मा : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि बदरपुर विधान सभा क्षेत्र की जनसंख्या के अनुपात में वर्तमान में बहुत कम लोगों को वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस क्षेत्र के लिए वृद्धावस्था पेंशन का अतिरिक्त कोटा स्वीकार करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो कब तक; और

(घ) यदि नहीं तो उसका क्या कारण है?

महिला एवं बाल विकास मंत्री : (क) जी नहीं। योग्यता व निर्धारित मापदंडों के आधार पर पेंशन दी जाती है।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) लागू नहीं होता है।

75. श्री राजेश गुप्ता : क्या पर्यटन एवं जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि वर्तमान कानूनी व्यवस्था के तहत जल बोर्ड की झुग्गी बस्तियों में हाईड्रेंट लगाने की अनुमति नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि हाईड्रेंट नल गायब रहते हैं जिससे पानी की काफी बर्बादी होती है;

(ग) यदि हां, तो इस तरह हो रही पानी की बर्बादी को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है;

(घ) क्या यह भी सत्य है कि सरकार प्रत्येक झुग्गी में पानी का कनेक्शन देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ङ) क्या यह भी सत्य है कि जल बोर्ड के सीवर एवं एमसीडी की नालियां मिलने से सीवर भरे रहते हैं; और

(च) यदि हां, तो सरकार इस समस्या के समाधान के लिए क्या उपाय कर रही है ?

पर्यटन एवं जल मंत्री : (क) यह सत्य नहीं है, अनुमति है।

(ख) जी हां।

(ग) उपरोक्त शिकायत मिलने पर दिल्ली जल बोर्ड यथाशीघ्र बिना टूटी के चल रहे हाईड्रेंट पर नई टूटी लगाने की व्यवस्था करती रहती है।

(घ) जी हां, तकनीकी साध्यता के अनुरूप।

(ड) जी हां।

(च) दिल्ली जल बोर्ड ने 344 ऐसे स्थानों को चिह्नित कर लिया है तथा नालियों का कनेक्शन यथाशीघ्र सीवर लाईनों से हटाने के लिए तीनों नगर निगमों, डी. एस. आई. आई. डी. सी. एवं पी. डब्ल्यू. डी. से इस संदर्भ में अनुरोध भी किया है परंतु अभी तक कोई उत्तर नहीं आया है।

76. श्री ओ. पी. शर्मा : क्या पर्यटन एवं जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार का 29 अनधिकृत कॉलोनियों में आर. ओ. प्लांट तथा वाटर डिस्पेंसिंग यूनिट लगाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान समय में इनकी क्या स्थिति है;

(ग) क्या यह सत्य है कि दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम 1998 में पीने के पानी की सप्लाई प्राइवेट ऑपरेटरों द्वारा उपलब्ध करवाने का प्रावधान है; और

(घ) यदि हां तो उसका पूर्ण विवरण क्या है?

पर्यटन एवं जल मंत्री : (क) जी हां। अनधिकृत कॉलोनियों में 29 आर. ओ. प्लांट तथा वाटर डिस्पेंसिंग यूनिट लगाये जाने की योजना पारित की गयी है।

(ख) सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर है।

(ग) जी हां।

(घ) प्राइवेट ऑपरेटर द्वारा जल आपूर्ति करने का प्रावधान दिल्ली जल बोर्ड के अधिनियम 1998 के अंतर्गत मद संख्या 9 (2) पर दिया गया है।

77. श्री जगदीश प्रधान : क्या पर्यटन एवं जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र में सीवर लाईन डालने का काम शुरू किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि एक बार कार्य शुरू करने के बाद यह कार्य रोक दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो यह कार्य किस कारण से रोका गया है; और

(घ) यह सीवर लाईन डलवाने के रुके हुए कार्य को पुनः कब से शुरू किया जायेगा ?

पर्यटन एवं जल मंत्री : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) इस कार्य के रोके जाने का कारण ठेकेदार द्वारा अनुबंध समझौते का उल्लंघन है। इसके अलावा हाल ही में ठेकेदार के विरुद्ध निविदा के दौरान तथ्य छिपाने के संदर्भ में गंभीर आरोप की एक शिकायत प्राप्त हुई है, जिसके अनुसार ठेकेदार द्वारा सरकारी विभाग में अपने ब्लैक लिस्टिंग संबंधित सूचना को निविदा जानकारी में छिपाने का आरोप है। यह शिकायत जल बोर्ड के सतर्कता विभाग द्वारा जांच में है।

(घ) कार्य को शुरू या अनुबंध के समाप्त करने के संदर्भ में उचित निर्णय जांच रिपोर्ट आने के बाद ही लिया जा सकेगा।

78. सुश्री अलका लाम्बा : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली राज्य में टूर-आपरेटर्स को नियंत्रित करने से संबंधित कोई अधिनियम/कानून/नियम है;

(ख) क्या यह सत्य है कि दिल्ली निजी टूर आपरेटर्स परमिट की शर्तों का उल्लंघन करते हुए अन्तर्राज्यीय रूटों पर चलते हैं तथा इस तरह राज्य सरकार को राजस्व का नुकसान पहुंचाते हैं;

(ग) क्या सरकार जनसुविधा हेतु ट्रेवल/टूर बिजनेस को नियंत्रित करने की नीति बनाने पर विचार कर रही है; और

(घ) क्या यह भी सत्य है कि आजतक आवेदन आमंत्रित करने एवं इकट्ठे करने के बावजूद दिल्ली में कोई भी टूर आपरेटर्स/ट्रेवल एजेंट लाइसेंस नहीं दिए गए हैं?

पर्यटन मंत्री : (क) जी हां। दिल्ली मोटर वाहन अधिनियम (संशोधन), 2009 की नियमावली के नियम 81 में टूर-आपरेटर्स/ट्रेवल एजेंट्स/पर्यटक परिवहन आपरेटर्स/भ्रमण एजेंटों के लाइसेंस के लिए नियम है।

(ख) पर्यटन विभाग, दिल्ली सरकार अन्तर्राज्यीय मार्गों पर संचालन के लिए निजी टूर-आपरेटर्स को परमिट जारी नहीं करता। किसी भी वाहन का परमिट परिवहन विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा जारी किया जाता है। परिवहन विभाग द्वारा प्रस्तुत जवाब के अनुसार “परिवहन विभाग अन्तर्राज्यीय मार्गों पर चलने वाली बसों द्वारा परमिट की शर्तों व मोटर वाहन अधिनियम/नियमावली का उल्लंघन करने वाली बसों के खिलाफ कार्रवाई करता है।”

(ग) पर्यटन विभाग, दिल्ली सरकार ने दिल्ली मोटर वाहन अधिनियम (संशोधन), 2009 के नियम 81 के तहत टूर-आपरेटर्स/ट्रेवल एजेंट्स/पर्यटक परिवहन आपरेटर्स/भ्रमण एजेंटों को लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

अनुबंध -1 : नियम 81

अनुबंध -2 : लाइसेंस प्राप्त करने के लिए दिशा-निर्देश

अनुबंध -3 : लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र

(घ) जी हां।

अभी तक लाइसेंस जारी करने के लिए दिशा-निर्देश तय नहीं होने और कर्मचारियों की कमी के कारण लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को शुरू नहीं किया जा सका था। अब लाइसेंस जारी करने के लिए दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप दे दिया गया है और इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से पर्यटन विभाग में अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है तथा दूर आपरेटरों को लाइसेंस जारी करने के प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है।

कुल 1078 आवेदनों में से अब तक 202 का निरीक्षण पूरा हो चुका है। इन 1078 आवेदनों को 6 महीने समय अंतराल में निपटाने की संभावना है।

79. सरदार अवतार सिंह कालकाजी : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि कालकाजी विधान सभा क्षेत्र में वरिष्ठ नागरिकों के नए पेंशन फार्म जमा नहीं हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यह कार्य कब से प्रारम्भ हो जाएगा ?

समाज कल्याण मंत्री : (क) जी हां।

(ख) वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों की संख्या पूर्व निर्धारित

क्षमता सीमा (Capping Limit) से अधिक हो जाने के कारण कालकाजी विधान सभा क्षेत्र में वरिष्ठ नागरिकों के नए पेंशन फार्म जमा नहीं किये जा रहे हैं।

(ग) अभी कोई योजना नहीं है।

80. श्री विजेन्द्र गुप्ता : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली सरकार के बाल विकास विभाग द्वारा मजदूर बच्चों की पढ़ाई सुनिश्चित करने के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है;

(ख) सरकार दिल्ली में बाल भिक्षावृत्ति रोकने के लिए क्या उपाय कर रही है;

(ग) दिल्ली सरकार दिल्ली में बच्चों की गुमशुदगी और उनके विकास के लिए क्या कार्य कर रही है; और

(घ) इसका पूर्ण विवरण क्या है?

महिला एवं बाल विकास मंत्री : (क)-(ख) जब भी कही बाल मजदूरी/बाल भिक्षावृत्ति की सूचना मिलती है तो वहां पर श्रम विभाग एवं उस इलाके से संबंधित बाल कल्याण समिति के साथ छापा मारती है। बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के बाद जैसे ही बच्चे दिल्ली सरकार के द्वारा चलाए जा रहे बाल गृहों में आते हैं तो उन्हें किशोर न्याय (बाल देखभाल संरक्षण) अधिनियम 2000 के अन्तर्गत शिक्षा, मनोरंजन, आवास भोजन चिकित्सा आदि की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

(ग)-(घ) जो भी बच्चे दिल्ली सरकार द्वारा चलाये जा रहे बाल गृहों में दाखिल किए जाते हैं उन सभी बच्चों को पुनःस्थापन करने का प्रयास किया जाता

है, तथा इनके माता-पिता को खोजकर बाल कल्याण समिति के माध्यम से उनके परिवारों को सौंपा जाता है। इसके अतिरिक्त इन बच्चों का विवरण track the missing child.nic.gov.in website पर upload किया जाता है ताकि इन बच्चों की तुरंत पहचान की जा सके, तथा उन बच्चों को उनके परिवारों को सौंपा जा सके। इन आंकड़ों को बाल कल्याण समिति, बाल गृहों व पुलिस द्वारा सयोजित किया जाता है।

इसक बाद भी अगर किसी बच्चे का पुनःस्थापन (restoration) नहीं हो पाता है तो उन्हें दिल्ली सरकार द्वारा चलाये जा रहे बाल गृहों की संख्या सरकारी 14 बाल गृह तथा 68 गैर सरकारी बाल गृहों में आश्रय दिया जाता है जहां उन्हें किशोर न्याय (बाल देखभाल तथा संरक्षण) अधिनियम 2000 के अंतर्गत शिक्षा, मनोरंजन, आवास भोजन चिकित्सा आदि की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, तथा समय-समय पर महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा इन बच्चों के पुनःस्थापन हेतु अखबारों में भी विज्ञापन दिया जाता है।

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

35. सुश्री अलका लाम्बा : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) सरकार द्वारा किस-किस श्रेणी को कितनी-कितनी पेंशन दी जाती है;
- (ख) पेंशन हेतु इन श्रेणियों के लिए क्या-क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;
- (ग) क्या यह सत्य है कि इन मानदंडों पर सही उतरने के बावजूद जरूरतमंद लोग पेंशन पाने से वंचित रह जाते हैं;
- (घ) सभी जरूरतमंदों को पेंशन देना सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है;

(ड) क्या यह भी सत्य है कि पेंशन की प्रक्रिया के सरलीकरण का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(च) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है; और

(छ) क्या यह भी सत्य है कि सरकार वृद्धावस्था पेंशन के लिए बी.पी. एल. श्रेणी को प्राथमिकता देने पर विचार कर रही है?

महिला एवं बाल विकास मंत्री : (क) समाज कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार के अंतर्गत आर्थिक सहायता अनुभाग द्वारा चलाई जा रही वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 60-69 आयु वर्ग के सीनियर सीटीजन को 1000/- रुपये प्रतिमाह एवं अनुसूचित जाति/जनजाति/अल्पसंख्यक वर्ग को 500/- रु. की अतिरिक्त सहायता राशि प्रदान की जाती है। 70 और उससे अधिक आयु वर्ग के सीनियर सीटीजन को 1500/- रुपये प्रतिमाह प्रदान किये जाते हैं। (जिसमें अनुसूचित जाति/जनजाति/अल्पसंख्यक वर्ग को दी जाने वाली 500/- रु. की अतिरिक्त सहायता राशि भी सम्मिलित है)

विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत रुपये 1500/- प्रतिमाह प्रदान किये जाते हैं।

(ख) पेंशन हेतु इन श्रेणियों के लिए निम्न मानदंड निर्धारित किए गए हैं—

वृद्धावस्था पेंशन

—आयु 60 वर्ष या इससे अधिक हो।

—प्रार्थी आवेदन करने से पूर्व दिल्ली का कम से कम पांच वर्ष का निवासी हो।

—परिवार की आय 60000/- रु. वार्षिक से अधिक।

—प्रार्थी अन्य किसी संस्था से पेंशन प्राप्त नहीं कर रहा हो।

—प्रार्थना-पत्र के साथ राशनकार्ड, पहचान पत्र खाते की प्रतिलिपि आवश्यक है।

विकलांग पेंशन योजना

—आयु सीमा 0 से 60 वर्ष की बीच होनी चाहिए।

—प्रार्थी गत 5 वर्ष से दिल्ली का स्थायी निवासी होना चाहिए।

—प्रार्थी की विकलांगता 40 प्रतिशत से कम न हो।

—परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 75,000 रु. से अधिक न हो।

—प्रार्थी अन्य किसी संस्था से पेंशन प्राप्त नहीं कर रहा हो।

—प्रार्थना-पत्र के साथ राशनकार्ड, पहचान पत्र एवं बैंक खाते की प्रतिलिपि आवश्यक है।

(ग) जी संभव है।

(घ) यह मामला विचाराधीन नहीं है।

(ङ) जी नहीं। फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन नहीं है।

(च) उपरोक्त (ङ) के अनुसार लागू नहीं होता है।

(छ) जी नहीं, फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन नहीं है।

36. श्री वेद प्रकाश : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बवाना विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में कितनी-कितनी विधवा पेंशन वृद्धा पेंशन और विकलांग पेंशन दी जा रही है;

(ख) बवाना विधानसभा में आज तक वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन व विधवा पेंशन के कितने-कितने फार्म जमा हुए हैं;

(ग) इनमें से कितने फार्म रद्द किए गए हैं और कितने सही पाए गए हैं; और

(घ) जिन व्यक्तियों के आवेदन सही पाए गए हैं उनको पेंशन कब से मिलनी शुरू हो जाएगी?

महिला एवं बाल विकास मंत्री : (क) बवाना विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में दी जा रही पेंशन का ब्यौरा निम्न प्रकार है—

विधवा पेंशन—3474

वृद्धावस्था पेंशन—10153

विकलांग पेंशन—1377

(ख) बवाना विधान सभा क्षेत्र में आज तक वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन व विधवा पेंशन के कुल जमा/रद्द एवं सही पाये गये फार्मों का ब्यौरा निम्न प्रकार है—

योजना का नाम	कुल जमा फार्म	रद्द किये गये फार्म	सही पाये गये फार्म
वृद्धावस्था पेंशन	552	72	352
विकलांग पेंशन	313	10	240
विधवा पेंशन	572	28	385

(घ) माह अक्टूबर 2015 तक प्राप्त सभी योग्य पाये गये आवेदनों की पेंशन तीसरी तिमाही (माह अक्टूबर से दिसंबर 2015) के अंत में प्रेषित कर दी जाएगी।

37. श्री जगदीश प्रधान : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली सरकार द्वारा पिछले छह महीनों में वृद्धावस्था, विधवा एवं विकलांग पेंशन के लिए कुल कितने आवेदन पत्र स्वीकार किये गये;

(ख) क्या यह सत्य है कि इन आवेदन पत्रों को स्वीकार करने के लिए आवेदनकर्ताओं को मात्र सात से दस दिन का समय दिया गया; और

(ग) पेंशन पाने की शर्तों को पूरा करने वाले शेष जरूरतमंद लोगों से आवेदन कब से लेंगे ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री : (क) दिल्ली सरकार द्वारा पिछले छह महीनों में वृद्धावस्था, विधवा एवं विकलांग पेंशन के लिए कुल स्वीकार किये गये आवेदन पत्रों का ब्यौरा निम्न प्रकार है—

योजना का नाम	कुल स्वीकार किये गये आवेदन पत्रों की संख्या
वृद्धावस्था पेंशन	19591
विधवा पेंशन	21477
विकलांग पेंशन	10161

(ख) जी नहीं। वृद्धावस्था पेंशन में रिक्त स्थानों की पूर्ति होने तक की समय सीमा निर्धारित की गई थी। विधवा एवं विकलांग पेंशन योजनाओं में कोई समय सीमा लागू नहीं है।

(ग) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

38. श्री सोमनाथ भारती : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में वृद्धावस्था पेंशन का कितना कोटा निर्धारित है;

(ख) इनमें से कितने वृद्धों को यह पेंशन दी जा रही है;

(ग) क्या यह सत्य है कि अन्य विधानसभा क्षेत्र की तुलना में इस क्षेत्र के लिए वृद्धावस्था का कोटा कम कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो सरकार यह कोटा बढ़ाने पर पुनर्विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो यह कोटा कब तक बढ़ा दिया जाएगा?

महिला एवं बाल विकास मंत्री : (क) मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में वृद्धावस्था पेंशन का ऐसा कोई कोटा निर्धारित नहीं है। इस क्षेत्र में कुल 109 रिक्तियां निर्धारित की गईं जो कि भरी जा चुकी हैं।

(ख) इनमें से कुल 62 वृद्धों को यह पेंशन दी जा रही है।

(ग) जी नहीं।

(घ) उपरोक्त (ग) के अनुसार लागू नहीं होता।

(ङ) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

39. श्री श्रीदत्त शर्मा : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि खजूरी खास से शास्त्री पार्क मार्जिनल बांध तक (यमुना की तरफ) कोई पर्यटक स्थल बनाने की कार्य योजना है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके लिए कोई स्थान चिन्हित कर लिया गया है; और

(ग) इस योजना पर कब तक कार्य आरम्भ हो सकेगा ?

पर्यटन मंत्री : (क) और (ख) खजूरी खास से शास्त्री पार्क मार्जिनल बंध तक कोई पर्यटक स्थल बनाने की योजना नहीं है। इसके समीप सिग्नेचर ब्रिज वजीराबाद के निकट यमुना नदी के दोनों तरफ पर्यटक स्थल बनाने की एक योजना विचाराधीन है। सिग्नेचर ब्रिज भी एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है।

(ग) यह परियोजना विचाराधीन होने के फलस्वरूप कार्य आरंभ की तिथि बताना अभी संभव नहीं है। इसके लिए एक कमेटी का गठन किया जा रहा है। प्रस्तावित योजना तैयार होने के बाद व विभिन्न विभागों डीडीए, यमुना कमेटी, डीयूएसी से स्वीकृति मिलने के पश्चात् ही कार्य आरंभ हो सकेगा।

40. श्री आदर्श शास्त्री : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में वर्ष 2014-15 में दो सबसे अधिक राजस्व एकत्रित करने वाले एवं सबसे अधिक दर्शनीय स्थल कौन-कौन से रहे;

(ख) क्या सरकार द्वारा नजफगढ़ झील के आर्द्र पारिस्थितिक तंत्र तथा वहां के वन्य जीवन के प्राकृतिक वास को संरक्षित कर उसे नजफगढ़ बर्ड सैंक्चुरी को संभावित पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ग) क्या दिल्ली को देश का 'टूरिस्ट फ्रेंडली राज्य' बनाने की दिशा में पहल करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

पर्यटन मंत्री : (क) पर्यटन विभाग, दिल्ली सरकार, द्वारा संचालित दर्शनीय स्थलों में सबसे अधिक राजस्व एकत्रित करने वाले स्थल 2014-15 में दिल्ली हाट आई.एन.ए. एवं पंचेद्रिय उद्यान (गार्डन आफ फाइव सेंसेस) रहे।

(ख) पर्यटन विभाग, दिल्ली सरकार के पास कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) जी हां।

41. श्री अजय दत्त : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिणी दिल्ली में कौन-कौन सी जगह पर पर्यटन की नई परियोजनाएं आ रही हैं;

(ख) इन परियोजनाओं पर कब तक कार्य शुरू हो जाएंगे?

पर्यटन मंत्री : (क) इस समय दक्षिणी दिल्ली में पर्यटन विभाग, दिल्ली सरकार की कोई नई परियोजना नहीं चल रही है।

(ख) उपरोक्तानुसार प्रश्न नहीं उठता।

42. सरदार अवतार सिंह कालकाजी : क्या पर्यटन एवं जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह भी सत्य है कि कालका जी विधान सभा क्षेत्र में सीवर की सफाई करने वाले कर्मचारियों की कमी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इनकी व्यवस्था कब तक कर दी जाएगी?

पर्यटन मंत्री : (क) कुल 56 सफाई कर्मचारी कालकाजी विधान सभा क्षेत्र में कार्यरत हैं जो सीवर की सफाई के कार्य के लिए पर्याप्त हैं।

(ख) भाग 'क' के उत्तर के संदर्भ में लागू नहीं।

43. सरदार अवतार सिंह कालकाजी : क्या पर्यटन एवं जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार को ए.एम.आर. पानी के मीटरों के तीव्र गति से चलने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि कालकाजी विधान सभा क्षेत्र में भी सरकार द्वारा लगाये गये एम.एम.आर. पानी के मीटर बहुत तीव्र गति से चल रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या इन मीटरों को बदलने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो इन मीटरों को कब तक बदल दिया जायेगा?

पर्यटन एवं जल मंत्री : (क) और (ख) ए.एम.आर. मीटरों से संबंधित शिकायतें बोर्ड को प्राप्त हुई हैं। माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार सभी विधायकों से यह अनुरोध किया गया है कि वे ऐसे 30 उपभोक्ताओं की सूची, जहां मीटरों के तीव्र गति से चलने की सम्भावना हो, दिल्ली जल बोर्ड को उपलब्ध करायें जिन पर समानान्तर में दूसरा मीटर लगाकर लगे हुए ए.एम.आर. मीटर की जांच की जाएगी। इसी के साथ उपभोक्ताओं को पीन की बचत व अन्य सतर्कता बरतने के उपायों के बारे में एक जागरूकता अभियान की योजना बनाई जा रही है। उपभोक्ता अपने समक्ष मीटरों की जांच निर्धारित प्रयोगशालाओं में करवा सकता है। इसके अतिरिक्त यदि कोई विशिष्ट मामला संज्ञान में लाया जाता है तो ऐसे मामले की जांच कर उसका निपटान किया जाता है।

(ग) और (घ) वर्तमान में बोर्ड की ऐसी कोई योजना नहीं है परन्तु उपरोक्त

समानान्तर मीटर लगाने के नतीजों का अवलोकन करने के बाद इस विषय में आगे निर्णय लिया जाएगा।

44. श्री राजेन्द्र पाल गौतम : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार “बिजली के बकाया बिलों के मामले में लिये गये निर्णय” की तर्ज पर किन्हीं कारणों से पानी के बिलों का भुगतान न कर पाने वाले उपभोक्ताओं के लिए भी “वन टाइम सैटलमेंट” राहत योजना लाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो यह योजना कब तक लागू हो जाएगी; और

(ग) उसका पूर्ण विवरण क्या है?

पर्यटन एवं जल मंत्री : (क), (ख) एवं (ग) वर्तमान में दिल्ली जल बोर्ड की ऐसी कोई योजना नहीं है, परन्तु ऐसी योजना विचाराधीन है।

45. श्री आदर्श शास्त्री : क्या पर्यटन एवं जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में सरकारी/निजी आवासीय या गैर-आवासीय भवनों में कितने वाटर-हार्वैस्टिंग सिस्टम हैं;

(ख) सरकार द्वारा वर्ष 2014-15 में वाटर-हार्वैस्टिंग सिस्टम के रख-रखाव और विकास पर कुल कितना निवेश किया गया है; और

(ग) क्या वाटर-हार्वैस्टिंग का पानी की गुणवत्ता और भूजल स्तर में सुधार को जानने के लिए सरकार द्वारा कोई अध्ययन किया गया है?

पर्यटन एवं जल मंत्री : (क) दिल्ली जल बोर्ड के 165 प्रतिष्ठानों पर वर्षा जल संचयन प्रणालियों को स्थापित किया गया है।

(ख) वर्ष 2014-15 में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के रख-रखाव पर कुल 13.42 लाख निवेश हुआ।

(ग) जी नहीं।

46. श्री विजेन्द्र गुप्ता : क्या पर्यटन एवं जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली में ग्रुप-हाउसिंग सोसायटीज में केवल एक ही पानी का कनेक्शन दिया जाता है जिसके द्वारा पानी को अंडरग्राउंड टैंक में एकत्रित कर उसके पश्चात् फ्लैटों में वितरित किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि दिये गये कनेक्शन के पानी का प्रवाह बोरिंग साइज सोसायटी के मकानों में आबंटित पानी के कनेक्शनों के अनुपात में बहुत छोटा होता है, जिससे सोसायटी के फ्लैटों को आवश्यकता के अनुसार पानी नहीं मिल पाता;

(ग) यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि इन सोसायटियों में पानी की पूर्ति सुदृढ़ करने के लिए कनेक्शनों की संख्या एक से ज्यादा करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या उसके प्रवाह के साइज को बढ़ाने की कोई योजना है;

(ङ) यदि हां, तो इसे कब तक लागू कर दिया जाएगा; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

पर्यटन एवं जल मंत्री : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) फिलहाल कोई योजना नहीं है।

(ङ) लागू नहीं।

(च) पानी के प्रवाह को बढ़ाना उस क्षेत्र में पानी की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

47. श्री जगदीश प्रधान : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र की 12 कालोनियों में पानी की पाइप लाइनें नहीं डाली गई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि इन कालोनियों में पाइप लाइन डालने के लिए टैंडर हो चुके हैं;

(ग) यदि हां, तो इन कालोनियों में यह कार्य कब तक हो जायेगा;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्री : (क) जी हां।

(ख) यह सत्य है कि 04 कालोनियों के टैंडर हो चुके हैं, बाकी में निविदा बुलायी जाएगी।

(ग) एवं (घ) इन सभी कॉलोनियों में कार्य अगले दो वर्ष में पूर्ण होने की संभावना है।

48. श्री जगदीश प्रधान : क्या पर्यटन एवं जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि मुस्तफाबाद विधान सभा क्षेत्र में पीने के

पानी की सप्लाई काफी दूरी पर स्थित सोनिया विहार ट्रीटमेंट प्लांट से होती है;

(ख) यह भी सत्य है कि इस दूरी के कारण पानी का दबाव कम हो जाता है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार पानी का उचित दबाव बनाये रखने के लिए इस क्षेत्र की पाइप लाइनों को भागीरथी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जोड़ने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो यह व्यवस्था कब तक कर दी जाएगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

पर्यटन एवं जल मंत्री : (क) जी हां। मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र में पीने के पानी की सप्लाई सोनिया विहार ट्रीटमेंट प्लांट से सोनिया विहार व यमुना विहार भूमिगत जलाशयों द्वारा होती है।

(ख) घनी जनसंख्या होने के कारण इस क्षेत्र के अंतिम छोर पर पानी का दबाव कम हो जाता है।

(ग) एवं (घ) जी नहीं।

(ङ) पानी का दबाव बढ़ाने के लिए सोनिया विहार भूमिगत जलाशय की क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव है।

49. सुश्री भावना गौड़ : क्या पर्यटन एवं जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कमांड टैंक नं. 1 के मोटर पम्प पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं;

(ख) नहीं, तो इसे बदलने की सरकार की क्या योजना है;

(ग) वर्तमान में दिल्ली कैंट से अंतरिम व्यवस्था के तहत दिया जाने वाला पानी कब तक जारी रखे जाने की योजना है;

(घ) कमांड टैंक नं. 1 में पानी आने के बावजूद पालम विधान सभा क्षेत्र के सभी हिस्से में अभी तक लाईनों में पानी नहीं पहुंचा;

(ङ) इस क्षेत्र की सभी लाईनों में पानी कब तक पहुंचा दिया जाएगा; और

(च) पालम विधान सभा क्षेत्र की क्षतिग्रस्त पाइप लाइनों को बदलने अथवा नई पाइप लाइन डालने की योजना को विस्तार से बताएं?

पर्यटन एवं जल मंत्री : (क) जी हां।

(ख) भाग 'क' के उत्तर के संदर्भ में लागू नहीं है।

(ग) कमांड टैंक-1 के कमांड क्षेत्र में पानी की संतोषजनक उपलब्धता होने के बाद दिल्ली कैंट से पानी की अंतरिम व्यवस्था को बंद कर दिया जायेगा।

(घ) एवं (ङ) कमांड टैंक-1 के प्रारम्भ होने के पश्चात् पालम विधान सभा के लगभग सभी क्षेत्रों में फिल्टर पानी उपलब्ध करा दिया गया है। वितरण प्रणाली के अंतिम छोर पर स्थिति कुछ घरों में पानी का दबाव कहीं-कहीं कम है, जिसे शीघ्र ही ठीक कर दिया जायेगा, इसके लिए कार्य प्रगति पर है।

(च) आवश्यकतानुसार सभी क्षतिग्रस्त पाइप लाइनों को बदलने की योजनाएं स्वीकृति की प्रक्रिया में है। विभागीय प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात् ऐसी सभी क्षतिग्रस्त लाईनों को बदल दिया जायेगा।

50. श्री आदर्श शास्त्री : क्या पर्यटन एवं जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में प्रत्येक विधानसभा कितने बारात घर/चौपाल/सामुदायिक भवन

का संचालन अनु. जाति/जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग द्वारा किया जाता है;

(ख) वर्ष 2014-15 में इन सुविधाओं के प्रबंधन तथा पुनर्निर्माण पर कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ग) क्या सरकार द्वारा बारात घर/चौपाल/सामुदायिक भवन आदि के लिए किसी और प्रस्ताव पर भी विचार किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है;

(ङ) क्या सरकार एक बार इनके पुनर्निर्माण पश्चात् इनको चलाने/रख-रखाव के लिए प्राइवेट प्लेयर्स जैसे व्यक्तियों/एनजीओज को शामिल करने पर विचार कर रही है;

(च) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है;

(छ) यदि नहीं तो क्या सरकार इन सुविधाओं को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए किसी अन्य प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ज) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है?

पर्यटन एवं जल मंत्री : (क) दिल्ली में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में बारात घर/चौपालों का संचालन स्थानीय व्यक्तियों तथा उनकी संस्थाओं द्वारा किया जाता है विभाग द्वारा किसी भी बारात घर/चौपालों का संचालन नहीं किया जाता है।

(ख) वर्ष 2014-15 में अनु.जाति/जनजाति की बस्तियों के सुधारीकरण की योजना के अंतर्गत निर्माण कार्यों पर कुल 39.45 करोड़ की धनराशि व्यय की गई, इन सुविधाओं के प्रबंधन पर व्यय शून्य है क्योंकि विभाग द्वारा इनका प्रबंधन नहीं किया जाता है।

(ग) हाल ही में विभाग द्वारा चौपालों/सामुदायिक केन्द्रों के संचालन से संबंधित नई मार्गदर्शिका पारित की है। संलग्न है।

(घ) उपरोक्त वर्णित उत्तर 'ग' अनुसार।

(ङ) जी हां, उपरोक्त उत्तर 'ग' में वर्णित मार्गदर्शिका के अनुसार।

(च) उपरोक्त अनुसार।

(छ) लागू नहीं होता है।

(ज) लागू नहीं होता है।

URGENT

BY SPEED POST/HAND

GOVT. OF NCT OF DELHI

Department for the Welfare of SC/ST/OBC/MIN.

B-Block, 2nd Floor, Vikas Bhawan, I.P. Estate, New Delhi-110002.

No.F.3(20)2009-10 /DSCST/Imp./20537-20646

Dated: 5/11/15

OFFICE MEMORANDUM

In super session of earlier order No. F. 3(20)2009-10/DSCST/(Imp.)/3872-4007 dated 25.06.10, a Committee is constituted with the prior approval of the Hon'ble Minister, Welfare of SC/ST for handing over and management of the chaupals/ Community Centers constructed under the scheme of "Improvement of SC/ST Basties" and related matters as follows:

1. Hon'ble Minister (Welfare of SC/ST) or his nominee Chairperson
2. Area Superintending Engineer, I&FC Deptt/DUSIB

3.	Area Executive Engineer, I&FC/DUSIB	Member
4.	Area SDM/Dy. Commissioner (Revenue) Office	Member
5.	Two representatives of the local area Society/ Association/RWA	Member
6.	Deputy Director concerned of the Department for the Welfare of SC/ST/OBC/Min.	Member- Secretary

Broad Guidelines:

1. The above committee shall meet as and when required at the venue decided by the Chairperson. Issues regarding selection of the organization/ change of the selected organization and settlement of complaints, if any be decided in the meeting.
2. The Area MLA can be a special invitee or co-opted member.
3. Period of handing over may be till further any decision by the committee.
4. All the chaupals constructed out of funds provided by this department shall be covered.
5. In these Chaupals, the vocational training courses and similar type of activities for women/girls may be allowed to be organized.
6. Proper accounts of income & expenditure has to be maintained and submitted to the Department for the Welfare of SC/ST/OBC/Min. on yearly basis.
7. The amount to be charged of holding social/public functions has to be got approved from the above Committee.
8. The chaupal shall be open for inspection by the functionaries of Government of NCT of Delhi.

9. The Management Committee shall be responsible for the day to day maintenance and upkeep.
10. The I&FC Department/DUSIB shall be responsible for the repair & renovation, if necessary, of these chaupals. The funds to this effect shall be provided by the Department for the Welfare of SC/ST/OBC/Min.
11. The electric & water connection shall be in the name of the Management Committee of RWA/Association/Society of the local area to whom the chaupal has been handed over by the above Committee. The Management Committee shall be responsible for payment of electricity and water charges.
12. The Management Committee's responsibility is also to ensure that the government assets which have created are maintained and managed properly and is not put to any kind of misuse by any group or any of the individual.
13. The Chaupal shall not be used as the office of the RWA/Association/Society office to whom the chaupal has been handed over the above Committee.

Selection of RWA/NGO

1. Application/ representation of the organization preferably recommended by the Chairperson of the committee/ Area MLA or any other prominent person be considered for entrusting the management of the assets created.
2. If a registered RWA (not an NGO) is available whose governing body is fairly elected by local residents of the area, management of chaupals should be handed over to a **subcommittee having majority of local SC persons constituted under such RWA**. In future members of this Subcommittee will be elected by SC members of the parent RWA.
3. In the area where some registered organization of local SC residents is available management of chaupals may be handed over to the governing body of this organization.

4. Wherever available, preference may be given to the registered organization of local SC residents who actively participate in prompting the government to spend funds for the construction of the aforesaid chaupals/community centers or offer their piece of land in their custody for such constructions.
5. In the area where neither any registered/fairly elected RWA nor any registered organization having majority of SC persons is available management may be handed over to group of 6 to 10 local SC residents nominated by the Chairperson of the committee. Time frame of 6 months may be given to these SC persons for constitution of a Society of local SC residents for management of chaupals and its registration with the concerned authority.
6. Where more than one eligible registered organizations are available Preference should be given to an organization having longer life.
7. The organization should not have been constituted for profit to any individual or body of individual.
8. Organization should have a well defined governing body duly elected by its members.
9. Membership of the organization should be open to all members of the class of person for whom the organization has been constituted.
10. There should be defined set guidelines for admitting of a member and rejection of an application made by a person for the membership of the organization should not unreasonable deny membership to any local resident who may apply for its membership without proper and justified reasons.
11. The organization should be working within local area where the chaupal/ community hall constructed by this Department falls.
12. Majority of the members in the organization should be persons belonging to

SC/ST Community and the governing body/managing committee should have majority of the persons belonging to SC/ST Community.

13. Organization having experience of work in the field of welfare of SC/ST persons of the area should be given preference.
14. In case where the community hall/Chaupal has been constructed on a land owned by RWA/Registered society the possession and management of said chaupal/community hall should be given to such a RWA/society only.
15. Members of the managing committee of the organization should not have been convicted for offence having moral turpitude.
16. The members of the managing committee of the organization should not be close relations and the managing committee should be democratically elected body.
17. Preference should be given to an organization having adequate monetary resource at its command.
18. Preference should be given to an organization working in the local area of the chaupal/community hall and preference should be given to an organization having its office in proximity to the community hall/chaupal.
19. RWA/NGO should be non-political body and a society/NGO having known affiliations with a political group should be avoided.

Criteria for fixing rates for booking of the chaupal/community hall constructed of the funds from this Department.

Handing over Committee may take into consideration the following for fixing of booking rates:-

1. The floor of the chaupal/community hall.

2. The standard of living in the local area.
3. The extra amenities provided in the chaupal/community hall like provision for AC, Parks, and Parking space etc.
4. Cost of construction.
5. Cost of land.
6. Accessibility - width of the road adjoining the chaupal/community hall.

Further, the following different category of user charges may be fixed up for the welfare of poorest of poor.

- For Widow belonging to SC/ST Community.
- For BPL families of SC/ST Community.
- For SC/ST Communities (Other than BPL/Widow)
- Communities other than SC/ST, booking rates may be fixed at commercial rates prevailing in the area for the banquet hall etc. for organization such community's functions:

However, preference has to be given to SC/ST person for the booking and booking to the communities other than SC/ST may be allowed only when there is no booking for SC/ST person for the fixed day in last 10 days before the day of booking.

Arrangement for water & electricity shall be made by the users themselves. If only applicant desires to make such arrangement by the management committee then the charges would be mutually agreed up on by the applicant and the management committee and these would be over & above the charges mentioned above for booking for one day.

- The application for booking by SC/ST persons may be made at least 10 days before the date of function before this no general member booking may be accepted.

(R.P. Meena)

Deputy Director (SC/ST)

No.F.3(20)2009-10/DSCST/Imp./20537-20646

Dated: 5/11/15

Copy to:

1. Secretaries to Hon'ble Ministers, GNCT of Delhi.
2. All MLAs.
3. Divisional Commissioner, GNCT of Delhi.
4. All District Magistrates (Revenue), GNCT of Delhi.
5. Chief Engineer, I&FC Department, GNCT of Delhi.
6. All Executive Engineers, I &FC Department, GNCT of Delhi.
7. Chief Engineer, DUSIB, GNCT of Delhi.
8. All Executive Engineers, DUSIB, GNCT of Delhi.
9. P.S. to Principal Secretary (SC/ST).

(R.P. Meena)

Deputy Director (SC/ST)

51. श्री वेद प्रकाश : क्या पर्यटन एवं जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बवाना विधानसभा क्षेत्र में किन-किन क्षेत्रों में अ.जा./जनजाति की जनसंख्या कुल आबादी के 33 प्रतिशत से अधिक है, उसका पूर्ण विवरण दिया जाए;

(ख) अ.जा./जनजाति विभाग में कुल कितना फंड है? इस फंड से विकास

कार्य कौन-कौन से विभागों से करवाया जा सकता है और इन विकास कार्य को करवाने के लिए क्या-क्या नियम व शर्तें हैं उसका पूर्ण विवरण दिया जाए;

(ग) क्या यह सत्य है कि अ.जा./जनजाति विभाग द्वारा बवाना विधानसभा क्षेत्र में कोई फंड दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो किन-किन योजनाओं और विकास कार्यों के लिए दिया गया है, उसका पूर्ण विवरण दिया जाए?

पर्यटन एवं जल मंत्री : (क) सूची संलग्न है।

(ख) अ.जा./जनजाति विभाग में वर्ष 2015-16 के लिए कुल रुपये 350 करोड़ का फंड आवंटित है जिसमें "Improvement of SC/ST Basties" योजना के तहत वर्ष 2015-16 से 45 करोड़ का प्रावधान किया गया है इस फंड से बाढ़ एवं सिंचाई विभाग और दिल्ली शहरी आशय सुधार बोर्ड द्वारा कार्य कराया जाता हैं मार्गदर्शिका की कॉपी संलग्न है।

(ग) वर्ष 2015-16 में बवाना विधान सभा क्षेत्र से विकास कार्य हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण आवंटित नहीं किया गया है।

(घ) उपरोक्त के संदर्भ में लागू नहीं होता।

Guidelines for Processing the cases of improvement works under the scheme "Improvement of SC/ST Basties"

A.1 Improvement works in the SC/ST Basties will be taken up on the request of MLAs, residents or their associations. In such Basties, that are certified as SC/ST Basties by the Department for the Welfare of SC/ST/OBC/Minorities on the basis of the 2001 census and local inquiry by the field staff. Prospective beneficiaries will be actively involved in the planning of the works.

2. Since the community is over a wide range in the Delhi region and over all percentage on the community is around 17-18% in a dispersed pattern of habitation in an urban agglomeration, the basties which have a population of 33% or more of SCs/STs as per the Census Report 2001 will be considered as SC/ST basti including resettlement colonies.
 3. The Area/Basti where such improvement works is proposed to be undertaken may be either on private land, Lal Dora/extended Lal Dora or Government land allotted under 20 point programme with at least 60-70% built up area.
 4. No improvement work shall be recommended/executed in unauthorized SC/ST Basties on public/government land.
- B.1 After verification of the position in regard to the points listed under 'A' the Department will send a formal requisition to the Executive Department i.e. Irrigation and Flood Control Department for preparation of formal proposal for the works to be undertaken in a particular area and for submission of estimates of the proposed works. Such requisition should ordinarily be made within 20 days after verification.
2. While preparing the proposal and estimate, the Executing Department/ Agency will observe the following.
 - i. The Scope and nature of work(s) to be Clearly mentioned and estimates prepared in accordance with the scheduled rates. There will not be any cap-on the estimated cost of any development project not will there be any limit on the expenditure to be incurred for improvement works in a particular Assembly Constituency.
 - ii. There should not be any break-up for any project.
 - iii. Only the standard materials are to be used and no luxury items or extra materials to be used in any construction.

- iv. The estimates should be realistic so as to avoid need for subsequent revision.
 - v. A copy of the estimate will be furnished to the Residents Association.
 - vi. After completion of the work, the department will hand over the assets to the identified Association/ RWA/ Society/ Regd. Body/ Institution for day to day maintenance. However, major repair works shall be done by the I & FC Department once in two years as per norms followed by the PWD, Delhi Govt. An MOU will be signed between the Department for the Welfare of SC/ST and Residents Association/ Local Communities to this effect.
 - vii. Estimate must be prepared and submitted within one month of requisition.
 - viii. Electricity bills of the existing Chaupals and Chaupals to be constructed is to be borne by the local Association/Committee to whom the Chaupal has been handed over.
 - ix. The project should be completed within the estimated time and no escalation in the cost of time over-run shall be allowed.
- C.1 The Department on receipt of the proposal will ask the Executive Department for the estimate within 20 days. The project should be sanctioned on need based on first come first served basis within the total availability of the budget amount for this scheme and Executing Department shall submit the estimates within one month of such requisition.
2. On receipt of the estimate, Administrative Approval/Expenditure Sanction shall be conveyed by the Department to the executing Department within a period of three weeks after site inspection and examination of the same from the point of view of scope and nature of the works, technical specification, the rates and the total cost as well the duration of the execution.

D.1 The task force to be constituted by the Department for supervision and monitoring of execution of works will include besides officials of the concerned departments, a representative of Resident Welfare Association/Registered Society/Local committee as the case may be of the concerned SC/ST basti and the Executing Department should supervise and monitor the execution of the works periodically for ensuring smooth and timely execution of the works. No payment will be made to the contractor unless a report is received from the task force that the work has been completed satisfactory.

2. The Physical and financial progress of the works shall be reported to planning/ Finance Department for the purpose of monitoring plan expenditure.
3. On completion of the work, the executive agency will furnish a Completion Certificate to the Department for that particular work containing the amount of A/A & E/S, actual expenditure incurred and details of deviations, if any.

The Executing Department shall also display the details of the development work under the scheme for public information through a display board on the sites. The Details to be displayed are as under:-

1. Name & cost of the work.
2. Date of commencement.
3. Target date for completion.
4. Name of the Executive Agency.
5. Name of Executive Engineer with telephone number.
6. Name of the contractor with telephone number.

E.1 The Department shall carry out an impact evaluation of the implementation of this scheme in every Plan period so as to objectively assess the benefits

that have accrued to the Target Group during that particular Plan period. This evaluation study shall be taken up by the Department of its own or through Govt. Department/Organization of private institution/body/Organization.

2. The Department shall maintain an asset register as per GFR, which shall be made available for inspection by the designated officers or the Audit Team.
3. The Following civil work may be under taken under the scheme.
 1. Repair/Construction of common bathrooms and community latrines.
 2. Repair/relaying of side drains and pavement.
 3. Kharanja/repair of Kucha roads (Brick edge soling)
 4. C.C. flooring of approach roads or kharanjas
 5. Repair/construction of community centre/chaupal.
4. Number of building of Community Centers/Chaupals to be constructed in any constituency will be decided by the Department in consultation with Urban Development and Panchayat Department.

2- (Assembly) Burari

- | | | |
|----|-----------------------|----|
| 5. | Bhalswa Jahangir Puri | SC |
| 6. | Mukund Pur | G |
| 7. | Burari | W |
| 8. | Jharoda | G |

3- (Assembly) Timarpur

- | | | |
|-----|-----------------|----|
| 9. | Malka Ganj | SC |
| 10. | Timarpur | G |
| 11. | Mukherjee Nagar | W |

12. G.T.B. Nagar

G

4- (Assembly) Adarsh Nagar

13. Dhir Pur

G

14. Adarsh Nagar

W

15. Sarai Pipal Thala

G

16. Jahangir Puri-I

SC

5- (Assembly) Badli

17. Samaypur Badli

G

18. Libas Pur

W

19. Bhalswa

G

20. Jahangir Puri-II

G

6- (Assembly) Rithala

21. Rohini

W

22. Rithala

G

23. Budh Vihar

G

24. Vijay Vihar

W

7- (Assembly) Bawana

25. Pooth Kalan

SC(W)

26. Sahibabad Dault Pur

SC

27. Begumpur

G

28. Bawana

G

Ward No. 25

Sl. No.	Ward No. 25	Name of Town/Census Town/Village	Name of District	Name of Tahsil
1	2	3	4	5
1.	0025	Pooth Kalan C.T. 8031	North West 01	Saraswati Vihar 002
2.	0025	Pooth Kalan C.T. 8031	North West 01	Saraswati Vihar 002
3.	0025	Pooth Kalan C.T. 8031	North West 01	Saraswati Vihar 002
4.	0025	Pooth Kalan C.T. 8031	North West 01	Saraswati Vihar 002
5.	0025	Pooth Kalan C.T. 8031	North West 01	Saraswati Vihar 002
6.	0025	Pooth Kalan C.T. 8031	North West 01	Saraswati Vihar 002
7.	0025	Pooth Kalan C.T. 8031	North West 01	Saraswati Vihar 002
8.	0025	Pooth Kalan C.T. 8031	North West 01	Saraswati Vihar 002
9.	0025	Pooth Kalan C.T. 8031	North West 01	Saraswati Vihar 002
10.	0025	Pooth Kalan C.T. 8031	North West 01	Saraswati Vihar 002
11.	0025	Pooth Kalan C.T. 8031	North West 01	Saraswati Vihar 002
12.	0025	Pooth Kalan C.T. 8031	North West 01	Saraswati Vihar 002
13.	0025	Pooth Kalan C.T. 8031	North West 01	Saraswati Vihar 002
14.	0025	Pooth Kalan C.T. 8031	North West 01	Saraswati Vihar 002
15.	0025	Pooth Kalan C.T. 8031	North West 01	Saraswati Vihar 002
16.	0025	Pooth Kalan C.T. 8031	North West 01	Saraswati Vihar 002
17.	0025	Pooth Kalan C.T. 8031	North West 01	Saraswati Vihar 002
18.	0025	Pooth Kalan C.T. 3031	North West 01	Saraswati Vihar 002
19.	0025	Pooth Kalan C.T. 8031	North West 01	Saraswati Vihar 002

Enumeration Block No	Extent of the Population Enumeration Block	Total Population	Sc Population	% of SC Population
6	7	8	9	10
200	Pkt-11 Ho.No 93-204 Sec-22 Rohini	40	28	70
36-1	Pkt-B-4 Ho.No.01-80 Sec-20 Rohini	424	311	73.35
36-2	Pkt-B-4 Ho.No.81-155 Sec-20 Rohini	452	267	59.07
196	Pkt-B-4 Ho.No. 156-256 Sec-20 Rohini	520	327	62.88
37	Pkt-C-3/1 Ho.No.Oi-128 Sec-20 Rohini	662	327	49.4
38	Pkt-C-3/1 Ho.No.0129-256 Sec-20 Rohini	762	425	55.77
39	Pkt-C-4/2 Ho.No. 129-256 Sec-20 Rohini	738	401	54.34
40	Pkt-C-4/2 Ho.No.01-128 Sec-20 Rohini	687	323	47.02
42	Pkt-09 Ho.No.01-126 Sec-20 Rohini	690	359	52.03
43	H.No. 127-252 Pooth Kalan Delhi	625	267	42.72
44	H.No. 1-128 Pooth Kalan Delhi	709	493	69.53
45	H.No. 129-256 Pooth Kalan Delhi	729	478	65.57
51	Pkt-16 Ho.No.01-128 D-2 Sec-20 Rohini	702	242	34.47
52	Pkt-16 Ho.No. 129-256 D-2 Sec-20 Rohini	476	171	35.92
53	Pkt-16 Ho.No.01-128 D-2 Sec-20 Rohini	680	295	43.38
54	Pkt-16 Ho.No.129-256 D-1 Sec-20 Rohini	598	287	47.99
61	Ho No. 161 -320, Mcd Flats Sec-20 Rohini	581	474	81.58
62	Ho No. 321-480, Mcd Flats Sec-20 Rohini	508	478	94.09
63	Ho No. 481-640, Mcd Flats Sec-20 Rohini	604	537	88.91

1	2	3	4	5
20.	0025	Pooth Kalan C.T. 8031	North West 01	Saraswati Vihar 002
21.	0025	Pooth Kalan C.T. 8031	North West 01	Saraswati Vihar 002
22.	0025	Pooth Kalan C.T. 8031	North West 01	Saraswati Vihar 002
23.	0025	Pooth Kalan C.T. 8031	North West 01	Saraswati Vihar 002
24.	0025	Pooth Kalan C.T. 8031	North West 01	Saraswati Vihar 002
25.	0025	Pooth Kalan C.T. 8031	North West 01	Saraswati Vihar 002
26.	0025	Pooth Kalan C.T. 8031	North West 01	Saraswati Vihar 002
27.	0025	Pooth Kalan C.T. 8031	North West 01	Saraswati Vihar 002
28.	0025	Pooth Kalan C.T. 8031	North West 01	Saraswati Vihar 002
29.	0025	Pooth Kalan C.T. 8031	North West 01	Saraswati Vihar 002
30.	0025	Pooth Kalan C.T. 8031	North West 01	Saraswati Vihar 002
31.	0025	Pooth Kalan C.T. 8031	North West 01	Saraswati Vihar 002
32.	0025	Pooth Kalan C.T. 8031	North West 01	Saraswati Vihar 002
33.	0025	Pooth Kalan C.T. 8031	North West 01	Saraswati Vihar 002
34.	0025	Pooth Kalan C.T. 8031	North West 01	Saraswati Vihar 002
35.	0025	Pooth Kalan C.T. 8031	North West 01	Saraswati Vihar 002
36.	0025	Pooth Kalan C.T. 8031	North West 01	Saraswati Vihar 002
37.	0025	Pooth Kalan C.T. 8031	North West 01	Saraswati Vihar 002
38.	0025	Pooth Kalan C.T. 8031	North West 01	Saraswati Vihar 102
39.	0025	Pooth Kalan C.T. 8031	North West 01	Saraswati Vihar 102

6	7	8	9	10
64-1	C.No.01-75 Krishan Vihar Delhi	581	289	49.74
64-2	C.No.76-150 Krishan Vihar Delhi	492	232	47.15
65-1	C.No.151-225 Krishan Vihar Delhi	530	336	63.4
66-2	C.No.376-450 Krishan Vihar Delhi	388	143	36.86
70-1	C.No.901-975 Krishan Vihar Delhi	503	224	44.53
71-2	C.No. 1.127-1200 Krishan Vihar Delhi	466	250	53.65
55	Pkt-11 Ho.No.001-127 Sec-20 Rohini	604	270	44.7
56	Pkt-11 Ho.No.128-154 Sec-20 Rohini	711	421	59.21
60	Mcd Flt Ho.No.001-160 Sec-20 Rohini	468	343	73.29
98-1	C.No.501-562 Krishan Vihar Delhi	417	283	67.87
98-2	C.No.563-625 Krishan Vihar Delhi	417	184	44.12
168-2	A Blk H. No. 91-180 J.J. Colony Sec-24 Rohini	459	178	38.78
169-1	Ablk H.No. 181-281 J.J. Colony Sec-24 Rohini	564	224	39.72
169-2	B-Blk H.No. 001-73 J. J. Colony Sect-24 Rohini	456	199	43.64
170-2	B-Blk H.No. 186-299 J.J. Colony Sect-24 Rohini	584	294	50.34
177	B-Blk H.No. 001-176 Flats Sect-25 Rohini	766	300	39.16
188	J.J. Camp Rohini Sec-20 C.No. 1-136	593	209	35.24
189	J.J. Camp Rohini Sec-20 C.No. 137-272	479	299	62.42
190	J.J. Camp Rohini Sec-20 C.No. 273-409	525	187	35.62
191	J.J. Camp Rohini Sec-20 C.No. 410-543	593	256	43.17

Ward No. 26

1	2	3	4	5	6
1.	0026	Shahbad Daulatpur CT 8013	North West 01	Narela 001	0001-1
2.	0026	Shahbad Daulatpur CT 8013	North West 01	Narela 001	0003
3.	0026	Shahbad Daulatpur CT 8013	North West 01	Narela 001	0004
4.	0026	Shahbad Daulatpur CT 8013	North West 01	Narela 001	0007
5.	0026	Shahbad Daulatpur CT 8013	North West 01	Narela 001	0008 -1
6.	0026	Shahbad Daulatpur CT 8013	North West 01	Narela 001	0008 -2
7.	0026	Shahbad Daulatpur CT 8013	North West 01	Narela 001	0012
8.	0026	Shahbad Daulatpur CT 8013	North West 01	Narela 001	0019
9.	0026	Shahbad Daulatpur CT 8013	North West 01	Narela 001	0020
10.	0026	Shahbad Daulatpur CT 8013	North West 01	Narela 001	0021
11.	0026	Shahbad Daulatpur CT 8013	North West 01	Narela 001	0022
12.	0026	Shahbad Daulatpur CT 8013	North West 01	Narela 001	0023
13.	0026	Shahbad Daulatpur CT 8013	North West 01	Narela 001	0024
14.	0026	Shahbad Daulatpur CT 8013	North West 01	Narela 001	0025
15.	0026	Shahbad Daulatpur CT 8013	North West 01	Narela 001	119
16.	0026	Shahbad Daulatpur CT 8013	North West 01	Narela 001	0026
17.	0026	Shahbad Daulatpur CT 8013	North West 01	Narela 001	0027
18.	0026	Shahbad Daulatpur CT 8013	North West 01	Narela 001	0028
19.	0026	Shahbad Daulatpur CT 8013	North West 01	Narela 001	0044
20.	0026	Shahbad Daulatpur CT 8013	North West 01	Narela 001	0051
21.	0026	Shahbad Daulatpur CT 8013	North West 01	Narela 001	0052
22.	0026	Shahbad Daulatpur CT 8013	North West 01	Narela 001	0054

7	8	9	10
Block -A(Old) Shahbad Dairy C N 1 - 70	384	176	45.83
Block -A(Old) Shahbad Dairy C N- 271-410	602	217	36.05
Block -A(Old) Shahbad Dairy CN - 411 - 540	714	320	44.82
Block -B(Old) Shahbad Dairy CN -1 - 160	750	355	47.33
Block -B(Old) Shahbad Dairy C N -161 - 240	436	199	45.64
Block -B(Old) Shahbad Dairy C N -241 - 320	546	187	34.25
Block -B(Old) Shahbad Dairy CN - 801-960	534	221	41.39
Block -A(Old) Shahbad Dairy C N - 1-155	603	210	34.83
Block -A(Old) Shahbad Dairy C N- 456-310	531	197	37.1
Block -A(Old) Shahbad Dairy C N- 311-419	426	226	53.05
T Huts Near Block A Shahbad Dairy C N- 1-115	369	217	58.81
T Huts Near Block A Shahbad Dairy C N - 116-230	293	106	36.18
T Huts Near Block A Shahbad Dairy C N 231-345	406	232	57.14
T Huts Near Block A Shahbad Dairy C N 340-460	389	196	50.39
T Huts Near Block A Shahbad Dairy C N 951-1100	374	279	74.6
T Huts Near Block A Shahbad Dairy C N 461- 575	317	202	63.72
T Huts Near Block A Shahbad Dairy C N - 576-690	297	207	69.7
T Huts Near Block A Shahbad Dairy C N 691-797	412	277	67.23
T Huts Near Block A Shahbad Dairy C N 451-557	335	154	45.97
Block D (New) Shahbad Dairy C N 231 -345	425	158	37.18
Block D (Old) Shahbad Dairy CN - 346 -518	608	247	40.63
Block D (New) Shahbad Dairy CN- 576 - 681	429	194	45.22

1	2	3	4	5	6
23.	0026	Shahbad Daulatpur CT 8013	North West 01	Narela 001	0059
24.	0026	Shahbad Daulatpur CT 8013	North West 01	Narela 001	0060
25.	0026	Shahbad Daulatpur CT 8013	North West 01	Narela 001	0062
26.	0026	Shahbad Daulatpur CT 8013	North West 01	Narela 001	0063
27.	0026	Shahbad Daulatpur CT 8013	North West 01	Narela 001	0065
28.	0026	Shahbad Daulatpur CT 8013	North West 01	Narela 001	0067
29.	0026	Shahbad Daulatpur CT 8013	North West 01	Narela 001	0068
30.	0026	Shahbad Daulatpur CT 8013	North West 01	Narela 001	0069
31.	0026	Shahbad Daulatpur CT 8013	North West 01	Narela 001	0071
32.	0026	Shahbad Daulatpur CT 8013	North West 01	Narela 001	0072
33.	0026	Shahbad Daulatpur CT 8013	North West 01	Narela 001	0073
34.	0026	Shahbad Daulatpur CT 8013	North West 01	Narela 001	0074
35.	0026	Shahbad Daulatpur CT 8013	North West 01	Narela 001	0076
36.	0026	Shahbad Daulatpur CT 8013	North West 01	Narela 001	0077
37.	0026	Shahbad Daulatpur CT 8013	North West 01	Narela 001	0078
38.	0026	Shahbad Daulatpur CT 8013	North West 01	Narela 001	0079
39.	0026	Shahbad Daulatpur CT 8013	North West 01	Narela 001	0080
40.	0026	Shahbad Daulatpur CT 8013	North West 01	Narela 001	3082
41.	0026	Shahbad Daulatpur CT 8013	North West 01	Narela 001	0091
42.	0026	Shahbad Daulatpur CT 8013	North West 01	Narela 001	0092
43.	0026	Shahbad Daulatpur CT 8013	North West 01	Narela 001	0099
44.	0026	Shahbad Daulatpur CT 8013	North West 01	Narela 001	0102
45.	0026	DMC (u) 7001	North West 01	Narela 001	0111

7	8	9	10
T Huts Near Block - D (New) Shahbad Dairy C N -521-650	465	233	50.11
T Huts Near Block - D (New) Shahbad Dairy C N 651 - 776	453	254	56.07
Block - E(New) Shahbad Dairy CN - 116 - 230	354	234	66.1
Block - E(New) Shahbad Dairy C N - 231- 345	368	157	42.66
Block - E(New) Shahbad Dairy C N - 466 - 580	358	182	50.84
Block - F (New) Shahbad Dairy CN -1- 125	408	154	37.75
Block - F (New) Shahbad Dairy C N - 126- 250	390	177	45.38
Block - F (New) Shahbad Dairy C N - 251 - 373	390	131	33.59
T Huts Near Block F Shahbad Dairy CN-146 - 290	463	227	49.03
T Huts Near Block F Shahbad Dairy C N - 291-335	485	209	43.09
T Huts Near Block F Shahbad Dairy C N - 436-580	475	280	58.95
T Huts Near Block F Shahbad Dairy C N - 581 725	471	283	60.08
T Huts Near Block F Shahbad Dairy C N - 871 - 1015	503	340	67.59
T Huts Near Block F Shahbad Dairy CN - 1016 -1150	528	269	50.95
T Huts Near Block F Shahbad Dairy CN - 1151 -1245	271	189	69.74
T Huts Near Block F Shahbad Dairy CN - 1 -140	439	287	65.38
T Huts Near Block F Shahbad Dairy CN- 141-180	546	217	39.14
T Huts Near Block F Shahbad Dairy C N - 421 - 560	491	345	70.26
Shahbad Daulatpur C N -1 -125	780	353	45.26
Shahbad Daulatpur C N -126 -250	565	279	49.38
Shahbad Daulatpur C N-1001 -1125	791	410	51.83
Shahbad Daulatpur C N - 1376 - 1511	333	218	65.47
See 26 Near Govt.Co-Ed SS Shahbad Daulatpur C N 421 - 560	472	203	35.49

1	2	3	4	5	6
46.	0026	DMC (u) 7001	North West 01	Narela 001	0114
47.	0026	DMC (u) 7001	North West 01	Narela 001	0117
48.	0026	DMC (u) 7001	North West 01	Narela 001	0120
49.	0026	Pehladpur CT 8014	North West 01	Narela 001	0017
50.	0026	Pehladpur CT 8014	North West 01	Narela 001	0025
51.	0026	Pehladpur CT 8014	North West 01	Narela 001	0029
52.	0026	Pehladpur CT 8014	North West 01	Narela 001	0030
53.	0026	Pehladpur CT 8014	North West 01	Narela 001	0034
54.	0026	Pehladpur CT 8014	North West 01	Narela 001	0035
55.	0026	Pehladpur CT 8014	North West 01	Narela 001	0036
56.	0026	Pehladpur CT 8014	North West 01	Narela 001	0039
57.	0026	Pehladpur CT 8014	North West 01	Narela 001	0040
58.	0026	Pehladpur CT 8014	North West 01	Narela 001	0041
59.	0026	Pehladpur CT 8014	North West 01	Narela 001	0042
60.	0026	Pehladpur CT 8014	North West 01	Narelo 001	0056
61.	0026	DMC (u) 7001	North West 01	Narela 001	0111
Ward No. 27					
1.	0027	Begum Pur C.T. 8030	North-West-01	Sarswati Vihar-002	0010
2.	0027	Begum Pur C.T. 8030	North- West-01	Sarswati Vihar-002	0011
3.	0027	Begum Pur C.T. 8030	North-West-01	Sarswati Vihar-002	0015
4.	0027	Begum Pur C.T. 8030	North-West-01	Sarswati Vihar-002	0016
5.	0027	Begum Pur C.T. 8030	North-West-01	Sarswati Vihar-002	0065

7	8	9	10
Sec 26 Near Govt.Co-Ed SS Shahbad Dairy C N - 1 -115	399	136	34.69
Sec 26 Near Govt.Co-Ed SS Shahbad Daulaiptu C N 336-458	469	164	34.97
Sec 26 Near Govt.Co-Ed SS Shahbad Daulatpur C N 459-492 CN- 1100-1131	200	68	34
Khera Garhi CN-641 -780	551	299	54.26
Peladpur Gram Sabha CN -1 - 125	519	378	72.83
Peladpur Vihar Karishana Colony Block - B CN - 1 -140	452	160	35.4
Peladpur Vihar Karishana Colony Block - B CN -141 -280	517	181	35.01
Pelad Vihar Gupta Colont CN -251 - 376	650	331	50.92
Peladpur Village CN - 1 -140	714	366	51.26
Peladpur Village CN-141 -280	492	294	59.76
Peladpur Village CN - 561 - 700	539	289	53.62
Peladpur Village CN - 701 - 840	362	135	52.73
Peladpur Village CN -841 - 980	614	335	54.56
Peladpur Village CN -981 - 1120	769	403	52.41
Khera Garhi CN-251 - 370	256	135	52.73
Sec 26 Near Govt.Co-Ed SS Shahbad Dairy CN 421 - 560	572	203	35.49
CN-301-450 Bharat Vihar Begum Pur C.T.	664	235	35.39
CN-451 -600 Bharat Vihar Begum Pur C.T.	404	163	40.35
CN-1051-1200 Bharat Vihar Begum Pur C.T.	631	367	58.16
CN-I201-I350 Bharat Vihar Begum Pur CT.	570	347	60.88
CN-1-077, Naveen Vihar Block-R, Begumpur C.T.	364	145	39.84

1	2	3	4	5	6
6.	0027	Begum Pur C.T. 8030	North-West-01	Sarswati Vihar	0096
7.	0027	Barwala (C.T) 8016	North-West-01	Narela-001	0003
8.	0027	Barwala (C.T) 8016	North-West-01	Narela-001	0006
9.	0027	Barwala (C.T) 8016	North-West-01	Narela-001	0015
10.	0027	Pooth Khurd C.T.8017	North-West-01	Narela-001	0001
11.	0027	Pooth Khurd C.T.8017	North-West-01	Narela-001	0003
12.	0027	Pooth Khurd CT.8017	North-West-01	Narela-001	0005-1
13.	0027	Begum Pur C.T. 8030	North-West-01	Sarswati Vihar-002	0008
14.	0027	Pooth Khurd C.T.-8017	North-West-01	Narela-001	0009
Ward No. 28					
1.	0028	Bawana CT 8018	North- West 01	Narela 001	0007
2.	0028	Bawana CT 8018	North- West 01	Narela 001	0010
3.	0028	Bawana CT 8018	North- West 01	Narela 001	0012
4.	0028	Bawana CT 8018	North- West 01	Narela 001	0013
5.	0028	Bawana CT 8018	North- West 01	Narela 001	0018
6.	0028	Bawana CT 8018	North- West 01	Narela 001	0024
7.	0028	Bawana CT 8018	North- West 01	Narela 001	0025
8.	0028	Bawana CT 8018	North- West 01	Narela 001	0049
9.	0028	Qutab Garh CT 8020	North- West 01	Saraswati Vihar 002	0006
10.	0028	Qutab Garh CT 8020	North- West 01	Saraswati Vihar 002	0011
11.	0028	Dariya Pur CT 8019	North- West 01	Narela 001	0003
12.	0028	Dariya Pur CT 8019	North- West 01	Narela 001	0004
13.	0028	Dariya Pur CT 8019	North- West 01	Narela 001	0008
14.	0028	Bawana CT 8018	North- West 01	Narela 001	0061

7	8	9	10
CN-1-137, Rohini Sector-22 Pocket —16A, Begumpur C.T.	63	23	36.51
CN-301-450, Barwala Village C.T.	568	299	52.64
CN-751 -900, Barwala Village C.T.	721	361	50.07
CN-748-897, Jain Colony, Barwala Village C.T.	566	193	34.1
CN-1-150. Pooth Khurd C.T.	749	337	44.99
CN-301-450, Pooth Khurd C.T.	637	351	55.1
CN-601-675, Pooth Khurd C.T.	424	143	33.73
CN-1-150 Bharat Vihar Begum Pur C.T.	725	458	63.17
CN-1201 -1350. Pooth Khurd C.T.	764	525	68.72
CN 901-1050 Bawana CT	712	495	69.52
CN 1351-1500 Bawana CT	545	229	42.02
CN 1651-1800 Bawana CT	755	401	53.11
CN 1801 -1950 Bawana CT	683	232	33.97
CN 001-120 Indraj Colony Bawana CT	487	161	33.06
CN 001-150 Sahib Colony Bawana CT	527	383	72.68
CN 151 -300 Sahib Colony Bawana CT	442	288	65.16
CN 451-600 Ishwar Colony Bawana CT	843	451	53.5
CN 751-900 Qutab Garh CT	507	268	52.86
CN 1501 -1650 Qutab Garh CT	626	343	54.79
CN 301-450 Dariya Pur CT	488	268	54.92
CN 451-600 Dariya Pur CT	516	263	50.97
CN 1051 -1200 Dariya Pur CT	684	369	53.95
CN 901-1050 Resettlement Colony BL-A Bawana	404	247	61.14

1	2	3	4	5	6
15.	0028	Bawana CT 8018	North- West 01	Narela 001	0066
16.	0028	Bawana CT 8018	North- West 01	Narela 001	0072
17.	0028	Bawana CT 8018	North- West 01	Narela 001	0124
18.	0028	Bawana CT 8018	North- West 01	Narela 001	0128
19.	0028	Bawana CT 8018	North- West 01	Narela 001	0133
20.	0028	Bawana CT 8018	North- West 01	Narela 001	0145
21.	0028	Bawana CT 8018	North- West 01	Narela 001	0149
22.	0028	Bawana CT 8018	North- West 01	Narela 001	0161
23.	0028	Bawana CT 8018	North- West 01	Narela 001	0168
24.	0028	Bawana CT 8018	North- West 01	Narela 001	0175
25.	0028	Bawana CT 8018	North- West 01	Narela 001	0180
25.	0028	Bawana CT 8018	North- West 01	Narela 001	0192
27.	0028	Bawana CT 8018	North- West 01	Narela 001	0193
28.	0028	Bawana CT 8018	North- West 01	Narela 001	0194
29.	0028	Bawana CT 8018	North- West 01	Narela 001	0195
30.	0028	Bawana CT 8018	North- West 01	Narela 001	0196
31.	0028	Bawana CT 8018	North- West 01	Narela 001	0197
32.	0028	Bawana CT 8018	North- West 01	Narela 001	0198
33.	0028	Bawana CT 8018	North- West 01	Narela 001	0199
34.	0028	Bawana CT 8018	North- West 01	Narela 001	0200
35.	0028	Bawana CT 8018	North- West 01	Narela 001	0204
36.	0028	Bawana CT 8018	North- West 01	Narela 001	0205
37.	0028	Bawana CT 8018	North- West 01	Narela 001	0206
38.	0028	Bawana CT 801 8	North- West 01	Narela 001	0208
39.	0028	Bawana CT 8018	North-West 01	Narela 001	0211
40.	0028	Bawana CT 8018	North-West 01	Narela 001	0212

7	8	9	10
CN 301-450 Resettlment Colony BL-B Bawana	586	204	34.81
CN 1201-1350 Resettlment Colony BL-B Bawana	219	82	37.44
CN 001-122 DSIIDC Sector-1 Pocket-I	3	3	100
CN 001-142 DSIIDC Sector-1 Pocket -N	9	3	33.33
CN 001-117 DSIIDC Sector-2 Pocket-D	15	5	33.33
CN 001-092 DSIIDC Sector-3 Pockct-I	9	5	55.56
CN 001-112 DSIIDC Sector-3 Pocket-I	6	6	100
CN 001-158 DSIIDC Sector-4 Pocket -A	106	54	50.94
CN 001-157 DSIIDC Sector-4 Pocket-1	17	7	41.18
CN 001-126 DSIIDC Sector-5 Pocket-G	43	27	62.79
CN 001-097 DSIIDCSector-5 Pocket -K	9	4	44.44
CN 901-1050 Resetlement Colony BL-F Bawana	193	98	50.78
CN 1051-1200 Resettlment Colony BL-F Bawana	228	105	46.05
CN 1201-1285 Resettlment Colony BL-F Bawana	177	69	38.98
CN 1286-1370 Resettlment Colony BL-F Bawana	133	49	36.84
CN 1371-1450 Resettlment Colony BL-F Bawana	168	88	52.38
CN 1451-1550 Resettlment Colony BL-F Bawana	286	176	61.54
CN 1551-1650 Resettlment Colony BL-F Bawana	265	99	37.36
CN 1651-1798 Resettlment Colony BL-F Bawana	258	147	56.98
CN 001-100 Resettlment Colony BL-G Bawana	346	203	58.67
CN 201-250 Resettlment Colony BL-H Bawana	184	130	70.65
CN 301-350 Resettlment Colony BL-H Bawana	200	106	53
CN 401-468 Resettlment Colony BL-H Bawana	511	187	36.59
CN 001-150 Resettlment Colony BL-J Bawana			
CN 291-580 Resettlment Colony BL-K Bawana	167	66	39.52
CN 251-300 Resettlment Colony BL-H Bawana	226	170	75.22
CN 351-400 Resettlment Colony BL-H Bawana	197	117	59.39

52. श्री महेन्द्र गोयल : क्या पर्यटन एवं जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रिठाला विधान सभा क्षेत्र में किन-किन क्षेत्रों में अनु.जाति/जनजाति की जनसंख्या कुल आबादी के 33 प्रतिशत से अधिक है;

(ख) अनु.जा./जनजाति विभाग में इन वर्गों के कल्याण की योजनाओं के लिए कितना-कितना फंड आवंटित है;

(ग) इस फंड से कौन-कौन से विकास कार्य विभागों से करवाया जा सकता है;

(घ) इन विकास कार्यों को करवाने की क्या-क्या नियम व शर्त हैं, उसका पूर्ण विवरण दिया जाए;

(ङ) क्या अनु.जाति/जनजाति विभाग द्वारा रिठाला विधानसभा क्षेत्र में कोई फंड दिया गया है;

(छ) यदि हां, तो वो किन-किन योजनाओं और विकास कार्यों के लिए दिया गया है; और

(ज) उसका पूर्ण विवरण दिया जाये ?

पर्यटन एवं जल मंत्री : (क) सूची संलग्न है।

(ख) वर्ष 2015-16 में अनु.जाति/जनजाति बस्तियों के सुधारीकरण की योजना के अन्तर्गत सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए 45 करोड़ का प्रावधान किया गया है तथा अनु. जाति/जनजाति वर्गों के कल्याण की विभिन्न योजनाओं के लिए आवंटित फंड की सूची संलग्न है।

(ग) मार्गदर्शिका की कॉपी संलग्न है।

(घ) उत्तर 'ग' के अनुसार।

(च) वर्ष 2015-16 में कोई प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण रिठाला विधानसभा में फंड नहीं दिया गया है।

(छ) उत्तर 'च' के अनुसार लागू नहीं होता।

(ज) उत्तर 'च' के अनुसार।

**Deptt. for Welfare of SC/ST/OBC/MIN.
APPROVED OUTLAY REVENUE AND CAPITAL 2015-16**

(Rs. in lakhs)

Sl. No.	Name of the Sector/Deptt/ Scheme	Approved Outlay 2015-16 Revenue	Approved Outlay 2015-16 Capital	Approved Outlay 2015-16 Loan	Total Approved Outlay 15-16	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Ongoing Schemes						
I	Educational Development					
1.	Fin. Assistance for purchase of stationery to SC/ST/OBC/Min. students (class 1st to 12th)	12000.00			12000.00	
2.	Scholarship/Merit scholarship to SC/ST/OBC/ Minorities students (class 1st to 12th)	10400.00			10400.00	
3.	Merit Scholarship for college & professional institution students for SC/ST/OBC/Min.	850.00			850.00	
4.	Vocational Technical Scholarship meritorious scholarship & Dr. Ambedkar Meritorious scholarship to SC/ST/OBC/Min. students.	40.00			40.00	

111

03 अगस्त, 1937 (शक)

1	2	3	4	5	6	7
5.	Hostel for SC/ST/OBC/Min. Boys at Dilshad Garden.	240.00			240.00	
6.	Hostel for SC/ST/OBC/Min. Girls at Dilshad Garden.	30.00			30.00	
6A.	Dr. B.R. Ambedkar State Award for the toppers amongs SC/ST/OBC/ Minorities	4.00			4.00	
7.	Pre-Examination coaching for SC/ST/ OBC/Min. students	10.00			10.00	
8.	Reimbursement of tuition fee for SC/ST/OBC/Min. students	2000.00			2000.00	
9.	Construction of hostels for SC/ST girls students at Kasturba Balika Vidyalaya, Ishwer Nagar.	0.00			0.00	
10.	Multisectoral Development programme for minority concentration district- State Govt. share	250.00			250.00	
11A.	Setting up of education hub for SC at village Bakarwala	100.00			100.00	
11B.	Construction of educational hub for SCs at Village Bakarwala (PWD)			75.00	75.00	

112

24 फरवरी, 2015

12A.	Setting up of residential school for weaker sections of SC/OBC/Min. and orphan at Village Ishapur Delhi in collaboration with KISS Society	500.00			500.00
12B.	Construction of residential school for weaker sections of SC/OBC/Min. & orphan at vill Ishapur Delhi in collaboration with KISS Society (PWD)		725.00		725.00
	Sub total (I)	26424.00	800.00	0.00	27224.00
II					
12.	Financial assistance to SC/ST for self employment through DSCFDC includes financial assistance for purchase of TSRs, Buses and general buses, general loan belonging to minority communities, safai karamcharies, vocational training etc.	55.00			55.00
	Sub total (II)	55.00			55.00
13.	Institution of Dr. Ambedkar Ratana award	5.00			5.00
14.	Improvement of SC Basties		4500.00		4500.00
15.	Funding of 50% share by the Govt.	1.00			1.00

113

03 अग्रद्वयम्, 1937 (शक)

1	2	3	4	5	6	7
	towards development charges for electrification of unelectrified house sites/colonies allotted under 20 point programme (PPP)					
16.	Grant-in-aid to DUSIB for financial assistance to SC slum dwellers under Rajeev Ratan Awas yojana	100.00			100.00	
17.	Grant in aid to Delhi Health Mission for SC pregnant women under "matri shishu suraksha yojana"	100.00			100.00	
18.	Grant in aid to Delhi Health Mission for providing ante-natal care and institutional delivery	100.00			100.00	
19.	Delhi Swarojgar yojana for SC/ ST/OBC/Min.			1300.00	1300.00	
20.	Skill Development for SC/ST/OBC/ MIN. through NGO and other Training Organizations	100.00			100.00	
21.	Implementation of prohibition of employment as Manual Scavenger and their rehabilitation .	600.00+ 400.00			1000.00	

114

24 नवम्बर, 2015

22.	Swachya Bharat Abhiyan	100.00			100.00
23.	Society for protection of Scheduled Tribes	100.00			100.00
	Sub-Total III	1606.00	4500.00	1300.00	7406.00
24.	Strengthening of Dte. for the Welfare of SC/ST/OBC/Min				
	Salaries	90.00			90.00
	O.T.A.	0.00			0.00
	Office Expenses	215.00			215.00
	Domestic Travel Expenses	0.00			0.00
	Medical treatment	10.00			10.00
	Information Technology	0.00			0.00
	Sub total IV	315.00			315.00
	Grand Total	28400.00	5300.00	1300.00	35000.00

**GUIDELINES FOR PROCESSING THE CASES OF
IMPROVEMENT WORKS UNDER THE SCHEME
"IMPROVEMENT OF SC/ST BASTIES"**

- A.1 Improvement works in the SC/ST Basties will be taken up on the request of MLAs, residents or their associations. In such Basties, that are certified as SC/ST Basties by the Department for the Welfare of SC/ST/OBC/Minorities on the basis of the 2001 census and local inquiry by the field staff. Prospective beneficiaries will be actively involved in the planning of the works.
2. Since the community is over a wide range in the Delhi region and over all percentage on the community is around 17-18% in a dispersed pattern of habitation in an urban agglomeration, the basties which have a population of 33% or more of SCs/STs as per the Census Report 2001 will be considered as SC/ST basti including resettlement colonies.
3. The Area/Basti where such improvement Works is proposed to be undertaken may be either on private land, Lal Dora/extended Lal Dora or Government land allotted under 20 point programme with at least 60-70% built up area.
4. No improvement work shall be recommended/executed in unauthorized SC/ST Basties on public/government land.
- B.1 After verification of the position in regard to the points listed under 'A' the Department will send a formal requisition to the Executive Department i.e. Irrigation and Flood Control Department for preparation of formal proposal for the works to be undertaken in a particular area and for submission of estimates of the proposed works. Such requisition should ordinarily be made within 20 day's after verification.
2. While preparing the proposal and estimate, the Executing Department/ Agency will observe the following:

- i. The Scope and nature of work.(s) to be Clearly mentioned and estimates prepared in accordance with the scheduled rates. There will not be any cap-on the estimated cost of any development project not will there be any limit on the expenditure to be incurred for improvement works in a particular Assembly Constituency.
- ii. There should not be any break-up for any project.
- iii. Only the standard materials are to be used and no luxury items or extra materials to be used in any construction.
- iv. The estimates should be realistic so as to avoid need for subsequent revision.
- v. A copy of the estimate will be furnished to the Residents Association.
- vi. After completion of the work, the department will hand over the assets to the identified Association/ RWA/ Society/ Regd. Body/ Institution for day to day maintenance. However, major repair works shall be done by the I & FC Department once in two years as per norms followed by the PWD, Delhi Govt. An MOU will be signed between the Department for the Welfare of SC/ST and Residents Association/ Local Communities to this effect.
- vii. Estimate must be prepared and submitted within one month of requisition.
- viii. Electricity bills of the existing Chaupals and Chaupals to be constructed is to be borne by the local Association/Committee to whom the Chaupal has been handed over.

- ix. The project should be completed within the estimated time and no escalation in the cost of time over-run shall be allowed.
- C.1 The Department on receipt of the proposal will ask the Executive Department for the estimate within 20 days. The project should be sanctioned on need based on first come first served basis within the total availability of the budget amount for this scheme and Executing Department shall submit the estimates within one month of such requisition.
- 2. On receipt of the estimate, Administrative Approval/Expenditure Sanction shall be conveyed by the Department to the executing Department within a period of three weeks after site inspection and examination of the same from the point of view of scope and nature of the works, technical specification, the rates and the total cost as well the duration of the execution.
- D.1 The task force to be constituted by the Department for supervision and monitoring of execution of works will include besides officials of the concerned departments, a representative of Resident Welfare Association/Registered Society/Local committee as the case may be of the concerned SC/ST basti and the Executing Department should supervise and monitor the execution of the works periodically for ensuring smooth and timely execution of the works. No payment will be made to the contractor unless a report is received from the task force that the work has been completed satisfactory.
- 2. The Physical and financial progress of the works shall be reported to planning/ Finance Department for the purpose of monitoring plan expenditure.
- 3. On completion of the work, the executive agency will furnish a Completion Certificate to the Department for that particular work containing the amount of A/A & E/S, actual expenditure incurred and details of deviations, if any.

The Executing Department shall also display the details of the development work under the scheme for public information through a display board on the sites. The Details to be displayed are as under:-

1. Name & cost of the work.
 2. Date of commencement.
 3. Target date for completion.
 4. Name of the Executive Agency.
 5. Name of Executive Engineer with telephone number.
 6. Name of the contractor with telephone number.
- E.1 The Department shall carry out an impact evaluation of the implementation of this scheme in every Plan period so as to objectively assess the benefits that have accrued to the Target Group during that particular Plan period. This evaluation study shall be taken up by the Department of its own or through Govt. Department/Organization of private institution/body/Organization.
2. The Department shall maintain an asset register as per GFR, which shall be made available for inspection by the designated officers or the Audit Team.
 3. The Following civil work may be under taken under the scheme.
 1. Repair/Construction of common bathrooms and community latrines.
 2. Repair/relaying of side drains and pavement.
 3. Kharanja/repair of Kucha roads (Brick edge soling)
 4. C.C. flooring of approach roads or kharanjas

5. Repair/construction of community centre/chaupal
4. Number of building of Community Centers/Chaupals to be constructed in any constituency will be decided by the Department in consultation with Urban Development and Panchayat Department.

Ward No.	Name of DMC Ward	Reservation
1- (Assembly) Narela		
1	Narela	G
2	Bankner	G
3	Alipur	W
4	Bakhtawar Pur	G
2- (Assembly) Burari		
5	Bhalswa Jahangir Pur	SC
6	Mukund Pur	G
7	Burari	W
8	Jharoda	G
3- (Assembly) Timarpur		
9	Malka Ganj	SC
10	Timarpur	G
11	Mukherjee Nagar	W
12	G.T.B. Nagar	G

4- (Assembly) Adarsh Nagar

13	Dhir Pur	G
14	Adarsh Nagar	W
15	Sarai Pipal Thala	G
16	Jahangir Puri-I	SC

5- (Assembly) Badli

17	Samaypur Badli	G
18	Libas Pur	W
19	Bhalswa	G
20	Jahangir Puri-II	G

6- (Assembly) Rithala

21	Rohini	W
22	Rithala	G
23	Budh Vihar	G
24	Vijay Vihar	W

Ward No. 21

Sl. No.	Ward No. 21	Name of Town/Census Town/Village	Name of District	Name of Tahsil
1	2	3	4	5
1.	0021	DMC(U) 7001	North West 01	Narela 001
2.	0021	DMC(U) 7001	North West 01	Narela 001
3.	0021	DMC(U) 7001	North West 01	Saraswati Vihar 002

Ward No. 22

1.	0022	DMC(U)7001	North West 01	Saraswati Vihar 002
2.	0022	DMC(U) 7001	North West 01	Saraswati Vihar 002
3.	0022	DMC(U) 7001	North West 01	Saraswati Vihar 002
4.	0022	DMC(U) 7001	North West 01	Saraswati Vihar 002

Ward No. 23

1.	0023	DMC(U)7001	North West 01	Saraswati Vihar 002
2.	0023	DMC(U) 7001	North West 01	Saraswati Vihar 002
3.	0023	DMC(U)7001	North West 01	Saraswati Vihar 002
4.	0023	DMC(U)7001	North West 01	Saraswati Vihar 002

Enumeration Block No.	Extent of the Population Enumeration Block	Total Population	SC Population	% of SC Population
6	7	8	9	10
0107	Pocket Block - J Sardar Colony H.NO.221-330 Incd ESS Sec. 16 Rohini	685	232	33.87
0108	Pocket Block - J Sardar Colony H.NO.3 11 -440 Incd T. Huts in this area Sec. 16 Rohini	769	277	36.02
0159	NDMC Quarters 129-256 Sec.11 Extn Rohini	498	166	33.33
60 (Slum)	Jhuggi Cluster Rithala, C N 251-375	552	342	61.96
61 (Slum)	Jhuggi Cluster Rithala. C N 376-460 & C N 1-61. In Khasra No. 189-190	435	212	48.74
0066-1	Rithala village CN 1-62	516	364	70.54
68	Rithala village CN 251-375	400	193	48.25
0057	Budh Vihar Phase-II, CN. No.901- 1050	774	460	59.43
0112	Budh Vihar Phase-II, Shyam Colony Extn. CN. No. 01-50	291	136	46.74
0113	Budh Vihar Phase-II, Shyam Colony Extn. CN. No. 51-100	326	183	56.13
0114	Budh Vihar Phase-II, Shyam Colony Extn. CN. No. 101-143	226	75	33.19

1	2	3	4	5
Ward No. 24				
1.	0024	DMC(U) 7001	North West 01	Saraswati Vihar 002
2.	0024	DMC(U) 7001	North West 01	Saraswati Vihar 002
3.	0024	DMC (U) 7001	North West 01	Saraswati Vihar 002
4.	0024	DMC (U)7001	North West 01	Saraswati Vihar 002
5.	0024	DMC (U) 7001	North West 01	Saraswati Vihar 002
6.	0024	DMC (U) 7001	North West 01	Saraswati Vihar 002
7.	0024	DMC(U) 7001	North West 01	Saraswati Vihar 002
8.	0024	DMC(U) 7001	North West 01	Saraswati Vihar 002
9.	0024	DMC(U) 7001	North West 01	Saraswati Vihar 002
10.	0024	DMC (U) 7001	North West 01	Saraswati Vihar 002
11.	0024	DMC (U) 7001	North West 01	Saraswati Vihar 002
12.	0024	DMC (U) 7001	North West 01	Saraswati Vihar 002
13.	0024	DMC (U) 7001	North West 01	Saraswati Vihar 002

6	7	8	9	10
0014-2	C.N. 2026-2100, Vijay Vihar, Phase-I, Nasha Mukti Kendra	730	304	41.64
16	C.N.2251-2400, Vijay Vihar, Phase-I, Tikoni Market	380	138	36.32
0023-2	C.N. 376-450, Vijay Vihar, Phase-II Gopal Vihar	684	273	39.91
0028-1	C.N. 1051 -1125, Vijay Vihar, Phase-II	382	226	59.16
0028-2	C.N.1126-1200, Vijay Vihar, Phase-II	509	223	43.81
0034-2	C.N.2026-2100, Vijay Vihar, Phase-II	509	189	37.13
0044-2	C.N.3541-3620, Vijay Vihar, Phase-II	486	161	33.13
51	MCD Staff Qtrs, Sec-1, 1-75	476	476	100
52	MCD Staff Qtrs, Sec-1, 76-150	433	422	97.46
53	MCD Staff Qtrs, Sec-1, 151-225	521	520	99.81
54	MCD Staff Qtrs, Sec-1, 226-300	452	429	94.91
55	MCD Staff Qtrs, Sec-1, 301-384	494	480	97.17
0013-1	C.N.1801-1875, Vijay Vihar, Phase-I Block J, G.F.	793	295	37.2

53. श्री जगदीश प्रधान : क्या पर्यटन एवं जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा वर्तमान समय में अनु. जाति/जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए क्या-क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका विस्तृत ब्यौरा दें;

(ख) इन योजनाओं का लाभ पाने के लिए प्रार्थी को किन-किन औपचारिकताओं को पूरा करना आवश्यक होता है;

(ग) सरकार द्वारा किस-किस योजनाओं के लिए कितने-कितने धन का प्रावधान किया गया है;

(घ) कितना-कितना धन किस मद में अब तक खर्च किया गया है?

पर्यटन एवं जल मंत्री : (क) दिल्ली सरकार के अ.जा./ज.जा./अ.पि./अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा वर्तमान समय में अनु.जाति/जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का पूर्ण ब्यौरा तथा मार्गदर्शिका संलग्न है।

(ख) उपरोक्त प्रश्न 'क' में वर्णित मार्गदर्शिकाओं के अनुसार।

(ग) सरकार द्वारा इस योजना के लिए धन का विवरण संलग्न विवरणिका के अनुसार।

(घ) मद के अनुसार अक्टूबर तक किए गए खर्च का ब्यौरा तथा मार्गदर्शिका संलग्न है।

Annual Plan 2015-16

Welfare of SC/ST/OBC/Minorities

1. The Directive Principles of the State Policy provide to promote with special care, the educational and economic interests of the target groups. To achieve the objectives of "Equality" with many facets, Govt. of India as well as State Govt. has been striving for socio-economic development of the people of these communities through administrative orders and plan process. No doubt, there has been perceptible changes in the social and economic condition of the target group but unfortunately the measures taken so far have not been able to eradicate illiteracy, poverty and above all the social stigma attached, because the approach so far has been in the shape of few schemes of ameliorative nature which could not make sufficient transformational impact and, therefore, much still remains to be done.

2. Up to the year 1997 this department was required to look after only the Welfare of SC/ST population of Delhi but with the reorganization of OBC as a separate group of population, welfare activities relating to OBC, which forms quite big chunk of the population was also assigned to this department. In the starting of 21st century welfare activities relating to Minorities was also assigned to this department.

3. Population Scenario

- **Schedule Caste Population:** As per 2011 census, total population of NCT of Delhi was 167.88 lakhs, out of which the SC population is 28.12 lakhs which comes to 16.75%. Due to fast process of urbanization the population in the urban areas has been increasing rapidly as 97.08% of the total population of the SCs reside in urban areas and only 2.92 % is in rural areas. Out of the total urban population of 163.69 lakhs the SC population is 27.30 lakhs i.e. 16.68% and of the total rural population of 4.19 lakhs, the SC rural population is 0.82 lakh i.e. 19.57 %. This shows that the SC population is predominantly residing in urban area.

- **Scheduled Tribes population:** In Delhi, no scheduled tribes has been notified since none of the ST originally belong to Delhi but a small population migrated for service and other purposes from the other states. As such the RGI is not collecting any data in respect of STs, however, it is expected that 2% of the total population of Delhi may be STs.
- **Other Backward Classes Population:** The RGI is not collecting data in respect of OBC in the census. As such population of OBCs as per census record is not available. However, Govt. of NCT of Delhi constituted a state level commission for other Backward Classes in 1992 to identify the OBCs in Delhi. The Commission in its report has opined that about 48% of the Delhi population belongs to OBC.
- **Minorities Population:** As per 2001 census the population of minorities was 24.92 lakh. The details are given below:-

Religion	Population 2001
Sikh	555602
Muslim	1623520
Jain	155122
Christian	130319
Buddhist	23705
Other	4190
Total	2492458

From the year 2012-2013 all the activities relating to Minorities has been transferred to Department for Welfare of SC/ST/OBC/Minorities, which was previously looked after by Home Department.

4. **XI Five Year Plan (2007-12) Major Achievement**

- Financial assistance for purchase of stationery to SC/ST/OBC/Min. students has been extended to the primary section also that is from 1st class to 5th class with the revised rates of Financial assistance of Rs. 1000 to 2000 per annum is provided to the student belonging to SC/ST/OBC/Min. community studying in class 1st to 12th and having family income up to Rs. 2.00 lakh per annum for purchase of stationery.
- Delhi Govt. is providing scholarship to meritorious students belonging to SC/ST/OBC/Min. community studying in class 1st to 12th ranging from Rs. 600/- to Rs. 4500/- per annum. Family income is not applicable to the students belonging to SC/ST community. However family income of Rs. 2.00 lakh per annum is applicable to the student belonging to OBC & Minorities community.
- Delhi Govt. is also providing merit scholarship to the students belonging to SC/ST/OBC/Min. community studying in college/Professional institutions from Rs. 420/- to Rs. 1860/- per month. Family income is not applicable to the students belonging to SC/ST community. However family income of up to Rs. 2.00 lakh per annum is applicable to the student belonging to OBC & Minorities community.
- Financial Assistance to SC Slum/JJ Dwellers is being released by DUSIB under Rajeev Ratan Awas Yojna.
- Providing Ante-natal care and institutional delivery to Scheduled Caste Women through recognized private health establishments reimbursed directly to the Private hospital @ Rs. 7000/- for comprehensive care to pregnant women and also a part package is given @ Rs. 5000/- for only institutional delivery and Rs. 3000/- for only ante-natal care.
- Providing financial assistance under *Matri-Shishu Suraksha Yojna* to SC pregnant women during last trimester of her pregnancy @ Rs. 1000/- is provided in addition to Rs. 600/- paid under Centrally funded *Janani Suraksha Yojna* Scheme (JSY).

5. **The recommendations made in the approach paper for 12th Five Year Plan of NCT of Delhi** have been implemented by the Department for the Welfare of SC/ST/OBC/Minorities by including new schemes in the Annual Plan 2012-13 viz. educational hub for SCs at village Bakarwalla and additional financial assistance in respect of the schemes: (i) Scholarship/merit scholarship to SC/ST/OBC/Minority students (class 1st to 12th), (ii) Grant in aid to DUSIB for financial assistance to SC slum dwellers under Rajiv Rattan Awas Yojana; and (iii) pension to senior citizen, women in distress and financial assistance to poor widows for performing marriage of their daughter in respect of SC/ST/Minorities beneficiaries.
6. **The Plan outlay and actual expenditure of 11th Five Year Plan (2007-12) & Outlay for the 12th Five Year Plan (2012-17) and the Approved Annual Plan 2015-16 is as under:**

Sector	(Rs. in Crore)			
	11th Five Year Plan (2007-12)		12th Five Year Plan (2012-17)	
	Approved outlay	Actual Expenditure	Plan Outlay 2012-17	Approved outlay for 2015-16
Education Development	90.72	290.19	1013.55	280.84
Economic Development	6.09	15.30	106.00	0.55
Health, Housing etc.	171.10	126.19	470.45	65.12
Direction & Administration	12.18	7.12	10.00	3.49
MCD - Improvement of Dhobi Ghat	5.48	-	-	-
NDMC - Improvement of Dhobi Ghat	0.61	-	-	-
Total	286.18	438.80	1600.00	350.00

7. Scheduled Caste Sub Plan

As per guidelines issued by Govt. of India, the outlay for SCSP should be at least in proportion to SC population to total population of that State. The Scheduled Caste population, as per 2011 census, was 16.75% of the Total population of Delhi. The size of SCSP in Annual Plan 2007-08 to 2013-2014 is given here under:

(Rs. in crores)			
Sl. No.	Five Year/ Annual Plans	Approved Outlay for GNCT of Delhi	Flow For SCSP Percentage
11th Five Year Plan			
1.	2007-08	9000.00	1534.06 17.04%
2.	2008-09	10,000.00	1808.69 18.08%
3.	2009-10	11,300.00	1782.38 15.77% (Tentative)
4.	2010-11	11,400.00	1901.56 16.68%
5.	2011-12	14,200.00	2419.95 17.04%
12th Five Year Plan			
6.	2012-13	15,000.00	2760.46 18.20%
7.	2013-14	16000.00	3003.25 18.77%
8.	2014,15	16700.00	2797.25 16.75%
9.	2015-16	15350.00	

8. Centrally Sponsored Schemes

Besides the Annual Plan and SCSP, Government of Delhi is implementing the following Centrally Sponsored Schemes also:-

1. Coaching & Allied Schemes (Pre-Exam Training).

2. Post Metric Scholarship to SC/ST/OBC.
3. (a) Implementation of Civil Rights Act 1955 and the SC/ST prevention of atrocities Act 1989.
- (b) Incentive for Inter Caste Marriage.
4. Special central assistance for scheduled caste sub plan (SCSP).
5. Merit cum means based Scholarship for students belonging to the Minority Communities (Students pursuing technical or professional courses at under graduate/ post graduate level).
6. Post Metric Scholarship for students belonging to the Minority Communities. (Students pursuing higher education, from Class XI upto Ph.D. and technical and vocation courses of Class XI and XII level).
7. Pre matric scholarship scheme (Minority).
8. Multi sectoral Development Programme for Minority.
9. Society for Protection of Tribals.
9. **Department for Welfare of SC/ST/OBC/Minorities**

Plan Outlay

XII FYP	:	Rs. 160000.00 Lakh
----------------	---	--------------------

Approved Annual Plan 2015-16	:	Rs. 35000.00 Lakh
-------------------------------------	---	-------------------

Educational Development

As per approval of the Government, the Working Group constituted for preparing the 12th Five Year Plan, necessary amendments/ merger/dropping have been made in the schemes suggested by the Working Group.

9.1 Financial Assistance For Purchase Of Stationery To SC/ST/OBC/ Minorities Students (class 1st to 12th):

Plan Outlay

XII FYP : Rs. 47,800.00 Lakh

Approved Annual Plan 2015-16 : Rs. 12000.00 Lakh

Objectives:

As per 2011 census, the literacy rate amongst the Scheduled Caste population is low, as compared to overall literacy rate, which needs to be corrected. One of the measures through which education can be further spread, is to help the poor students by providing them financial assistance for purchase of stationery so that their parents do not feel any burden in sending their children to schools. Further, vide **Cabinet decision no. 1853** dated 16.01.2012, the scheme has now been extended to cover students studying in primary section also i.e. classes 1st to 5th, from the year 2011-2012.

Amount of Financial assistance:

Class	Rates
Ist to Vth	Rs. 100/- per. month for 10 months
VIth to VIIIth	Rs. 100/- per month for 10 months.
IXth to XIIth	Rs. 200/- per month for 10 months.

Eligibility:

- Under this scheme, financial assistance for purchase of stationery is given to those SC/ST/OBC/Minorities students, who are studying in the Central Govt./Govt. of Delhi/Aided/Recognized/Local Bodies schools etc. through the Principals of the respective schools and whose family income does not exceed Rs.2,00,000/- per annum.
- The attendance should not be less than 70% in the preceding year.

Implementation

After launch of Mission Convergence this scheme is being implemented by Education Department except in recognized Public Schools/ Kendriya Vidyalaya and schools under MCD/NDMC/DCB w.e.f. Annual Plan 2008-09.

Physical Achievement:

Year	No. of Beneficiaries	
	Target	Achievement
2007-08	91,000	1,93,058
2008-09	1,40,000	386
2009-10	1,15,750	1,43,973
2010-11	1,15,750	4,28,757
2011-12	4,07,817	7878 (Figures not reced. from MCD & Educn.)
2012-13	4,48,599	4,93,303
2013-14	5,42,643	7,62,847
2014-15	8,00,000	8,20,023
2015-16	8,50,000	-

9.2. Scholarship/Merit Scholarship to SC/ST/OBC/Minorities Students (class 1st to 12th):

Plan Outlay

XII FYP	:	Rs. 45300.00 Lakhs
Approved Annual Plan 2015-16	:	Rs. 10400.00 Lakhs

This scheme is being implemented by the Education Department. The main objective of the scheme is to improve the literacy rate and promote education among the SC/ST/OBC/Minorities students. Further, vide cabinet decision no. 1860 dated 06.02.2012, the amount of scholarship in respect of students belonging to SC/ST/OBC/Minority students studying in Class XI and XII has now been enhanced during 2011-2012 and subsequent periods and if a student who has secured 55% and above marks gets scholarship under Post Matric Scheme i.e. Centrally Sponsored Scheme, a supplementary scholarship to bring the amount to Rs.3000/- or Rs.4500/- per annum as the case may be, shall be given from Govt. of NCT budget so as to bring at par with Delhi Govt. Scheme in his marks range.

This scheme consists of the following:

(a) Scholarship to SC/ST/Minorities Students:

Rates:-

Class	Students belonging to	Unit	Amount of Scholarship (in Rs.)
Ist to VIIIth	SC/ST/Min.	Per Annum	1000

Eligibility:

- (i) All Students, [mentioned in 2(a) above] studying in class 1st to VIIIth in Central Govt./ Govt. of Delhi/ Aided/ Recognized/ Local bodies schools are eligible.
- (ii) Family income limit is not applicable in case of SC/ST students. But family income should not exceed Rs.2.00 lakh per annum in case of Minorities.
- (iii) A student is allowed to avail the scholarship either under the State Plan Scheme or Centrally Sponsored Scholarship Scheme, whichever is beneficial to him/ her and should inform the awarding authority through the Head of the Institution by mode of a declaration.

- (iv) No percentage marks up previous class is required for class I to VIII.
- (b) Merit Scholarship to OBC Students (Class VIth to XIIth):

Rates:

Sl. No.	Name of the Scheme	Unit	Existing rates of Scholarship (in Rs.)
(a) For scoring 55% and above but less than 60% marks in the previous exam.			
(i)	Class VI to VIII	Per annum	600
(ii)	Class IX to X	Per annum	1620
(iii)	For scoring 55% - 70% marks		
	Class XI and XII	Per annum	3000
(b) For scoring 60% and above marks in the previous exam.			
(i)	Class VI to VIII	Per annum	720
(ii)	Class IX to X	Per annum	2040
(iii)	For scoring marks above 70%		
	Class XI and XII	Per annum	4500

Eligibility:

- (i) Students studying in class VI to XII in Central Govt./ Govt. of Delhi/ Aided/ Recognized/ Local bodies schools are eligible.
- (ii) Family income limit except in case of SCs/STs should not exceed Rs.2.00 lakh per annum.
- (iii) A student is allowed to avail the scholarship either under the State Plan Scheme or Centrally Sponsored Scholarship Scheme, whichever is beneficial to him/her and should inform the awarding authority through the Head of the Institution by mode of a declaration.

(c) **Merit Scholarship to SC/ST/Minorities Students (Class IX to XII):****Rates:**

Sl. No.	Name of the Scheme	Unit	Existing rates of Scholarship (in Rs.)
(a)	For scoring 55% and above but less than 60% marks in the previous exam.	Per annum	1620
(i)	Class IX and X		
	For scoring 55% - 70% marks	Per annum	3000
(ii)	Class XI and XII		
(b)	For scoring 60% and above marks in the previous exam.		
	Class IX to X	Per annum	2040
	For scoring marks above 70%		
	Class XI and XII	Per annum	4500

Eligibility:

- i) Students [mentioned in 2(c) above] studying in class IX to XII in Central Govt./ Govt. of Delhi/ Aided/ Recognized/ Local bodies schools are eligible.
- ii) Family income limit is not applicable in case of SC/ST students. But family income should not exceed Rs.2.00 lakh per annum in case of Minorities.
- iii) A students is allowed to avail the scholarship either under the State Plan Scheme or Centrally Sponsored Scholarship Scheme, whichever is beneficial to him/her and should inform the awarding authority through the Head of the Institution by mode of a declaration.

Implementation

After launch of Mission Convergence this scheme is being implemented by Education Department expect in recognized public schools/ Kendriya Vidyalaya and schools under MCD/NDMC/DCB w.e.f Annual Plan 2008-09. Department for Welfare of SC/ST/OBC/Min. will disbursed the scholarship to the students of Kendriya Vidyalaya and Recognized public schools.

Physical Achievement:

Year	No. of Beneficiaries	
	Target	Achievement
2007-08	25,000	44,259
2008-09	40,000	646
2009-10	69,500	34,339
2010-11	69,500	1,73,864
2011-12	2,90,000	7,832 (Figures awaited from MCD & Educn)
2012-13	3,19,000	3,86,750
2013-14	4,25,425	7,03,452
2014-15	7,30,000	7,50,021
2015-16	7,50,000	

9.3. Merit Scholarship to College/Professional Institutions Students belonging to SC/ST/OBC/ Minorities

Plan Outlay

XII FYP : Rs. 1670.00 Lakh

Approved Annual : Rs. 850.00 Lakh

Plan 2014-15

Objectives:

The objective of the scheme is to encourage SC/ST/OBC/Minorities students to continue their studies at college level by providing them scholarship so as to reduce financial burden on their parents, because spread of higher education alongwith development of merit amongst the SC/ST communities is one of the priority programmes of the Govt. of India and Govt. of Delhi.

Rate of Scholarship:

Sl. No.	Name of the Scheme	Unit	Existing rates of scholarship (in Rs.)
1	2	3	4
Group "A"			
	i. Degree courses in Medical/ Engineering/B.Sc.(Agri.)/ B.Vsc/B.F.Sc./ Higher technical and professional studies		
	ii. Degree level courses in Indian medicine B.A.M.S. & comparable courses in Ayurvedic, Unani/Tibbia and Homeopathy system of medicine.		
(a)	Day Scholars	P.M.	900
(b)	Hostlers	P.M.	1620
	Post graduate courses, other technical & professional courses		
(a)	Day Scholars	P.M.	960
(b)	Hostlers	P.M.	1860
Group "B"	Diploma level courses		
	Diploma level courses in Indian medicine B.A.M.S. & comparable courses in Ayurvedic, Unani/ Tibbia and Homeopathy system of medicine. Diploma level course in Engg.		

1	2	3	4
	Technology, Architecture, Printing Technology, Over-sear, Drafstman, Surveyor, Hotel Management, Catering, Applied Nutrition, Commercial Pilot License Wireless & T.V. Operator, Sound Recording & Engineering, Photography, Film Direction, Editing, Acting, Screen-play Writing Post graduate courses in science subjects.		
(a)	Day Scholars	P.M.	720
(b)	Hostlers	P.M.	1110
Group "C"	Certificate courses in Engg. Technology, Architecture & Medicine Diploma & certificate course in Agri./Vet. Sc./Fisheries/Dairy Dev. / Public Health/Sanitary Inspector/Rural services / Library science/Sub-officers course in National fire service college, Nagpur Degree/Post graduate Diploma & Post Graduate courses in teachers training/ Library Sc./Physical Edn./Music/Fine Arts/Law/Craft Instructor/ Passenger Transport Management/ Associate degree in Pharmacy		
(a)	Day Scholars	P.M.	630
(b)	Hostlers	P.M.	930
Group "D"			
(i)	General courses upto graduate level		

1	2	3	4
(a)	Day Scholars	P.M.	420
(b)	Hostlers	P.M.	804
(ii)	Post graduate studies in Arts & Commerce subject.		
(a)	Day Scholars	P.M.	630
(b)	Hostlers	P.M.	1110

Eligibility criteria:

- i) A student is allowed to avail the scholarship either under the State Plan Scheme or Centrally Sponsored Scholarship Scheme, whichever is beneficial to him/her and should inform the awarding authority through the Head of the Institution by mode of a declaration.
- ii) The SC/ST/OBC/Minority students getting stipend from the institutions/ Government during the course of study are also eligible to get the merit scholarship.
- iii) Only those SC/ST/OBC/Minorities students are eligible who will obtain 60% or more marks in previous examination and get admission in recognized college / professional / technical institutions.
- iv) Scholarship will be granted to students of 3 year degree courses, post graduate studies at college level and professional courses of degree and post graduate level and diploma studies. The duration of the professional course may vary from course to course.
- v) There shall be no limit for the income of the applicant/ parents/guardians for grant of scholarship in respect of SC/ST students. However, family income limit of Rs.2,00,000/- p.a. is applicable for the OBC/ Minorities community.

- vi) Students should have SC/ST/OBC/Minorities certificate issued by the competent authority of Delhi i.e. Deputy Commissioner, Delhi. However, on the basis of a meeting held in the chamber of Chief Secretary on 04.11.2011, there should not be any discrimination on the basis of Caste issuing authority and benefit of the scheme is to be provided to all SCs residing in Delhi whether they are original residents or migrants from other States. Further, where the student is not having Caste Certificate in his own name, his father's Certificate may be accepted for availing the benefit.
- vii) The rate of scholarship will be reduced to 50% if a student failed in the annual examination, but continues studies except in cases where the student failed to appear in the annual examination on medical grounds or due to natural calamities or any other reason beyond his/her control.
- viii) Intentional non appearance in the annual examination will disqualify the student from the grant of scholarship during the next academic year.
- ix) Government of NCT of Delhi has approved the proposal for consideration of applications of eligible students for this scheme who are having gaps in educational continuation upto three years but not on account of failure in the examination of previous course/ class. This provision is with effect from 2008-09 onwards.

Physical Achievement:

Year	No. of Beneficiaries	
	Target	Achievement
1	2	3
2007-08	1,000	2,078
2008-09	13,000	1,984
2009-10	2,200	2,750

1	2	3
2010-11	4,500	4,500
2011-12	4,500	3,900
2012-13	4,950	4,357
2013-14	4,950	7,163
2014-15	8,500	13,898
2015-16	10,000	

9.4. Vocational & Technical Scholarships to SC/ST/OBC/ Minorities Students

Plan Outlay

XII FYP : Rs. 200.00 Lakh

Approved Annual

Plan 2015-16 : Rs. 40.00 Lakh

This is implemented by Directorate of Training & Technical Education, Govt. of NCT of Delhi.

Objectives:

In the present days of technological development, technical education plays a significant role and in the coming years, not only the scope of employment for technical personnel will be better but at the same time, it will help the students to become self employed. Therefore, emphasis is being laid on promoting technical education amongst the SC/ST/OBC/Min. boys and girls also so that they do not lag behind others.

Rates of Scholarship.

Sl.No.	Name of the Scheme	Unit	Existing rates of scholarship (in Rs.)
(a)	Day Scholars	P.M.	210
(b)	Hostlers	P.M.	360

Eligibility:

1. A student is allowed to avail the scholarship either under the State Plan Scheme or Centrally Sponsored Scholarship Scheme, whichever is beneficial to him/her and should inform the awarding authority through the Head of the Institution by mode of a declaration".
2. SC/ST/OBC/Minority Students receiving technical education in various Industrial Training Institutes (ITIs) being run by Govt. of NCT of Delhi and whose family income does not exceed Rs.2.00 lakh per annum.

Physical Achievement:

Year	No. of Beneficiaries	
	Target	Achievement
2012-13	2700	2366
2013-14	2700	2347
2014-15	2350	2062
2015-16	2500	

9.5 Hostel for SC/ST/OBC/Min. Boys at Dilshad Garden**Plan Outlay**

XII FYP : Rs. 460.00 Lakh

Approved Annual Plan 2015-16 : Rs. 240.00 Lakh

Objectives:

It has been observed that in most of the cases dwelling units of the Scheduled Caste people in Delhi are very small and do not have adequate space to provide

congenial study environment for the students. This retards their studies. With a view to provide better study environment, scheme of Hostel for SC Boys was introduced so that the SC/ST boys, who wish to pursue studies but do not have congenial study environment at home, could get admission in the hostel, being run by this Dte. at Dilshad Garden complex Its intake capacity is to accommodate 100 students.

Conditions of eligibility for admission to the hostel:

- (i) Hostel is available for the poor SC/ST/OBC/Min. students studying in class-XII and above in Government or recognized school or colleges.
- (ii) The income limit of the parents of the students, who seek admission in the hostel for SC/ST/OBC/Min. boys as well as girls should not be more than Rs. 2,00,000/- per annum.
- (iii) The student who has been given regular admission in the school or college in Delhi, is allowed to avail the facility of the hostel by producing a Scheduled Caste/Tribe Certificate from the competent authority of that particular State from where he has come for education in Delhi.
- (iv) The Working Group found that most of the higher education institutions are located in the North or South of Delhi whereas the hostel is situated in the extreme eastern part of Delhi. It is too cumbersome to perform journey from Dilshad Garden to colleges located in the North or in the South as it not only involves heavy expenditure in transport but entails lot of time also which the students can devote to their studies but are forced to spend in journey. For improving response under this scheme, it is proposed to utilize the service of the voluntary organizations involved in the Welfare of SC/ST/OBC/Min. so that the number of SC/ST/OBC/Min. boys seeking admission in the hostel could be raised to at least 100 per year.
- (v) All the facilities in the hostel are provided free of cost. Physical Achievement

Year	No. of Beneficiaries	
	Target	Achievement
2007-08	100	100
2008-09	100	100
2009-10	100	101
2010-11	100	99
2011-12	100	100
2012-13	103	103
2013-14	103	103
2014.15	103	103
2015-16	103	

9.6. Hostel for SC/ST/OBC/Min. Girls at Dilshad Garden

Plan Outlay

XII FYP : Rs. 80.00 Lakh

Approved Annual Plan 2015-16 : Rs. 30.00 Lakh

Objectives:

The 1991 Census had revealed that the overall literacy rate in Delhi has been increasing constantly and the literacy rate amongst the Scheduled Castes also has increased over the last decade but the literacy rate amongst the females is still on a very low side because congenial environment for studies is not generally available in their small houses and as compared to boys, the girls have to perform daily home chores also and thus much of their time goes therein with the result their studies are adversely affected. This state of affairs needs to be corrected. Therefore, objective of the scheme is to provide congenial study environment to the SC/ST/OBC/Min. girls by providing them hostel facilities, where they could devote their full time and

energy in pursuit of education. The intake capacity of this hostel is 70 girl students. The income limits as prescribed for SC/ST/OBC/Min. boys hostel is applicable in case of girls hostel also.

Achievements

There was lack of response and number of inmates has been below 30 2001-02. To augment in the intake the services of the voluntary organizations and others were availed so as to prompt the parents of the SC/ST girls to send their girl wards to this hostel. This has resulted in positive. Efforts are also being made to accommodate OBC/Min. girls students.

Physical Achievement:

Year	No. of Beneficiaries	
	Target	Achievement
2007-08	70	25
2008-09	77	33
2009-10	70	55
2010-11	70	50
2011-12	70	60
2012-13	60	60
2013-14	60	60
2014-15	60	60
2015-16	60	

9.7. Pre Exam Coaching for SC/ST/OBC/Minority

Plan Outlay

XII FYP : Rs. 10.00 Lakh

Approved Annual Plan 2015-16 : Rs.10.00 Lakh

Token provision has been kept. However scheme is being implemented in Non-Plan

At present only one Pre Examination Centre is providing Pre- Examination Coaching facilities to SC/ST/OBC/MIN. for various Group -B & Group-C job oriented course under the Central Sponsored Scheme of Ministry of Social Justice & Empowerment for obtaining jobs in Central Govt./Delhi Govt/Semi Govt./Under Taking/Banks etc. This is a unique coaching centre in Delhi which is situated in Karol Bagh and run by NCT of Delhi, through its department i.e. Deptt. for the welfare of SC/ST/OBC/Min.

The AR Deptt. has conducted a study in July 2011 for creation of posts for smooth functioning of the Pre-Examination Coaching Centre. In the report it was suggested that:-

1. At least three more centers on this pattern should be opened one in EAST Delhi, one for NORTH Delhi and one in SOUTH Delhi to begin with. The feasibility of utilizing educational institution providing of Govt. Schools. It is may be explored.
2. In the long run each District should have one PECC for imparting training to SC/ST/OBC/MIN. so that these institutes are not only able to cover a vast number of recruitment examinations conducted by the various recruitment bodies but also ensures better results in the recruitment process.

To open one PECC each in East, South & North, the following staffs are required for setting up the Pre-Examination Centre.

- | | |
|--|----|
| 1. Part Time Tutor | 12 |
| 2. Part time Librarian for Hdqtr. | 01 |
| 3. Peon (Outsource) including 02 for Hdqtr. | 05 |
| 4. Safai Karamchari (Outsource) including 02 for Hdqtr | 05 |
| 5. Security Guard (Outsource) including 01 for Hdqtr | 04 |
| 6. Data Entry operator for Hdqtr. | 02 |

Pre Examination coaching Centre at Karol Bagh is a Centrally Sponsored Schemes but for the year 2006, No funds have been received from Govt. of India. The Expenditure of the above said posts will be met out from the Plan Scheme Pre - Examination Coaching for SC/ST/OBC/MIN. for which an amount of Rs. 10.00 Lakh is proposed for Annual plan 2015-16.

9.8. Dr. B.R. Ambedkar State Award for the toppers amongst the SC/ST/OBC/Minorities students in professional/ Technical Degree Courses

Plan Outlay

XII FYP	:	Rs.35.00 Lakh
Approved Annual Plan 2015-16	:	Rs.4.00 Lakh

Objectives:

The objective of the scheme is to encourage the students belonging to SC/ST/OBC/Minorities communities for distinguished academic achievements in each field of professional and technical studies.

The State awards is given to those students belonging to SC/ST/OBC/Minorities who, during their studies in various professional/technical degree courses of the following institutions either sponsored or run by the Govt., top the list of examinees of their final year exams:

- (a) Delhi technological University earlier Delhi College of Engineering, (b) Netaji Subhash Institute of Technology earlier Delhi Institute of Technology, (c) Maulana Azad Medical College, (d) University College of Medical Sciences, (e) Delhi Institute of Pharmacological Science & Research (DIPSAR) Delhi College of Pharmacy, (f) College of Art, (g) Nehru Homeopathic College and Hospital, (h) Jamia Millia University, (i) Hamdard University, (j) All India Institute of Medical Sciences, (k) Indian Institute of Agriculture research, (l) Dr. Sucheta Kriplani Medical College, (m) A&U Tibbia College, (n) Indira Gandhi National Open University, (o) GGS I.P. University.

Eligibility Criteria:

1. The student should belong to SC/ST/OBC/Minorities category and in support thereof must produce Caste certificate issued by the competent authority of Delhi. However, on the basis of a meeting held in the chamber of Chief Secretary on 04.11.2011, there should not be any discrimination on the basis of Caste issuing authority and benefit of the scheme is to be provided to all SCs residing in Delhi whether they are original residents or migrants from other States. Further, where the student is not having Caste Certificate in his own name, his father's Certificate may be accepted for availing the benefit.
2. The student must have passed his/her 10th and 12th class from Delhi.
3. The award is given to a student, who tops in each discipline of the professional/ technical degree course.
4. The topper student is awarded only once after passing out of the final examination of the course.
5. The award is conferred among the toppers of all professional / technical courses conducted by the institution/ universities.
6. Being a merit based award, no family income limit has been laid down.
7. Students receiving scholarship under Centrally Sponsored Scheme Post Matric Scholarship' or any other scholarship are also eligible for award under this Scheme.
8. The award is available separately for each community.
9. The Working group, Planning Commission while discussing the draft Annual Plan 2008-09 of NCT of Delhi on 7.4.2008 opined that:

"The ongoing schemes of "merit scholarship and "state awards to toppers" are great boon to attract the students belonging to SCs. This will not only

improve the performance of SC boys and girls but also keep their ambition high. Therefore, the students should not be debarred to get merit scholarship in addition to the stipend being provided by the Government in general to all the students and in particular to Scheduled Castes".

Accordingly, the students getting stipend from the institution / Government during the course of study are also eligible to get the award.

An amount of Rs. 8000/- is given as award to each topper of various disciplines of professional/technical degree courses. The awards are collected from each institution and the amount of the award is released by this Department to head of the respective institutions for further distribution to the students.

Physical Achievement:

Year	No. of Beneficiaries	
	Target	Achievement
2007-08	60	16
2008-09	60	34
2009-10	45	9
2010-11	36	24
2011-12	36	32

9.9 Reimbursement of Tuition Fee to the Students belonging to SC/ST/OBC/Minority studying in Public Schools

Plan Outlay

XII FYP	:	Rs.4000.00 Lakh
Approved Annual Plan 2015-16	:	Rs.3000.00 Lakh

under this component, talented/meritorious students of SC/ST/OBC/Min. communities who are either already studying or wish to seek admission in recognized public/convent schools as day scholars on the strength of their merits but whose parents find it difficult to cope with their educational expenses due to financial constraints, will get reimbursement of their school fees including tuition fee, sports, science, lab, co-curricular/admission fee etc. However, SC/ST/OBC/Min. students belonging to the creamy layer will not be eligible for such benefits. Also repeaters in a particular class will not be eligible for such benefits for that particular year.

The SC/ST/OBC/Min. students studying in Ist to Vth will be entitled to get reimbursement of tuition fee and other compulsory fee irrespective of the percentage of marks, keeping in view the policy of the Govt. for promoting all students from class Ist to Vth. But in case of students studying VI to XII tuition and other compulsory fee will be reimbursed to only those students scoring 50% and above marks and having attendance not less than 80% in the proceeding years.

The reimbursement is 100% to the students whose family income do not exceed Rs. 60,000/- per annum. In case of students whose family income is more than Rs. 60,000/- & below Rs. 2.00 lakh per annum, 75% of the fees is reimbursed.

As per recommendation of the Working Group constituted for formulation of 11th Five Year Plan, the benefit of this scheme are extended to OBC and Minority students also. Terms and conditions which are applicable to SC/ST will be the same for OBC and Minority students.

The Department of SC/ST/OBC/Min. Welfare will be free to get the implementation of the scheme approved/evaluated through its own staff or reputed private/Government institutions after regular intervals and carry out such modifications/changes as may be necessary to improve the performance or even discontinue the scheme, if warranted.

Year	No. of Beneficiaries	
	Target	Achievement
2007-08	800	378
2008-09	800	1122
2009-10	1080	2477
2010-11	6000	4567
2011-12	6000	9404
2012-13	6600	6816
2013-14	6600	15442
2014-15	17500	26777
2015-16	30000	

9.10. Construction of Hostels for SC/ST students at Kasturba Balika Vidyalaya, Ishwer Nagar Plan Outlay

Plan Outlay

XII FYP : Rs. 150.00 Lakh

Approved Annual Plan 2015-16 : Nil

The objective of the scheme is to construct an hostel at Kasturba Balika Vidyalaya, Ishwer Nagar for SC Girls students in partnership with an NGO of repute in the academic field.

Proposal has been approved by Planning Department to construct a hostel at Kasturba Balika Vidyalaya, Ishwer Nagar for SC Girls students. An amount of Rs. 414.00 lakhs as the total cost of the project has been sanctioned vide sanction order dated 13.10.2009. The work started w.e.f. 01.04.2011 and the target date of completion of the project was fixed for 30.09.2012 was extended to 31.12.2012. The hostel premises has completed and the girls are residing.

9.11. Multisectoral Programme for Minority Concentration District - State Govt. share

Plan Outlay

XII FYP : Rs.700.00 Lakh

Approved Annual Plan 2015-16 : Rs.300.00 Lakh

Under the scheme, North East Delhi has been identified in NCT of Delhi as Minority Concentrated District (MCD) and Multi Sector Development Plan of Ministry of Minority Affairs of Govt. of India is to be implemented in North East of Delhi for improvement of Backwardness parameter of the district.

The following projects were approved by the Empowerment Committee, Ministry of Minority Affairs:

- i. Construction of additional Class Rooms in seven Sec, Sr. Sec. Girls Schools.
- ii. Construction of separate toilet blocks/improvement of existing ones for girls in seventeen government school.
- iii. Construction of building.
- iv. Procurement of equipment and tools for Nand Nagri ITI.
- v. The Vocational Courses in Govt. Girls Sr. Sec. School.
- vi. Strengthening of water supply scheme at Saboli Bagh.
- vii. Strengthening of water supply scheme at Welcome.
- viii. Construction of secondary school building at Sunder Nagri.
- ix. Construction of secondary school building at Jafrabad.
- x. Construction of dispensary building at Buland Masjid.
- xi. Procurement of four mobile vans for Health services.

The following table gives information of the said scheme and the status of the Multi-Sectoral Development Programme in the North-East District are as follows:

ANNEXURE-1

*Status of Multi Sectoral Development Programme (MSDP), Dist.
North East, Delhi as on 4.06.015.*

(*Rs. in Lakhs)

Sl. No.	Year of Sanction & Name of Project	Name of Implementing Deptt.	Total cost of Project	Approved Central Share	Approved State Share	Physical/ Financial Progress
1	2	3	4	5	6	7
2009-10						
1.	Construction of 80 classrooms in 07 Secondary/ Sr. Sec. Govt. Girls Schools.	Education	725.12 Project 1 & 2	Rs. 310.00 1st installment of Rs.155.00 was released by Ministry on 29-03-2010 but after revalidation the amount released to DSIIDC on 01-12-2010	Rs. 415.12 1st installment of Rs.55.00 was released on 01.10.10	Work/Project Completed
2.	Construction of 17 toilet blocks in Government Girls Schools	Education	Sharing Ration 1-(75:25) 2- (70:30)	U.C. of 1st installment submitted on 16-10-2012 2nd installment of Central Share Rs. 120.00	Escalated cost of Rs. 180.06 was released to DSIIDC on 29.03.12 UC Submitted on 25-02-2013	The DSIIDC has shown a pending balance of Rs.47.20 Lakh, against the projects which is yet to be verified by the

155

03 अग्रहाराण, 1937 (शक)

1	2	3	4	5	6	7
				was released on 30.03.2013. The same was released to Education on 27-08-2013 after revalidation. Clarification of Construction of 10 Toilet Blocks instead of 17 Toilet Blocks was already sent to Ministry on 19-08-2013. Reply Awaited.	2nd installment of State Share of Rs150.00 was released on 30.03.2013 and revalidated on 09/07/2013	Education Department
2010-11						
3 & 4	Strengthening of water supply scheme in Saboli Bagh and Welcome	DJB	Rs.130.00 (Sharing Ratio (75:25)	Rs 97.50 1st Installment of Rs. 48.75 was released by the Ministry on 06.01.2011 and released to DJB on 21.06.2011 U.C. of 1st installment submitted on 10-01-2013. UC of State Share pending DJB does not require 2nd installment.	Rs.32.50 1st installment of Rs.16.25 was released to DJB on 31.03.2011	Work/Project Completed
2011-12						
5	Construction of	Education	Rs.550.46	Rs.412.84	Rs.137.62	Work/Project

156

24 फरवरी, 2015

	Sec. School Building at Sunder Nagri. (52 Class Rooms 8 Toilet)		Sharing Ratio (75:25)	1st installment of Rs.206.42 was released by Ministry to us on 29.11.2011 and the same was released to Education Department on 13.08.12. UC of Rs.206.42 submitted on 06.01.2014 UC of State Share pending	1st installment of Rs.68.80 was released to Education on 13/08/12. IInd installment of Rs.68.80 lakhs released to Education Department as on 22.12.2014	Completed
				Rs. 206.42 2nd Installment was released on 07-03-2014 but the same was not utilized in 2013-14 and the revalidation of IInd Installment has been received from Govt. of India on 11-09-2014 and release/ authorization of funds under MsDP to Education Department as on 22/12/2014.		
6.	Construction of Sec. School Building at Jafrabad. (32 Class Rooms & 5 Toilets)	Education	Rs. 388.66 Sharing Ration (75:25)	Rs. 291.50 1st installment of Rs.145.75 was released by Ministry to us on 29.11.2011 and the same was released to Education on 13.08.12. UC of Rs. 145.75 submitted on 06.01.2014	Rs. 97.16 1st installment of Rs.48.58 was released to Education on 13/08/12. 2nd installment of Rs.45.6 lacs released to Education department as on	Work/ Project Completed

1	2	3	4	5	6	7
				UC of State Share pending 22/12/2014. Rs. 145.75 2nd Installment was released on 07-03-2014 but the same was not utilize in 2013-14 the revalidation of IInd Installment has been received from Govt. of India on 11-09-2014 and release/ authorization of funds under MsDP to Education Department as on 22/12/2014.		
7.	Construction of Dispensary Building at Buland Masjid	DHS	Rs. 441.00 Sharing Ratio (75:25)	Rs.374.85 1st installment of Rs. 187.43 was released by the Ministry on 29.02.2012 and the same was released to DHS on 13.08.12 but the same was not utilized. The revalidation of 1st Installment of Rs.187.43 from Govt. of India has been received 11-09-2014 and released funds to DHS as on 04/12/2014.	Rs.66.15 1st installment of Rs. 33.06 was released to DHS on 13/08/2012. But the same was not utilized and revalidate as on 11-09-2011 and released Rs. 33.06 to DHS as on 04-12-2014.	Physical Progress: Building Plan approved by MCD on 09-12-2013. Construction not started. Financial Progress: NIL Tentative Target Date: July 2016.

158

24 नवम्बर, 2015

8.	Vocational Training Courses in 10 Govt. Girls Sr. Sec. Schools of North East District	Education DD (NE)	283.37 Sharing Ratio (100: 00)	Rs.283.37 1st installment of 141.68 was released by Ministry to us on 29.02.12 and the same was released to Education Dept. on 13.08.2012. But the same was not utilized. The revalidation of 1st installment has been received from Govt. of India on 11-09-2014 and release to Education Department on 04-12-2014.	N/A	Physical Progress: NIL Financial Progress: Tentative Target Date: June, 2015.
2012-13						
9.	Construction of women wing in ITI Nand Nagri.	Training and Technical Education	Rs.294.18 Sharing Ratio (100:00)	Rs. 294.18 Initially total cost of Rs. 158.94 was approved and 1st installment of Rs. 79.47 was released on 21.09.2011. Thereafter the T&TE revised the proposal and Ministry approved the revised proposal of Rs.294.18 and released the 1st installment of Rs. 145.77 on 5.10.2012	N/A	Physical Progress: 100% work done. Financial Progress: 144.45 Lakh Target Date: Work is completed The building is likely to be handed over to TTE.

159

03 अगस्त, 1937 (शक)

1	2	3	4	5	6	7
				and revalidated Rs. 144.45 which was released to T&TE on 13.09.2013.		
				UC of 1st Installment submitted to Ministry on 21-05-2014. The Proposal for release of 2nd installment sent to GOI as on 21-01-2015.		
10.	Machinery, Tools & Equipments in ITI Nand Nagri (Without 22 split AC's)	Training and Technical Education	Rs. 60.00 Sharing Ratio (100:00)	Rs. 60.00 1st installment of Rs.30.00 was released by Ministry to us on 17.11.2011 and revised the estimates on 5.10.2012 The Ministry has revalidated the fund and released to T&TE. on 13.09.2013. The funds are not utilized in financial year 2013-14 and request for revalidation has already been send to GOI which is still awaited and revalidated at the end of March 2014 by Ministry of Minorities, therefore,	N/A	Physical Progress: The funds are not utilized in financial year 2013-14 and request for revalidation has already been send to GOI which is still awaited.

				the fund could not be released to PTE and the request sent to GOI for revalidate the fund. Now the fund revalidate as on 19.5.2015 by Ministry. The file is submitted to Plan/Finance for approval.			
11	Procurement of 4 MMUs by Health services	DHS	Rs.72.00 Sharing Ration (85:15)	Rs.61.20 Initially the total cost was 228.00 on the request of DHS the Ministry approved revised proposal of Rs.72.00 and released the 1st installment of Central Share of Rs.30.60 on 5.10.2012. On the request of DHS Ministry has revalidated the fund on 13.09.2013. The implementing agency couldn't utilize the funds during 2013-14. The funds has revalidated by the Ministry for 2014-15 and release/ authorization Rs.30.60 off funds under MsDP of DHS as on 22/12/2014	Rs.10.80 1st installment of Rs.5.40 released on 01.02.2013. On the request of DHS the Finance Dept. has also revalidated the State Share on 16-12-2013. The revalidated of Rs.5.40 Lakhs as 1st installment is released as on 22/12/2014.	Physical Progress: 2. MMUs Purchased and operationalized. Payment yet to be made by the DHS. Financial Progress: NIL Tentative Target Date: June 2015	

161

03 अग्रहाराण, 1937 (शक)

1	2	3	4	5	6	7
12	Construction of 20 Additional Class Rooms, 2 Toilet Blocks 4 Labs, 3 Staircases in Sr. Sec. School Sunder Nagri	Education	307.98 Sharing Ratio (85:15) & (70:30)	229.855 1st installment of Rs. 83.75 was released by Ministry on 08-03-2013 and the same was released to the Education on 23.08. 2013. UC of 1st installment submitted to the Ministry. 2nd installment of Rs. 114.9275 has been released vide letter No-FN-3(6)(1) 2008-PP-I dated 21-10-14 vide cheque no 264495 dated 29-9-14 the same was released to Education Department on 02/02/2015	78.125 1st installment of Rs.26.04167 was released by us on 23.08. 2013. 2nd Installment of Rs. 39 Lakhs release to Education Department as on 28/01/2015.	Physical Progress: 100% Progress: Financial 109.79 Lakh Target Date: Work has already been completed. The building was handed over to Education Department on 1st week of August 2014

The following new proposals have already been unanimously approved by the District Level Committee and send to planning Branch for planning department for Comments:

1. World class skill Centre	Rs.33.60 lac
2. Construction of 02 dhalaw	Rs. 207.44 lac
3. Multi skill Training Centre	Rs. 1585.00 lac
4. CE Programme run by National Institute of Fashion Technology	Rs. 120.00 lac
Total	Rs. 1946.04 lac

Rs.19.46 crore

9.12. Setting up of Educational Hub for scheduled caste Plan Outlay

XII FYP : Rs. 950.00 Lakh

Approved Annual Plan 2015-1 : Rs. 10.00 Lakh (Capital Rs.75.00 Lakhs)

The Planning Commission, Government of India in the year 2006 issued guidelines for implementation of SCSP suggesting to set up Educational Complex and Training Colleges for Vocational Courses like Nursing, ANM, Physiotherapist, Technician and Radiologist etc. The Government of NCT of Delhi found that there is sufficient land gaon sabha at Village Bakkarwala previously allotted to Transport Department for setting up of a DTC Depot. Later on, this idea was dropped by Transport Department. On the subject matter, series of meeting were convened by the Office of Chief Secretary, Delhi. In the meeting held under the chairmanship on 30.12.2010, it was decided that out of 20 acres of land allotted to DTC and Transport Department, 10 acres would be allotted to SC/ST Department subject to their submitting a note to the Revenue Department about the need of land for the project and another 11 acres be allotted to TTE Department for setting up an ITI. Accordingly,

Revenue Department was requested to take necessary action for allotment of land to this department and intimate the cost of the same. Further, vide letter dated 24.01.2012, the Director (Panchayat), has conveyed the approval of Hon'ble Lt. Governor, Delhi for allotment of 53 Bigha 16 Biswa of Gaon Sabha Land in Village Bakkarwala (District West) to this department for setting up of composite project for SC/ST training subject to the terms and conditions as specified in the above said communication for Director (Panchayat). As per terms and conditions, this department/lease shall pay premium of Rs. 8,97,82,000/- calculated Rs. 81.62 lakhs per acre and ground rent of Rs. 22,44,550/- calculated @ 2.5% of premium money per year before taking possession of land and the payment shall be made in favour of gaon sabha, village Bakkarwala, District - West later on it was decided to allot a land to this Deptt on free of cost i.e. on lease free cost basis. But due to encroachment on land, the Deptt. has not taken possession of the land. The chief secretary, Delhi had made a visit at village Bakarwala on 18/5/2013 and directed the BDO (West) to modify the allotment after adjusting the encroached land, as per direction the BDO (West) has inspected the Land and adjusted the encroachment Land the demarcation worked has been completed in the presence of the officers of the concerned Deptt. Now the decision is yet to be taken for construction of Education Hub at Bakkarwala or other place like Sultan Pur Mazra Delhi and the meeting has been convened with the Hon'ble Minister for allotment of land at Sultanpur Mazra Delhi. In the meeting it was decided to write a letter to the DUSIIB for allotment of land as the land belongs to DUSIIB. A letter has been sent to the DSUIIB for NOC.

Economic Development

9.13. Financial assistance/Loan to SC/ST/OBC/Min./Safai Karamchari/ Handicapped for self-employment/training through DSFDC

Plan Outlay

XII FYP	:	Rs.600.00 Lakhs
Approved Annual Plan 2015-16	:	Rs. 55.00 Lakhs

This Corporation was set up by the Govt. of Delhi with the main objective of all round economic development and upliftment of members of Scheduled Castes Community living in NCT of Delhi.

Delhi Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Minorities and Handicapped Finance and Development Corporation Limited (D.S.F.D.C.) is a state owned Corporation to formulate and implement income generating schemes for all round upliftment and development of the target group beneficiaries. This Corporation has also been designated as State Channelizing Agency (SCA) in National Capital Territory of Delhi for National Apex Corporations viz. NSFDC, NSTFDC, NBCFDC, NMDFC, NSKFDC and NHFDC. Hence, any eligible prospective beneficiary can apply for financial assistance under any schemes for income generating purposes. Accordingly, DSFDC has set-up an Entrepreneur Guidance Cell at the Head Office which functions from 10: A.M. to 3:00 P.M. for dissemination of information in the most precise and lucid manner. Forms are issued "free of cost", from all the three Zonal/Branch Offices under all Schemes and under Delhi Swarojgar Yojana the cost of the form is Rs. 100/-. The forms are available from:

- Br. Office West Zone Mangolpuri, A-33-38, B-Block Lal Bldg., Near Police Station, Mangol Puri, Delhi. Ph. No. 27916225 (catering to West District, South West district and North West District, prominent areas covered are Mangol Puri, Sultan Puri, Rohini, Bawana, Nazafgarh etc.)
- Br. Office East Zone located at A-Block, First Floor, Bunkar Complex, Dy. Commissioner office (North East), Near Gagan Cinema, Nagri, Delhi. Ph. No. 22137953 (catering to area falling predominantly under Trans Yamuna i.e. covering East District and North East District).
- Br. Office Central Zone located at 2, Battery Lane, Rajpur road, Delhi 110054. Ph. No. 23925477 (Central District, New Delhi District, Sought District and North District, prominent area covered are Azad Mkt., Gole Mkt, Ambedkar Nagar and Timar pur etc.) and at Head Quarters (Ambedkar Bhawan, Sector-16, Rohini, Delhi).
- Br. Office Ambedkar Bhawan, Sector-16, Rohini, Delhi.

The details of activities being performed by DSCFDC are as under:-

Educational Loan Scheme

Objectives: DSFDC launched a new Education Loan Scheme for SC/ST/OBC/Minorities & Handicapped students for pursuing professional and technical education through recognized institutions in the country and abroad. The salient features of the scheme are given below:

Eligibility:

- a. The applicant must be a permanent resident of Delhi and should belong to SC/ST/OBC/ Minority community for which a caste certificate issued by the Office of the SDM concerned shall be required.
- b. Parents/guardian should have regular source of income and in case of Government servant, he/she must have 15/20 years of service left and shall have to submit a certificate from his/her Department to this effect.
- c. Annual income of parents/guardian should be below Rs. 5,00,000/- (Rupees five lakhs only) for which an income certificate issued by the Office of the SDM concerned shall be required.
- d. The applicant must have got admission in recognized/Govt./Technical Institution anywhere in India. The applicant shall have to submit all relevant certificate and documents as per check list to be provided along with loan application form while submitting the same with DSFDC.

Type of Loan:

Term Loan.

Borrower:

Students and parent/guardian jointly.

Amount of Loan:

Need based finance subject to the repaying capacity of the parents/students with the following ceilings-

- | | | | |
|-----|------------------|---|------------------------|
| i) | Studies in India | - | Maximum Rs. 7.50 lakhs |
| ii) | Studies abroad | - | Maximum Rs.15.00 lakhs |

Promoter's Contribution:

- i) Upto Rs. 4.00 lakhs - Nil
- ii) Above Rs. 4.00 lakhs for course in India - 5%
- iii) Above Rs. 4.00 lakhs for courses abroad - 15%

Rate of Interest:

- i) Upto Rs. 50,000/- Nil
- ii) Above Rs. 50,000/- and upto Rs. 5.00 lakhs- 6%
- iii) Above Rs. 5.00 lakhs- 8%

Repayment of Loan:

- (i) The loan to be repaid within 10 years after commencement of repayment or the date of employment whichever is earlier.
- (ii) The repayment as per repayment schedule would commence 6 months after the date of scheduled completion of the course or on getting the job whichever is earlier.
- (iii) Interest on term loan would be charged from the date of disbursement of loan.
- (iv) The beneficiary will submit a copy of marks sheet after every term/semester to the DSFDC.

Eligible Courses:

- (i) The course of study should have good potential in the job market.

- (ii) The duration of the course should not exceed 5 years, however, shorter duration courses will be preferred.
- (iii) The College/Institute should have offered the courses for at least 3 years and should be recognized by the Central/State Government or by appropriate authority such as AITCE.

Purpose of the Loan:

Loan will be admissible for expenditure on the following items:

- i) Admission fee and tuition fee.
- ii) Cost of books, stationery and other instruments required for the course.
- iii) Examination fee.
- iv) Boarding and lodging expenses.

Terms of Release of Loan:

The loan will be released in the beginning of each trimester/semester/year ON FIRST COME FIRST SERVE BASIS. The portion of payment required to be made to the college/institute will be released directly through cheque in the name of the institute/college on production of demand note within 10-15 days and the remaining sum will be paid to the candidates through cheque as and when due.

For availing loan in the subsequent term, the candidate will approach the DSFDC with a letter from the institute/college stating that he/she has successfully completed the last term and has been admitted in the subsequent term. The details of estimated expenditure for the new term under consideration will also be enclosed with the letter. DSFDC will release portion of the funds required to be released to the institute through cheque and provide the remaining sum to the candidates through cheques.

Pattern of Financing:

The scheme will be 100% funded by Delhi Government. In case of candidates

belonging to the physically handicapped, the scheme will be implemented in collaboration with National Handicapped Financial & Development Corporation respectively as per their terms & conditions of eligibility etc. and in those cases the scheme will be 100% funded by their respective Apex Corporation.

Moratorium Period:

The repayment of interest & principle amount would start after a moratorium of 6 months from the date of completion of the course or getting employment whichever is earlier.

Security:

1. Parent/guardian of the applicant will be taken as co-borrower.
2. Approved securities equal to the value of the loan such as UTI/NSC/Public Sector bonds etc.

OR

Creation of mortgage of immovable property equal in value of loan amount.

OR

Personal surety of permanent employee working in government/PSU/Banks/Autonomous Bodies. The employees should have sufficient years in service to cover the amount being sanctioned as loan. A certificate will be obtained from the surety provider that in the event of default, the repayment would be made by him or her.

3. Post Dated Cheques towards repayment of loan.

COMPOSITE LOAN SCHEME

The Corporation has implementing Composite Loan Scheme, upto the loan limit of Rs. 1,00,000/- wherein the loan is sanctioned/disbursed at the earliest subject to completion of required formalities prescribed by the Corporation in persons of all categories viz SC/ST/OBC/Minorities, Safai Karamcharis & Handicapped who are living below the poverty line in the NCT of Delhi. The loan is provided on need

based for various income generating activities viz. Grocery Shop, Kiryana Shop, Cable TV, Bakery etc. The annual family income of the applicant should not exceed Rs.55,000/- under all loan schemes except handicapped scheme where in the income ceiling is Rs.1.00 lakh per annum in urban and Rs.80,000/- per annum in rural area.

The Age of the applicant should be between 18-50 years. DSCFDC has revised the pattern and prepared the scheme activity-wise during 11th Five Year Plan. Loan is to be recovered in 45 monthly installments spread with a moratorium of 6 months period.

Pattern of Financing:

Particular	SC/ST	OBC/Minorities/ Safai Karamchari
Term Loan (NSFDC)	70% @ 6-9%	85% @ 6-7%
Margin Money (DSCFDC)	20% @ 4%	10% @ 4%
Applicant Share	10%	5%
Subsidy	10,000 (only to SC Candidate)	

B. Financial Assistance for purpose of Light Commercial Vehicles like DLY Taxies, TATA-407, Tempo Travellers, Passenger Vehicle (CNG), Loading Vehicles etc.

The main objective of this scheme is providing financial assistance in the form of loan to SC/ST/OBC/Minorities & Safai Karamcharis persons for purchase of light Commercial vehicles like LCV/DLY Taxies, Tata - 407, Tempo Travelers, Passengers vehicle (CNG), Loading Vehicles etc. to help them become self-employed at a very nominal rate of interest. Age of the applicant should be between 18 years

to 45 years. The annual family income of the applicant should not exceed Rs. 55,000/-. Loan is recovered in 60 monthly installments spread over a period of 5 years & 6 months including a moratorium period of six months at the beginning. The applicant must have a commercial LMV driving licence & badge in his own name.

Pattern of Financing:

Particular	SC/ST	OBC/Minorities / Safai Karamchari
Term Loan (NSFDC)	70% @ 6-9%	85% @ 6-7%
Margin Money (DSCFDC)	20% @ 4%	10% @ 4%
Applicant Share	10%	5%
Subsidy	10,000 (only to SC Candidate)	

C. Financial Assistance for purpose of purchase of CNG Three-Wheeler Scooter

The objectives of the scheme is to provided financial assistance to SC/ST/ OBC/Minorities & Safai Karamcharis persons for purchase of CNG Three Wheeler Scooters so as to help them become self employed at a very nominal rate of interest subject to availability of permission and permits provided by of the Transport Department, Govt. of NCT of Delhi. Age of the applicant should be between 18 years to 45 years. The annual family income of the applicant should not exceed Rs. 55,000/-. Loan is recovered in 60 monthly installments spread over a period of 5 years & 6 months including a moratorium period of six months at the beginning. The applicant must have a commercial driving license & badge in his own name. Loan is recovered in 60 monthly installments spread over a period of 5 years & 6 months including a moratorium period of six months at the beginning.

Pattern of Financing:

Particular	SC/ST	OBC/Minorities / Safai Karamchari
Term Loan (NSFDC)	70% @ 6-9%	85% @ 6-7%
Margin Money (DSCFDC)	20% @ 4%	10% @ 4%
Applicant Share	10%	5%
Subsidy	10,000 (only to SC Candidate)	

D. Big Loan /Industrial Loan / Service Sector Loan Project Costing Upto Rs.5.00 Lakhs

The objectives of the scheme is to provide financial assistance to SC/ST/OBC/Minorities & Safai Karamcharis persons for setting up various economic activities as mentioned below at very nominal rate of interest:

- Agriculture & Allied Activities: Dairy farming, Poultry Farming, Horticulture, Pig Farming, Mushroom farming, Floriculture, Nursery.
- Traditional Occupation: Washermen, Tailoring, Manufacturing of Handicraft item, Shoe Making.
- Small Scale and Tiny Industries: Any small scale industry.
- Other income generating activities like Tent House, AC workshop, Hardware shop, Beauty Parlour/Sallon etc.

Under this scheme, age of the applicant should be between 18 years to 50 years. The annual family income of the applicant should not exceed Rs.55,000/-. The applicant should have a valid permission like SSI Certificate, Pollution Control Certificate, etc. Loan is recovered in 60 installment spread over a period of 5 years and 6 months including a moratorium period of six months at the beginning.

In the above mentioned scheme of DSCFDC, the following Pattern of financing has been adopted for granting loan/assistance.

Particular	SC/ST	OBC/Minorities / Safai Karamchari
Term Loan (NSFDC)	70% @ 6-9%	85% @ 6-7%
Margin Money (DSCFDC)	20% @ 4%	10% @ 4%
Applicant Share	10%	5%
Subsidy	10,000 (only to SC Candidate)	

E. Providing Vocational Training to youths belonging to economically backward Classes including SC/ST/OBC/Min./SKs under Rehabilitation Programme.

The DSFDC has recently introduced a scheme of Vocational Training for persons belonging to SC/ST/OBC/MIN/SKD to develop their skills and knowledge in particulars trades with a view to make them competent for wage employment as well as self-employment. During the past few years the Corporation had been imparting training to the SC Youths in Computers Software, Electrical component, Beauty Parlours, cutting & Tailoring, Scooter & Motor Cycles Repairing, Electrical Gadgets, Repair of Refrigerator and Air Conditioning etc. through various reputed institutions as well as NGOs. Very recently, DSCFDC has been providing training to SC/ST/OBC youth in collaboration with Apex Corporations and in tie up with Government institutions like ATDC, NSIC and CIDC etc. The average expenditure per trainee varies from Rs.8000/- to Rs. 21000/-. In the financial year 2007-08, one time grant of Rs.30.00 lakh has been given to DSCFDC for procurement of sophisticated machinery and equipments for setting up an Apparel Training and Design Centre (ATDC) by the Apparel Export Promotion Council (AEPC) in the premises of DSCFDC. The objective of this training centre is to provide skill, training

and up gradation. The Apparel Training & Design Centre will run six courses for different duration ranging from 3 months to one year for benefit of candidates from all over Delhi including Savda Gherva slum dwellers for which it was originally planned. Through CIDC vocational courses in 8 different trades of 3 months duration are run. However, in the first instance only three to four vocational courses are taken up through NSIC.

Health, Housing & Others:

As per recommendation of the Working Group constituted for preparing the Eleventh Five Year Plan the scheme "Subsidy for Housing, Water/Electric Connections to SCs. In rural/urban areas" under the head "Improvement of living conditions of SCs. In Rural/Urban areas" has been dropped. As per advice of the Planning Department, Govt. of NCT of Delhi, above scheme has been amended as "Funding of 50% share by the Government towards development charges for electrification of un-electrified house-side/colonies allotted under 20 Point Programme. On the basis of the recommendation provision to provide basic amenities including electrification, water supply and sewage system has been included in the scheme.

9.14. Dilli Swarojgar Yojna For SC/ST/OBC/Min.

Plan Outlay

XII FYP	:	Rs. 10000.00 Lakhs
Approved Annual Plan 2015-16	:	Rs. 600.00 Lakhs (300+300)

The Deptt. for the Welfare of SC/ST/OBC/Minorities, GNCTD has launched a new plan scheme for providing opportunities for employment to the SC/ST/OBC/Min. The scheme to be known as "Dilli Swarojgar Yojna for SC/ST/OBC/Minorities". Under this scheme a loan up to Rs. 5.00 lakh will be provided to an entrepreneur willing to start a venture in Delhi. The eligibility criteria of the scheme has been finalized and a proposal is under process to relax the terms and conditions of the scheme i.e. relaxation with regard to government guarantor.

An amount of Rs. 50.00 crores has already been released to Delhi SC/ST/OBC/Minorities & Handicapped Financial & Development Corporation (DSFDC) for the annual plan 2012-13. The scheme has already been taken for implementation by DSFDC. The implementing agency has created corpus fund of the amount released by the government and the loan to the beneficiaries will be given out of the interest income of the corpus fund created for the purpose.

Since, the rise in the cost of living and dearness/inflation, the response under the Composite Loan Scheme, as already implemented by the Corporation, was very poor and the national level Apex Corporation showed its inability to provide more fund and thus, to promote self employment, a new State Level Plan Scheme named "Dilli Swarojgar Yojna" has been chalked out and raise the limit from Rs. 1,00,000/- to Rs. 5,00,000/-.

The main objective of introducing of this scheme is to provide financial assistance/loan to the members of Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes and Minorities, whose annual family income from all sources does not exceed Rs. 2,00,000/- at a concessional/subsidized rate of interest for starting any income generating non-polluting permissible activities.

The eligibility criteria under the scheme is that the applicant must belong to SC/ST/OBC/ Minority group must be a resident of Delhi at least for last five years and should be between the age from 18 to 50 years. Further, to start the proposed activity, proper place either own or rented or allotted and should not have been declared defaulter under any of the schemes being implemented by the Corporation.

The funding pattern under the scheme is as under:

Particulars	Amount (Rs.)	%age
Term Loan	Rs. 4,40,000/-	88%
Borrower's contribution	Rs. 50,000/-	10%
Subsidy	50% of the loan or Rs. 10,000/- whichever is less	02%
Total	Rs. 5,00,000/-	100%

The term loan shall have to be returned in 60 equated monthly installments with simple/reducing rate of interest @ 6% p.a. after a moratorium period of six months. In case of prolonged default of more than 4 months, penal interest of 2% p.a. shall also be charged on default amount and the recovery shall be made as Arrears of Land Revenue.

To avail the loan, an application in prescribed form, which can be obtained either from Head Office or its branches on payment of Rs. 100 or can be downloaded from official website of the Corporation and should be accompanied with a pay order of Rs. 100 drawn in favour of DSFDC. Further, a pay order for a sum of Rs. 500 should also be drawn in favour of DSFDC payable at Delhi towards processing fees, being paid by the applicant. Surety of regular government servants posted in Delhi or National Capital Region, who have at least six years remaining length to meet out EMI in case default by the applicant as detailed below:

OR

The original documents of moveable/immoveable property having face value/cost to an extent of 75% of the loan for mortgage

For loan up to Rs. 3,00,000/-

One surety in case of Group A or B category and two sureties in case of Group C & D category.

For loan exceeding Rs. 3,00,000/-

Two sureties in case of Group A or B category and four sureties in case of C & D category.

Other terms and conditions vis-a-vis the documents/formalities required for availing loan from the Corporation shall remain the same as in case of Composite Loan Scheme.

9.15. Improvement of living condition of SCs. In rural/urban areas ("Funding of 50% share by the Government towards development charges for electrification of un-electrified house-side/colonies allotted under 20 Point Programme)

Plan Outlay

XII FYP : Rs. 25.00 Lakhs

Approved Annual Plan 2015-16 : Rs. 1.00 Lakhs

As per Government of Delhi for electrification of house sites allotted under the 20 Point Programme no development charges are to be recovered from original allottees. It was originally decided to place the funds at the disposal of Department for the Welfare of SC/ST/OBC/Min.

As per details of the scheme, the DISCOMS after receiving the verified list and development charges from Department for the Welfare of SC/ST/OBC/Min. shall immediately provide electricity connection to the allottees. Advance Consumption Deposit @ 2000/- and Security Deposit @600/ per allottees shall be separately charged by DISCOMS and Welfare of SC/ST/OBC/Min. Department and will provide the list to Welfare of SC/ST/OBC/Min. Department. Efforts are being made by the Department to procure list of beneficiaries under 20 point programme from Block Development Offices. The office of B.D.O.-West and East have only responded. Further, the Department is in contact with other B.D.O. Offices for obtaining the list of beneficiaries related to them.

9.16. Institution of Dr. Ambedkar Ratan Award**Plan Outlay**

XII FYP : Rs.20.00 Lakh

Approved Annual Plan 2015-16 : Rs. 10.00 Lakh

This is an ongoing scheme, in the memory of Dr. B.R. Ambedkar. "Dr. Ambedkar Ratan Award" includes an amount of Rs.1.00 lakh, a citation and a shawl. The award is given to an eminent personality or institution, who has done pioneering work in the socio-economic development of the Scheduled Caste in Delhi. A committee of eminent persons is constituted to decide the name of the person or

institution(s) to whom this award will be given. The award is presented by a prominent personality in a function organized for this purpose. The member of the Committee himself would not be entitled for the above said award. Further, member of the Committee is also not authorized to forward the application of a citizen/organization with his recommendation on the application form. On the eve of award distribution function on 1st October, 2012, it was desired that in future **Commendation Certificate** may also be given besides cash award, citation and a shawl as defined above.

The award for the year 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11 and 2011-12 had been distributed to the awardees in a function organized on 1st October, 2012 at Old Secretariat, Delhi presided over by Hon'ble Chief Minister. During the year 2015-16, action for conformant of awards for the year 2012-13, 2013-14 and 2014-15 is proposed to be taken.

9.17. Improvement of SC Basties

Plan Outlay

XII FYP : Rs.20000.00 Lakh

Approved Annual Plan 2015-16 : Rs. 4500.00 Lakh

Objective

This is one of the on-going schemes. Its objective is to improve the living conditions in basties predominantly inhabited by scheduled castes people by carrying out civil works such as repair of chaupals, construction of common bathrooms & community latrines, repair/relying of drains & pavements, construction of bituminous roads or C.C. flooring approach roads or kharanjas as per requirement, repair of SC Dharamshalas etc. This is one of the most popular scheme under this sector and has gone a long way in improving the living conditions in scheduled castes clusters. These works will be carried out in authorised areas/colonies and, if permitted by law, in unauthorised areas/colonies also.

As per CAG recommendations, the scheme has been revised. Revised scheme

is being implemented w.e.f. September, 2005. Guidelines for processing the cases for improvement works are as under:

A1. Improvement works in the SC/ST Basties will be taken up on the request of MLAs, residents or their associations in such Basties, that are certified as SC/ST Basties by the Department for the Welfare of SC/ST/OBC/Minorities on the basis of the 2001 census and local inquiry by the field staff. Prospective beneficiaries will be actively involved in the planning of the works.

2. The community is over a wide range in the Delhi region and over all percentage of the community is around 17-18% in a dispersed pattern of habitation in an urban agglomeration. The basties which have a population of 33% or more of SCs as per the Census Report 2011 will be considered as SC basti including resettlement colonies.

3. The Area/Basti where such improvement works is proposed to be undertaken may be either on private land, Lal Dora/extended Lal Dora or Government land allotted under 20 Point Programme with at least 60-70% built up area .

4. No improvement work shall be recommended/executed in unauthorized SC Basties on public/government land.

B.1. After verification of the position in regard to the points listed under 'A' the Department will send a formal requisition to the Executive Department i.e. Irrigation and Flood Control Department for preparation of formal proposal for the works to be undertaken in a particular area and for submission of estimates of the proposed works. Such requisition should ordinarily be made within 20 days after verification.

2. While preparing the proposal and estimates, the Executing Department/Agency will observe the following:

I. The scope and nature of work(s) to be clearly mentioned and estimates prepared in accordance with the scheduled rates. There will not be any cap-on the estimated cost of any development project nor will there be any limit on the expenditure to be incurred for improvement works in a particular Assembly Constituency.

- II. There should not be any break-up for any project.
 - III. Only the standard materials are to be used and no luxury items or extra materials to be used in any construction.
 - IV. The estimates should be realistic so as to avoid need for subsequent revision.
 - V. A copy of the estimate will be furnished to the Residents Association.
 - VI. After completion of the work, the department will hand over the assets to the identified Association/RWA/Society/Regd. Body/Institution for day to day maintenance. However, major repair works shall be done by the I&FC Department once in two years as per norms followed by the PWD, Delhi Govt. An MOU will be signed between the Department for the Welfare of SC and Residents Association/ Local Committees to this effect.
 - VII. Estimate must be prepared and submitted within one month of requisition.
 - VIII. Electricity bills of the existing Chaupals and Chaupals to be constructed is to be borne by the local Association/Committee to whom the Chaupal has been handed over.
 - IX. The project should be completed within the estimated time and no escalation in the cost or time over-run shall be allowed.
- C.1. The Department on receipt of the proposal will ask the Executive Department for the estimate within 20 days. The Project should be sanctioned on need based on first come first served basis within the total availability of the budgeted amount for this scheme and Executing Department shall submit the estimates within one month of such requisition.
2. On receipt of the estimate, Administrative Approval/Expenditure Sanction shall be conveyed by the Department to the Executing Department within a period of three weeks after site inspection and examination of the same from the point of view of scope and nature of the works, technical specification, the rates and the total cost as well as the duration of the execution.

D.1. The task force to be constituted by the department for supervision and monitoring of execution of works will include besides officials of the concerned departments, a representative of Resident Welfare Association/Registered Society/ Local committee as the case may be of the concerned SC/ST basti and the Executing Department should supervise and monitor the execution of the works periodically for ensuring smooth and timely execution of the works. No payment will be made to the contractor unless a report is received from the task force that the work has been completed satisfactorily.

2. The physical and financial progress of the works shall be reported to Planning/ Finance Department for the purpose of monitoring plan expenditure.

3. On completion of the work, the executive agency will furnish a Completion Certificate to the Department for that particular work containing the amount of A/A & E/S, actual expenditure Incurred and details of deviations, if any.

4. The Executing Department shall also display the details of the development work under this scheme for public information through a display board on the site.

The details to be displayed are as under:

1. Name & cost of the work
2. Date of commencement.
3. Target date for completion.
4. Name of the executing agency.
5. Name of the Executive Engineer with telephone number.
6. Name of the contractor with telephone number.

E.1. The Department shall carry out an impact evaluation of the implementation of this scheme in every Plan period so as to objectively assess the benefits that have accrued to the Target Groups during that particular Plan period. This evaluation study shall be taken up by the Department of its own or through Govt. Department/ Organisation or private institution/body/organization.

2. The Department shall maintain an asset register as per GFR, which shall be made available for inspection by; the designated officers or the Audit Team.
3. The following civil works may be under taken under the scheme:
 - Repair/Construction of common bathrooms and community latrines.
 - Repair/relaying of side drains and pavements.
 - Kharanja/repair of kucha roads (Brick edge soiling).
 - C.C. flooring of approach roads or Kharanjas.
 - Repair/construction of community centre/chaupal.

Number of building of Community Centers/Chaupals to be constructed in any constituency will be decided by the Department in consultation with Urban Development and Panchayat Department **Physical Achievement:**

Year	No. of Beneficiaries	
	Target	Achievement
2007-08	50 (Bastis & Chaupals)	87 Bastis & 19 Chaupals
2008-09	50 (Bastis & Chaupals)	71 Bastis & 23 Chaupals
2009-10	60 (Bastis & Chaupals)	42 Bastis & 27 Chaupals
2010-11	60 (Bastis & Chaupals)	41 Bastis & 16 Chaupals
2011-12	60 (Bastis & Chaupals)	41 Bastis & 29 Chaupals
2012-13	75 (Bastis & Chaupals)	75 Bastis & 18 Chaupals
2013-14	75 (Bastis & Chaupals)	58 (Bastis & 58 Chaupals)
2014-15	84 (Bastis & Chaupals)	84 (Bastis & Chaupals)
2015-16	90 (Bastis & Chaupals)	

9.18. Scheme for providing Financial Assistance under Matri-Shishu Suraksha Yojna to SC/ST pregnant woman during last trimester of her pregnancy.

Plan Outlay

XII FYP	:	Rs.3500.00 Lakh
Approved Annual Plan 2015-16	:	Rs. 90.00 Lakh

The Council of Minister, Government of NCT of Delhi vide Cabinet Decision no. 1816 dated 31.10.2011 has considered and approved the following scheme for implementation during Annual Plan 2011-12 and subsequent plan periods.

Objective - The scheme will provide financial assistance to SC/ST pregnant woman during last trimester of her pregnancy for promoting healthy nutrition and improving the neo natal survival and to bring down maternal mortality rate (MMR) and infant mortality rate (IMR). This will help to reduce premature or underweight babies, as it has been scientifically proved that maximum weight gain in the developing foetus occurs in the last trimester of pregnancy. It is also evidenced in Delhi that approximately 1/3rd of all delivered babies annually are either premature or are under weight and most of these newborn babies are susceptible to morbidities and mortalities.

Quantum

The cash amount of Rs.1000/- during the last trimester of the pregnancy of the target group, which will be in addition of Rs.600/- being paid under Centrally funded Janani Suraksha Yojna Scheme (JSY).

Eligibility Criteria for beneficiaries under the scheme/other terms & conditions

- The beneficiary should belong to SC/ST.
- The pregnant woman should not be less than 19 year of age. The pregnant woman should not have more than one living child.

- Family annual income should not be above Rs.2.00 lakh for which self certification from the beneficiary would be required.
- The beneficiary should possess valid caste certificate issued by the competent authority. In case of Minority, the beneficiary would be required to submit an Affidavit that she belongs to Minority.
- The Department of Health and Family Welfare may also impose such further conditions, in consultation with the Department for Welfare of SC/ST/OBC/ Minorities as is considered necessary for effective administration of the Scheme.

Implementing Agency

The Department of Health & Family Welfare, Govt. of NCT of Delhi would implement this scheme through Delhi State Health Mission (DSHM) for which funds will be provided by Department for the Welfare of SC/ST/OBC/Min. directly to the implementing agency i.e. Delhi State Health Mission (DSHM).

Procedure

Applications forms for financial assistance shall be prescribed by the Department of Health and Family Welfare in consultation with the Department for welfare of SC/ST/OBC/Minorities. Furthermore, the Department of Health & Family Welfare shall also lay down detailed guidelines for receipt, processing and decision on the applications. Adequate safeguards shall be ensured towards verification of caste/minority status and income criteria. The forms shall also be made available at the website of the department & Department of Health & Family Welfare. The beneficiaries shall be allowed adequate time for application. On a demand from Delhi State Health Mission, Rs. 10.00 lakhs has been released during 2012-13.

9.19. Scheme for providing ante-natal care and institutional delivery to SC/ ST women through recognized private health establishments.

Plan Outlay

XII FYP	:	Rs.5000.00 Lakh
Approved Annual Plan 2015-16	:	Rs. 100.00 Lakh

The Council of Minister, Government of NCT of Delhi vide Cabinet Decision no. 1817 dated 31.10.2011 has considered and approved the following scheme for implementation during Annual Plan 2011-12 and subsequent plan periods.

Objective: To encourage and promote institutional delivery to bring down maternal mortality rate (MMR) and infant mortality rate (IMR). The scheme includes at least three antenatal check ups with all necessary investigations including ultrasound of pregnant woman registered under the scheme, provision of injection TT and Iron Folic Acid tablets to all pregnant woman as per RCH Schedule, emergency obstetric care to all regd. pregnant woman, essential new born care to the new born including of birth doses of vaccines to newborns and one postnatal checkup within first week of delivery but not later than 14 days.

Quantum.

Rs.7000/- will be provided to the private hospitals providing comprehensive care to pregnant woman which includes all the health care services as specified in para-2 above. There are also part packages for only institutional delivery where by nursing home will be given Rs.5000/- only and if only Antenatal care is given then Rs.3000/- will be given to nursing home. The beneficiary will also be entitled to financial assistance to pregnant woman as being given presently under "Janani Surksha Yojna" and any other scheme for post-natal benefits as applicable from time to time, unless specifically excluded.

Eligibility Criteria for beneficiaries under the scheme/other terms & conditions for the Hospitals/Nursing Home

- The beneficiary should belong to Scheduled Caste community/ST.
- The pregnant woman should not be less than 19 year of age.

- The pregnant woman should not have more than one living child.
- Family annual income should not be above Rs.2.00 lakh for which self certification from the beneficiary would be required.
- The beneficiary should possess valid caste certificate issued by the competent authority. In case of Minority, the beneficiary would be required to submit an Affidavit that she belongs to Minority.
- The private hospitals/nursing homes should be registered under the Delhi Nursing Home registration Act.
- The Department of Health and Family Welfare may also impose such further conditions, in consultation with the Department for Welfare of SC/ST/OBC/ Minorities as is considered necessary for effective administration of the Scheme.

Implementing Agency: Same as prescribed for the scheme at Sl. No. 9.18

Procedure: Same as prescribed for the scheme at Sl. No. 9.18

9.20. "Scheme for Financial Assistance to Scheduled Caste Slum dwellers being relocated by Delhi Urban Shelter Improvement Board. (DUSIB) under Rajeev Ratan Awas Yojana".

Plan Outlay

XII FYP	:	Rs. 18500.00 Lakh
Approved Annual Plan 2015-16	:	Rs. 1.00 Lakh

Council of Ministers, Govt. of NCT of Delhi vide Cabinet Decision No.1810 dated: 19/09/2011 has considered and approved the following scheme for implementation during Annual Plan 2011-12 and subsequent plan periods:-

1. Govt. of NCT of Delhi, in pursuance of Cabinet decision No 1613, Dated the 3rd February 2010, notified a scheme for relocation/rehabilitation of slum dwellers,

as per which eligible slum dwellers are to be relocated through provision of alternative housing as per specified terms and conditions. The scheme was subsequently modified in pursuance of Cabinet decision No 1670, Dated the 12th July 2010, and cabinet decision No 1733, dated the 24th Jan 2011. As per the latest scheme guidelines for relocation, eligible beneficiaries will be relocated by providing an alternative flat as per specified terms and conditions, the breakup of approximate cost of which is indicated as under:

Govt. of India contribution	=	Rs. 1,19,000.00
Beneficiary contribution	=	Rs. 60,000.00
Land owning agency contribution	=	Rs. 93,000.00
Delhi Govt. contribution	=	Rs. 62,000.00
Total	=	Rs. 3,34,000.00

2. Beneficiary contribution of Rs. 60,000/- is applicable only in case of persons residing in the slum on or before 31.03.2002. In case of beneficiaries who have settled between 1.04.2002 and 31.03.2007, additional beneficiary contribution equivalent to the state share i.e Rs. 62,000/- is required to be paid (total beneficiary contribution of Rs. 1,22,000/-). Furthermore, if the slum undergoes in-situ development, the beneficiary is also required to additionally pay an amount equivalent to the share of the land owning agency i.e Rs. 93,000/- (total beneficiary contribution of Rs. 1,53,000). Maximum Beneficiary Contribution of Rs. 2,15,000/- will be applicable in case of beneficiaries who have settled between 01.04.2002 and 31.03.2007 and the slum undergoes in-situ development.

3. It is proposed to provide subsidy/re-imbursement to SC slum dwellers who have been selected for relocation by providing alternative housing under the scheme of relocation being operated by DSUIB. The financial assistance will be provided to meet the total amount of beneficiary contribution required under the relocation scheme. The scope, quantum, conditions for grant of subsidy and procedure for disbursement of subsidy will be as under:

SCOPE The subsidy will be available only to such slum and JJ dwellers who are identified for relocation and belong to SC communities. All such identified persons will be eligible for subsidy.

QUANTUM The subsidy will cover the entire amount of beneficiary contribution, including the enhanced demand in case of slum dwellers who have settled after 31.03.2002, and in cases covered by in-situ development.

Conditions for Grant of Subsidy

1. The subsidy will be granted for meeting the beneficiary contribution towards the cost of housing as provided in the relocation scheme.
2. The applicant should belong to SC category and possess a valid caste certificate issued by a Competent Authority of Govt. of NCT of Delhi.
3. The applicant should follow the terms and conditions laid down by DUSIB, in respect of possession and retention of housing. In case the terms and conditions of the relocation scheme, as laid down by DUSIB are violated, the applicant shall be liable for refund of the subsidy.
4. The beneficiary applying under this scheme should not have obtained subsidy against beneficiary contribution under any other scheme.
5. Other eligibility conditions relating to income criteria, residence requirement etc. shall be the same as for the original relocation scheme of DUSIB.

Procedure

1. The disbursement of the subsidy amount shall be made by DSUIB. For obtaining funds, DSUIB shall, in the beginning of each financial year, calculate the requirement of funds for this scheme. For the preliminary estimates, the number of SC beneficiaries may be taken as 25% of the total households proposed to be relocated. However, if the proportion is found to be significantly different on basis of field data, the percentage may be fixed in consultation with the Department for

welfare of SC/ST/OBC and Minorities. On basis of projected fund requirements, demand may be placed for allocation of funds. Funds shall be sanctioned and placed at disposal of DSUIB, initially to the extent of 80% of projected requirement.

2. The number and details of SC slum residents shall be ascertained at time of survey made for enumerating the eligible population for relocation. If the list is not made at time of initial survey for some reason, it should be done afterwards as soon as practical. Application forms for subsidy, as prescribed by the Department of Welfare of SC/ST/OBC and Minorities shall be distributed to all beneficiaries by DUSIB, which should also make adequate publicity of the scheme. The forms shall also be made available at the websites of the department and DUSIB. The beneficiaries should be allowed adequate time for application.

3. Filled up forms shall be submitted to the DUSIB by the beneficiary. DUSIB shall verify all the details, especially the genuineness of the caste certificate, if necessary by making back reference to the issuing authority. Thereafter, the subsidy amount shall be adjusted against the beneficiary's contribution.

4. DUSIB shall furnish quarterly progress reports which should include the list of persons provided subsidy. A consolidated list should also be furnished along with the Utilization Certificate.

5. The list of beneficiaries detailing the names, original address, relocation address and the amount of subsidy will also be furnished to the department monthly. Such list shall be publicized on the website of DUSIB and the Department.

6. Further guidelines for smooth operation of the scheme may be issued from time to time after obtaining approval of Competent Authority. On a demand from DUSIB, Rs. 18.00 crores were released during 2011-12. No requirement of funds has been received from DUSIB during 2012-13 to 2014-15. A utilization certificate is yet to be reed.

During the next academic session 2015-16. Kalinga Institute of Social Sciences Kiss has proposed to run school.

9.21. Setting up of residential school Kiss Ishapur Delhi for SC/OBC/ Minorities in collaboration with Kalinga Institute of Social Sciences (KISS), Bhubneswar, Odisha".

Approved Annual Plan 2015-16 : Rs. 1125.00 Lakh

[Rs.400.00 lakh (SC/ST head) + Rs.725.00 lakh (PWD head)]

On the pattern of a residential school being run by Kalinga Institute of Social Sciences, Bhubneswar, Odisha for tribal children, the council of ministers vide cabinet decision no. 1981 dated 31.01.2013 had agreed to set up a residential school for weaker sections of SC/OBC/Minorities and orphans at Village Ishapur, Delhi in collaboration with the above said organization. The scheme is based on "Operations, maintenance and management agreement between Department for Welfare of SC/ST/OBC/ Minorities and Kalinga Institute of Social Sciences".

Memorandum of Understanding (MoU) between Pr. Secretary (SC/ST) and KISS DELHI was signed on 27.06.2013 which was witnessed by Hon'ble Chief Minister and Chief Secretary, Delhi. The residential school has been inaugurated by Hon'ble Chief Minister on 11.09.2013. The school was inaugurated on 11.06.2013 by Hon'ble Chief Minister, Delhi and has started functioning with effect from September 2013 from class 1st to 3rd.

Till date the following sanctions have been issued to KISS and PWD:

Sanctions issued to KISS:

1. Vide Sanction order dated 19.06.2013, Rs. 1,61,58,000/- to KISS for purchase of furniture and fixture for academic & hostel, kitchen and campus equipment, furniture and other requirements for dispensary for 1000 children.
2. Vide Sanction order dated 09.07.2013, Rs. 30,00,000/- to KISS Delhi for 300 students @ Rs. 5,000/- per student per month for a period of two months which includes expenses on tuition fee, uniform, stationery, text books, accommodation, food etc.

Sanctions issued to PWD:

1. Vide Sanction order dated 23.04.2013, Rs. 2,43,07,000/- to PWD for repair/ rehabilitation of abandoned building at village Issapur, Delhi for setting up of residential school at Village Issapur.
2. Vide Sanction order dated 10.07.2013, Rs. 2,32,79,600/- to PWD for SPS rooms for kitchen, dining, common room, warden, doctor, attendant, barber, guards, bathrooms and other immediate requirement for operationalization of residential school at village Issapur.
3. Vide Sanction order dated 16.07.2013, Rs. 14,42,140/- to PWD for onward disbursement of funds to BSES for providing electric connection to residential school at Village Issapur.
4. Vide Sanction order dated 02.08.2013, Rs. 82,53,411/- to PWD for providing DG Set, security & street lighting at residential school for children belonging to weaker section of SC/OBC/Min. and orphans at Village Issapur.
5. Vide Sanction order dated 26.08.13, Rs. 7,22,400/- to PWD for development of horticulture work at residential school for children belonging to weaker sections of SC/OBC/Min. at Village Issapur, New Delhi under Sub. Division M-1141/HDM-114/PWD/New Delhi during 2013-14.
6. Vide Sanction order dated 26.08.2013, Rs. 8,41,644/- to PWD for providing water cooler and split AC at residential school for children belonging to weaker sections of SC/OBC/Min. at Village Issapur, New Delhi.
7. Vide Sanction order dated 02.09.2013, Rs. 37,13,911/- to PWD for provision of CCTV system for residential school for children belonging to weaker sections of SC/OBC/Min at Village Issapur, New Delhi.
8. Vide Sanction order dated 02.09.2013, Rs. 33,11,993/- to PWD for replacement of door, windows and cupboard shutters in official rooms in residential school for children belonging to weaker sections of SC/OBC/Min. at Village Issapur, New Delhi.

9. Vide Sanction order dated 04.09.2013, Rs. 27,65,754/- to PWD for construction of residential school for weaker sections of SC/OBC/Min. at Village Issapur, New Delhi.
10. Vide Sanction order dated 06.09.2013, Rs. 36,64,847/- to PWD for construction of covering shed from main building and dining hall to existing living sheds and at stage including renovation of stage in residential school for children belonging to weaker sections of SC/OBC/Min. and orphans at Village Issapur, Delhi.
11. Vide Sanction order dated 06.09.2013, Rs. 2,03,600/- to PWD for inaugural function at KISS Isapur, Delhi.
12. Vide Sanction order dated 06.01.2014, Rs. 7,78,998/- to PWD for construction of one lakh litre capacity water storage underground tank at residential school for children belonging to weaker sections of SC/OBC/Min. and orphans at Village Issapur, Delhi.

During the next academic session 2015-16 Kiss has proposed to run school from class 1st to 5th with 100 students in each class i.e. total 500 students. Further, it is also proposed to construct new Hospital Building during 2015-16 at school campus. The following funds available during 2015-16.

	(Rs. In Lakhs)
Head	Funds available
Capital head of PWD	725.00
Revenue head of SC/ST Deptt.	400.00

9.22. Implementation of prohibition of employment as Manual scavenger and their Rehabilitation

Plan Outlay

XII FYP	:	NIL
Approved Annual Plan 2015-16	:	Rs. 1000.00 Lakh (Rev. 600.00 + Capital 400.00)

1. **Introduction:** Implementation of Prohibition of Employment of Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013 (MS Act, 2013) has come into force w.e.f. 6.12.2013 in the whole country except Jammu & Kashmir. Government of NCT of Delhi has declared the department for the Welfare of SC/ST/OBC/Min. as a Nodal Department for Implementation of said Act in Delhi as per the guidelines of the Ministry of Social Justice & Empowerment. The definition of Manual Scavenger as well as insanitary latrines as envisaged in the Act are re-produced as under:

- (i) 'Insanitary latrines' means a latrine which requires human excreta to be cleaned or otherwise handled manually, either situ, or in an open drain or pit into which the excreta is discharged or flushed out before the excreta fully decomposed.
- (ii) 'Manual Scavenger' means a person engaged or employ at the commencement of this Act or any time thereafter by an individual or a local authority or an agency or a contractor, for manually cleaning, caring, disposing of, or otherwise handling in any manners, human excreta or insanitary latrines or in an open drain or pit into which the human excreta from which the insanitary latrines is disposed off.

Methodology of the Scheme: As per Section 4 of the Act, the Local Authorities have to carry out the survey of insanitary latrines existing within their jurisdiction. The Local Authorities i.e. 3 MCDs as well as New Delhi Municipal Council (NDMC) have conducted a survey of insanitary latrines in their jurisdiction and reported the insanitary latrines as per details as under:

(i)	North Delhi Municipal Corporation	9568
(ii)	South Delhi Municipal Corporation	6121
(iii)	East Delhi Municipal Corporation	11117
(iv)	New Delhi Municipal Council	NIL
	Total	26,806

Further, as per section 11 of the Act, the Local Authorities are also supposed to

carry out survey of Manual Scavengers in their jurisdiction, the report of which is awaited from 3 MCDs, however, as per report of New Delhi Municipal Council, there is no Manual Scavenger exists in its jurisdiction.

Section 7 of the Act prohibits any person for hazardous cleaning of a sewer/ septic tanks.

Actually, the implementation of the Act, is to be made by Local Authorities as well as Revenue Department. The Department for the Welfare of SC/ST/OBC/Min. is responsible only to monitor the implementation of the Act by the above said authorities / department.

To sum up, as per Act, the State Government can provide the Financial Assistance on the following components:

- To make budget provision for construction of Sanitary Community Latrines in the areas where insanitary latrines have been found (Section 4(1) (c) of the Act).
- State Government may give assistance for conversion of insanitary latrines into sanitary latrines to occupiers from such categories of persons and on such scale, as it may be, by notification [Section 5(2) of the Act].
- To make budget provision for construction of Sanitary Community Latrines to eliminate the practice of open defecation [Section 4(2) of the Act].
- To make budget provision for rehabilitation of identified Manual Scavengers [Section 13 of the Act].
- To provide financial assistance, incentives and. otherwise the use of modern technology for cleaning sewers etc. [Section 33(2) of the Act].

Since, Department for the Welfare of SC/ST/OBC/Min. is the Nodal Department for the implementation of the Act, it is, therefore, proposed that to meet out the expenditure on the above said components as well as other related work,

budget provision for the above said purpose is made.. A token provision of Rs. 10.00 Corers is proposed for Annual Plan 2015-16 under this Scheme for the above said purposes.

9.23. Skill Development for the candidates belonging to SC/ST/OBC/ Minorities Communities through NGOs/ Training Organizations.

Plan Outlay

XII FYP : NIL

Approved Annual Plan 2015-16 : Rs. 100.00 Lakh

Training for Skill Development will be provided in the following skills/ disciplines:

Hospitality, Tourism, Office Management, Computer software and Hardware, Data Entry Operation, Beautician and Health Spa, Paramedical including Physiotherapy, Yoga, Radiology, Pathology, Lab Technologies, Photography, Videography, Printing/ Publishing, Copywriting.

Following types of organizations will be eligible for receiving financial assistance under this scheme.

All institutes in government sector including universities and autonomous bodies, universities/colleges in private sector, institutes in the private sector engaged in coaching/training activities which are trusts companies, partnership firms, or societies registered under the relevant law, preferably of relevant industry bodies or institutes identified by them and Non Government Organizations (NGOs).

General conditions for the institutions to be eligible under the free coaching and allied Schemes for the candidates belonging to target groups:

The institutes should have the required number of qualified faculty members either on its pay roll or on part-time basis. The institutes should have necessary infrastructure such as premises, library, requisite equipment etc. to run the coaching classes training centers. The institutes should have experience of

imparting coaching /training for a period not less than three years provided that those functioning for less than three years may be considered only if their success rates are significantly higher. Coaching institutes should have a minimum success rate of 15%. A three year moving average could be considered for this purpose. In respect of training institute, 50% placement, including self employment would be taken as the minimum success rate.

Coaching /Training fee and stipend for the maintenance of the students shall be provided to the selected institutes under the scheme through Grants-in-Aid.

Special feature: Following type of financial assistance will be provided to the successful candidates through SC/ST/OBC/Minorities Development Financial Corporation:

Loan up to Rs.5.00 Lacs to the candidates who are desirous to start their own business for self employment under the Delhi Swarozgar Yojna.

9.24. Society for protection of Tribals (New Scheme)

Plan Outlay

XII FYP : NIL

Approved Annual Plan 2015-16 : Rs. 10.00 Lakh

- The metropolis of Delhi has been seeing migration of sizeable numbers particularly persons belonging to STs. from all over the country. The migrants are not only students but also a significant number of them meet semi-skilled and unskilled labour force demand of this city.
- The People from scheduled tribes constitute a significant proportion of the migrant population of the city. Their cultural difference and ignorance makes these people the most vulnerable section of the society. They being not a part of articulate main stream population are unable to access services and statutory safe guards provided by the State. Most of the time they are lost in the crowd and undergo avoidable hardship. The traditionally shy nature of the Tribal

People, the language barriers etc. are some of the reasons which makes their settlement process in the capital reasonably difficult. In the absence of any dedicated agency in the capital to cater to their needs, these tribal people find it extremely difficult to adjust to the conditions prevailing here. Most of them are from the economically weaker sections of the society.

- There is a need to have a centre which can counsel/guide this voluminous section of the society for which financial assistance for the services to be rendered to them would be provided by Ministry of Tribal Affairs while the Government of NCT of Delhi may provide office space and manpower.
- A Facilitation Centre of migrant tribal's population in Delhi is required to be set up under the Department for the Welfare of SC/ST/OBC/Min. The Centre would act as a one stop solution to provide access for basic services like caste certificates, health services, ration cards, school admissions, scholarships, pension, identity cards, shelter, police help, marketing their products, access to labour markets etc. An amount of Rs. 1.00 crore is being released as grant-in-aid by Ministry of Tribal Affairs, Government of India to GNCTD during the current budget year from the grants available under Article 275(1) of the Constitution to meet out the recurring expenditure of the Centre. The GNCTD will provide infrastructure facilities i.e. direction and administration, advertising and publicity, computer, telephone, fax, furniture and fixture, office equipments, vehicle etc. to establish the Centre. The Centre will be created in a society mode under the Society Registration Act in which Pr. Secy. / Secretary In-charge of STs will be the Ex-Officio Chairperson of the Society, with representatives of Ministry of Tribal Affairs and representatives of Govt. of NCT of Delhi from the Departments of Education, Health and Labour.

The Society would be registered after finalizing the byelaws by end February. The opening of the Centre would be publicized well to spread awareness among the tribal population in the city. This would have trained employees including lady employees who are available round the clock in shifts. A 24 hour help line would also be set up. This also means that the Centre would have facilities for employees working in the evening/night shifts to stay there.

A token provision of Rs.1.00 crore is proposed in the Annual Plan Budget of GNCTD for the current financial year to meet out the liabilities of the Centre.

9.25. Write up on Swachchha Bharat Abhiyan

Plan Outlay

XII FYP	:	NIL
Approved Annual Plan 2015-16	:	Rs 100.00 Lakh

Hon'ble Prime Minister, during his speech on the occasion of 68th Independence Day on 15th August, 2014 from rampart of Red Fort, placed sanitation on the top of Government's agenda. Besides rolling out program/mission for total sanitation in India, the Campaign was launched on 2nd October, 2014. It is India's biggest ever cleanliness drive and Government employees, school and college students of India participated in this event.

Objectives:

India is striving hard to achieve cleanliness. It has been aimed to achieve high level of cleanliness across the country through peoples' participation well before 2nd October, 2019 so as to celebrate 150th birth anniversary of Father of the Nation, Mahatma Gandhi by gifting him Swachchha Bharat - as cleanliness was close to his heart.

The objective of the campaign is to achieve the vision of the National Urban Sanitation Policy (NUSP) which is All India cities and towns become totally sanitized, healthy and liveable and ensure and sustain good public health and environmental outcomes for all their citizen with a special focus on hygienic and affordable sanitation facilities for the urban poor and women".

This Campaign aims to create awareness in Government bodies, non-Governmental organizations and communities at large for their full involvement in achieving the goal of clean India.

Strategy:

For observing 'Swachcha Bharat Abhiyan, the entire period available since now may be divided into two parts viz built up phase for carrying out four work without much publicity and second phase for making publicity and campaigns.

To effectively observe the Swachchha Bharat Abhiyan, it should organize focussed programme in each office complex situated at various place of Delhi.

Accordingly, three teams headed by Deputy Directors have been constituted to implement and monitoring the cleanliness drive and the following activities were carried out to make successful implementation of Swachcha Bharat Abhiyan:

- Weeding of old record.
- Disposal of unserviceable furniture/material.
- Cleaning of toilet/office building/premises/path-ways/ceiling fans/floor tiles/ all machinery and display boards.

Future/Long Term Plan:

- To create awareness amongst the visiting public as well as the students of the Hostel and PECC by way of distribution of complex and installation of display boards at suitable places.
- Providing of dustbins (Big/small size) alongwith plastic bags for proper handling of waste material.
- To carry out require repair/renovation of office buildings including electrical appliances installation for proper ventilation.
- Purchase of more almirah for keeping up office records/files in well planned manner.
- Engagement of required safai karamcharis to clean the office premises.

A token provision of Rs. 1.00 crore is proposed for the financial year 2015-16 for proper implementation of the Swachcha Bharat Abhiyan.

Direction & Administration

9.25. Strengthening of Department for the Welfare of SC/ST/OBC/Min.

Plan Outlay

XII FYP	:	Rs. 1000.00 Lakh
Approved Annual Plan 2015-16	:	Rs. 349.00 Lakh

Under the scheme expenditure is incurred for pay allowances, T.A., D.A., L.T.C., Medical Bills, Furniture, and Office Equipment, Office Expenses, Purchase and Maintenance of Vehicles, purchase and maintenance of computers and other machines, purchase of field vehicles etc. for survey and evaluation studies from NGOs and other reputed organizations and to meet out the expenditure to be incurred by DSFDC on promotional activities.

The expenditure under the above said scheme will also include the expenditure on creation of additional post as the work relating to minorities has been transferred to this Department from Home Department without any staff for which additional staff will be required. To cope-up with the increased work load, a Proposal regarding creation of additional posts for strengthening of Planning and Statistical Cadre of Department for the Welfare of SC/ST/OBC/Min. has been submitted to Administrative Reforms Department through Finance Department.

The Directive Principles of the State Policy also provide to promote with special care, the educational and economic interests of the target groups. To achieve the objectives of "Equality" with many facts, Govt. of India as well as State Govt. has been striving for socio-economic development of the people of these communities through administrative orders and plan process. No doubt, there has been perceptible changes in the social and economic condition of the target group but unfortunately the measures taken so far have not been able to eradicate illiteracy, poverty and

above all the social stigma attached, because the approach so far has been in the shape of few schemes of ameliorative nature which could not make transformational impact and, therefore, much still remains to be done. Up to the year 1997, this department was required to look after only the Welfare of SC/ST population of Delhi but with the reorganization of OBC as a separate group of population, welfare activities relating to OBC, which forms quite big chunk of the population was also assigned to this department. In the starting of 21st century welfare activities relating to Minorities was also assigned to this department.

The Department is functioning with following units:

- i) Administration and Implementation including accounts
- ii) Scheduled Castes Sub Plan
- iii) Planning & Statistics unit.
- iv) MSDP
- v) SC/ST Welfare Board
- vi) SC/ST Boys & Girls hostels & Pre-examination Coaching Centre.
- vii) Scholarship Branch.
- viii) Field Officer Branch
- ix) Prevention of Atrocities Unit/Grievances Cell.
- x) Pre-Examination Coaching Centre.

All these above units have only skeleton staff which is grossly inadequate even to run its day-to-day activities. But from time to time, new needs were being felt and consequently new plan schemes/programmes were/are being introduced almost every year in the State as well as Central Sector. Besides, the scope of existing plan, schemes have also widened.

Besides, the Deptt. is the administrative department for the Delhi Scheduled Castes Financial & Development Corporation (DSCFDC), Delhi Commission for

OBC, Delhi Commission for Safai Karamchairs, Delhi Minorities Commission as well as Secretariat for the SC/ST Welfare Board also. Earlier the activities of DSFDC for advancing loan for self employment were limited to SC/ST categories only, which have now been extended to OBC/Minorities categories also. The population of SC/ST is much less in comparison to OBC/Min. population. Therefore, the activities of DSFDC have increased manifold. The Department has also to deal with five National level apex corporations namely NSFDC, NSTFDC, NBBCFDC, NMFDC & NSKFDC.

Further, the department is the nodal department in NCT of Delhi in respect of the Scheduled Castes (Protection of Civil Rights) Act, the Scheduled Castes/Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, implementation of recommendations of National Commission for Scheduled Castes, National Commission for Scheduled Tribes, National Commission for Safai Karamcharis, National Commission for Backward Classes and National Commission for Minorities. Setting up of Delhi Commission of Scheduled Caste/Scheduled Tribes has also been entrusted to this Department, which is under process.

A nucleus cell, known as SCSP Cell is working in this Deptt., which has been bestowed with the responsibility of preparing the SCSP for whole of Delhi necessitating correspondence and coordination with all the plan implementing departments of Govt. of Delhi, MCD, NDMC, DJB, etc. It is also responsible for disbursement of the special central assistance received from Govt. of India to those departments, who need additional funds for the SCSP. The Planning Commission, Government of India has directed that contribution to SCSP should be at least equal to the size of SC population. The funds allocated for SCSP are not divertable or lapsable. Being the nodal department the schemes of SCSP being implemented by the different department of the Government of NCT of Delhi are to be monitored.

The Planning Cell is responsible for preparing the Five Year Plan and Annual Plans for this sector, statistical data about the monthly/quarterly progress reports and close coordination with plan implementing departments and Planning Department of Govt. of Delhi & GOI beside monitoring of all the schemes of this sector at different levels.

As already mentioned, the work of distribution of scholarship to SC/ST/OBC/ Minorities students has also been transferred to this department from Education Department without transferring the adequate staff.

Further, in the year 1987, a list of 41 Minority Concentration Districts was prepared by Ministry of Minority Affairs bases on a single criterion of minority population of 20% or more in a district bases on the data from Census 1971, for enabling focused attention of government programmes and schemes on these districts. The Multi Sectoral Development Programme (MsDP) was conceived as a special initiative of the follow up action on the Sachar Committee recommendations. It is a Centrally Sponsored scheme approved by the Government in the beginning of 11th Five Year Plan and launched in the year 2008-09 in 90 Minority concentration Districts (MCDs). It is an area development initiative to address the development deficits of minority concentration areas by creating socio-economic infrastructure and providing basic amenities. **North East Delhi is also one of the Minority Concentration Districts (MCDs) for which Department for the Welfare of SC/ST/OBC/ Min. has been asked to take to address the development deficits. No additional staff has been provided to deal with the work of MsDP.**

Further, with the approval of Hon'ble Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi the business related to welfare of Minorities (including Prime Ministers 15 Point Programme), which were previously looked after by Home Department, **have also been transferred to the Department for the Welfare of SC/ST/OBC/ Min. with effect from 03/08/2012 without any functional staff. Efforts are being made to cope up this new work from the existing staff (52/c).**

All these activities show that the ambit of its operation has increased manifold but additional manpower for their proper formulation, implementation & monitoring is not available. The activities of this department have a direct bearing on the poorer section of the society, the progress of which is being monitored under the 20 Point Programme of the Prime Minister also.

The Planning Department vide order dated:01/12/2006 had re-structured the Planning

and Statistical Cadre of all the department of Govt. of NCT of Delhi (copy placed at 33-46/c). As on March, 2004, the sanctioned strength of the Planning and Statistical Cadre of this department are as under:

1.	Deputy Director	:	1
2.	Statistical Officer	:	1
3.	Statistical Assistant	:	4

Vide the order dated:01/12/2006, the post of Research Officers were abolished. Like-wise, the post of Statistical Investigators was also abolished. After the re-structured of the Planning and Statistical Cadre on 01/12/2006, the position of sanctioned posts are as under:

1.	Deputy Director	:	1
2.	Statistical Officer	:	4
3.	Statistical Assistant	:	7
	Total	:	<u>12</u>

It can easily been observed from the above said table that the Department is in loss of two post after the re-structuring of Planning and Statistical Cadre, however, the activities of the department are increasing day by day.

Vide order dated: 13/11/2013, the allocation of work amongst of the Officers and Staff has been made. The matters/work being assigned to the Planning and Statistical Branch has been mentioned at Sr. No.04 of the aforesaid order under the supervision Deputy Director-IV/Deputy Director (SCP). Mainly, the activities being performed by these Branches of the Department are as under:

1. Planning and Statistics including formulation and obtaining approval of plan schemes of the Department and DSFDC
2. All matters under Bhagidhari Yojana

3. Monitoring of Plan Schemes
4. SC Sub-plan
5. Special Central Assistance
6. All matters relating to DSFDC
7. Matters relating to Delhi Commission for Safai Karamcharis, Delhi SC/ST Commission, Delhi OBC Commission and Delhi Minorities Commission including release of Grant-in-Aid (Excluding administrative matters)
8. Multi Sectoral Development Programme for North East District under Ministry of Minority Affairs (MSDP)
9. Prime Minister's 15 Point Programme for the welfare of Minorities
10. Pre-examination Coaching Centre
11. Matters pertaining to Nehru Boys Hostel and Kamla Nehru Girls Hostel at Dilshad Garden
12. Matters relating to Delhi Swarojgar Yojna, Rajive Ratan Awas Yojna, Matri Shishu Suraksha Yojna and Ante-natal Care
13. Babu Jagjiwan Chathrawas Yojana, Scheme relating to elimination of dry latrines and rehabilitation of manual scavengers (ILCS and SRMS)
14. Inclusion and deletion of Castes in the list of SC and OBCs in Delhi
15. Dr. BR Ambedkar Rattan Award
16. Construction of hostel at Kasturba Balika Vidyalaya, Ishwar Nagar for SC students
17. Setting up of educational hub for SCs at Bakkarwala
18. Establishment of res. school for SC/ST/OBC/Minority students at Ishapur in collaboration with K.I.S.S.

19. Constitution of Board of Directors
20. RTI Matters pertaining to above subjects
21. Any other work that may be assigned from time to time

It can easily be noticed that the main and important work of the department has been assigned to the Planning and Statistical Cadre under the supervision of only one Deputy Director of Planning and Statistical Cadre. Besides the above said work, Deputy Director (SCP) has also been appointed as link Officer to Public Information Officer under RTI Act-2005. Besides one of the Statistical Officer has been appointed as APIO under RTI Act-2005. It is further stated that the RTI work of the department has been looked after by one of the Statistical Assistants posted in this department. Further, one of the Statistical Officer has also been assigned the duties of Director (PECC) in addition to other Planning work. Besides the work mentioned above, the work related to scheme "improvement of SC Basties" was also looked after by the Planning & Statistical staff. Presently also, one of the statistical assistant has been assigned the work of the scheme "improvement of SC basties" and due to non-availability of sufficient statistical staff, temporarily the inspector posted in the FOB Branch has been entrusted to look after the aforesaid scheme in addition to one statistical assistant as mentioned above. Hence, the Planning & Statistical cadre needs strengthening.

The work being looked after by Planning and Statistical Cadre involve drafting of Cabinet Notes, Release of Advertisements, Convening of meetings, preparation of minutes of the meetings, framing of Act/Rules, Release of Grants, preparation of Plan schemes, material for Budget Speech, material for CM/LG Speeches, Constitution of Committees, implementation of schemes, issue of Gazette Notifications etc. All these works are of sensitive and time bound nature, which requires suitable, well educated and sufficient man power. The activities involved in

the implementation of scheme Multi Sectoral Development Programme (MsDP) and Scheduled Castes Sub Plan are mentioned below:-

A. Multi sectoral Development Programme (MsDP)

Under the scheme. North East Delhi has been identified in NCT of Delhi as Minority Concentrated District (MCD) and Multi Sector Development Plan of Ministry of Minority Affairs of Govt. of India is to be implemented in North East of Delhi for improvement of Backwardness parameter of the district. MsDP scheme has been implemented since 2008-2009. However, no post has been created for the said work. (i) To analyze the proposals of the projects of Multi sectoral Development Programme (MsDP) and to associate in ensuring timely submission of fresh projects/ schemes to the Ministry of Minority Affairs, Govt. of India as per requirement of the guidelines.

(ii) To make arrangement for video conferencing hold by the Ministry for reviewing the progress of (MSDP) and coordinate with implementing agencies, executing agencies & D.C. office.

(iii) To visit and inspect the work-sites of various projects/schemes of MsDP in order to ascertain the quality of material & to ensure timely completion of work of the projects and to submit inspection-report to the Ministry accordingly.

(iv) To hold meeting of State Level Committee as and when required for approval of additional proposals approved by the District Level Committee.

(vi) To coordinate with Deputy Commissioner (North East), the implementing agencies and executing agencies and to hold meeting with these for monitoring the progress of the projects of MsDP

B. Work Relating to Minorities

From the year 2012-2013 all the activities relating to Minorities has been transferred

to Department for Welfare of SC/ST/OBC/Minorities, which was previously looked after by Home Department. **However, no post has been created for the said work.**

C. (Scheduled Caste Sub Plan SCSP)

- (i) To assist in preparation of SCSP document and implementation of SCSP
- (ii) To assist in Work related to Special Central Assistance
- (iii) To associate render advice in Introduction of new schemes under SCSP and to explore new fields /avenues for this Programme for exclusive benefit of SC.
- (iv) Monitoring of 20 Point Programme of SC.

MSDP is an ambitious Programme of Ministry of Minority Affairs formulated for improving Socio Economic Parameters of basic amenities in the Minority concentration districts. It also aims at providing basic infrastructure and civic facilities to the Minorities selected Districts/Blocks. Besides, SCSP is also another responsive and equally important Programme. The purpose/motto of the SCSP is to provide immense benefits to Scheduled Castes Communities, which requires proper monitoring and guidance for the preparation and implementation of SCSP documents.

In view of the facts cited above, it is proposed to strengthen the Planning and Statistical Branch of this department at various level.

In view of the facts cited above, it is proposed to divide the activities (which have been assigned to Planning and Statistical cadre of the Department) into five units/section viz as under:

Unit	Branch
I	Planning-I, Planning-II
II	Planning-III, Implementation

III Planning-IV, SCSP

IV Planning-V

V MsDP, Minorities

For proper monitoring the above units the following posts are required:

1. Joint Director (One post) - At present no post of Joint Director is sanctioned which is required for overall supervision of the above five units. For day to day work of the units one post each of steno, DEO and peon is also required for creation.
2. Deputy Director (Two posts) - Two posts of Deputy Director is required. One for Unit I & II and other for Units III, IV and V. Since, at present one Deputy Director is already sanctioned and working hence, one post of Deputy Director is required for creation. To assist Deputy Directors, two post each of steno, DEO and peon are also required for smooth functioning of the Branches.
3. Assistant Director (Two post) - At present no post of Assistant Director stands sanctioned. Two posts of Assistant Director is required for creation. One post of Assistant Director is for Unit I & II and other for Units III, IV and V

In addition to the above, the Unit-wise statistical officers and statistical assistants are required as under:

Unit-I

Statistical Officer-One Post for Unit-I i.e. Planning I, Planning-II

Planning-I

Statistical Assistant-Two post

- (i) Setting up of educational hub for SCs at Bakarwala

- (ii) Matters pertaining to Delhi Swarojgar Yojana, Rajiv Rattan Awas Yojana, Matri shishu suraksha yojana, ante-natal care.
- (iii) Establishment of resi. school for SC/OBC/Minority students at Ishapur in collaboration with KISS.
- (iv) FM Budget Speech
- (v) CM Speech of Independence day, Republic day
- (vi) Monthly Progress Report of the scheme implemented by the Department (Plan & Centrally Sponsored schemes)
- (vii) Preparation of Revised Estimates & Budget Estimates
- (viii) Preparation of Outcome Budget
- (ix) Annual Report (Plan schemes)
- (x) Preparation of Revised Estimates & Budget Estimates
- (xi) Outcome Budget
- (xii) Action Plan
- (xiii) Plan Review Meeting
- (xiv) Appraisal report of Plan schemes
- (xv) Related RTI matter
- (xvi) Related Parliament question/Vidhan Sabha questions
- (xvii) Related Audit paras & miscellaneous connected with the above said work
- (xviii) Related court cases.

Planning-II

Statistical Assistant-Two

- (i) CSS relating to Babu Jagjiwan Ram Chhatrawas Yojana

- (ii) Miscellaneous works
- (iii) Allotment of Press Thada
- (iv) Correspondence with SC and ST Commission
- (v) Prepare questionnaire of NCSC, NCST
- (vi) Monitoring and review of implementation of reservation policy in various department of GNCTD
- (vii) Correspondence regarding nomadic and de-nomadic tribes with Government of India
- (viii) Funding of 50% share by the government towards development charges for electrification of un-electrified house sites/colonies allotted under twenty point programme
- (ix) Inclusion & deletion of castes in the list of SC in Delhi
- (x) Construction of hostel at Kasturba Balika Vidhyalaya at Ishwar Nagar for SC girl students
- (xi) Matters relating to National Commission for SC/ST.
- (xii) Related RTI matter
- (xiii) Related Parliament question/Vidhan Sabha questions
- (xiv) Related Audit paras & miscellaneous connected with the above said work
- (xv) Related court cases.

In spite of the above, one Data Entry Operator and one peon is also required for day to day work of the Unit.

Unit-II**Statistical Officer-One Post for Unit-II i.e. Planning-III, Implementation****Planning-III Branch****Statistical Assistant-One**

- (i) Matters pertaining to Nehru Boys Hostel and Kamla Nehru Girls Hostel at Dilshad garden.
- (ii) All matters under Bhagidari Yojna of the Government
- (iii) Pre-Examination Coaching Centre
- (iv) Related RTI matter
- (v) Related Parliament question/Vidhan Sabha questions
- (vi) Related Audit paras & miscellaneous connected with the above said work
- (vii) Related court cases.

Implementation Branch**Statistical Assistants-Two**

- (i) Implementation of the scheme "improvement of SC Basties"
- (ii) Related RTI matter
- (iii) Related Parliament question/Vidhan Sabha questions
- (iv) Related Audit paras & miscellaneous connected with the above said work
- (v) Related court cases.

Inspite of the above, one Data Entry Operator and one peon is also required for day to day work of the Unit.

Unit-III**Statistical Officer-One Post for Unit-III i.e. Planning-IV, SCSP****Planning-IV****Statistical Assistant - One**

- (i) All matters relating to Delhi Minorities Commission, Commission for OBC, Delhi Commission for Safai Karamcharies, DSFDC (excluding administrative matters)
- (ii) Related RTI matter
- (iii) Related Parliament question/Vidhan Sabha questions
- (iv) Related Audit paras & miscellaneous connected with the above said work
- (v) Related court cases.

SCSP Branch**Statistical Assistants - One**

- (i) SC sub plan.
- (ii) Special Central Assistance
- (iii) 20 point programme of SC
- (iv) Related RTI matter
- (v) Related Parliament question/Vidhan Sabha questions
- (vi) Related Audit paras & miscellaneous connected with the above said work
- (vii) Related court cases.

In spite of the above, one Data Entry Operator and one peon is also required for day to day work of the Unit.

Unit-IV

Government of National Capital Territory of Delhi
Department for the Welfare of SC/ST/OBC/Minorities
B-Block, 2nd Floor, Vikas Bhawan, I.P. Estate, New Delhi
Website: scstwelfare.delhigovt.nic.in Telefax No. 23379513
Monthly Progress Report of Expenditure upto SEPTEMBER 2015

Name of Scheme	Outlay 2015-16			Actual Expdr. Upto 30 Sep.15		
1	2	3	4	5	6	7
Direction & Administration (SCSP)	Revenue	Capital	Total	Revenue	Capital	Total
On Going Scheme						
2225-01-789-990001-Salaries	90.00		90.00	36.16		36.16
O.T.A.	-		-			
2225-01-789-990013- Office Expenses	249.00		249.00	196.63		196.63
2225-990011) - Domestic Travel Expenses	-		-			
2225-01-789-990006- Medical Treatment	10.00		10.00	1.04		1.04
2225-Information Technology	-		-			
Total-Direction & Administration (SCSP)	349.00		349.00	233.83		233.83
Educational Development						
2225-01-277-600042- Free Supply of Book and Stationary to Scheduled Caste Students in schools	6500.00		6500.00	500.00		500.00
2225-01-789-950042- Free Supply of Book and Stationary to Scheduled Caste Students in schools (SCSP)	5500.00		5500.00	400.00		400.00

(Rs. in lakhs)

Actual Expdr. for Oct 15			Actual Expdr. Upto 31 Oct.15			Transfer to Education/ I&FC		
8	9	10	11	12	13	14	15	16
Revenue	Capital	Total				Revenue	Capital	Remarks
5.96		5.96	42.12		42.12			
12.82		12.82	209.45		209.45			
0.00		0.00	1.04		1.04			
18.78		18.78	252.61		252.61			
0.00		0.00	500.00		500.00	4500.00		Transfer to Education. Utilisation is yet to be received
0.00		0.00	400.00		400.00	3600.00		Transfer to Education. Utilisation is yet to be received

	1	2	3	4	5	6	7
	2225-01-277-730034-Scholarship/Merit scholarship to SC/ST/OBC and minority students-Class I to XII	6000.00		6000.00	554.04		554.04
3B	2225-01-789-930034-Scholarship/Merit scholarship to SC/ST/OBC and minority students-Class I to XII (SCSP)	4400.00		4400.00	401.51		401.51
4A	2225-80-800-770034-Scholarship for colleges and university students for SC/STs.	350.00		350.00	66.07		66.07
4B	2225-80-789-990034-Scholarship for colleges and university students for SC/STs (SCSP)	500.00		500.00	67.14		67.14
5A	2225-01-277-660034-Vocational Technical Scholarship Meritorious Scholarship and	20.00		20.00	0.00		0.00
5B	Dr. Ambedkar Meritorious Scholarship to Scheduled	2.00		2.00	0.00		0.00
5C	2225-01-789-980034-Vocational Technical Scholarship Meritorious Scholarship and	20.00		20.00	0.00		0.00
5D	Dr. Ambedkar Meritorious Scholarship to Scheduled (SCSP).	2.00		2.00	0.00		0.00
6A	2225-01-277-620042-Hostel for Scheduled Caste Boys	140.00		140.00	11.36		11.36
6B	2225-01-789-960042-Hostel for Scheduled Caste Boys (SCSP)	100.00		100.00	38.04		38.04
7	2225-01-789-970042-Hostel for Scheduled Caste Girls (SCSP)	30.00		30.00	22.95		22.95

8	9	10	11	12	13	14	15	16
0.00		0.00	554.04		554.04	3500.00		Transfer to Education. Utilisation is yet to be received
0.00		0.00	401.51		401.51	2300.00		Transfer to Education. Utilisation is yet to be received
0.00		0.00	66.07		66.07			Application received & under process
0.00		0.00	67.14		67.14			Application received & under process
0.00		0.00	0.00		0.00			Proposal is yet to be received
0.00		0.00	0.00		0.00			Proposal is yet to be received
0.00		0.00	0.00		0.00			Proposal is yet to be received
0.00		0.00	0.00		0.00			Proposal is yet to be received
0.00		0.00	11.36		11.36			
1.39		1.39	39.43		39.43			
0.62		0.62	23.57		23.57			

	1	2	3	4	5	6	7
8A	2225-01-277-580042- New centre for pre- examination coaching at Dilshad Garden	5.00		5.00	0.00		0.00
8B	2225-01-789-940042- New centre for pre- examination coaching at Dilshad Garden (SCSP)	5.00		5.00	0.00		0.00
9A	2225-01-277-710042- Reimbursement of tuition fee in public school	2000.00		2000.00	542.05		542.05
9B	2225-01-789-920042- Reimbursement of tuition fee in public school (SCSP)	1000.00		1000.00	118.76		118.76
	2225-80-800-660042- Multisectoral Development Programme for minority concentration district- State Govt. Share	300.00		300.00	2.30		2.30
	2225-01-789-830042- Education hub for SC (SCSP)	10.00		10.00	0.00		0.00
	2225-01-277-500042 - Setting up of residential school for weaker sections of SC/OBC/Min and orphan at Village Ishapur Delhi in collaboration with KISS society	240.00		240.00	0.00		0.00
	2225-80-789-970042- Setting up of residential school for weaker sections of SC/OBC/Min and orphan at Village Ishapur Delhi in collaboration with KISS society (SCSP)	160.00		160.00	0.00		0.00
	SUB-TOTAL	27284.00		27284.00	2724.22		2724.22
	Economic Development						
	2225-01-190-970042- Financial assistance to DSCFDC for SC/STs (SCSP)	44.00		44.00	0.00		0.00

219

03 अग्रहायण, 1937 (शक)

8	9	10	11	12	13	14	15	16
0.00		0.00	0.00		0.00			
0.00		0.00	0.00		0.00			
0.00		0.00	542.05		542.05			Application received & under process
0.00		0.00	118.76		118.76			Application received & under process
0.26		0.26	2.56		2.56			Project under consideration
0.00		0.00	0.00		0.00			
0.00		0.00	0.00		0.00			Demand for Grant yet to be received from KISS, they have been reminded.
0.00		0.00	0.00		0.00			Demand for Grant yet to be received from KISS, they have been reminded.
2.27		2.27	2726.49		2726.49			
0.00		0.00	0.00		0.00			Release linked with Audit Report. DSCFDC has now clarified.

1	2	3	4	5	6	7
2225-80-789-960042- Financial assistance to DSCFDC for SC/STs (SCSP)	11.00		11.00	0.00		0.00
SUB-TOTAL	55.00		55.00	0.00		0.00
Health, Housing and Others						
Major Head "6225"						
6225-03-800-970055- Loan to DSCFDC for Delhi Swarojgar Yojana for SC/ST/OBC/Min.			300.00	300.00	0.00	0.00
6225-01-789-940055- Loan to DSCFDC for Delhi Swarojgar Yojana for SC/ST/OBC/Min. (SCSP)			300.00	300.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL			600.00	600.00	0.00	
2225-80-789-980042- Institution of Dr. Ambedkar Ratna Award (SCSP)	10.00		10.00	0.00		0.00
2225-01-789-810031- Grant in aid to Delhi Health Mission for providing antenatal care institutional delivery to SC women (SCSP)	100.00		100.00	0.00		0.00
2225-01-789-820031- Grant in aid to Delhi Health Mission for SC pregnant women under "Matri shishu suraksha yojana" (SCSP)	90.00		90.00	0.00		0.00
2225-01-789-840035- Grant in aid to DUSIB for financial assistance to SC slum dwellers under Rajeev Ratan Awas Yojna (SCSP)	1.00		1.00	0.00		0.00
2225-01-789-860033- Subsidy for electrification of houses allotted under 20 point programme [Housing subsidy for SC/ST (SCSP)]	1.00		1.00	0.00		0.00
Sub-Total	202.00		202.00	0.00		0.00

221

03 अग्रहायण, 1937 (शक)

8	9	10	11	12	13	14	15	16
0.00		0.00	0.00		0.00			Release linked with Audit Report. DSCFDC has now clarified.
0.00		0.00	0.00		0.00			
0.00		0.00	0.00		0.00			Release linked with Audit Report. DSCFDC has now clarified.
0.00		0.00	0.00		0.00			Release linked with Audit Report. DSCFDC has now clarified.
0.00		0.00	0.00		0.00			
0.00		0.00	0.00		0.00			Advertisement for award is yet to be published
0.00		0.00	0.00		0.00			Scheme is not implemented due to policy not it yet finalised
0.00		0.00	0.00		0.00			Scheme is not implemented due to policy not it yet finalised
0.00		0.00	0.00		0.00			Scheme is not implemented for want of List.
0.00		0.00	0.00		0.00			Scheme is not implemented for want of List.
000		0.00	0.00		0.00			

	1	2	3	4	5	6	7
Capital Section:							
	422501-789-980042-Improvement of SC Basties (SCSP)		4500.00		4500.00	420.67	420.67
21	PWD 4225-970053 - Construction of Educational Hub for SCs at Village Bakarwala, PWD		75.00		75.00	0.00	0.00
22	PWD 4225-990053 Construction of residential school for weaker sections of SC/OBC/Min. and orphan at Village Ishapur Delhi, Collaboration with KISS society		725.00		725.00	116.72	116.72
23A	2225-80-800-650042-Implementation of Prohibition of employment of manual Scavengers and their Rehabilitation Act (SCSP) 2013	600.00		600.00	0.00		0.00
23B	2225-80-789-950042-Implementation of Prohibition of employment of manual Scavengers and their Rehabilitation Act 2013	400.00		400.00	0.00		0.00
24	2225-01-789-490031-Skill Development for SC/ST/OBC/MIN. through NGO and other training organisation	100.00		100.00	0.00		0.00
25	2225-02-190-990031 Society for protection of Scheduled Tribes GIA-General	10.00		10.00	0.00		0.00
26	2225-80-800-640050-Swach Bharat Abhiyan	100.00		100.00	0.00		0.00
Sub-Total		1210.00	5300.00	6510.00	0.00	537.39	537.39
Health, Housing and Others							
Total - Revenue Section (R)		29100.00		29100.00	2958.05		2958.05
Total - Loan Section / Capital			5900.00	5900.00		537.39	537.39
Grand Total		29100.00	5900.00	35000.00	2958.05	537.39	3495.44
Total Expdtr. in %							

223

03 अग्रहायण, 1937 (शक)

8	9	10	11	12	13	14	15	16
	0.00	0.00	420.67		420.67		420.67	
	0.00	0.00	0.00		0.00			Proposal of Education Hub at Bakkarwala/ Sultanpur Majra yet to be finalised.
	0.00	0.00		116.72	116.72			Proposal has been sent to PWD. The Estimate still awaited.
0.00		0.00	0.00		0.00			Proposal received from EDMC received & under consideration. No other proposal received from NDMC/SDMC
0.00		0.00	0.00		0.00			Proposal received from EDMC received & under consideration. No other proposal received from NDMC/SDMC
0.00		0.00	0.00		0.00			Implementation of the Scheme is to be start shortly.
0.00		0.00	0.00		0.00			Scheme is yet to be finalised
0.00		0.00	0.00		0.00			
	0.00	0.00	0.00	537.39	537.39			
21.05	0.00	21.05	2979.10		2979.10			
				537.39	537.39			
21.05	0.00	21.05	2979.10	537.39	3516.49	13900.00	420.67	14320.67+3516.49
					10.05%		50	

CSS Scheme

Sl. No.	Name of Scheme	Revised Estimate 2015-16			Expdr. Upto 30 Sep. 15		
		Revenue	Capital	Total	Revenue	Capital	Total
	On Going Schemes	5.00		5.00	0.00		0.00
1.	2225-01-277-700034- Post Matric Scheme Scholarship (CSS)						
2.	2225-01-277-680034- Pre Matric Scholarship Scheme (CSS)	5.00		5.00	0.00		0.00
3.	2225-01-277-670034- Merit-Cum -Means Based Scholarship (CSS)	5.00		5.00	0.00		0.00
4.	2225-01-277-540034- Pre- Matric Scholarship to OBC students (CSS)	150.00		150.00	55.63		55.63
5.	2225-01-277-520034- Post-Matric Scholarship Scheme for SC Students (CSS)	1700.00		1700.00	134.77		134.77
6.	2225-01 -277-510034- Post-Matric Scholarship Scheme for OBC Students (CSS)	200.00		200.00	45.00		45.00
7.	2225-01-800-730042- Implementation of Protection of Civil Rights Act, 1955 and SC/ST (Prevention of atrocities act 1989	50		50	0.5		0.5
8.	2225-01-800-740042- Special Central Assistance for SC Component Plan (CSS) 100% share of G.O.I.	50		50	0		0
9.	2225-80-800-670042-Multi Sectoral Development Programme for Minority	530		530	1		1
10.	222502-190-980031- Society for Protection of Tribals	100		100	0		0
11.	2225-01-277-770042- Coaching and Allied services schemes (Pre- exam Training)	5		5	0		0
	Total	2800.00		2800.00	236.90		236.90

Actual Expdr. for Oct.		Expdr.Upto 30 Oct. 15			Transfer to Education		
		Revenue	Capital	Total	Revenue	Capital	Total
0.00	0.00	0.00		0.00			
0.00	0.00	0.00		0.00			
0.00	0.00	0.00		0.00			
0.00	0.00	55.63		55.63			
614.69	614.69	749.46		749.46			Rs.614.69 trsfd to Higher Education
0.00	0.00	45.00		45.00			
0	0	0.5		0.5			
0	0	0		0			
0	0	1		1			
0	0	0		0			
0	0	0		0			
614.69	614.69	851.59		851.59			
		30.31%					

INCENTIVE OF INTER CASTE MARRIAGES

1. Introduction

With the adoption of Constitution, the practice of un-touchability was declared as unlawful and legal provisions were made for protection of Civil Rights of the SC people but inspite of legal provisions, the SC continues to suffer at the hands of non-SCs. They had sail to bear the atrocities Committed against them by high castes and their Civil Rights are still being trampled. With a view to punish the guilty of committing atrocities against the SC people or violating their Civil Rights, Government of India, enacted the SCs/STs (Prevention of Atrocities) Act 1989 and Protection of Civil Rights Act, 1955.

In NCT of Delhi Centrally Sponsored Scheme "Protection of Civil Right Act, 1955 and SC/ST (Prevention of Atrocities) Act, 1989 is being implemented. Central assistance under the scheme is mainly provided for strengthening of the enforcement and judicial machinery, awareness generation, publicity, incentive for inter caste marriages and relief and rehabilitation for the affected persons. In case of Union Territory, 100% central assistance is being provided by the Government of India.

2. Objectives

Redressal of untouchability through the marriages between non-SCs (so called high Hindu, communities follow the hindu religion) and SCs as it is an effective instrument of combating the evil of casteism.

Financial Assistance/ Incentive to be provided

Under the scheme marriage mature between SC and non-SCs couple an incentive of Rs. 50,000/- (Rupees Fifty Thousands only) will be provided in the following manner:

- | | | |
|-----|--|---------------------|
| (a) | Fixed deposit for a locking period of five years in the name of husband and wife. | Rs. 25,000/- |
| (b) | Cash for purchase of items for house use. | Rs. 25,000/- |
| | Total | Rs. 50,000/- |
| a) | An Account Payee Cheque of Rs.25000/- in favour of Husband and Wife jointly is to be given to the couple for purchase of items for house use. | |
| b) | S.D.M. will make a fixed deposit for five years of the balance amount of Rs.25000/- in the joint name of the husband and wife in the bank and will instruct the Bank to release, the fixed deposit alongwith the | |

D.O. No. 11013/4/2006-PCR (Desk)

MEIRA KUMAR

Minister of Social Justice & Empowerment
 Government of India
 Shastri Bhawan, New Delhi-110001
 28th February, 2006

Dear Smt. Dikshit,

As you, are aware, with view to assist the States/Union Territory Administrations for implementations of the provisions of the Protection of Civil Rights Act, 1955 and the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, a Centrally Sponsored Scheme is being operated by the Ministry of Social Justice & Empowerment. Under this Scheme, 50% of the total expenditure over and above the committed liability is provided to the State Governments and the Union Territory Administration get 100% by way of central assistance.

2. The central assistance under the scheme is provided amongst other things for giving incentives to couples for inter-caste marriages and awareness generation. It is noticed that the amount of incentive being given by different State Governments for inter-caste marriages has considerable variations ranging between Rs.2,000/- in West Bengal to Rs.50,000/- in Gujarat. Further, in some States, the system of giving incentives for inter-caste marriage does not exist at all. Though there may not be a direct correlation between higher incentive amounts and incidence of inter-caste marriages, yet raising the incentive amount may encourage inter-caste marriages by demonstrating the approval of the Government to such marriages. A sizeable amount may also be an incentive in itself. Besides large number of such cases of inter-caste marriages may be going unreported, therefore, the incentive needs to be adequately publicized.

3. I would deeply appreciate if you could consider increasing the incentive amount to Rs.50,000/- as inter-caste marriages are an effective instrument of combating the evil of casteism.

With regards,

Yours sincerely,

Sd/-

Meira Kumar (Smt.)

Smt. Sheila Dikshit,
Chief Minister of Delhi,
New Delhi

interest thereon only after completing five years from the date of deposit i.e. date of maturity and on production of a certificate of living together from Gazetted Officer Class-I.

4. Date of Implementation of the Scheme:

Those couples who have married on or after 01.04.2007 i.e. the beginning of the year in which the scheme was prepared and submitted to the Ministry.

5. Terms & Condition of the Scheme

- (i) Registration of marriage in the Office of the Registrar, Marriages is compulsory.
- (ii) Couple engaged in the inter caste marriage can apply for incentive within two years from the marriage.
- (iii) From the couple engaged in the inter caste marriage, either husband or wife should be permanent residents of NCT of Delhi.
- (iv) Mother and Father of the person of any other State, engaged in the inter caste marriage should be residing in NCT of Delhi from the last five years.

- (v) Non SC spouse either husband or wife belonging to any other State she/he should produce the proof that in the State to which he/she belongs his/her caste does not covered under untouchability and he/she follows Hindu Religion. After marriage such person will have to reside in NCT of Delhi.
- (vi) The widow or widower upto age of 35 years having no children (Santan) can avail the incentive under this scheme after doing the inter caste marriage.
- (vii) The engaged couple should produce a proof of living together after the marriage at the time of release of the Amount of fixed deposit.

6. Implementation of Scheme

To obtain the incentive under the scheme couple engaged in inter caste marriage should apply in the prescribed format, which is available at the office of the area SDM, attested by a Gazatted Officer to the Area SDM along with the relevant documents such as marriage certificate, caste certificate issued from the Deputy Commissioner Office and ID proof etc. required as per terms and conditions of the scheme within two years from the marriage.

As per the scheme, the incentive of Rs.50,000/- is to be given to the beneficiary. Area S.D.M. will furnish the list of the eligible couples to whom incentive for intercaste marriage is to be provided to the Department for the Welfare of SC/ST/OBC/ Minorities, who will authorize the concerned DC to operate the head according to the number of cases @ Rs.50000/- per case.

Complete application forms will be kept in the custody of respective Office.

7. Funds Requirement for 2008-09

The component of the scheme will be introduced first time in NCT of Delhi, as such wide publicity is required to be given to the component of inter caste marriage. It is not known, how much applications will be received in NCT of Delhi during the

current financial year. However, Government of India may be requested to release Rs. 15.00 lakh (Rupees 5.00 lakh for publicity and Rs. 10.00 lakh to provide incentive @ Rs. 50,000/- each to 20 couples engaged in the inter caste marriage during the year 2008-09.

54. श्री वेद प्रकाश : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बवाना विधान सभा में कुल कितनी आंगनवाड़ी केन्द्र हैं और इनमें सुपरवाइजर कार्यकर्ता व सहायिका की संख्या कितनी है इनका पूर्ण विवरण नाम पते व फोन नम्बर सहित दिया जाए; और

(ख) दिल्ली सरकार द्वारा बवाना विधान सभा में जितनी भी आंगनवाड़ी चलाई जा रही हैं इनमें कार्यकर्ता व सहायिका की क्या-क्या भूमिका है दोनों का अलग से पूर्ण विवरण दिया जाए?

महिला एवं बाल विकास मंत्री : (क) बवाना विधान सभा में कुल 273 आंगनवाड़ी केन्द्र हैं। इनमें 7 सुपरवाइजर 273 कार्यकर्ता व 273 सहायिका कार्यरत हैं। पूर्ण विवरण संलग्न है। (Annexure-I)*¹

(ख) दिल्ली सरकार द्वारा बवाना विधान सभा में जितनी भी आंगनवाड़ी चलाई जा रही हैं इनमें कार्यकर्ता व सहायिका की भूमिका का विवरण संलग्न है। (Annexure-II)

Annexure-II

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता

1. समुदाय का सर्वेक्षण करना और लाभार्थी की सूची तैयार करना। यह सर्वेक्षण 0-6 वर्ष की आयु के बच्चों, गर्भवती और स्तनपान कराने

*¹ पुस्तकालय में संदर्भ सं. R15503 पर उपलब्ध

वाली महिलाओं की संख्या जानने के लिए किया जाना है। क्षेत्र में परिवारों की संख्या, परिवारों के सदस्यों की संख्या तथा पारिवारिक आय के आंकड़े प्राप्त करना। जीवन संबंधी आंकड़े, विशेष रूप से नये जन्म और मृत्यु जैसे आवश्यक आंकड़ों का पंजीकरण करना।

2. 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अनौपचारिक स्कूल-पूर्व शिक्षा का संचालन करना।
3. 0-6 वर्ष के बच्चों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए पूरक पोषक आहार का आयोजन करना।
4. प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा और प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था करना।
5. टीके लगाने और स्वास्थ्य की जांच में स्वास्थ्य कर्मचारियों की सहायता करना।
6. छूत की बीमारियों वाले व्यक्तियों, अति कुपोषित, साधारण कुपोषित, बीमार तथा गंभीर दशा के बच्चों की संदर्भ सेवाएँ दिलवाना।
7. क्रियात्मक साक्षरता कार्यक्रम तथा घरों से संपर्क के बीच, आंगनवाड़ी केन्द्र पर आने वाले बच्चों की माताओं तथा अन्य गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषक और स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा देना।
8. आंगनवाड़ी में आने वाले बच्चों के माता-पिता से संपर्क स्थापित करना और उनके साथ घनिष्टता का संबंध बनाना।
9. रिकार्ड और रजिस्ट्रों, विशेष यप से वजन-कार्ड, बच्चों के स्वास्थ्य कार्ड, पूरक पोषक आहार अभिलेखा, आंगनवाड़ी उपस्थिति अभिलेखा, आंगनवाड़ी उपस्थिति अभिलेखा (रिकार्ड), आदि का रख-रखाव करना जिससे यह पता लग सके कि सेवाएँ, समुदाय को किस सीमा तक मिल रही हैं ओर किस सीमा तक वह उससे लाभ उठा रहा है।

10. गांव की अन्य संस्थाओं जैसे पंचायत, महिला-मंडल, स्कूल-शिक्षा आदि से सम्पर्क रखना और कार्यक्रम के संचालन में उनका सहयोग और सहायता प्राप्त करना।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद।

प्रश्नकाल समाप्त हुआ। अंडर रूल 59 मुझे तीन नोटिस प्राप्त हुए थे। ये ले लें पहले। अजेश यादव जी।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव (नियम-54)

श्री अजेश यादव : अध्यक्ष महोदय, पहले भी मैंने आज सुबह बताया था कि हमारे यहां काफी झुग्गी झोंपड़ी हैं और एक पूरा परिवार कल उसमें जल कर राख हो गया तो मेरा कहना यह है कि कल मुख्यमंत्री जी वहां गये उसके लिए मैं बहुत उनका आभारी हूं कि कम से कम यह संज्ञान में लिया उन्होंने और पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया और जो झुग्गी जल गई थी उनको भी मुआवजा दिया तो इसके लिए मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूं और यहां जो ये शोर मचा रहे थे आज हमारे भाई इस क्वेश्चन ऑवर के बीच में। बीजेपी का एक भी आदमी पूरी दिल्ली से कोई नेता, कोई एमपी, कोई निगम पार्षद झुग्गी वासियों का हाल पूछने के लिए नहीं गया। जब मैंने बात उठाई तो बीच में ये खड़े हो गये तो मेरा कहना यह है कि कल को यह झुगियां ...(व्यवधान)... इतने संवेदनशील मुद्दे पर यह भाग रहे हैं गरीब के साथ कितना हैं, ये इसे पता चलता है कि कितने गरीब लोगों के हिमायती हैं ये।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : ओमप्रकाश जी आपने बहुत गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है। आप बहुत गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कार्यवाही से निकालिए।

...(व्यवधान)...

श्री अजेश यादव : गरीबों के मुद्दे पर कैसे जा रहे हो? सुन के जाओ।

...(व्यवधान)... झुग्गी वालों से कोई लेना-देना नहीं है क्या?

...(व्यवधान)...गरीब आदमी के दुश्मन। हत्यारे गरीबों के। ...(व्यवधान)... तो मेरा कहना इसमें ये है कि झुगियां बसती हैं दिल्ली में और कई जगह आज भी हर जगह बस रही हैं एक तो उनका थोड़ा ध्यान रखा जाये कि नई झुगी ना बसे और जो झुगी है हमारे पास उसके रिहैबिलिटेशन के लिए जल्दी से जल्दी कोई कार्रवाई की जाये ताकि ये गरीब आदमी ऐसे जल जल के ना मरे। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : माननीय उपमुख्यमंत्री जी उत्तर देंगे।

उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, जैसे कि माननीय सदस्यों ने पहले कहा कि कल परसों जो यह दुखद घटना घटी, यह सबके लिए बहुत चिन्ता की बात है और बहुत ही संवेदना का विषय है। इसके लिए मुख्यमंत्री अपने व्यस्त समय में से समय निकालकर वहां पहुंचे और जो परिवार की क्षति हुई है, उनके जो बाकी सदस्य हैं, और लोग भी हैं, उनसे मुलाकात भी की और मुआवजे का ऐलान भी उन्होंने किया है परन्तु दिल्ली में झुगियों की स्थिति वास्तव में चिन्ताजनक है और इसी सदन में मैं कई बार बोल भी चुका हूं कि झुगियों की स्थिति के लिए हमारी पालिसी न जिम्मेदार रही हैं। झुगियां बनने के लिये और झुगियों की स्थिति के लिए और अब झुगियों के नाम पर बहुत सारे फंड को इधर से उधर करने के लिए हम लोग जब से सत्ता में आये हैं, नौ महीने में पिछले समय में एक पॉलिसी तैयार की कि दिल्ली को स्लम फ्री कैसे बनाया जाये। कैसे उनको रिहैबिलिटेट किया जाये। उसकी पूरी पॉलिसी सरकार ने बनाई है और पहले उसको पेजवाईज तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारी तैयारी है। उसका पायलट भी हम शुरू करने जा रहे हैं लेकिन उससे पहले हमने उसको केन्द्र सरकार और विकास मंत्रालय के पास भेजा हुआ है। वहां से एक बार उस पॉलिसी को अनुमोदन मिल जाए क्योंकि झुगियां अलग-अलग जमीन पर हैं। डीडिए की जमीन पर भी हैं, रेलवे की जमीन पर भी हैं। आर्कियोलॉजी विभाग की जमीन

पर भी हैं। दिल्ली सरकार की कुछ जमीन पर भी हैं। डीयूएसआईबी की जमीन पर भी हैं एक समय की पोलिसी की डाक्यूमेंटरी उनके पास भेजी हुई है। एक बार वहां से अनुमोदन हो जाये जो तो उसको हम तेजी से अमल में लाना शुरू कर देंगे और उससे मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि दिल्ली ही नहीं, देश के जिन शहरों में भी झुगियों की स्थितियां ऐसी हैं, उनका भी समाधान मिलेगा और उस पॉलिसी को वो लोग भी फॉलो कर पायेंगे। यह काफी प्रोग्रेसिव पॉलिसी है। समय आने पर जब उसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू होगा, तब दिल्ली को उसका लाभ मिलना शुरू होगा।

अध्यक्ष महोदय : श्री जगदीश प्रधान जी। प्रदूषण पर अपना प्रस्ताव रखिए।

श्री जगदीश प्रधान : धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं दिल्ली में बढ़ते हुए प्रदूषण की तरफ माननीय उप मुख्यमंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आज संसार में सबसे अधिक अगर कोई सबसे अधिक प्रदूषण से भरा हुआ शहर है तो पहले नम्बर पर दिल्ली है। दिल्ली में प्रदूषण का सबसे प्रमुख मापदंड पीएम 2.5 के स्तर पर है। यह सुरक्षित मापदंड से पांच गुना अधिक है। गत वर्ष के मुकाबले यह अब 44 प्रतिशत बढ़ चुका है। यह हालत सीएनजी और मैट्रो जैसी व्यवस्थाओं के बाद है। दिल्ली में पांच में से दो नागरिक किसी न किसी रूप से सांस की बीमारी से पीड़ित हैं। दिल्ली में हर रोज 1400 नयी गाड़ियां आ जाती हैं। इसके अतिरिक्त कूड़ा-करकट आदि जलाने के कारण भी प्रदूषण बढ़ रहा है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल स्थिति पर निगाह रखे हुए हैं। उसने कहा है कि दिल्ली यह देखें कि चीन ने किस प्रकार वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण को नियंत्रित किया है। मेरा विचार है कि सरकार गंभीरतापूर्वक इस विषय पर ध्यान दे। यदि चीन से हमें कुछ सीखने को मिलता है तो वहां से हमें सीखना चाहिए। हमें गंभीरता से सोचना होगा कि हम सड़कों पर किस प्रकार वाहनों की संख्या को

कम कर सकते हैं इसके लिए सार्वजनिक परिवहन अधिक सुचारू रूप से और अधिक प्रभावकारी बनाना होगा। साईकिल सवारी सुरक्षित बनानी होगी। मेरा सुझाव है कि दिल्ली सरकार अपने कार्यालय में प्रारम्भ होने के समय जैसे 8 से 9, 9 से 10 और 10 से 11 इससे सड़कों पर ट्रैफिक के नाम से छुटकारा मिलेगा।

दूसरा मैंने पहले भी कहा था कि दिल्ली में जो जींस की फैक्ट्री है, जींस की जो रगड़ाई होती है, उसमें लोग एक तो पानी निकालते हैं, पानी की कमी होती है और दोबारा जींस को धोने के बाद जो गन्दा पानी निकलता है, उसको जमीन के नीचे उतारते हैं। मेरी विधानसभा मुस्तफाबाद या करावल नगर आप गली-गली में जा सकते हो और वहां किसी से भी चैक करा सकते हो कि वहां क्योंकि पानी की सप्लाई पूरी नहीं है। कई अनअथोराइज्ड कालोनीज हैं जहां पानी है ही नहीं, अब जो गरीब आदमी है, वो जल बोर्ड का पानी खरीद कर नहीं पी सकता। दूसरे प्लांट से कहीं से मोल लाकर नहीं पी सकता। उनके बच्चे हैंडपम्प का पानी इस्तेमाल करते हैं और दिन पर दिन बीमारियों से जूझ रहे हैं। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि जो इस तरह की फैक्ट्रियाँ हैं, जो तार जलाते हैं, जो केबल लाते हैं बाहर से कबाड़ी लोग, और प्लाट के अंदर उस कबाड़ को जलाकर जो उसके अंदर से तांबा और पीतल निकालते हैं और प्रदूषण फैलाते हैं, उससे लोगों में सांस की बीमारी बहुत ज्यादा फैल रही है तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इस पर तुरंत कार्रवाई की जाये और इस की कोई समय-सीमा निर्धारित की जाये। कब तक प्रदूषण पर रोक लग पायेगी। क्योंकि दिल्ली में जो गरीब लोग रहते हैं उनके आस-पास कोई सुनने वाला नहीं है। एसडीएम से शिकायत करते हैं तो कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई फैक्ट्री को सील करने वाला नहीं है। दूसरा दिल्ली में करीब 10-15 साल पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जो X कैटेगरी की फैक्ट्रियाँ थीं, उनको दिल्ली के रिहायशी इलाकों

से बाहर निकालने का फैसला किया गया था और उन लोगों को बवाना जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में प्लाट दिये गये थे और आज वो फैक्ट्री जहां पहले चलती थी, आज भी वहीं चल रही है तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस तरह की सूची उपलब्ध कराई जाये कि जिनको X Category की फैक्ट्री दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए प्लाट दिये गये, उसके बाद भी वहां उन्होंने वो प्लाट बेच दिये, किराये पर दे दिये। जो फैक्ट्री वहां पहले थी आज भी फैक्ट्री वहीं चल रही है। मेरा निवेदन है कि इस तरह का प्रदूषण फैलाने वाले जो लोग हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाये।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री इमरान हुसैन जी।

खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री (श्री इमरान हुसैन) : माननीय अध्यक्ष महोदय। दिल्ली में वायु प्रदूषण सरकार के लिए एक चिन्ता का विषय है, यह धूल के कारण बढ़ते हुए स्तर में कोर्ट, मीडिया और सामान्य जनता का ध्यान इस तरफ आकर्षित किया है। अभी हमारे भाई जगदीश जी ने बताया यह बहुत गहरी समस्या है इसके लिए वायु प्रदूषण, जल विभाग से संबंधित इनका सवाल था तो यमुना जल विभाग से संबंधित था और एसडीएम को और सबको निर्देश दिये गये हैं दिनांक 4.11.2015 को मीटिंग बुलाई गई थी उसमें जो भी एसडीएम हैं वो जाकर निरीक्षण करेंगे अगर ऐसी कोई जानकारी आपके पास है तो आप हम लोगों को दे सकते हैं कि आपके यहां ऐसे कारखाने चल रहे हैं या इस तरीके के प्लांट चल रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी और यहां जैसे आपने कहा, जैसे आपने बताया कि प्रदूषण नहीं है तो अभी माननीय केन्द्रीय मंत्री जी से मेरी मीटिंग हुई थी तो उसके अंदर प्रदूषण की समस्या तो है लेकिन वो बाहर के राज्यों से ज्यादा है। दिल्ली के अलावा यह जो क्रॉप बर्निंग का विषय था यह जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तरप्रदेश और दिल्ली के आस-पास एनसीआर

के अंदर लगभग 4000 ईंटों के भट्टे चल रहे हैं जिनसे प्रदूषण आ रहा है। हवा को रोका तो जा नहीं सकता। इसकी कोई सीमा तो होती नहीं है तो इसके लिए केन्द्र सरकार के साथ मिलकर ही हम लोग काम कर रहे हैं। हम आप लोगों से यह चाहते हैं कि आप केंद्र सरकार से कहें कि इसमें हमारी पूरी मदद करे और प्रदूषण के लिए मिलकर काम करें। हम उनके साथ हैं, उनसे कंधे से कंधा मिलाकर दिल्ली का प्रदूषण रोकेंगे। दिल्ली में 20 प्रदूषण मॉनिटरिंग कैपेसिटर लगे हैं जो प्रदूषण की जांच करते हैं तो उसमें 6 दिल्ली सरकार के हैं और 14 केंद्र सरकार मॉनिटरिंग करती है। तो हम प्रदूषण को रोकने के लिए उनके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं तो आप उसके अंदर हमारी हेल्प करें और लीव्स बर्निंग के लिए एसडीएम को आदेश दे दिये जायें कि जहां भी उन्हें लीव्स बर्निंग होते हुए मिलेगी, वहां 5000 रुपये तक का एनजीटी का आदेश है तो एसडीएम के साथ मीटिंग बुलाई गई थी और उन्हें आदेश दे दिया है कि उन्हें जहां भी लीव्स बर्निंग दिल्ली के अंदर होती हुई मिले तो वो उसका चालान काटेंगे और उसके लिए टाईम-टाईम पर रिव्यू मीटिंग बुलाई जायेगी। मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि पॉल्यूशन किसी भी स्तर पर कम करना है और दिल्ली के आस-पास एनसीआर के अंदर बिल्डिंग्स बहुत बनती हैं, कन्स्ट्रक्शन का काम बहुत है, उससे भी एअर पॉल्यूशन बहुत होता है तो इसके लिए भी हमने कहा है कि केन्द्र सरकार से हमारा निवेदन है और बाकी पड़ोसी राज्यों से भी कि इस पर तुरंत रोक लगाई जाये और इस पर कार्रवाई की जाये। अभी आपने देखा होगा कि दीपावली पर 'नो फायर नो क्रेकर्स' का एक अभियान चलाया था जिसमें दिल्ली सरकार के 2000 इको क्लब्स ने यह अभियान चलाया था और लोगों ने इसमें बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया था। जिससे काफी अवेयरनेस फैली और आपने देखा होगा कि पिछले साल की अपेक्षा इस साल दीपावली पर प्रदूषण पिछले साल से 25 प्रतिशत कम था। तो यह दिल्ली सरकार की और प्रदूषण विभाग की उपलब्धि

है और यमुना में गिरने वाले नाले 80 प्रतिशत से ज्यादा मात्र घरेलू मल-जल की होती है। वजीराबाद से ओखला लगभग 22 किलोमीटर के दायरे में 22 में से 18 नाले यमुना में सीधे मिलते हैं। 4 नाले आगरा एवं गुड़गांव नहर में मिलते हैं। करीब 70 प्रतिशत जल प्रदूषण के लिए यमुना में गिरने वाले तीन बड़े नाले जिम्मेदार हैं जिनमें नजफगढ़, शाहदरा और सप्लीमेंटरी ड्रेन है। इसके लिए दिल्ली में उत्पन्न होने वाले जल-मल की मात्रा का विवरण निम्न प्रकार है—

पानी की सप्लाई—900 एमजीडी, जल-मल—720 एमजीडी और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट—682 एमजीडी कुल संशोधन—446 एमजीडी हो रहा है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हर महीने यमुना में नौ स्थानों पर जल की गुणवत्ता की जांच करता है जिसकी जानकारी दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की वेबसाइट पर उपलब्ध है। दिल्ली में 28 अधिकृत औद्योगिक क्षेत्र हैं जिनसे 17 इण्डस्ट्रियल एरिया में 13 कॉमन ट्रीटमेंट प्लांट चल रहे हैं। सभी बड़े होटल्स रेस्टॉरेंट्स, हॉस्पिटल्स, में ईटीपी/एसटीपी लगाने के आदेश दिये जा चुके हैं तथा ये इम्प्लीमेंट भी हो रहे हैं। धन्यवाद।

श्री जगदीश प्रधान : अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं इतना जानना चाह रहा था कि जींस जैसी प्रदूषित करने वाली फैक्ट्री जहां भी चल रही हैं।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने उत्तर दिया न। आप भी कुछ लिख कर दे दें।

श्री जगदीश प्रधान : आप बता दें मैं तो सारा कह चुका हूं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह फैक्ट्रियां कब तक बंद हो जायेंगी। इसमें तो बाहर से कुछ लाने की जरूरत नहीं है। मैं तो अपनी विधानसभा की बात कर रहा हूं। यह बताइये, यह कब तक बंद हो जायेंगी?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी बता दीजिए।

खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री : अभी सर्वे करा रहे हैं और जैसे ही कैटेगिरी से अलग जो कैटेगिरी दिल्ली एन्वायरनमेंट और रिहायशी और गैर औद्योगिक इलाकों में फैक्ट्रियों को बंद कराने की जिम्मेदारी नगर-निगम की है तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण की है, डीडीए की है। औद्योगिक क्षेत्रों में डीपीसीसी, प्रदूषण नियंत्रण की कार्रवाई कर रही है। धन्यवाद।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं बता रहा हूँ कि अभी जाकर देख लें, किसी को भी दिखवा लें, हजारों फैक्ट्री मेरे यहां चल रही हैं और पॉल्यूशन पूरी तरह से फैल रहा है।

खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री : वो नगर निगम की जिम्मेदारी है जो घरेलू रिहायशी एरिया में चल रही हैं।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : नगर निगम तो काम ही नहीं करता। अनअथोराइज्ड कालोनीज में।

खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री : नगर निगम काम नहीं करता तो आप अपनी पार्टी से क्यों नहीं कहते? आप तो बीजेपी से हैं। बीजेपी का राज है उसके अंदर।

...(व्यवधान)...

खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री : इसमें राजनीति नहीं है। नगर निगम का काम तो आप उनसे करा सकते हैं।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : अनअथोराइज्ड कालोनी सारी एमडीएम के अंदर हैं।

खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री : पहले नगर निगम से कहिये आप।...(व्यवधान)...

श्री ओम प्रकाश : नगर निगम से बाहर है।

...(व्यवधान)...

खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री : अगर बाहर है तो आप लिखित में दे दीजिए।
उनके अधिकार में नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : ओम प्रकाश जी, बैठिए।

श्री महेन्द्र गोयल : इनकी मैं तारीफ करता हूं सच बोलने के लिए। साथ में एक और बात मैं चाहता हूं कि यदि सरकार एक मिनट जगदीश जी, मैं आप ही की बात पर आ रहा हूं। यदि मान लो सरकार ऐसा कानून ले कर आती है कि यह फैक्ट्रियां बंद होनी चाहिए क्या बीजेपी आश्वासन देती है कि हम आपका इस बात में साथ देंगे? हम कोशिश करेंगे अपने मंत्री से इस बात के लिए? कि अमेंडमेंट लेकर आयें कि फैक्ट्रियां बंद हों। क्या आप आश्वस्त करना चाहते हैं इस बात के लिए? मेरी बात सुनिये, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। सवाल आपका है। जवाब भी आप दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : महेन्द्र जी आप बैठिये। जगदीश जी बैठिये। अभी पिछले दिनों माननीय परिवहन मंत्री ने प्रदूषण को कम करने के लिए 22 तारीख निश्चित की है। मैं यह चाहूंगा कि यह ज्वलंत मुद्दा है इस पर कुछ और विचार परिवहन मंत्री श्री गोपाल राय जी रखें।

परिवहन मंत्री (श्री गोपाल राय) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल उठाये हैं पर्यावरण को लेकर करके, उसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा जो अपने स्थानीय स्तर पर कालोनियों में जो पानी को लेकर दिक्कतें हो रही हैं, उस पर चर्चा की है। लेकिन यह सच है कि पर्यावरण का प्रश्न आज पूरी दिल्ली वालों की हर एक सांस से जुड़ चुका है। मसला न हमारा

है न तुम्हारा है। आदमी बिना पानी पिये रह सकता है, बिना खाना खाये रह सकता है, बिना मकान के भी रह सकता है पर बिना सांस लिए कोई इंसान जिंदा नहीं रह सकता है और आज यह बात सच है। पूरे सदन को इस बात पर सोचने की जरूरत है। आंकड़े जो भी कहते हों कि दुनिया में सबसे ज्यादा पाल्यूशन है मैं इस पर नहीं जाना चाहता। तमाम अलग-अलग रिपोर्ट हैं लेकिन यह सच है कि दिल्ली जो देश की राजधानी है, अगले 10 साल बाद हर डाक्टर यह डिस्क्रिप्शन करने वाला है कि अपने किसी रोग का इलाज चाहते हो तो दिल्ली छोड़कर बाहर जाना पड़ेगा। दौलत रहते हुए भी हम दिल्ली के अंदर सुरक्षित सांस नहीं ले सकते, यह आज सच्चाई है। पाल्यूशन के दो मेजर कारण हैं। एक है, पीएम-10 जो डस्ट से पैदा होता है जो अलग-अलग तरह की चीजों से पैदा होता है और पीएम-2.5 दूसरा है। पीएम 2.5 सबसे खतरनाक प्रदूषण है जो हमारे बच्चों, आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी को धीरे-धीरे स्लो पॉयजन की तरह उनकी जिंदगी को खत्म करने की तरफ बढ़ रहा है। दिल्ली सरकार इस दिल्ली को प्रदूषणमुक्त करने के लिए पूरी तरह से कमेटीड है और यह बात जो पिछली सरकारों ने पर्यावरण विभाग द्वारा जो कार्रवाई की गई है और पूरी दुनिया में जो कार्रवाई की गई, उसको हमने स्टडी किया। ट्रांसपोर्ट विभाग ने स्टडी की। हमने दो-दो National Conference की और उसमें जो सारी रिपोर्ट आई उसके आधार पर हमने देखा कि दुनिया के अंदर जो सबसे विकसित देश थे और उन देशों में जो सबसे विकसित शहर थे, उन शहरों में सबसे पहले पर्यावरण का संकट पैदा हुआ और उन जगहों पर सबसे पहले लोगों ने कार फ्री करने का अभियान चलाया। दिल्ली सरकार ने यह फैसला किया है कि दिल्ली सरकार केवल अपने दम पर प्रदूषण मुक्त दिल्ली नहीं बना सकती लेकिन सरकार और समाज जब साझेदारी के साथ संकल्प लेगा तो इस दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाया जा सकता है। उसी संकल्प को लेकर करके हर महीने की 22 तारीख

को दिल्ली के अंदर कार फ्री डे मनाने का फैसला किया है और हमें इस बात का फख है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री दिल्ली के विधायक, दिल्ली के सभी मंत्री दिल्ली के लोगों और नौजवानों 10 ने सुबह-सुबह हर 22 तारीख को, पिछली 22 तारीख को भी और इस 22 तारीख को भी हजारों की तादाद में दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने के लिए साईकिल चलाने का संकल्प लिया है। लाल किले से जो कारवां शुरू हुआ था, इस बार द्वारका जाते-जाते हजारों में तब्दील हो गया और हमें उम्मीद है कि यह कारवां आगे बढ़ेगा। अगली बार हमने पूर्वी दिल्ली में रखा है और माननीय मुख्यमंत्री ने पिछली बार यह एनाउन्स द्वारका में किया है कि 22 जनवरी को नये साल पर माननीय मुख्यमंत्री साईकिल से कार्यालय जाएंगे। सारे मंत्री, सारे विधायक, और अधिकारी साईकिल चलाने की आदत डालें। यदि कार्यालय दूर है तो बस से जायें अगर वो भी ऑप्शन नहीं है तो मेट्रो से जाएं अगर वो भी ऑप्शन नहीं है तो CNG टैक्सी से जाएं वो भी ऑप्शन है तो आटो से जाएं और अगर कुछ नहीं हो सकता है तो दिल्ली वालों की जिंदगी के लिए कुदरत ने पैर दिए हैं, अगर दिल्ली को बचाना चाहते हो तो अपने पैरों से चलने की कोशिश करो। बड़ा संकल्प लेना पड़ेगा। सरकार ने इसमें पहल की है और समाज इसमें साथ दे रहा है। लेकिन हमें इस बात का दुख है कि जब हमने 22 तारीख को लाल किले से इण्डिया गेट के बीच में 'कार फ्री डे' मनाने का फैसला किया। हमने माननीय प्रतिपक्ष को पत्र लिख कर निवेदन किया था कि उसमें हिस्सेदारी करें। हमने व्यक्तिगत रूप से निवेदन किया कि इसमें हिस्सेदारी करें। हमने सारे विधायकों से निवेदन किया। केन्द्रीय परिवहन मंत्री जी से निवेदन किया, केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री जी से निवेदन किया लेकिन हमें इस बात का दुख है कि इतनी बड़ी मुहिम को भी राजनीति के दायरे में रख कर के न तो प्रतिपक्ष के नेता पहुंचे और

न तो कोई केंद्रीय मंत्री पहुंचे। हम उम्मीद करते हैं कि अगली बार ओम प्रकाश जी के इलाके में होने वाला है। कम से कम वे जरूर इसमें शामिल हों।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : क्या आपने सदन को पूरी योजना से कभी अवगत कराया है? अपनी पार्टी का कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? कभी आपने अवगत नहीं कराया है।

श्री गोपाल राय : दिल्ली के लोगों की सांस को बचाने के लिए।... (व्यवधान)... हमने आपको लिखित तौर पर चिट्ठी दी थी और मैं कहना चाहता हूँ।... (व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, ओम प्रकाश जी। आप बैठिए।

परिवहन मंत्री : पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि दिल्ली वालों की जिंदगी को बचाने का यह जो काम है इस काम में लिखित तौर पर हमने आपसे निवेदन किया है मैं दुख के साथ कह रहा हूँ कि आप उसमें शामिल नहीं हुए और मैं निवेदन करना चाहता हूँ नहीं व्यक्तिगत तौर पर मैंने इसमें बात की थी... (व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : देखिए विजेन्द्र जी.... (व्यवधान)...

श्री विजेन्द्र गुप्ता : मुख्यमंत्री जी साइकिल पर जा रहे थे और पुलिस वाले भाग रहे थे सिक्योरिटी वाले, वो तेजी से साइकिल चला रहे हैं और उनको सांस फूल रहे है मानव-अधिकार कहाँ गया... (व्यवधान)...

परिवहन मंत्री : चर्चा पर्यावरण पर हो रही है... (व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी आप बैठिए, प्लीज।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : जो लोग पैदल थे, उनके बारे में भी सोचा कुछ आपने?... (व्यवधान)...

परिवहन मंत्री : उनके बारे में भी सोचा है...(व्यवधान)...मैंने ये कहा कि अगर आपको साईकिल चलाने में तकलीफ हो तो आप भी पैदल दौड़ सकते हो, आपको पैदल दौड़ने में कोई दिक्कत नहीं हो।...(व्यवधान)...दूसरी बात, मैं आगे बात जोड़ना चाहता हूँ कि मैं निवेदन करूँगा और जो अभी साथी कह रहे हैं कि संवाद की जरूरत है, व्यक्तिगत रूप से इन तीनों मित्रों से भी इस पर चर्चा करेंगे। दिल्ली सरकार इसके अलावा दिल्ली के अंदर हमारा ये मानना है कि जब तक दिल्ली के अंदर जो बाहर से गाड़ियाँ आती हैं...(व्यवधान)... दो मिनट आप दे दो।...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : ओम प्रकाश जी, ऐसा नहीं चलेगा। मंत्री जी बोल रहे हैं, उनको बात तो पूरी करने दो।

...(व्यवधान)...

श्री ओम प्रकाश शर्मा : आप तो लोगों से संवाद नहीं कर रहे हैं। यदि आप विपक्ष के साथ संवाद करेंगे तो ये संवाद पूरी दिल्ली में जाएगा। हम आपके साथ हैं और इस मामले में जो साईकिल से चलने की बात अगर पूरा सदन भी करेगा, हम उसका स्वागत भी करते हैं और उसमें हम सहभागी भी बनेंगे। लेकिन मेरा केवल ये कहना है जो जगदीश प्रधान जी का सवाल है, उसका साईकिल से कोई लेना देना...(व्यवधान)...

परिवहन मंत्री : मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, समझा दूँगा मैं अकेले में आओ, कैसे लेना-देना है...(व्यवधान)...

श्री ओम प्रकाश शर्मा : केवल सवाल ये है कि सवाल तो चला गया कहीं...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : ओम प्रकाश जी, ऐसे नहीं...(व्यवधान)...

परिवहन मंत्री : सुनने की आदत डालो ना थोड़ा, बैठ जाओ....(व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश शर्मा : अगली बार आपके साथ खड़े होंगे साईकिल चलाने

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : ओम प्रकाश जी, ऐसे नहीं। माननीय मंत्री जी, गोपाल राय जी, बोल रहे हैं, भावना जी एक सैकेंड, देखिए आप इस ढंग से सदन को हाइजैक करने की कोशिश कर रहे हैं,...(व्यवधान)...मेरी बात सुन लीजिए ओम प्रकाश जी। आपने उनका क्वेश्चन पढ़ा है। अपने साथी के क्वेश्चन को आप गलत ठहरा रहे हैं। मैं दोहरा रहा हूं, सुन लीजिए।...(व्यवधान)...नहीं सुन लीजिए जवाब को, उनका मोशन है दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के कारण उत्पन्न स्थिति पर सदन का ध्यान आकर्षित करने और मुख्यमंत्री जी द्वारा इस पर अपना वक्तव्य देने की प्रार्थना। इससे ज्यादा और क्या होगा? आप कह रहे हैं वो क्वेश्चन ही नहीं है उनका। आप बैठ जाइए अब। आप बार-बार सदन को हाइजैक करने की कोशिश करते हैं। मंत्री बोल रहे हैं तो आपको ध्यान ही नहीं है। ...(व्यवधान)....अरे! जब झुगगी, मेरी बात सुनिए ओम प्रकाश जी मैं बोलना नहीं चाह रहा, आप मजबूर कर रहे हैं। मैं बोलना नहीं चाह रहा फिर आप कहेंगे। झुगगियों का प्रश्न आया तब दोनों उठकर चले गए बाहर, प्रदूषण का प्रश्न आया, जगदीश जी अकेले बोलते रहे, आप दोनों बाहर चले गए, दोनों बाहर चले गए आप।...(व्यवधान)....चलिए उत्तर दीजिए। दो मिनट बैठ जाइए विजेन्द्र जी। ये ठीक नहीं है, मैं ठीक कह रहा हूं ये बात...(व्यवधान)...मुझे बड़ा अजीब लगा ...(व्यवधान)...

श्री विजेन्द्र गुप्ता : आपने खत्म किया,...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैंने कोई खत्म नहीं किया।...(व्यवधान)...

श्री विजेन्द्र गुप्ता : नहीं आपने जानकर खत्म किया, हमारे जाने का फायदा उठाया आपने...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : हां चलिए, गोपाल राय जी कंपलीट कीजिए, कंपलीट करिए, जल्दी।

परिवहन मंत्री : मैं सदस्यों से निवेदन कर रहा हूं कि दो मिनट का टाइम दे दें।...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : जगदीश जी, बैठिए प्लीज ओम प्रकाश जी, आप बैठिए।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : आप हमारा एजेंडा तय कर दें...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए, मैं सदन का एजेंडा ही तय कर रहा हूं।...(व्यवधान)...

श्री ओम प्रकाश शर्मा : नहीं कर रहे ना आप...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : एक सैकेंड बैठ जाइए, मंत्री जी।

परिवहन मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अभी कहा साइकिल का पर्यावरण से क्या संबंध है?...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : नहीं, ओम प्रकाश जी आप बार-बार डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है।

परिवहन मंत्री : जब उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा था सदन से बाहर थे। उन्होंने पानी का प्रश्न उठाया, उन्होंने पर्यावरण का प्रश्न उठाया, पीएम 2.5 का प्रश्न उठाया।

पीएम 2.5 कैसे पैदा होता है जानते हैं आप?...**(व्यवधान)**...पीएम 2.5 कैसे पैदा होता है जानते हैं आप? हर बात पर खड़े होना बिना जानते हुए। पीएम 2.5 कैसे पैदा होता है? हर बात पर खड़े हो जाते हो।...**(व्यवधान)**...किसी चीज की जानकारी होनी चाहिए। हर बात पर खड़े हो जाते हो।...**(व्यवधान)**...तो सुनने की कोशिश करा करो, समझ लिया करो बात को, बैठ जाओ।...**(व्यवधान)**...तो आप सुनो, समझो तो बात को।...**(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय : ओम प्रकाश जी बैठ जाइए अब, विजेन्द्र जी बिठाइये। जगदीश जी बैठिए प्लीज। विजेन्द्र जी बैठिए।

...**(व्यवधान)**...

परिवहन मंत्री : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के अंदर जैसी मैंने चर्चा की थी और हमारे माननीय सदस्य ने भी उठाया था। दो प्रश्न उठाए थे इसलिए मुझे बोलने की जरूरत पड़ी। पाने का मसला होता मैं अपनी बात रखता ही नहीं। इन्होंने पीएम 2.5 का मसला उठाया और आज जो पर्यावरण के अंदर सबसे जहरीली, जो सांस के अंदर पार्टिकल है उसका नाम है पीएम 2.5। पीएम 2.5 के पैदा होने के दो मेजर कारण है, एक है जो दिल्ली के अंदर बाहर से गाड़िया आती हैं, इन्होंने प्रश्न उठाया था कि मेट्रो और सीएनजी बस के बावजूद भी ये पीएम 2.5 क्यों पैदा हो रहा है। इसकी दो वजह है पहली वजह है दिल्ली के अंदर जो बाहर से गाड़ियां आती हैं और दिल्ली से निकलकर पंजाब निकल जाती है, हरियाणा निकल जाती है, बिहार जाती है, यू. पी. जाती है, राजस्थान जाती है, दिल्ली से केवल वो आने-जाने का रास्ता उपयोग करती हैं। उन डीजल और पेट्रोल गाड़ियों की वजह से दिल्ली के अंदर पीएम 2.5 पैदा होता है।...**(व्यवधान)**...

श्री ओम प्रकाश शर्मा : बाई पास बनवाइये, बाई पास।...**(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय : ओम प्रकाश जी, आप उनको आप टोकिए मत, प्लीज।
...(व्यवधान)...

परिवहन मंत्री : दिल्ली के अंदर जो बाहर से गाड़ियां आती हैं, उसके लिए इस बजट सत्र में दिल्ली सरकार ने प्रावधान किया था और केन्द्रीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी निर्णय किया, दिल्ली के अंदर जो भी बाहर से गाड़ियां आ रही हैं, उन पर दिल्ली सरकार टैक्स पर्यावरण लगा रही है एमसीडी के साथ मिलकर, एक प्वाइंट। दूसरा प्वाइंट जब डीजल गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाने का दस साल से अधिक गाड़ियों का प्रतिबंध लगाने का एनजीटी ने फैसला किया था, उसके बाद दिल्ली सरकार की तरफ से हमने हरियाणा और उत्तर प्रदेश के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग करके और तीनों की तरफ से हम लोगों का प्रतिनिधि मंडल लेकर मैं केंद्रीय परिवहन मंत्री के पास गया था और उनसे हमने निवेदन किया था कि जो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पैरिफेरल मार्ग बनना है, उसे जल्द बनाया जाए और इस बात के लिए हम केंद्रीय परिवहन मंत्री को धन्यवाद भी देना चाहते हैं कि उन्होंने पहलकदमी ली और जो काम रुक गया था, लंबे समय से पैडिंग था उसको आगे बढ़ाने का उन्होंने त्वरित गति से निर्णय लिया है और हमें उम्मीद है कि त्वरित गति पर प्राथमिकता के आधार पर वो मार्ग बनेंगे और दिल्ली को इससे स्थाई तौर पर मुक्ति मिल जाएगी।

दूसरा, जो कारण है पीएम 2.5 का, वो दिल्ली के अंदर बढ़ती हुई कारों की संख्या है, ट्रूहीलर की संख्या है, जो डीजल और पेट्रोल से चलती है। आज दिल्ली के अंदर कोलकाता, मुंबई और चैन्नई में जितनी गाड़ियां हैं, वो तीनों मिलाकर उससे अधिक गाड़ियां आज दिल्ली के अंदर हैं, ये सच है और लगातार बढ़ रही हैं। इसलिए दिल्ली के अंदर लोगों में जो कार को लेकर के, बड़ी-बड़ी गाड़ियों को लेकर के एक माइन्डसेट बना है, एक स्टेटस सिम्बल बना है, उसको

चेंज करने के लिए और लोग अपनी जिंदगी को बचाने के लिए लोकल ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें, मेट्रो का उपयोग करें, बस का उपयोग करें, साईकिल का उपयोग करें इसलिए साईकिल को प्रमोट करने के लिए ये 'कार फ्री डे' में साईकिल रैली होती है और पूरे दुनिया के अंदर एक बार आप पन्ने पलट कर देख लो। जिस भी देश ने पर्यावरण को बेहतर बनाने का काम किया है, अभी एक हफ्ते के लिए मैं स्वीडन गया था जो यूरोप का एन्वायरनमेंटल कैपिटल कहा जाता है। आज जो हमारी हालत है, 1960-70 के दशक में स्टाक होम की हालत थी। लेकिन स्टाक होम के अंदर आंदोलन चला, पर्यावरण आंदोलन चला और वहां के लोगों ने आज स्टाक होम को इतना बेहतर बनाया है कि आज वो यूरोप का कैपिटल कहा जाता है। एन्वारनमेंट के लिए मैंने संकल्प लिया है दिल्ली के अंदर आप सब लोगों के सहयोग से इस अभियान को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। धीरे-धीरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी बेहतर करेंगे। इलेक्ट्रिक बसें भी लाएंगे। सीएनजी बसों की संख्या बढ़ाएंगे। बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को करेंगे और दिल्ली को भी लोगों के साथ मिलकर पूरे एशिया का एन्वारनमेंट कैपिटल बनाने का संकल्प हमने लिया है। बस, इसमें जरूरी ये है कि सारे लोग सहभागिता से साथ दें। संवाद हम भी करेंगे और सहयोग आप भी करें।...(व्यवधान)...

श्री विजेन्द्र गुप्ता : हम पूरी तरह से आपके साथ हैं...(व्यवधान)...और साईकिल को जितना बढ़ावा देंगे, हम इस सदन में आपको ब्लैक चैक दे रहे हैं, हमारा समर्थन आपको मिलेगा। साईकिल को आप जितना बढ़ावा देंगे, हमारा आपको समर्थन मिलेगा पूरा।...(व्यवधान)...

परिवहन मंत्री : मेरा केवल ये निवेदन है 'कार फ्री डे' दिल्ली में अब सपना नहीं है। 'कार फ्री डे' दिल्ली में आज एक हकीकत है। हमने पहला 'कार फ्री डे' 22 अक्टूबर को किया था लाल किले से लेकर इंडिया गेट के बीच में,

तमाम फुटेज-विडियोज पड़ी हुई हैं यू ट्यूब पर, 23 तारीख की सारी अखबार की रिपोर्ट आप देख लेना। 22 नवंबर को हमने अभी द्वारका में किया है। उसकी फुटेज पड़ी है और उसकी रिपोर्ट पड़ी है। उसको भी देख लेना। दोनों रिपोर्ट देखने के बाद अगर आपको लगे कि ये 'कार फ्री डे' सतीश उपाध्याय का 'झाड़ू चलाओ अभियान' नहीं है तो आप भी शामिल हो जाना, आपका भी स्वागत है। धन्यवाद अध्यक्ष जी।

अध्यक्ष महोदय : जगदीश जी अब नहीं, सारा रह जाएगा। बहुत चर्चा हो गई।

श्री जगदीश प्रधान : एक सैकेंड सर। मंत्री महोदय को मैंने डेढ़ महीने पहले एक रिक्वेस्ट की थी मिलकर, सर जी एक बार सुन तो लो।...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : वो रिक्वेस्ट आपकी आई हुई है...(व्यवधान)...

श्री जगदीश प्रधान : मैंने ये कहा था कि दिल्ली के लोग अपनी निजी सवारी में ना चलकर एक सामुहिक सवारी में चले उसके लिए मैंने एक रिक्वेस्ट की थी मंत्री जी से कि मैट्रो जो हमारा गोकल पुर बन रहा है, वहां से एक नाला आता है, चौधरी फतेह सिंह जी बैठे हैं यहां, कपिल मिश्रा जी हमारे मंत्री जी बैठे हैं, तीन विधान सभाओं को वो नाला जोड़ता है। मैंने लैटर भी भेज दिया मंत्री जी को। डेढ़ महीने बाद भी उस लैटर का आज तक कोई जवाब नहीं आया है तो मेरा कहना इतना है कि जैसे कोई विधायक किसी मिनिस्टर के यहां मीटिंग करता है उसकी मिनट्स तैयारी होनी चाहिए और उस पर जो अफसर वहां बैठते हैं, उसकी कोई जवाबदेही तय होनी चाहिए। इस काम को कितने आगे तक पहुंचाया गया है, नहीं पहुंचाया गया है।

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, एक महत्वपूर्ण मामले पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव इस सदन में हमने पेश किया था और वो था दिल्ली में नाईट शैल्टर्स की आवश्यकता, उसकी व्यवस्था और लगभग डेढ़ लाख लोग दिल्ली में ऐसे हैं जो सड़कों पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इनमें से मात्र 4,890 अर्थात् 3.2 प्रतिशत लोगों की ही सरकार के द्वारा व्यवस्था की जाती है। नाईट शैल्टर्स के अंदर जो बेसिक ऐमिनिटीज हैं, उनकी हालत बहुत खस्ता है। सफाई की विशेष रूप से अनहाइजैनेनिक कण्डीशन्स हैं और यहां तक कि लोग नाईट शैल्टर में जाते हुए घबराते हैं, बजाय इसके सड़कों पर रात बीताना ज्यादा पसंद करते हैं। यहां तक जानकारी मिली कि नाईट शैल्टर के बाहर क्यों सो रहे हो, अंदर क्यों नहीं जाते हो तो उन्होंने कहा कि अंदर जाते हैं तो व्यवस्था करने वाला पीटता है, दहशत पैदा करता है। नाईट शैल्टर में जैसा मैंने कहा कि 4,890 लोगों के लिए व्यवस्था है। कुल जितने लोग सड़कों पर है, उनके लिए 19,37,520 स्क्वेयर फीट जगह चाहिए लेकिन व्यवस्था है 2,40,507 स्क्वेयर फीट यानि एक-एक नाईट शैल्टर में अमानवीय तरीके से लोगों को ठूंसा जाता है जिसके कारण कम्युनिकेबल डिजीजेज बढ़ती हैं। जब पिछली बार 49 दिन की आपकी सरकार आई थी तो आपने बड़े-बड़े वायदे किए थे। इस बार दुबारा चुनकर के आए उप-मुख्यमंत्री जी तो हमको लगा कि जो कहा था, उसको पूरा किया जाएगा। गरीबों का ध्यान किया जाएगा। लेकिन अफसोस आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद नाईट शैल्टर्स के मामले में स्थिति बद से बदतर हो गई है। मरने वालों की संख्या में भी लगभग 200 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अध्यक्ष जी, इसके अतिरिक्त इन होमलैस लोगों के लिए प्रॉपर व्यवस्था ना होने के कारण यहां पर, मेरे पास कुछ आंकड़ें हैं और मैं कश्मीरी गेट पुलिस स्टेशन के ही आंकड़ें दे रहा हूं आपको रिकार्ड के लिए और पूरी दिल्ली से उसको जोड़कर के फिर आपको बताऊंगा। अकेले कश्मीरी गेट क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र में 403 लोगों की इस वर्ष अभी

तक मृत्यु हो चुकी है जब कि अभी इस महीने में लगभग 50 दिन बाकी हैं। अगर पिछले साल से कम्पैरिजन करके इस आंकड़े की व्याख्या करूं तो पिछले वर्ष मरने वालों की संख्या मात्र 221 थी। यानि की 221 लोग पिछले पूरे वर्ष में मरे थे और इस वर्ष नवंबर 23 तक 400 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कल इस सदन के अंदर एक बहुत ही अव्यवहारिक बात कही गई जिसके कारण मेरे मस्तिष्क में ये बार-बार बात कौंधती रही कि आखिर इस सदन की संवेदनशीलता को क्या हो गया है? क्या सरकार में आने के बाद लोग इतने असंवेदनशील हो जाते हैं? क्या वो अपनी खाल बचाने के लिए किसी भी हद तक जाकर कुछ भी कह सकते हैं? कल यहां पर इस सदन की एक माननीय सदस्या ने कहा कि लोगों की मृत्यु ठंड से नहीं हो रही, भूख से नहीं हो रही। वो तो नशा करते हैं इसके कारण उनकी मृत्यु हो रही है। यानि कि आप उनको छत नहीं दे रहे हैं। मैं सर्दियों के आंकड़े बताना चाहता हूं फरवरी में सरकार आई थी, 74 लोगों की मृत्यु हुई। पिछले वर्ष फरवरी में 19 लोगों की मृत्यु हुई थी। एक कश्मीरी गेट थाने की फीगर्स दे रहा हूं, अभी पूरी बात बता दूंगा आपको...

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : आपको समय मिलेगा।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : आप कहते हैं दारू पीने से मर गए, नशा करने से मर गए। ये गरीबों का मजाक नहीं है क्या? ये होमलैस लोगों की पीड़ा के खिलाफ ये सरकार की अव्यवस्था नहीं है क्या?...

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी आप विषय को डाइवर्ट करते हैं, ये ठीक

नहीं है और इससे बदहजमी होती है।...

...(व्यवधान)...

श्री विजेन्द्र गुप्ता : आंकड़े दे रहा हूं।...

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : नहीं, इससे बदहजमी होती है। अल्का जी, बैठिए दो मिनट, प्लीज। विजेन्द्र जी, विषय हो गया पूरा।...

...(व्यवधान)...

श्री विजेन्द्र गुप्ता : मुझे अपनी बात पूरी करने दी जाए। मैं सारे तथ्य....

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : ये तात्कालिक चर्चा का विषय है। तात्कालिक चर्चा के लिए शेल्टर की जो बात है, उस तक आप सीमित रहिए।...

...(व्यवधान)...

श्री विजेन्द्र गुप्ता : ये किस तरह से ठंड से मरने वाले लोगों को, अपनी खाल बचाने के लिए सरकार उनको नशा खोर कहकर...(व्यवधान)...पूरी जांच करके आया हूं मैं यहां। मैंने जानकारी ली....

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, देखिए सदन को शालीनता से चलने दीजिए...

...(व्यवधान)...

श्री विजेन्द्र गुप्ता : मैं अपनी बात कहकर बैठ जाऊंगा, आप उन्हें चुप कराइए।...

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : नहीं। मैं क्या चुप करूं? आप पिन मार रहे हैं बेमतलब। कल का विषय कल चला गया।...

...(व्यवधान)...

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, मैं अपनी बात कह रहा हूं...

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : नहीं, बात कहां कह रहे हैं? आप विषय को डाइवर्ट कर रहे हैं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : डाइवर्ट कहां कर रहा हूं? मैं आपको फीगर्स दे रहा हूं। मैं आपको अपनी बात कह रहा हूं...

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने अपनी बात रखी, आप अपनी बात रखिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : मैं नाईट शैल्टर्स की व्यवस्था के बारे में...

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : ओम प्रकाश जी, बैठ जाइये। जरा। अलका जी बैठिए, प्लीज। मैं आपको समय दूंगा इसके बाद।...(व्यवधान)...अलका जी, मैं आपको समय दूंगा बैठिए। अलका जी, आप बैठिए प्लीज।...

...(व्यवधान)...

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी मैं अपनी बात कह दूँ, आप अपनी बात कहना। अपनी बात हमें कहने दीजिए...

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : अमानतुल्लाह जी प्लीज।

सुश्री अलका लाम्बा : आपके हमलों से डरने वाला नहीं है।...(व्यवधान)...

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, फरवरी में....

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : अब कन्क्लूड करिए, प्लीज।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : फरवरी में 2014 में कश्मीरी गेट थाने के क्षेत्र में 19 लोगों की डेथ हुई थी इस वर्ष 74 की हुई हैं। फरवरी में 23 लोगों की डेथ हुई थी। मार्च में इस वर्ष 69 हुई हैं। अप्रैल में 24 हुई थी इस वर्ष 37 हुई हैं। यानि की 66 डेथ कुल पिछले वर्ष के कम्पैरिजन में, मैं कहूँ तो इस वर्ष 180, 300 प्रतिशत अतिरिक्त और...(व्यवधान)....पूरी दिल्ली का अगर मैं हवाला दूँ, पूरी दिल्ली का हवाला देना चाहता हूँ...(व्यवधान)....मैं मंत्री जी ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ...(व्यवधान)...

सुश्री अलका लाम्बा : नशा मुक्ति चाहते हैं आप?...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : अब कन्क्लूड करिए प्लीज।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : मार्च से अक्टूबर का जो पीरियड है, नाईट शैल्टर्स की जरूरत क्या सिर्फ सर्दियों में है? ये भी आप सुनिश्चित कर लीजिए आज।

क्योंकि लीन पीरिएड जिसको कहा जाता है मार्च से अक्टूबर। गर्मी के अंदर भी होमलैस लोगों को शैल्टर की जरूरत है। हाई कोर्ट के अंदर डीयूएसआईबी ने माना है कि हम लीन पीरिएड में कोई भी व्यवस्था करने में सफल नहीं हुए।
...(व्यवधान)...ये माना है।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : अलका जी, मैं आपको समय दूंगा। मैंने कहा मैं समय दूंगा आपको।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : और इस वर्ष, इस पीरियड के दौरान भी मेरे पास पूरे आंकड़े तो नहीं हैं लेकिन लगभग जो मेरी जानकारी में आया है तीन हजार से ज्यादा लोगों की, होमलैस लोगों की मृत्यु हुई है।...

...(व्यवधान)...

सुश्री अलका लाम्बा : नशे से।...(व्यवधान)...

श्री विजेन्द्र गुप्ता : नशे से। मेरा ऑब्जेक्शन है,...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : अलका जी।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : हाइली आब्जेक्शनेबल है यहां पर, ये गरीब लोगों को नशाखोर कहकर, उनकी मृत्यु पर आरोप लगाए जा रहे हैं। ये आरोप लगाए जा रहे हैं...(व्यवधान)...सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच रही है।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : चलिए, आप अपनी बात रखिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच रही है...(व्यवधान)... नहीं, तो उनकी बात को कंडेम करें।

अध्यक्ष महोदय : चलिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : तो आप ये कहते हैं आपके विहाफ पर माननीय सदस्या यहां बोल रही हैं तो ये सरकार का व्यू है...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : कन्क्ल्यूड करिए आप।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, हमारा यह कहना है कि...
...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : ओम प्रकाश जी को बैठाओ। नितिन जी, ओम प्रकाश जी बैठिए। ये सदन का सारा समय खराब हो रहा है।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, हमारा इतना कहना है कि उसके बाद मैंने जानकारी, मैंने पूरी बात की जानकारी ली।

अध्यक्ष महोदय : प्लीज जरनैल जी।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : मैं अपनी पूरी बात कहूंगा तो मेरे पास पूरे तथ्य होने चाहिए और मैंने अपने से सारी जानकारी इकट्ठी की 402 लोग जो मरे हैं सर। इसमें से नशा करने के कारण कितने लोगों की मृत्यु हुई है? माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं इस सदन को बताना चाहता हूं और मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी को भी मैं बताना चाहता हूं। क्योंकि ये हमारा जो प्रश्न है ये जो कॉलिंग अटेंशन है इस पर हमने मुख्यमंत्री जी से जवाब मांगा था कि मुख्यमंत्री जी इस पर, आप पढ़ भी लें इसको। उप मुख्यमंत्री जी यहां बैठे हैं और मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी भी जरूर जवाब देने के लिए इस सदन में उपस्थित होंगे। मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं 403 में से एक भी व्यक्ति की मृत्यु की कॉज ऑफ डेथ नशा नहीं है, एक भी नहीं है।
...(व्यवधान)...हमारा जो कॉलिंग अटेंशन है, वो मैं पढ़कर सुना रहा हूं दिल्ली में बेसहारा लोगों के लिए नाइट शेल्टरों की कमी एवं व्यवस्था के कारण उत्पन्न

हुई स्थिति पर सदन का ध्यान आकर्षित करने और मुख्यमंत्री जी द्वारा इस पर अपना वक्तव्य देने की ये मैंने सुबह 11 बजे प्रार्थना की है। ये आपने एक्ससेप्ट कर लिया। मुख्यमंत्री जी इस पर रिप्लाइ करें। वो सदन में क्यों नहीं उपस्थित हुए, एक्ससेप्ट होने के बाद भी हम ये जानना चाहते हैं इसका मतलब ये है कि सरकार या तो संवेदनशील नहीं है या फिर उप मुख्यमंत्री जी, इस विषय में कारण बताएं। यदि मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो हमें पूरी जानकारी दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : बैठिए। अब हो गया ना पूरा।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अगर कोई सेटिसफैक्ट्री रिप्लाइ नहीं मिलेगा मुख्यमंत्री से इस सवाल के जवाब में, सदन में न होने का तो हमारा ऑब्जेक्शन जारी रहेगा।

अध्यक्ष महोदय : माननीय उप मुख्यमंत्री जी। अलका जी ये विषय बहुत लंबा है, ओम प्रकाश जी रुक जाइए, नहीं ऐसे नहीं। नहीं ऐसे थोड़े ही चलेगा ऐसे थोड़ी चल जाएगा सदन। अलका जी प्लीज।

सुश्री अलका लाम्बा : 20 लोगों से रिट्विट करते हैं क्योंकि वो आप पर यकीन नहीं करते। आपके धोखे पर यकीन नहीं करते। अध्यक्ष जी, मैं आपको बताती हूँ।

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, अलका जी प्लीज। अलका जी...(व्यवधान)... अलका जी बैठिए, बैठिए। आप नशे का समर्थन करते हैं क्या। फिर क्या बात है। अलका जी आप बैठ जाइए, बैठिए प्लीज अब हो गया बैठ जाइए।...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : माननीय उप मुख्यमंत्री जी जवाब दे रहे हैं।

उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मेरा अभी जो चर्चा और बहुत बहस चल रही थी इस मुद्दे पर मुझे सिर्फ इतना कहना है कि दिल्ली में मौत चाहे भूख से हो, या नशे से हो, या ठंड से हो, सरकार की और समाज की सबकी जिम्मेदारी है कि हर तरह की चीजों को रोका जाए।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी आप ध्यान से सुन लीजिए फिर बाद में आप फिर आप कहेंगे। ध्यान से सुन नहीं रहे हैं आप। उप मुख्यमंत्री जी जवाब दे रहे हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है जी। अगर मुख्यमंत्री जी नहीं है ये कोई जरूरी नहीं होता, ये कोई जरूरी नहीं होता है। ऐसा है, विजेन्द्र जी आप अगर हर चीज पर राजनीति करेंगे, ये उचित नहीं है। उप मुख्यमंत्री जी उत्तर दे रहे हैं। उनके पास कोई विभाग नहीं है। मुख्यमंत्री जी के पास। मुख्यमंत्री जी करवा रहे हैं अब आप सुनने को तैयार नहीं हो रहे हैं। सोमनाथ जी, बैठ जाइए प्लीज।

उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली सरकार में अर्बन डवलपमेंट मिनिस्टर होने के नाते मैं खुद पूरी जिम्मेदारी के साथ ये जवाब सदन के समक्ष रखना चाहता हूं क्योंकि डीयूएसआईबी का कार्य कहीं न कहीं मंत्रालय के रूप में मेरे विभाग के अधीन आता है और मैं दिल्ली सरकार का जिम्मेदार उप मुख्यमंत्री होने के नाते भी ये बात कहना चाहता हूं जो मैंने कही चाहे भूख से हो, नशे से हो, ठंड से हो हर मौत के प्रति सरकार को संवेदनशील होना ही चाहिए और ये डिस्टिंगुइश करना वो टेक्नीकल डिस्टिंगुइश करना है कि वो भूख से मौत हुई या नशे से हुई। जिस वजह से भी हुई, मौत तो मौत है और उसको रोकना हम सबकी जिम्मेदारी है। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं पिछली बार जब 49 डेज की सरकार के दौरान हम लोगों ने इस पर काम किया था। तो हमने बहुत ईमानदारी से समाज का भी आह्वान किया था और बहुत यूनिक तरीके से, जैसा देश में कभी कहीं नहीं हुआ था, समाज के लोगों ने

आगे आके किसी ने अपनी पुरानी खराब बसें दी कि इसमें नाइट शेल्टर बना लीजिए, किसी ने अपने टैंकर दिए कहीं जिसके पास जमीन थी। उसने जमीन दी। जिसके पास संसाधन थे, उन्होंने संसाधन दिए और सरकार और समाज ने मिलकर के 49 डेज की गवर्नमेंट के दौरान अद्भुत समन्वय दिखाते हुए नाइट शेल्टर्स में लोगों की व्यवस्था की थी। लेकिन जब हम चले गए उसके बाद एक अद्भुत काम हुआ दिल्ली में पहली बार दिल्ली में नाइट शेल्टर चलाने का काम एक सिक्योरिटी एजेंसी को दे दिया गया। इनकी सरकार थी तब केंद्र में केंद्र में अप्रत्यक्ष रूप से यही लोग सरकार चला रहे थे उस वक्त।

अध्यक्ष महोदय : ओम प्रकाश जी, दो मिनट शांति से सुन लीजिए ऐसे नहीं चलेगा।

उप मुख्यमंत्री : उस वक्त डीयूएसआईबी के तहत जो नाइट शेल्टर्स चल रहे थे उनमें से कुछ के ठेके एक सिक्योरिटी एजेंसी को दे दिए गए। मुझे शिकायतें मिली कई जगह से कि वो जो सिक्योरिटी एजेंसी वाले जो 47 रेन बसैरे थे, उनमें सिक्योरिटी एजेंसी वाले ने अपने स्टाफ को रखना शुरू कर दिया। ऐसे तो ये लोग करतब करते हैं। ऐसे लोगों को तो ये लोग ठेके देते हैं। इन्होंने नाइट शेल्टर को समाज सेवा की जगह कम्पनियों को दे दिया सर। पहली बार...

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, ये बात ठीक नहीं है।

...(व्यवधान)...

उप मुख्यमंत्री : हम लोग नाइट शेल्टर चलाने के लिए समाज को आगे लेकर आए। ये कम्पनियों को ठेके दे रहे थे उसके। कम्पनियों को ठेके दिलवा रहे थे।...अध्यक्ष महोदय, इसकी वजह से नाइट शेल्टर की पूरी अवधारणा पर खतरा पैदा हो गया था। अध्यक्ष महोदय,...

अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी। विजेन्द्र जी ये आपके लिए उचित नहीं है कम से कम। वो बता रहे हैं ना शेल्टर की स्थिति खराब क्यों हुई है।

...(व्यवधान)...

उप मुख्यमंत्री : आपने जो करतूत की उसको सदन के समक्ष रखना मेरी जिम्मेदारी है। आपने नाईट शेल्टर की अवधारणा के खिलाफ जो धोखाधड़ी की है, समाज के काम को अपना धंधा बना दिया है। आप अगर समाज के काम को धंधा बनाएंगे तो मैं सदन के सामने रखूंगा उसको।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी बैठिए। विजेन्द्र जी ये ठीक नहीं है। विजेन्द्र जी ये तरीका ठीक नहीं है।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, ये तरीका ठीक नहीं है।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, ये तरीका ठीक नहीं है। बुजुर्ग आदमी हैं, वे शांत कर रहे हैं। आप मंत्री जी को पूरा जवाब नहीं देने देंगे। पूरा जवाब नहीं देने देंगे, ये उचित नहीं है। उनका जवाब पूरा आने दीजिए।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : ओम प्रकाश जी, बैठ जाइए।...विजेन्द्र जी...मैं बार-बार प्रार्थना कर रहा हूं। आपकी चर्चा मैंने अलाउ की है और माननीय उप मुख्यमंत्री

उत्तर दे रहे हैं।...और क्या कर रहे हैं वो? सच्चाई सामने आ गई, तो आपको परेशानी हो रही है? नहीं। सच्चाई सामने आ रही है तो आपको परेशानी हो रही है?

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : एक सैकेण्ड। बैठिए जरा...बैठिए प्लीज। बैठिए। विजेन्द्र जी, बैठिए। बैठिए जगदीश जी। बैठिए ओम प्रकाश जी।

...(व्यवधान)...

श्री ओम प्रकाश शर्मा : ये रात भर घूमने वाली...

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : ओम प्रकाश जी आप बैठ जाइए। एक मिनट...सोमदत्त जी, प्लीज। देखिए, मेरा ये कहना है कि अभी उन्होंने बोलना ही शुरू किया है। कितने आपने आंकड़े दिए। सबने शांतिपूर्वक सुना, गंभीरता से सुना। इस महीने में इतनी हुई...इस महीने में इतनी हुई...इस महीने में। पूरी गंभीरता से सुना।...अब सुन लीजिए मेरी बात को। माननीय उप मुख्य मंत्री जी आंकड़े दे रहे हैं कि 27 एजेंसियों को...सिक्यूरिटी एजेंसियों को दिया गया, तो उसमें आपको पीड़ा क्या है? आप सिक्यूरिटी एजेंसी...

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। रुक जाइए। उनका पूरा उत्तर तो आने दीजिए। सिक्यूरिटी एजेंसी...ओम प्रकाश जी, ओम प्रकाश जी।

सुश्री अलका लाम्बा : अवैध मार्केट, अवैध नशे का धंधा...(व्यवधान)...

श्री ओम प्रकाश शर्मा : ये रात भर घूमने वाली...

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : एक सैकेंड, एक सैकेंड। बात सुनो ओम प्रकाश, जी ये बदतमीजी नहीं चलेगी। ये बहुत बदतमीजी है आपकी।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : अब आप आज के लिए बाहर जाइए। आपको दो दिन के लिए सस्पेंड किया जाता है। मैं ओम प्रकाश जी को आज के लिए बाकी समय के लिए और परसों के लिए सस्पेंड करता हूं सदन से। आपका शब्द बहुत गलत है। आपको मालूम है आपने क्या शब्द इस्तेमाल किया है? आप सदन से माफी मांगिए...आपने क्या शब्द इस्तेमाल किया है, एक महिला सदस्य के प्रति? आप महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। क्या कहा उसने? उसने आपको क्या कहा? आपको मालूम है, आपने क्या शब्द इस्तेमाल किया है?

...(व्यवधान)...

उप मुख्यमंत्री : आपने महिला सदस्य के खिलाफ गलत शब्द का इस्तेमाल किया है।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : मैं ओम प्रकाश जी को आज के लिए और शुक्रवार के लिए सदन से सस्पेंड करता हूं। ये माफी मांगे सदन से। ऐसा नहीं चल पाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं चल पाएगा। विजेन्द्र जी, ऐसा नहीं चल पाएगा। क्या कहा उसने? उसने कुछ नहीं कहा। इसने क्या शब्द इस्तेमाल किया है? मैं सदन के सामने बोलूं? मैं सदन के सामने बोलूं? मैं बोलूं सदन के सामने? नहीं। क्या शब्द बोला है इसने?

...(व्यवधान)...

(सत्ता पक्ष के कई सदस्य सदन के वेल में आए)

अध्यक्ष महोदय : ओम प्रकाश जी किसी दिन पिटवा देंगे आपको।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : दो मिनट रुकिए। चलिए, इधर आइए। सब आ जाइए। आइए चलिए। जगदीश जी, इधर चलिए। नहीं, इस पर कुछ नहीं हो सकता सदन के अंदर। चलिए, विजेन्द्र जी, आइए इधर। जगदीप जी, चलिए इधर। राखी जी, इधर चलिए आप। राखी जी, चलिए। राखी जी,...मैं अभी बात करता हूँ। चलिए। नहीं, ये कुछ नहीं हो सकता। ऐसे सदन नहीं चलेगा। ऐसा सदन नहीं चल सकता। ये बदतमीजी हो रही है।...आप चलिए। सभी विधायक उधर चलें। ...एक सेंकेंड।...जगदीप जी, आप चलिए। बंदना जी, आप चलिए। विजेन्द्र जी, एक सेंकेंड। मैं खड़ा हूँ, आप बैठिए। बैठिए। प्लीज। आप बैठ जाइए जरनैल सिंह जी। बैठ जाइये। राखी जी, बैठिए प्लीज। अलका जी, बैठिए। बैठिए प्लीज। अलका जी, बैठिए।...सोमनाथ जी, मैं अभी बात कर रहा हूँ। दो मिनट रुक जाइए।

सोमनाथ जी, बैठ जाइए, दो मिनट रुक जाइए। विजेन्द्र जी दो मिनट बैठ जाइए। सोमनाथ जी, बैठते क्यों नहीं हैं? राखी जी, बैठ जाइए।...जो ओम प्रकाश जी ने शब्द कहे हैं, मैं अगर सदन के सामने दोहराऊँ, तो मेरा सर शर्म से झुकता है और मैं विजेन्द्र जी को उनकी तारीफ कर रहा हूँ कि उसी वक्त जब वो बोल रहे थे उन्होंने हाथ पकड़ कर रोका। लेकिन ये सदन में बहुत ही अपमानजनक शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। उन्होंने जो कहा है...दोहराते हुए...शायद मुझे बहुत

भावना मुझे हो रही है, नहीं, विजेन्द्र जी, मैं सदन के सामने दोहरा रहा हूँ। मैं छुपा नहीं रहा हूँ। ये जिस ढंग से बदतमीजी करने का...बैठ जाइए आप। आप बैठ जाइए। मैं बाहर जा रहा हूँ। आप बैठ जाइए। बिल्कुल नहीं चलेगा ऐसे। आज मैंने अगर कार्रवाई नहीं की, सदन को ढीला छोड़ा...आप बैठ जाइए। राखी जी, बैठ जाइए। विजेन्द्र जी, मैं कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हूँ।...हां, मैं दूंगा समय। मैं खड़े होकर बोल रहा हूँ। मेरा शरीर इस वक्त कांप रहा इस शब्द को सुनकर के। उन्होंने कहा, “रात भर घूमने वाली।” ये शब्द... इतने शर्म की बात है। मेरा दिल अंदर से हिला हुआ है इतना हिला हुआ हूँ, मैं बहुत पीड़ित हूँ। व्यवधान...भारत के इतिहास में आजाद भारत के इतिहास में इतना अपमानजनक शब्द किसी चुनी हुई सांसद, किसी चुनी हुई विधायिका के प्रति किसी विधायक, सांसद ने नहीं किया होगा...और अलका लाम्बा तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की अध्यक्ष रही हैं। पूरी दिल्ली के युवाओं को उन्होंने प्रेरणा दी है। ऐसे शब्दों का उनके प्रति इस्तेमाल करना...ये पूरी दिल्ली की महिला जगत का अपमान है। बस इससे अधिक मैं कुछ और नहीं कह सकता।

...(व्यवधान)...

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, मैं चाहता हूँ, देखिये, सदन की मर्यादा, एक मिनट, ये अपशब्द बोल रही है, इनको रोका जाये।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : राखी जी, बैठ जाइए। आप बैठ जाइए। अलका जी, आप बिल्कुल भी मत बोलिए। मेरी प्रार्थना है। अब कोई नहीं बोलेगा।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : सदन की मर्यादा और गरिमा हम सब के लिए सर्वोपरि है क्योंकि हम सब लोग इस सदन के सम्मानित सदस्य हैं और जनता ने हम को चुन कर भेजा है...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : दो मिनट रुक जाइए, उनको बोलने दीजिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : जितने भी हीटेड ऑरग्युमेंट होते हैं...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, देखिये, लीपा-पोती मत कीजिए। मैं बहुत भावुक हूं। इस विषय पर। मैं कुछ भी कर सकता हूं आज। मैं बहुत ज्यादा भावुक हूं।

...(व्यवधान)...

श्री विजेन्द्र गुप्ता : आपने समय दिया है।

अध्यक्ष महोदय : आप दो लाइन में अपनी बात कर लीजिए। आप लीपा-पोती मत कीजिए। मैं बड़ा आदेश दे चुका हूं।

...(व्यवधान)...

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, कितने भी हीटेड ऑरग्युमेंट क्यों न हों, उप मुख्यमंत्री जी, आप खुद खड़े होकर बोल दीजिए ना। आप खुद करवा रहे हैं, आप क्यों ऐसा करवा रहे हैं, आप क्यों इशारे कर रहे हैं।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से बोल रहा हूं बैठ जाए।

...(व्यवधान)...

श्री विजेन्द्र गुप्ता : कृपा करके ऐसा मत करिये। मैं सारा नॉर्मल कर रहा हूं।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ एक बार ओम प्रकाश जी को बाहर भेज दीजिए। फिर बात करेंगे। एक बार बाहर भेज दीजिए। शांत हो जाइए।

...(व्यवधान)...

श्री विजेन्द्र गुप्ता : देखिये, गलतफहमी में मत रहिए।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, आप उनको बाहर भेज दीजिए थोड़ी देर के लिए।

...(व्यवधान)...

श्री विजेन्द्र गुप्ता : आप क्या कर रहे हैं? अध्यक्ष जी, उप मुख्यमंत्री जी, आप बिठाइये सबको।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, मैं उनको शांत करता हूँ। उनको पांच मिनट के लिए बाहर बैठा दीजिए। एक बार बिठा दीजिए। मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरे आग्रह को स्वीकार कर लीजिए। मैं हाथ जोड़ कर प्रार्थना कर रहा हूँ।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : ठीक है। अध्यक्ष का आदेश मानते हुए पांच मिनट के लिए ओम प्रकाश जी बाहर जाएं।

(माननीय सदस्य श्री ओम प्रकाश शर्मा जी सदन से बाहर गये)

अध्यक्ष महोदय : सभी माननीय सदस्य बैठ जायें। प्लीज बैठिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : इस सदन के अंदर...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : अब नहीं, बोलिए। दो मिनट रुक जाइए।

...(व्यवधान)...

श्री विजेन्द्र गुप्ता : आप बोलने नहीं देंगे। अध्यक्ष जी, अगर ऐसे होगा, तो फिर आप समझ लीजिए।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : नितिन जी, जब मैं यह कह रहा हूं कि अब बैठ जाइए, दो मिनट के लिए बैठ जाइए। राजेश जी, बैठ जाइए प्लीज।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, इस सदन में कितने भी हीटेड ऑरग्युमेंट क्यों न हुए...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : सौरभ जी, प्लीज। अब कोई बोलेगा नहीं। दो मिनट बैठ जाइये।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : इस सदन के अंदर कितने भी हीटेड ऑरग्युमेंट क्यों नहीं हुए हो, मैंने आपको या हमने आपको या आपने हमको कितना भी बुरा से बुरा क्यों न कहा हो, लेकिन सदन के बाहर जब भी हम मिले हैं, हम आत्मीयता से मिले हैं। हम गिले-शिकवे भूल कर मिले हैं। हम एक-दूसरे के सुख-दुख की बात करते हैं। एक मिनट

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, यह विषय बढ़ जाएगा। बहुत गलत विषय हो गया। आप इसको जल्दी से निपटाइये।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अगर मेरे इस वक्तव्य पर आपको आपत्ति है, तो मैं अपनी तरफ से कम से कम यह मन रखता हूं कि मैं सबसे अच्छी तरह बात करूं क्योंकि हमारी इस पटल पर जो भी लड़ाई है, वो वैचारिक है या फिर हमारे आपस में विषय को लेकर के अलग-अलग...(व्यवधान)...

श्री जगदीप सिंह : माफी मांगनी चाहिए, कोई डिप्लोमेसी नहीं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : कोई डिप्लोमेसी नहीं है। आप बैठिये।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, आप लीपा-पोती न करें। दो शब्दों में बात को खत्म करें।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : जो यहां हुआ, वह दुर्भाग्यपूर्ण है। ओम प्रकाश शर्मा जी ने जो कहा।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : अभी दो मिनट तो रुको ना। दो मिनट तो रुक जाइए। राजेश जी, बैठ जाइए। राखी जी, बैठ जाइये।

...(व्यवधान)...

श्री विजेन्द्र गुप्ता : ओम प्रकाश शर्मा जी ने जो कहा, मैं देख रहा था, मैं देख रहा था कि लगातार प्रोवोक करने की कोशिश की जा रही थी।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, ऐसे नहीं चलेगा। विजेन्द्र जी, यह नहीं चलेगा... प्रोवोक करने की। ना, ना बिल्कुल नहीं, कोई प्रोवोक नहीं हो रहे थे, वो बैठे हुए थे।

...(व्यवधान)...

श्री विजेन्द्र गुप्ता : उन्होंने आकर के यहां थप्पड़ मारा। आप बताइए।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, मैंने आपको समय दिया है, मैंने इस विषय को।

...(व्यवधान)...

श्री विजेन्द्र गुप्ता : महिला ने आकर यहां थप्पड़ मारा एक सदस्य को।

अध्यक्ष महोदय : किसने थप्पड़ मारा?

श्री विजेन्द्र गुप्ता : यह सही है। शर्म आनी चाहिए। अगर आप इस तरह की बात करते हो। अगर आप यह सोच रहे हैं कि हम दब जायेंगे तो गलतफहमी में मत रहना आप।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, ऐसे नहीं चलेगा।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : एक महिला सदस्य ने यहां मां-बहन की गाली दी हैं, उन्होंने मां-बहन की गाली दी है और थप्पड़ मारा है क्या यह सही है, आप बताइये। उप मुख्यमंत्री जी, आप बताइये। मां-बहन की गाली दी उनको और थप्पड़ मारा। क्या यह सही है।

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, मेरी बात सुनिये।

...(व्यवधान)...

श्री विजेन्द्र गुप्ता : मुख्यमंत्री जी, क्या यह माहौल ठीक नहीं होना चाहिए?

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : माहौल ऐसे ठीक होगा क्या? कैसे माहौल ठीक होगा, आप बताइये।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : ऐसा तो नहीं हो सकता ना। एक महिला सदस्या अपनी सीट से उठे और एक माननीय सदस्य पर हाथ उठाये और मां-बहन की गाली दें। क्या यह सही है।

श्री नितिन त्यागी : विजेन्द्र जी, अगर आपकी बेटी के लिए कोई ऐसे बोले। विजेन्द्र जी, आप इस सदन के सामने असत्य कथन कर रहे हैं।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : एक सैकेंड माननीय उप मुख्यमंत्री जी।

उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह दुःखद है, किसी भी लोकतांत्रिक सदन के लिए जो कुछ हो रहा है यहां पर और हम सब बिल्कुल भी न तो ये करने के लिए यहां आये थे, न इस सब पर लड़ने-झगड़ने के लिए आये थे। मुझे लगता है कि हम दिल्ली की जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। अगर हम इन मुद्दों के ऊपर यहां खड़े होकर लड़ेंगे और उसमें सदन का समय वेस्ट करेंगे तो। मेरा सिम्पल सा यह कहना है कि...(व्यवधान)... एक मिनट, किसी को दौरा पड़ा है ऊपर, ठीक है वहां लोग है वो देख लेंगे, अपने आप। आप चिंता मत करिये, व्यवस्था है वहां पर। मुझे लगता है जो सदन में हुआ, वो बहुत दुःखद है। सदन में हम पक्ष और विपक्ष के रूप में बैठेंगे तो निश्चित रूप से एक-दूसरे के काम पर और एक दूसरे के विचारों पर सवाल उठायेंगे, लेकिन शब्दों की और भावनाओं की मर्यादा होगी। यह हम लोगों की शपथ भी है और हम लोगों का संकल्प भी है। यहां जितने लोग बैठे हैं मैं सब के बारे में बात कर रहा हूं। लेकिन एक महिला साथी को इस तरह से बार-बार यह कहना मुझे लगता है, एक सदस्य ने कई बार मर्यादाएं तोड़ी हैं। निश्चित रूप से अपने जो बहुत सेंटिमेंटल तरीके से स्ट्रॉंग ऑब्जरवेशन्स दिये यहां पर, उसकी यह सदन बहुत तारीफ भी करता है और अभी मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, सत्ता पक्ष के सदस्यों से भी और विपक्ष के साथियों से भी कि हमारा यहां एक-एक

मिनट अपनी पर्सनली इगोज या हमें किसने क्या कह दिया, इस सब के ऊपर लड़ने का नहीं है। हम जवाबदेह हैं यहां जनता के लिए। जनता हम को देख रही है कि हम किस चीज पर अपना समय लगा रहे हैं। मुझे लगता है जो गलत हुआ, वो गलत हुआ, जिसने किया है वो स्वयं माफी मांगे, इस बात पर और नेता होने के नाते नेता जिम्मेदारी ले उस चीज की कि हम अपने सदस्यों को यहां सदन में बैठकर भी और सदन के बाहर भी, दोनों तरफ से नियमित मर्यादा में रखेंगे और मर्यादित भाषा के लिए ताकीद करेंगे और जिम्मेदारी लेंगे कि आगे से कोई भी सदस्य चाहे सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, ऐसी हरकतें न करें यहां पर।

अध्यक्ष महोदय : भई दो मिनट रुकिये।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : देखिये दो परिस्थिति है यहां पर। एक...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, मैं एक प्रार्थना कर रहा हूं...(व्यवधान)...भाई दो मिनट रुक जाइए। मैं आपसे जो कह रहा हूं मेरी बात सुन लीजिए। माननीय उप-मुख्यमंत्री जी ने दो मिनट में अपनी बात को पूरा कर दिया। आप बिना किसी लीपापोती के दो मिनट में अपनी बात को पूरा रखें। नहीं तो वहां से फिर आवाज उठेगी।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : मैं उप-मुख्यमंत्री जी की बात को बिल्कुल पूरा सम्मान देता हूं। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है कि पहला कर्तव्य हमारा है इस सदन के अंदर एक अच्छा वातावरण बना कर रखना। ये सारा देश, दिल्ली के लोग हम सबको देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ही देख रहे हैं हमको नहीं देख रहे हैं। हमको भी देख रहे हैं और आपको भी देख रहे हैं। हम सबको देख रहे हैं। हमारे व्यवहार को भी सब लोग देख रहे हैं। इसके सल्यूशन दो हैं। क्योंकि जो कुछ भी हुआ अगर एक तरफ से हुआ होता तो निश्चित रूप से ये बात आपकी...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : फिर वही बात आ गई। आप वही बात करेंगे?

श्री विजेन्द्र गुप्ता : आप बात पूछने नहीं देते उनकी बात को और मुझे बोलने के लिए कहा। इनको चुप कराइये।

अध्यक्ष महोदय : नहीं आप फिर एकतरफा वाली बात को दो तरफ बनाना चाहते हैं।...(व्यवधान)...

श्री विजेन्द्र गुप्ता : उन्होंने कहा कि गलत हुआ है वो बोलें यही आपने कहा है न? मैं माफी मांगने को तैयार हूँ। आप अपनी तरफ से कह दीजिए। अगर उनसे आप कहते हैं मैं उनसे भी कहलवाऊंगा। आप उधर से कहलवा दीजिए बात खत्म हो गई। इस सौहार्दपूर्ण में हो जाएगा। इतना ही तो कहा मैंने।

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी...(व्यवधान)...

उप-मुख्यमंत्री : ये एक सामान्य घटना नहीं है। आपने स्वयं कहा किसी सदन में पहली बार इस तरह की घटना हुई है। मैं पत्रकार भी रहा हूँ। राजनीति को भी थोड़ा नजदीक से देखता रहा हूँ। इस तरह की घटनाएं बहुत शर्मनाक है। मुझे लगता है कि अगर स्वयं सदस्य जिसने ये किया है। वो माफी मांगे बहुत अच्छी बात है नहीं तो मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी। बाकी आपकी मर्जी है लेकिन नेता विपक्ष इस मुद्दे पर माफी मांगे सदस्य की तरफ से और सदन की कार्यवाही आगे चलवाई जाए।

अध्यक्ष महोदय : अब विजेन्द्र जी, मेरी बात सुन लीजिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अगर हमारे सदस्यों की तरफ से मैं हूँ अगर आपके सदस्यों की तरफ से तो आप। तो इसमें इगो क्या है।

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी...(व्यवधान).... भई, एक सैकंड रुकिए जरा

...(व्यवधान)... विजेन्द्र जी मुझे एक चीज बता दीजिए। विजेन्द्र जी एक सैकेंड रुकिए जरा। मुझे बताइए कि उधर से ऐसा कौन-सा गलत शब्द इस्तेमाल किया गया ?

श्री विजेन्द्र गुप्ता : यहां पर आई, गंदी-गंदी गालियां दी।

अध्यक्ष महोदय : वो बाद की बात है।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : तो पहले ये माफी मांग लें

अध्यक्ष महोदय : वो एक कैसे ?

श्री विजेन्द्र गुप्ता : पहले ये मांग लें। फिर वो मांग लें।

अध्यक्ष महोदय : नहीं-नहीं। बाद की बात है।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : पहले ये मांग लें। फिर वो मांग लें।

अध्यक्ष महोदय : एक्शन का रिएक्शन तो होना ही था।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : कि मैंने जो भी शब्द बुरा लगा वो कहे मैं उनकी सीट पर गई इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूं।

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, आप समझेंगे नहीं स्थिति को। आप बैठ जाइए। जगदीप जी बैठिये। बैठिये प्लीज। विजेन्द्र जी बैठिये जरा। मैं बता रहा हूं।

उप-मुख्यमंत्री : सीट छोड़ के वहां पर जाने के लिए तो मुझे नहीं लगता कि कोई पहली बार किसी सदन में हुआ है...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, मेरी बात सुनिये...(व्यवधान)...विजेन्द्र जी अब एक बार मैं खड़ा हूं जरा दो मिनट सुनें। अब कोई बोलेगा नहीं प्लीज। देखिये विजेन्द्र जी इस विषय को बढ़ाने से कोई लाभ होगा नहीं। मेरी बात सुन

लीजिए जरा शांति से। आप ये कहें वो आये हैं। वो थप्पड़ मार गये। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं जरा सुन लीजिए बात को एक बार। ओमप्रकाश जी इसी सदन में सी. एम. जी के सामने जाकर खड़े हो गये थे। बिल्कुल सीना तानके जाकर खड़े हो गये थे। उस दिन भी सदन की मर्यादा का बहुत बड़ा उल्लंघन हुआ। मैंने सहन किया। मैंने सोचा कोई बात नहीं नये-नये सदस्य हैं...(व्यवधान)... सुन लीजिए। बात सुन लीजिए। विजेन्द्र जी आपकी दिक्कत ये है आप बोलने नहीं दे रहे। दूसरा आज जो घटना घटी है। तर्क-वितर्क चल रहे थे। उनके लिए कोई किसी ने अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जब वो बोल रहे थे। और ये ऐसा बोल गए इस पर तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरा भी मन कर रहा था कि मैं कुछ कर बैटूं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : तो आप भी कर लेते।

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी मुझे पूरी बात कर लेने दीजिए। ऐसा नहीं चलेगा। आपने पूरी बात नहीं सुनी है...(व्यवधान)...मैं जो कहना चाह रहा हूं मेरी पूरी बात सुन लीजिए। इस सदन में जितने भी हम लोग आये हैं। मैं पूरी बात कर लूं उसके बाद जो कहेंगे मैं सुनूंगा। जितने भी हम यहां चुनके आये हैं, सब एक-दूसरे के भाई बहन हैं। कुछ बड़े हैं उम्र में जैसे मैं हूं वो एक अलग विषय है। लेकिन मेरी बहन मेरे साथ सड़क पर जा रही हो। मेरी मां मेरे साथ सड़क पर जा रही हो। मेरी पत्नी मेरे साथ सड़क पर जा रही हो आपकी जा रही हो और कोई इस ढंग की छीटाकशी कर दे, उस वक्त क्या स्थिति बनती है? एक सेकेंड कोई बोलेगा नहीं। मेरी ये हाथ जोड़कर प्रार्थना है। उस वक्त हम लोगों की क्या स्थिति बनती है और ये जो स्थिति हुई है, अब उस पर परदा डालने के लिए बात कह रहे हैं...(व्यवधान)...और मैं ये दावे से कहता हूं ओम प्रकाश जी सदन में नहीं होंगे, कोई छीटाकशी नहीं होगी। मैं दावे से कहता हूं।

उप-मुख्यमंत्री : अध्यक्ष जी एथीक्स कमेटी को दे दीजिए। सदन की एथीक्स कमेटी है इस काम के लिए। अध्यक्ष जी सदन की एथीक्स कमेटी है ये मामला उसको दे दीजिए अब वो अपना फैसला देगी इस पर। एथीक्स कमेटी को दीजिए...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : वो तो मैं बाहर कर चुका हूँ। अलाउड नहीं...(व्यवधान).... नहीं-नहीं किसी ने मारा नहीं है। कोई थप्पड़ नहीं उठाया। गालियां दी हैं। नहीं उठाया थप्पड़। रोक दिया है उसी वक्त...(व्यवधान)....नहीं जगदीश जी, बिल्कुल नहीं उठाया।

सुश्री राखी बिड़ला : अध्यक्ष जी आपके माध्यम से कुछ मुद्दे पर बात रखना चाहती हूँ। सर, प्लीज ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है महिलाओं के लिए ऐसे कैसे कोई सम्मानित महिलाओं के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकता है। मैं डिप्टी सी.एम. की रिसपेक्ट करती हूँ उनकी बात को कनेक्ट करना चाह रही हूँ और उनके आलरेडी 3 मुद्दे एथीक्स कमेटी में चल रहे हैं। बेहद ही बेशर्म, बेहूदा किस्म के व्यक्ति हैं जो महिलाओं के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। जब तक इन्हें सस्पेंड नहीं किया जाएगा हम लोग कतई नहीं मानेंगे। इनके सस्पेंशन से नीचे हम लोग एग्री नहीं होंगे और जरूरत पड़ी तो आपसे निवेदन है पूरे सदन की तरफ से कि नेता प्रतिपक्ष को भी सस्पेंड किया जाये। ये नहीं चलेगा। इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये दिल्ली की समाज की महिलाओं के सम्मान का विषय है हम इसे सहन नहीं करेंगे। सस्पेंशन से नीचे कहीं नहीं मानेंगे हम लोग। इन्हें सस्पेंड करिये आप। हमारा आपसे अनुरोध है कि इन्हें सस्पेंड किया जाए...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : मैं इस विषय पर कोई बात नहीं करूंगा...(व्यवधान).... चलिये, अब शांत हो जाएं जरा प्लीज। राखी जी, बैठ जाइये। मैं बाहर कर तो

चुका हूं। सस्पेंड कर चुका हूं। अलका जी। ये विषय। अलका जी दो मिनट बैठ जाइये।

(श्रीमती वंदना कुमारी, सुश्री राखी बिड़ला, सुश्री अलका लाम्बा,
श्रीमती प्रमिला टोकस, सुश्री भावना गौड़
सदन के वेल में आ गई)

सुश्री अलका लाम्बा : अध्यक्ष जी यह अकेला मेरा मामला नहीं है, हम दिल्ली की तमाम महिलाओं की सुरक्षा मान-सम्मान की बात करने आए हैं, ओ. पी. शर्मा ने टीवी की डिबेट में हर तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। अध्यक्ष जी मैं आपके दरवाजे तक नहीं आई हाथ जोड़के अब कहूंगी ये मेरे यहां तमाम बहनें ये संदेश जाएगा आपके माध्यम से महिलाओं के मान-सम्मान से सदन आपकी अध्यक्षता में बर्दाश्त नहीं करेगा इस तरह...(व्यवधान)...अध्यक्ष जी उस भाषा के आप साक्षी हैं इस तरह की भाषा को आपने सुना है मैं हाथ जोड़के निवेदन करूंगी हमारी लड़ाई नहीं है...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : भावना जी बैठिये। अच्छा बैठिए थोड़ी देर।...(व्यवधान)...

सुश्री अलका लाम्बा : हर मां-बहन-बेटी को यहां से आपको एक संदेश देना होगा कि इस तरह की भाषा का, यह सदन आपकी अध्यक्षता में विरोध करता है और इसकी सजा आप तय करेंगे, इन्हें सस्पेंड करना होगा...(व्यवधान)...अध्यक्ष जी आप इस पर फैसला लीजिएगा और उम्मीद करती हूं ये बहुत बड़ा संदेश आने वाले पांच साल जब विधान सभा सत्र जो चलना है ये दिल्ली के तमाम लोगों को जाएगा, एक आदर्श की तरह से देखा जाएगा, मेरी ओर तमाम बहनों की उम्मीद आपके फैसले पर टिकी है अध्यक्ष जी।

सुश्री राखी बिड़ला : अध्यक्ष जी अगर ओ. पी. शर्मा को पूरे सत्र के

लिए सस्पेंड नहीं किया जाएगा तो हम छह की छह महिलाएं इस सत्र को ज्वाइन नहीं करेंगी और ये हमारा सामूहिक कमिटमेंट है। छह की छह विधायकों का। हम छह की छह महिला विधायक वाक आउट करेंगे हम सदन में नहीं आएंगे। हमारा नम्र निवेदन है कि महिलाओं के मान सम्मान के लिए इन्हें आपको सस्पेंड करना होगा।

अध्यक्ष महोदय : अच्छा बैठिए, विजेन्द्र जी सुन लीजिए, मैं पांच बजे तक के लिए सदन को स्थगित करता हूं, ठीक पांच बजे हम यहां पुनः मिलेंगे।

(सदन की कार्यवाही सायं 5 बजे तक के लिए स्थगित की गई)

सदन अपराह्न 5:10 बजे पुनः समवेत हुआ।

अध्यक्ष महोदय (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए।

अध्यक्ष महोदय : आज एक दुखद घटना हुई इस सदन के अंदर। उसका मुझे बहुत अफसोस है। क्या हुआ? प्लीज बैठिए। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं कि वो अपने स्थान पर बैठें, यह बहुत दुखद घटना हुई है। मुझे खुद बहुत पीड़ा है। माननीय महिला सदस्यों से मेरी प्रार्थना है कि अपनी चेयर पर बैठें ताकि सदन की कार्यवाही को चलाया जा सके। विजेन्द्र जी एक सेकेंड रुक जाइए जरा। विजेन्द्र जी मेरी बात सुनिए। एक सेकेंड मेरी बात सुनिए। दो मिनट शांत हो जाए प्लीज। अमानतुल्लाह जी दो मिनट। अच्छा दो मिनट बैठिए,...(व्यवधान)... भावना जी, एक सेकेंड, मुझे एक सेकेंड बोलने तो दो...(व्यवधान)...

श्री नितिन त्यागी : सर, नेता प्रतिपक्ष बिल्कुल सीरियस नहीं है इस मामले को लेकर। वो उल्टे आरोप लगा रहे हैं नेता प्रतिपक्ष बिल्कुल सीरियस नहीं है इसको लेकर। सर हम लोग किसी भी तरीके से एक्ससेप्ट करने को तैयार नहीं हैं और हमारा पूरा संघ महिलाओं के साथ में है। हम महिला सुरक्षा

की बात करते हैं और क्या ये महिलाएं इस तरीके की दुर्भावनाओं वाले व्यक्ति के साथ में इस सदन में अपने आपको कभी सुरक्षित महसूस कर पायेगी? हम लोगों को बहुत सीरियसली इस चीज को लेना पड़ेगा। नेता प्रतिपक्ष बिल्कुल सीरियसली नहीं ले रहे हैं किसी भी तरीके से उनके बयान है, उनके सारे बयान आज इतने इस मामले को लेकर...(व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : प्लीज बैठिए, राखी जी, इधर आ जाइए, इधर चलिए ... (व्यवधान)

श्री नितिन त्यागी : नेता प्रतिपक्ष को ओम प्रकाश जी को इमिजिएट इफैक्ट से पार्टी से बर्खास्त कर देना चाहिए अगर थोड़ी सी भी इनमें शर्म है तो यह कर देना चाहिए और हम लोग किसी भी तरीके से उनको हाउस में एक्ससेप्ट नहीं करेंगे। ये हमारी बहनें, हैं इनके ऊपर अगर कोई उंगली भी उठाए तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।

श्री सही राम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा कि इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इस चीज की आदत पड़ चुकी है। चार साल पहले दिल्ली नगर निगम में भी इन लोगों को हाउस से धक्के मार मारकर बाहर निकाला था।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों से मेरी प्रार्थना है कि दो मिनट की शांति का दान मुझे दे दो, दो मिनट के लिए।

श्री सही राम : अध्यक्ष महोदय, मैं फिर बार-बार कहना चाहूंगा कि इन लोगों को आदत पड़ चुकी है चार साल पहले दिल्ली नगर निगम के हाउस में बाकायदा बहुजन समाज पार्टी के मैम्बरों को इन्होंने मार मारकर धक्के मारकर

बाहर निकाला था, वो इनका इतिहास है। आज वही समस्या है। मैं आपसे मांग करता हूँ कि उसकी सदस्यता रद्द करके उसके खिलाफ एफआईआर लॉज कराके उसे जेल भेजा जाए।

...(व्यवधान)...

(सदस्यों के द्वारा नारेबाजी)

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य बैठ जाएं।

(सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

...(व्यवधान)...

श्री नितिन त्यागी : अगर विजेन्द्र गुप्ता जी, नेता प्रतिपक्ष होकर इस दुर्भावना से कही हुई बात को सपोर्ट करेंगे, तो सर उनको भी सस्पेंड कर देना चाहिए। इनको शर्म आनी चाहिए।

(सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री नितिन त्यागी : अगर विजेन्द्र गुप्ता जी ये मानते हैं कि जो महिला सुरक्षा का उनका मुद्दा था वो भी न्यूट्रल था वो भी खोखला था तो एक बार ये बता दें, क्लीयर कर दें। हम लोगों से वो एक्सस्पेक्शन नहीं रखेंगे। हम लोग उसकी भावना आहत नहीं होगी। इस तरीके की बात इस आदर्श हाउस के अंदर होगी तो बर्दाश्त नहीं की जाएंगी...(व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : प्लीज बैठे, आज के बहुत महत्वपूर्ण विषय थे, सब रह गए।

श्री नितिन त्यागी : अध्यक्ष महोदय, क्या यह महत्वपूर्ण नहीं है ? महिलाओं की सुरक्षा महत्वपूर्ण नहीं है। उनका मान-सम्मान महत्वपूर्ण नहीं है ?...(व्यवधान)। सर, आप निर्णय लीजिए आराम से...(व्यवधान)। सर अगर विजेन्द्र गुप्ता जी वाक आउट जैसी छोटी हरकत करेंगे....

अध्यक्ष महोदय : मैं पुनः 15 मिनट के लिए सदन स्थगित करता हूँ।

सदन अपराह्न 5.38 पर पुनः समवेत हुआ।

अध्यक्ष महोदय (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए।

(माननीय सदस्या सुश्री अलका लाम्बा, श्रीमती प्रमिला टोकस, सुश्री राखी बिरला, सुश्री सरिता सिंह, सुश्री भावना गौड़ वेल में आकर बैठ गईं)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगणो...

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, आप माहौल को गरम मत करो।

...(व्यवधान)...

श्री मदन लाल : अध्यक्ष महोदय, यह मामला एथिक्स कमेटी को सौंपा जाना चाहिए।

श्री नितिन त्यागी : सर, नेता प्रतिपक्ष का इस तरीके से हंसना और टॉण्ट मारने से साफ प्रतीत होता है कि ये भी उनसे लिए हुए हैं। इन्होंने जान-बूझ कर इस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल करवाया है। ये भी मिले हुए हैं।

(सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूँ कृपया बैठें।

...(व्यवधान)...

सुश्री अलका लाम्बा : ओ. पी. शर्मा जी को सस्पेंड कीजिए।

...(व्यवधान)...

श्री नितिन त्यागी : इस लज्जाहीन हरकत के लिए उन्हें सिर्फ सस्पेंड नहीं करना है, उनकी सदस्यता रद्द करनी है।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूँ। कृपया शांति का दान दें। प्लीज बैठिये।

(सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

अध्यक्ष महोदय : अलका जी, उधर मत जाइए, इधर रहिए आप। अलका जी, इधर वापस जाइए।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : सदन की कार्यवाही सोमवार दिनांक 26 नवंबर 2015 को अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। धन्यवाद।

(सदन की कार्यवाही दिनांक 26 नवंबर 2015 को अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई)

विषय-सूची

सत्र-2 भाग (1) मंगलवार, 24 नवम्बर, 2015/03 अग्रहायण, 1937 (शक) अंक 18

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1.	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	1-2
2.	अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था	3-15
3.	तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर	15-53
4.	तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	53-68
5.	अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	68-232
6.	ध्यानाकर्षण प्रस्ताव (नियम-54)	232-260
	1) दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति पर	
	2) दिल्ली में रैन बसेरों की कमी तथा अव्यवस्था के संबंध में	
7.	अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था	261-282